दशम माला, खण्ड 36, अंक 1

बुधवार, 7 दिसम्बर, 1994
16 अग्रहायण, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

बारहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खण्ड 36 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

7 दिसम्बर, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची	11	32 से 36	32 से 39
दसवीं लोक सभा के सदस्यों की सूची का			
अ	नीचे से 2	हनमकोण्डा	हनम् कोण्डा
ब	नीचे से 3	बोर, श्री बापू हरि (धूले)	बौरे, श्री बापू हरि
ज	3	जनार्दनन, श्री एम॰आर॰कादम्बूर (तिरुनेलवेली)	जनार्दनन, श्री एम॰ कादम्बूर (तिरुनेलवेली)
ट	3	हिडिवनाम	टिडिवनम
फ	5	फेलोरो, श्री एडुआर्डो	फैलीरो, श्री एडुआर्डो
व	4	वान्डायार, श्री के॰टी॰ (थंजाबूर)	वान्डायार, श्री के॰ (थंजावूर)
स	नीचे से 2	स्वामी, श्री जी॰वेंकट (पेड्डापल्ली)	स्वामी, श्री जी॰ वें (पेद्दापल्ली)
ह के नीचे	9	श्री एस॰मल्लिकारजुनय्या	श्री एस॰मल्लिकारजु
7	नीचे से 4 के ऊपर	(हिन्दी) पढ़िए	- - -
24	नीचे से 11	श्री बोल्ला रामय्या	श्री बोल्ला बुल्ली रा
25	1	न्याय और कार्य	न्याय और कम्पनी
32	नीचे से 1 और 5	सकल और सकल	सकल
33	4 और 9	सकल	सकल
37	नीचे से 16	तथा मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	तथा मंत्रालय में राज्य तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

39	1	राज्य मंत्री परमाणु ऊर्जा विभाग	राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग
41	7	द्वारा निर्माण	द्वारा गृह निर्माण
43	14	अनुलग्नक "क"	विवरण
"	19	अनुलग्नक "क" का लोप कीजिए।	-
51	19	फैलोरो	फैलीरो
76	नीचे से 19	श्री एडुअर्डो फलेरो	श्री एडुआर्डो फैलीरो
80	10	श्री एडुआर्डो फैलीरो	श्री एडुआर्डो फैलीरो
82	10	जस्वाणी	जेस्वाणी
84	3	श्री एडुआर्डो फैलेरा	श्री एडुआर्डो फैलोरो
86	नीचे से 11	श्री मैरूलाल मोणा	श्री भैरूलाल मीणा
141	नीचे से 11	श्री एडुअर्डो फैलोरो	श्री एडुअर्डो फैलीरो
159	नीचे से 2	फैलोरो	फैलीरो
161	5	"	"
162	22	स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी	स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी
174	4	श्री अरविन्द्र त्रिवेदी	श्री अरविन्द त्रिवेदी
175	12	फैलोरो	फैलोरी
182	नीचे से 9	"	"
218	17	सभा-पटल निकट के	सभा-पटल के निकट
232से 268	प्रथम	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में राष्ट्रीय आयोग विचार करने के संबंधी प्रस्ताव	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदनों पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव
263	नीचे से 11	गावो	गावोत

विषय-सूची

दशम माला, खंड 36, बारहवां सत्र, 1994/1916 (शक)
अंक 1, बुधवार, 7 दिसम्बर, 1994/16 अग्रहायण, 1916 (शक)

विषय	पृष्ठ
राष्ट्रगान : धुन बजाई गई	1
निधन संबंधी उल्लेख	1—6
बहरीन के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	6—7
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	7—10
संसद के दोनों सदनों के प्रश्न–काल की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	10—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 1 और 2	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	20—201
तारांकित प्रश्न संख्या : 3 से 20	20—38
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 11, 13 से 30, 32 से 36, 41 से 140, 142 से 155 और 157 से 179	38—201
प्रतिभूति घोटाले के बारे में संशोधित की गई कार्यवाही रिपोर्ट के संबंध में	201—219
सभा पटल पर रखे गए पत्र	219—227
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	227—228
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	
चौबीसवां, पच्चीसवां और छब्बीसवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत	228
रेल संबंधी स्थायी समिति	
सातवां, आठवां, नौवां और दसवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत	228
नियम 377 के अधीन मामले	229—231
(एक) केरल की इन्सट्रूमेंटेशन कंपनी लिमिटेड की पालक्कड़ इकाई को एक स्वतंत्र इकाई में बदलने की आवश्यकता	
श्री वी. एस. विजयराघवन	229
(दो) गन्ने का साविधिक न्यूनतम मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता	
श्री पी.पी. कालियापेरूमल	229
(तीन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु–प्रदूषण रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की आवश्यकता	
श्री गोपीनाथ गजपति	230
(चार) उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद–बरेली तथा कुमाऊं क्षेत्रों के किसानों के इस्तेमाल के लिए डीजल की सप्लाई शीघ्र करने की आवश्यकता	
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	230
(पांच) बिहार की अधबारा बाढ़ नियंत्रण परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता	
श्री नवल किशोर राय	231
(छः) पश्चिम बंगाल सरकार को कृष्णानगर की मिट्टी की बनी हस्तशिल्प की वस्तुओं के विकास हेतु एक प्रशिक्षण केंन्द्र खोलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता	
श्री अजय मुखोपाध्याय	231

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पूर्व आयुक्त के अट्ठाईसवें और उनतीसवें प्रतिवेदनों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के पांचवें, छठे, सातवें और आठवें प्रतिवेदनों पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव 232—268

श्री कालका दास 232—238

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी 238—244

डा. एस. पी. यादव 244—247

कुमारी फ्रिडा तोपनो 247—250

श्री द्वारका नाथ दास 250—252

श्री तेज नारायण सिंह 252—254

श्री चन्द्रजीत यादव 254—261

श्री माणिकराव होडल्या गावीत 261

श्री सत्यनारायण जटिया 265

दसवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अ

अंजलोज, श्री थाइल जान (अलप्पी)
अंसारी, डा. मुमताज (कोडरमा)
अकबर पाशा, श्री बी. (वेल्लौर)
अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)
अजित, सिंह श्री (बागपत)
अडइंकलराज, श्री एल. (तिरुचिरापल्ली)
अन्तुले, श्री ए. आर. (कोलाबा)
अन्बारासु, श्री आर. (मद्रास मध्य)
अब्दुल, गफूर श्री (गोपालगंज)
अमर पाल, सिंह श्री (मेरठ)
अयूब खां, श्री (झुंझुन)
अय्यर, श्रीमणि शंकर (मईलादुतुराई)
अरूणाचलम, श्री एम. (टेन्कासी)
अवैद्य नाथ, महन्त (गोरखपुर)
अशोकराज, श्री ए. (पैरम्बलूर)
असंल, श्रीमती चन्द्रप्रभा (मैसूर)
अहमद, श्री ई. (मंजेरी)
अहमद, श्री कमालुद्दीन (इनमकोण्डा)
अहिरवार, श्री आनन्द (सागर)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)
आजम, डा. फैयाजुल (बेतिया)
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)
आदित्यन, श्री आर. धनुषकोडी (तिरूवेन्दूर)

इ

इन्द्रजीत, श्री (दार्जिलिंग)
इम्चालम्बा, श्री (नागालैंड)
इस्लाम, श्री नुरूल (धंबरी)

उ

उन्नीकृष्णन्, श्री के.पी. (बडागरा)
उपाध्याय, श्री स्वरूप (तेजपुर)
उमराव सिंह, श्री (जालन्धर)
उमा भारती, कुमारी (खजुराहो)
उम्बे, श्री लाईता (अरूणाचल पूर्वी)
उम्मारेड्डी वेंकटस्वरलु, प्रो. (तेनाली)
उरांव, श्री ललित (लौहरदगा)

ओ

ओडियार, श्री चनैया (दावणगेरे)
ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

क

कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)
कठेरिया, श्री प्रभु दयाल (फिरोजाबाद)
कमोजिया, डा. जी. एल. (खीरी)
कनोडिया, श्री महेश (पाटन)
कमल नाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)
कमल, श्री श्याम लाल (बस्ती)
करेद्दुला, श्रीमती कमला कुमारी (भद्राचलम)
कहांडोले, श्री जेड. एम. (मालेगांव)
कांशीराम, श्री (इटावा)
कापसे, श्री राम (ठाणे)
कामत, श्री गुरूदास (मुम्बई उत्तरपूर्व)
कामसन, प्रो. एम. (बाह्य मणिपुर)
काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम (उस्मानाबाद)
कालकादास, श्री (करोलबाग)
कालिया पेरूमल, श्री पी. पी. (कुड्डालोर)
काले, श्री शंकर राव दे. (कोपरगांव)
कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी (नरसारावपेट)
कुडुमुला, कुमारी पद्म श्री (नेल्लौर)
कुन्जी लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
कुप्पुस्वामी, श्री सी. के. (कोयम्बटूर)
कुमार, श्री नीतीश (बाढ़)
कुमार, श्री वी. धनंजय (मंगलौर)
कुमारमंगलम, श्री रंगराजन (सलेम)
कुमारा सामी, श्री पी. (पलानी)
कुरियन, प्रो. पी. जे. (मवेलीकारा)
कुली, श्री बालिन (लखीमपुर)
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण (दमोह)
कृष्ण कुमार, श्री एस. (क्विलोन)
कृष्ण स्वामी, श्री एम. (वन्डिवाशी)
कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) श्रीमती (भरतपुर)
केवल सिंह, श्री (भटिंडा)
केशरी लाल, श्री (घाटमपुर)
केनिथी, डा. विश्वानाथम (श्रीकाकुलम)
कैरों, श्री सुरेन्द्र सिंह (तरणतारण)
कोटला, श्री जय सूर्य प्रकाश रेड्डी (कुरनूल)
कोंताला, श्री रामकृष्ण (अनकापल्ली)
कौरी, श्री गया प्रसाद (जालौन)
कोली, श्री गंगा राम (ब्याना)
कौल, श्रीमती शीला (राय बरेली)
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी (बीड)

ख

खन्ना, श्री राजेश (नई दिल्ली)

खनोरिया, मेजर डी.डी. (कांगड़ा)
खन्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भवन चन्द्र (गढ़वाल)
खां, श्री असलम शेर (बेतुल)
खां, श्री गुलाम मोहम्मद (मुरादाबाद)
खां, श्री सुखेन्दु (बिशनुपुर)
खुर्शीद, श्री सलमान (फर्रूखाबाद)

ग

गंगवार, डा. परशुराम (पीलीभीत)
गंगवार, श्री संतोष कुमार (बरेली)
गगोई, श्री तरूण (कलियाबोर)
गजपति श्री गोपी नाथ (बरहामपुर)
गमांग, श्री गिरिधर (कोरापुर)
गहलौत, श्री अशोक (जोधपुर)
गामीत, श्री छीतूभाई (माण्डवी)
गायकवाड, श्री उदयसिंह राव (कोल्हापूर)
गालिब, श्री गुर चरण सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दरबार)
गिरि, श्री सुधीर (कोन्टाई)
गिरिजा देवी, श्रीमती (महाराजगंज)
गिरियप्पा, श्री सी. पी. (मुदाल) (चित्रदुर्ग)
गुंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव (हिंगोली)
गुडाडिन्नी, श्री बी. के. (बीजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)
गोपालन, श्रीमती सुशीला (चिरांचिंकिल)
गोहिल, डा. महावीर सिंह हरिसिंहजी (भावनगर)
गौड़, प्रो. के. वेंकटगिरि (बंगलौर दक्षिण)
गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

घ

घंगारे, श्री रामचन्द्र मारोतराव (वर्धा)
घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रूगढ़)

च

चक्रवर्ती, प्रो. सुशान्त (हावड़ा)
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति (दमदम)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)
चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम (श्री पेरूम्बुदूर)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी (कराड़)
चाक्को, श्री पी. सी. (त्रिचूर)
चार्ल्स, श्री ए. (त्रिवेन्द्रम)
चालिहा, श्री किरिप (गुवाहाटी)
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई (आनन्द)
घावड़ा, श्री हरिसिंह (बनासकांठा)
चिखलिया, श्रीमती भावना (जूनागढ़)
चिदंम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)
चिन्ता मोहन, डा. (तिरूपति)
चेन्नित्तला, श्री रमेश (कोट्टायम)
चौधरी, श्री ए. बी. ए. गनी खां (मालदा)
चौधरी, स्क्वै. लीडर कमल (होशियारपुर)
चौधरी, डा. के. वी. आर (राजामुन्दरी)
चौधरी, श्री नारायण सिंह (हिसार)
चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज)
चौधरी, श्री राम टहल (रांची)
चौधरी, श्री रूद्रसेन
चौधरी, श्री लोकनाथ (जगतसिंहपुर)
चौधरी, श्रीमती संतोष (फिल्लौर)
चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)
चौर, श्री बापू हरि (धूलै)
चौहान, श्री चेतन पी. एस. (अमरोहा)
चौहान, श्री शिवराज सिंह (विदिशा)

छ

छटवाल, श्री सरताज सिंह (होशंगाबाद)
छोटे लाल, श्री (मोहनलाल गंज)

ज

जंगबीर सिंह, श्री (भिवानी)
जटिया, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)
जलार्दनन, श्री एम. आर. कादम्बूर (तिरूनेलवेली)
जय प्रकाश, श्री (हरदोई)
जयमोहन, श्री ए. (तिरूपत्तूर)
जसवंत सिंह, श्री (चित्तौड़गढ़)
जांगड़े, श्री खेलत राम (बिलासपुर)
जाखड़, श्री बलराम (सीकर)
जाटव, श्री बारे लाल (मुरैना)
जाफर शरीफ, श्री सी. के. (बंगलौर उत्तर)
जावाली, डा. बी. जी. (गुलबर्गा)
जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)
जीवरत्नम, श्री आर. (अर्कोनिम)
जैना, श्री श्रीकान्त (कटक)
जैस्वाणी, डा. खुशीराम डुंगरोमल (खेड़ा)
जोशी, श्री अन्ना (पुणे)
जोशी, श्री दाऊ दयाल (कोटा)

झ

झा, श्री भोगेन्द्र (मधुबनी)
झिकराम, श्री मोहनलाल (मांडला)

ट

टंडेल, श्री डी. जे. (दमन और दीव)
टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)
टिंडिवनम, श्री के. राममूर्ति (हिंडिवनाम)
टोपीवाला, श्रीमती दीपिका एच. (बड़ौदा)
टोपे, श्रीअंकुशराव (जालना)
ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी (कपड़बंज)
ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह (खंडवा)

ड

डामौर, श्री सोमजीभाई (दोहद)
डेनिस, श्री एन. (नागरकोइल)
डेका, श्री प्रबीन (मंगलदाई)
डेलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नगर हवेली)
डोम, डा. राम चन्द्र (बीरभुम)

त

तंगका बालू श्री के. वी. (धर्मपुरी)
तारा सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)
तिरिया कुमारी सुशीला (मयूरभंज)
तीरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वारस)
तेजनारायण सिंह, श्री (बक्सर)
तोपदार, श्री तरित वरण (बैरकपुर)
तोपनो, कुमारी फ्रिडा (सुन्दरगढ़)
तोमर, डा. रमेशचन्द (हापुड़)
त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण (बांदा)
त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर (पुरी)
त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि (केसरगंज)
त्रिवेदी, श्री अरविन्द (साबरकंठा)

थ

थामस, प्रो. के. वी. (एरणाकुलम)
थामस, श्री पी. सी. (मुक्तुपुजा)
थिटे, श्री बापू साहिब (बारामती)
थुंगन, श्री पी. के. (अरुणाचल पश्चिम)
थौरात, श्री संदीपन भगवान (पंढरपुर)

द

दत्त, श्री अमल (डायमंड हार्बर)
दत्त, श्री सुनील (मुम्बई–उत्तर पश्चिम)
दलबीर सिंह, श्री (शहडौल)
दादाहूर, श्री गुरुचरण सिंह (संगरूर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री जितेन्द्र नाथ (जलपाईगुड़ी)
दास, श्री द्वारकानाथ (करीमगंज)
दास, श्री राम सुन्दर (हाजीपुर)
दिघे, श्री शरद (मुम्बई – उत्तर मध्य)
दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र (वाराणसी)
दीवान, श्री पवन (महासमुन्द)
दुबे, श्रीमती सरोज (इलाहाबाद)
देव, श्री संतोष मोहन (त्रिपुरा–पश्चिम)
देवगौड़ा, श्री एच. डी. (हसन)
देवरा, श्री मुरली (मुम्बई–दक्षिण)
देवराजन, श्री बी. (रसिपुरम)
देवी, श्रीमती विभू कुमारी (त्रिपुरा–पूर्व)
देशमुख, श्री अनन्तराव (वाशिम)
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव (परभनी)
देशमुख, श्री चन्दूभाई (भड़ौच)
द्रोण, श्री जगत बीर सिंह (कानपुर)

ध

धर्मभिक्षम, श्री (नालगोंडा)
धूमल, प्रो. प्रेम (हमीरपुर)

न

नंदी, श्री येल्लैया (सिद्दीपेट)
नवले, श्री विदुरा विठोबा (खेड़)
नाईक, श्री राम (मुम्बई–उत्तर)
नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)
नायक, श्री जी. देवराय (कनारा)
नायक, श्री मृत्युंजय (फूलबनी)
नायक, श्री सुबास चन्द्र (कालाहांडी)
नायक, श्री डी. के. (धारवाड़ उत्तर)
नारायणन, श्री पी. जी. (गोबिचेट्टिपालयम)
निकाम, श्री गोविन्दराव (रत्नागिरी)
नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)
न्यामगौड़, श्री सिद दप्पा भीमप्पा (बागलकोट)

प

पांडियन, श्री डी. (मद्रास–उत्तर)
पंवार, श्री हरपाल (कैराना)
पटनायक, श्री शरत् (बोलंगीर)
पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)
पटेल, डा. अमृतलाल कालिदास (मेहसाना)
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई (बालसाड)
पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)
पटेल, प्रफुल (भंडारा)
पटेल, श्री बृशिण (सीवान)
पटेल, श्री भीमसिंह (रीवा)
पटेल, श्री रामपूजन (फूलपुर)
पटेल, श्री श्रवण कुमार (जबलपुर)

पटेल, श्री सोमाभाई (सुरेन्द्रनगर)
पटेल, श्री हरिभाई (पोरबन्दर)
पटेल, श्री हरिलाल ननजी (कच्छ)
डा. (श्रीमती) पद्मा (नागापट्टीनम)
पवार, डा. बसंत (नासिक)
पांजा, श्री अजित (कलकत्ता उत्तर–पूर्व)
पाटिल, श्री शिवराज वी. (लातूर)
पाटीदार, श्री रामेश्वर (खारगोन)
पाटील, श्री अन्वरी बसवराज (कोप्पल)
पाटील, श्री उत्तमराव देवराव (यवतमाल)
पाटील, श्री प्रकाश वी. (सांगली)
पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह (अमरावती)
पाटील, श्री विजय एन. (इरूदोल)
पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता (नान्देड़)
पाठक, श्री सुरेन्द्र पाल (शाहबाद)
पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ (देवगढ़)
पाण्डेय, डा. लक्ष्मी नारायण (मंदसौर)
पात्र, डा. कार्तिकेश्वर (बालासौर)
पायलट, श्री राजेश (दोसा)
पाल, डा. देवी प्रसाद (कलकत्ता उत्तर–पश्चिम)
पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)
पालावोला, श्री वी. आर. नायडू (बम्माम)
पासवान, श्री छेदी (सासाराम)
पासवान, श्री राम विलास (रोसेड़ा)
पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)
पासी, श्री बलराज (नेनीताल)
पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्चर)
पूसापति, श्री आनन्दगजपति राजू (बोब्बिली)
पेरुमान, डा. पी. वल्लल (चिदम्बरम)
पोतदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)
प्रकाश, श्री शशि (चेल)
प्रधानी, श्री के. (नवरंगपुर)
प्रभु, श्री आर, (नीलगिरिस)
प्रभु, रांट्ये, श्री हरीश नारायण (पणजी)
प्रमाणिक, प्रो. आर. आर. (मथुरापुर)
प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास (वामराज नगर)
प्रसाद, श्री हरि केवल (सलेमपुर)
प्रेम, श्री बी. एल. शर्मा (पूर्व दिल्ली)
प्रेमी, श्री मंगलराम (बिजनौर)

फ

फर्नान्डीज, श्री ओस्कार (उदीपी)
फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)
फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)
फारूक, श्री एम. ओ. एच. (पांडिचेरी)
फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक (अकोला)
फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)
बंडारू, श्री दत्तात्रेय (सिकन्दराबाद)
बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)
बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता–दक्षिण)
बरार, श्री जगमीत सिंह (फरीदकोट)
बर्मन, श्री उद्धव (बारपेटा)
बर्मन, पलास (बलूरघाट)
बसु, श्री अनिल (आरामबाग)
बसु, श्री चित्त (बारसाट)
बाला, डा. असीम (नवद्वीप)
बालयोगी, श्री जी. एम. सी. (अमालपुरम)
बालियान, श्री नरेश कुमार (मुजफ्फरनगर)
बीरबल, श्री (गंगानगर)
बूटासिंह, श्री (जालौर)
बैरवा, श्री राम नारायण (टोंक)
बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)
ब्रह्मो चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ (कोकराझार)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)
भगत, श्री विश्वेश्वर (बालाघाट)
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी (जादवपुर)
भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)
भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी (सिक्किम)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारगढ़)
भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)
भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)
भोंसले, श्री तेजसिंह राव, (रामटेक)
भोंसले, श्री प्रतापराव बी. (सतारा)
भोई, डा. कृपासिन्धु (सम्बलपुर)

म

मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)
मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
मंडल, श्री सूरज (गोड्डा)
मधुकर, श्री कमला मिश्र (मोतिहारी)
मनफूल सिंह, श्री (बीकानेर)
मरबनिआंग, श्री पीटर जी. (शिलांग)

मरन्डी, श्री कृष्ण (सिंहभूम)
मरान्डी, श्री साईमन (राजमहल)
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह (सोनीपत)
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र (दुर्गापुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (महवूवनगर)
मल्लिकारजुनय्या, श्री एस. (तुमकुर)
मल्लू, डा. आर. (नगर कुरनूल)
मसूद, श्री रशीद (सहारनपुर)
महतो, श्री बीर सिंह (पुरूलिया)
महतो, श्री राजकिशोर (गिरिडीह)
महतो, श्री शैलैन्द्र (जमशेदपुर)
महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)
महेन्द्र कुमारी, श्रीमती (अलवर)
माडे गोडा, श्री जी. (माण्डया)
माणे, श्री राजाराम शंकरसव (इचलकरांजी)
माथुर, श्री शिव चरण (भीलवाड़ा)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिर्धा, श्री रामनिवास (बाड़मेर)
मिश्र, श्री जनार्दन (सीतापुर)
मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)
मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)
मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)
मीणा, श्री भेरूलाल (सलूम्बर)
मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)
मुखर्जी, श्री प्रमोथेस (बरहामपुर)
मुखर्जी श्री सुब्रत (रायगंज)
मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृशनगर)
मुजाहिद, श्री बी. एम. (धारबाड़–दक्षिण)
मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)
मुत्तेमवार, श्री विलास (विमूर)
मुनियप्पा, श्री के. एच. (कोलार)
मुन्डा, श्री गोविन्द चन्द्र (क्योंझर)
मुरलीधरन, श्री के. (कालीकट)
मुरूगेंसन, डा. एन. (करूर)
मुरुमु, श्री रूप चन्द्र (झाड़ग्राम)
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर (कनकपुरा)
मूर्ति, श्री एम. वी. वी. एस. (विशाखापटनम)
मेघे, श्री दत्ता (नागपुर)
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद (हजारीबाग)
मेथ्यू, श्री पाला के. एम. (इदुक्की)
मोल्लाह, श्री हन्नान (उलूबेरिया)
मोहन सिंह, श्री (फिरोजपुर)
मोर्य, श्री आनन्द रत्न (चंदोली)

य

यादव, श्री अर्जुन सिंह (जौनपुर)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद (भागलपुर)
यादव, श्री छोटे सिंह (कन्नोज)
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)
यादव, श्री राम कृपाल (पटना)
यादव, श्री राम लखन सिंह (आरा)
यादव, श्री राम शरण सिंह (खगड़िया)
यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)
यादव, डा. एस. पी. सिंह (सम्भल)
यादव, श्री सत्यपाल सिंह (शाहजहांपुर)
यादव, श्री सूर्यनारायण (सहरसा)
यादव, श्री शरद (मधेपुरा)
युमनाम, श्री याइमा सिंह (आतंरिक मणिपुर)

र

रंगपी, डा. जयन्त (स्वशासी जिला)
रथ, श्री रामचन्द्र (आसका)
राजनारायण, श्री (बासगांव)
राजरविवर्मा, श्री बी. (पोल्लाची)
राजुलू, डा. आर. के. जी. (शिवकासी)
राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)
राजेन्द्रकुमार, श्री एस. एस. आर. (चिंगलपट्टू)
राजेश कुमार, श्री (गया)
राजेश्वरन, डा. वी. (रामनाथपुरम)
राजेश्वरी, श्रीमती बासवा (बेल्लारी)
राठवा, श्री एन. जे. (छोटा उदयपुर)
राणा, श्री काशीराम (सूरत)
राम अवध, श्री (अकबरपुर)
राम, श्री प्रेमचन्द्र (नवादा)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानौर)
रामदेव, राम, श्री (पलामू)
राम बदन, श्री (लालगंज)
राम बाबू, श्री ए. जी. एस. (मदुरै)
राममूर्ति, श्री के. (कृष्णगिरि)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (हरिद्वार)
रामासामी, श्री राजगोपाल नायडु (पेरियाकुलम)
रामय्या, श्री बोल्ला बुल्ली (एलरू)
राय, श्री एम. रमन्ना (कासरगोड़)
राय, श्री कल्पनाथ (घोसी)
राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)

राय, श्री रवि (केन्द्रपारा)
राय, श्री रामनिहोर (राबर्ट्सगंज)
राय, श्री लाल बाबू (छपरा)
राय, डा. सुधीर (बर्दवान)
राय, श्री हाराधन (आसनसोल)
रायचौधरी, श्री सुदर्शन (सीरमपुर)
रायप्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)
राव, श्री डी. वेंकटेश्वर (बापतला)
राव, श्री जे. चौक्का (करीमनगर)
राव, श्री पी. वी. नरसिंह (नन्दयाल)
राव, राम सिंह कर्नल (महेन्द्रगढ़)
राव, श्री वी. कृष्ण (चिक्बल्लापुर)
रावत, श्री प्रभु लाल (बांसवाड़ा)
रावत, श्री भगवान शंकर (आगरा)
रावत, प्रो. रासा सिंह (अजमेर)
रावल, डा. लाल बहादुर (हाथरस)
रावले, श्री मोहन (मुम्बई–दक्षिण मध्य)
राही, श्री राम लाल (मिश्रिख)
रेड्डय्या यादव, श्री के. पी. (मछलीपटनम)
रेड्डी, श्री आर. सुरेन्द्र (वारंगल)
रेड्डी, श्री ए. इन्द्रकरन (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री. ए. वेंकट (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री एम. बागा (मेडक)
रेड्डी, श्री जी. मंगा (निज़ामाबाद)
रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बारामा (ओंगोले)
रेड्डी, श्री एम. जी. (चित्तूर)
रेड्डी, श्री बी. एन. (मिरयालगंडा)
रेड्डी, श्री याई. एस. राजशेखर (कुडप्पा)
रोशन लाल, श्री (खुर्जा)

ल

लवली आनन्द, श्रीमती (वैशाली)
लक्ष्मणन, प्रो. सावित्री (मुकुन्दपुरम)
लालजान वाशा, श्री एस. एन. (गुन्टूर)
लोढा, श्री गुमान मल (पाली)

व

वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ (चतरा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (शाजापुर)
वर्मा, श्री भवानीलाल (जांजगीर)
वर्मा, श्री रतिलाल (धन्धुका)
वर्मा, प्रो. रीता (धनबाद)
वर्मा, कु. विमला (सिवनी)
वर्मा, श्री शिव शरण (मछलीशहर)
वर्मा, श्री सुशील चन्द्र (भोपाल)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)
वाघेला, श्री शंकर सिंह (गोधरा)
वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा)
वान्डायार, श्री के. टी. (थंजाबुर)
वासनिक, श्री मुकुल (बुलढ़ाना)
विजयराघवन, श्री वी. एस. (पालघाट)
विलियम्स, मेजर जनरल आर. जी. (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मिर्जापुर)
वेकारिया, श्री शिवलाल नागजी भाई (राजकोट)
व्यास, डा. गिरिजा (उदयपुर)

श

शंकरानन्द, श्री बी. (चिकोडी)
शर्मा, कैप्टन सतीश कुमार (अमेठी)
शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)
शर्मा, श्री जीवन (अल्मोड़ा)
शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार (रामपुर)
शर्मा, श्री विश्वनाथ (हमीरपुर)
शाक्य, डा. महादीपक सिंह (एटा)
शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास (सुल्तानपुर)
शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर (सैदपुर)
शास्त्री, श्री विश्वनाथ (गाजीपुर)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिंहरी–गढ़वाल)
शिगड़ा, श्री डी. बी. (दहानू)
शिवप्पा, श्री के. जी. (शिमोगा)
शिवरामन, श्री एस. (ओट्टापालम)
शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद (खलीलाबाद)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेल्के, श्री मारूति देवराम (अहमदनगर)
शैलजा, कुमारी (सिरसा)
श्रीधरण, डा. राजगोपालन (मद्रास दक्षिण)
श्रीनिवासन, श्री सी. (डिन्डिगुल)

स

संगमा, श्री पूर्णो ए. (तुरा)
संघानी, श्री दिलीप भाई (अमरेली)
सईद, श्री पी. एम. (लक्षद्वीप)
सज्जन कुमार, श्री (बाहय दिल्ली)
सत्रुचार्ला, श्री विजयराम राजू (पार्वतीपुरम)
सरस्वती, श्री योगानन्द (भिंड)
सरोदे, डा. गुणवन्त रामभाऊ (जलगांव)
सलीम, श्री मुहम्मद यूनुस (कटिहार)
साक्षी, जी. डा. (मथुरा)

सादुल, श्री धर्मप्पा मोडय्या (शोलापुर)
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा (हिन्दुपुर)
साय, श्री ए. प्रताप (राजमपेट)
सावन्त, श्री सुधीर (राजापुर)
सावे, श्री मोरेश्वर (औरंगाबाद)
साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)
सिंगला, श्री संतराम (पटियाला)
सिंधिया, श्रीमती विपयराजे (गुना)
सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)
सिदनाल, श्री एस. बी. (बेलगांव)
सिद्धार्थ, श्रीमती डी. के. तारादेवी (चिकमगलूर)
सिल्वेरा, डा. सी. (मिजोरम)
सिंह, श्री अभय प्रताप (प्रतापगढ़)
सिंह, श्री अर्जुन (सतना)
सिंह, श्री उदय प्रताप (मैनपुरी)
सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)
सिंह, डा. छत्रपाल (बुलन्दशहर)
सिंह, श्री देवी बक्स (उन्नाव)
सिंह, कु. पुष्पा देवी (रायगढ़)
सिंह, श्री प्रताप (बांका)
सिंह, श्री बृजभूषण शरण (गोण्डा)
सिंह, श्री मोतीलाल (सीधी)
सिंह, श्री मोहन (देवरिया)
सिंह, श्री राजवीर (आंवला)
सिंह, श्री रामनरेश (औरंगाबाद)
सिंह, श्री रामपाल (डुमरिया गंज)
सिंह, श्री राम प्रसाद (विक्रमगंज)
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद (जहानाबाद)
सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर (राजनंदगांव)
सिंह, श्री सत्यदेव (बलरामपुर)
सिंह, श्री सूर्य नारायण (बलिया)
सिंह, श्री हरि किशोर (शिवहर)
सिंहदेव, श्री के. पी. (देकानाल)
सुखराम, श्री (मंडी)
सुखबंस कौर, श्रीमती (गुरूदासपुर)
सुब्बाराव, श्री थोटा (काकिनाडा)
सुर, श्री मनोरंजन (बसीरहाट)
सुरेश, श्री कोड्डीकुनील (अडूर)
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त (शिमला)
सेट, श्री इब्राहिम सुलेमान (पोन्नान)
सेठी, श्री अर्जुन चरण (भाद्रक)
सेकिया, श्री मुहीराम (नौगोंग)
सैयद, श्री शाहाबुद्दीन (किशनगंज)
सोडी, श्री मनकूराम (बस्तर)
सोरेन, श्री शिबू (दुमका)
सोलंकी, श्री सूरजभानु (धार)
सोन्द्रम, डा. (श्रीमती) के. एस. (तिरूचेंगोड़)
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (बदायूं)
स्वामी, श्री जी. वेंकट (पेंड्डापल्ली)
स्वामी, श्री सुरेशानन्द (जलेसर)

ह

हरचन्द सिंह, श्री (रोपड़)
हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह (रोहतक)
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण (जौरहाट)
हुसैन, श्री सैयद मसूदल (मुर्शिदाबाद)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री शिवराज वी. पाटिल

उपाध्यक्ष

बी एस. मल्लिकारजुनय्या

सभापति तालिका

श्री शरद दिघे
श्री पीटर जी. मरबनिआंग
श्री नीतीश कुमार
श्रीमति गीता मुखर्जी
श्री तारा सिंह
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य
श्री राम नाईक
श्री पी. सी. चाक्को
श्रीमती संतोष चौधरी
प्रो. रीता वर्मा

महासचिव

डा. आर. सी. भारद्वाज

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री और कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, विज्ञान और प्रोद्योगिकी, महासागर विकास, इलैक्ट्रोनिको, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, ग्रामीण विकास, अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत, विधि, न्याय और कंपनी कार्य, जम्मू–कश्मीर समबन्धी मामले मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी तथा उद्योग मंत्रालय एवं अन्य विषयों, जिनका आवंटन किसी अन्य कैबिनेट मंत्री अथवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को न किया गया हो, के भी अतिरिक्त प्रभारी	श्री पी.वी. नरसिंह राव
नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री	श्री ए. के. एन्टनी

मानव संसाधन विकास मंत्री	श्री अर्जुन सिंह
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	श्री बी. शंकरानन्द
कृषि मंत्री	श्री बलराम जाखड़
रेल मंत्री	श्री सी. के. जाफर शरीफ
विदेश मंत्री	श्री दिनेश सिंह
नागर विमानन और पर्यटन मंत्री	श्री गुलाम नबी आजाद
वित्त मंत्री	श्री मनमोहन सिंह
विद्युत मंत्री	श्री एन. के. पी. साल्वे
वाणिज्य मंत्री	श्री प्रणव मुखर्जी
रसायन तथा उर्वरक मंत्री	श्री राम लखन सिंह यादव
गृह मंत्री	श्री एस. बी. चव्हाण
शहरी विकास मंत्री	श्रीमती शीला कौल
कल्याण मंत्री	श्री सीताराम केसरी
जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री अजित पांजा
खान मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री बलराम सिंह यादव
वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री जी. वेंकट स्वामी
योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री गिरिधर गमांग
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री जगदीश टाईटलर
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री के. पी. सिंह देव
खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री कल्पनाथ राय
पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री कमल नाथ
श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री पी. ए. संगमा
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री	कैप्टन सतीश कुमार शर्मा
इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री संतोष मोहन देव
संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री सुख राम
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री तरूण गगोई

राज्य मंत्री

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री	श्रीमती बासवा राजेश्वरी
प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री भुवनेश चतुर्वेदी
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मे राज्य मंत्री	डा. सी. सिल्वेरा
रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री	श्री एडुआर्डो फैलीरो
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच. आर. भारद्वाज
कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के. वी. तंग्काबालू
उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री	श्रीमती कृष्णा साही
उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विकास) में राज्य मंत्री	श्री एम. अरूणाचलम
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम. वी. चन्द्रशेखरमूर्ति
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मल्लिकार्जुन
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती मार्गरेट आल्वा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुकुल वासनिक
शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी. के. थुंगन
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी. एम. सईद
विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी. वी. रंगय्या नायडु
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आर. एल. भाटिया
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री राजेश पायलट
ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री	कर्नल राव राम सिंह
ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री रामेश्वर ठाकुर
अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एस. कृष्ण कुमार
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सलमान खुर्शीद
नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय (पर्यटन विभाग) में राज्य मंत्री	श्रीमती सुखबंस कौर
ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री	श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा. सी. सिलवेरा

उप मंत्री

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री	श्री पवन सिह घाटोवार
गृह मंत्रालय में उप मंत्री	श्री राम लाल राही
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री	कुमारी शैलजा

लोक सभा

बुधवार, 7 दिसम्बर, 1994/16 अग्रहायण, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

11.03 म.पू.

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आज की बैठक में मेरा यह कर्त्तव्य है कि अपने तीन सहयोगियों सर्वश्री एन. सुन्दरराज, विजय कुमार राजू भूपतिराजू, गया प्रसाद कोरी तथा अपने दस भूतपूर्व सहयोगियों—श्री हनुमन्त राव गणेशराव वैष्णव, श्री ए.एम. रत्नास्वामी, श्रीमती रामदुलारी सिन्हा, श्री किशोरी मोहन त्रिपाठी, श्री ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री जयन्तीलाल वीरचन्द शाह, श्री राम गोपाल शालवाले, सरदार स्वर्ण सिंह, श्रीमती इन्दिरा अनन्त मेदेव तथा श्री सी. जनार्दनन के दुखद निधन की सूचना दूँ।

श्री एन. सुन्दरराज तमिलनाडु के पुडुक्कोट्टाई निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने आठवीं तथा नौवीं लोक सभा में भी इसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वह लोक सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति तथा नगर विमानन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य थे तथा उन्होंने सभा की कार्यवाही में बहुमूल्य योगदान दिया।

इससे पहले वह 1977-80 तथा 1980-94 के दौरान तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य थे। श्री सुन्दरराज व्यवसाय से कृषक थे परन्तु वह एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी थे।

श्री. एन. सुन्दरराज का देहावसान 50 वर्ष की आयु में 23 सितम्बर, 1994 को तंजाबूर में हुआ।

श्री भू. विजय कुमार राजू आन्ध्र प्रदेश के नरसापुर निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने आठवीं और नौवीं लोक सभा में इसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

इससे पूर्व 1967-78 के दौरान वह आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1964 तथा 1981 में आन्ध्र प्रदेश की वीरस्सा कोडेरू पंचायत समिति के अध्यक्ष भी रहे।

व्यवसाय से कृषक, व्यापारी तथा उद्योगपति के साथ-साथ श्री भू. विजय कुमार राजू मजदूर संघ के भी सक्रिय नेता थे। उन्होंने बहुत से संगठनों, मुख्य रूप से मजदूर संघों तथा विपणन महासंघों में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए अपनी योग्यता सिद्ध की। वह 1968 में स्टेट लायब्रेरी अथोरिटीज के सदस्य तथा 1990 से कोर्ट ऑफ हैदराबाद यूनिवर्सिटी के सदस्य रहे।

उन्होंने कई देशों की यात्रा की और सहकारिता आन्दोलन से वह सक्रिय रूप से जुड़े रहे।

एक योग्य सांसद के रूप में उन्होंने सभा की कार्यवाही में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोक सभा की सदस्यता के दौरान उन्होंने लोक सभा की विभिन्न समितियों में भी कुशलतापूर्वक कार्य किया।

श्री भू. विजय कुमार राजू का देहावसान 58 वर्ष की आयु में 20 नवंबर, 1994 को पश्चिम गोदावरी जिले के भीमावरम् में हुआ।

श्री गया प्रसाद कोरी उत्तर प्रदेश के जालोन निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे। कम साधन होने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत तथा दृढ़ निश्चय से सार्वजनिक जीवन में अपनी छाप छोड़ी। वह एक प्रतिबद्ध समाज सेवक थे तथा उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न मंचों के माध्यम से निरन्तर कार्य किया।

एक ट्रेड यूनियन नेता के रूप में उन्होंने श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए अनेक श्रमिक संगठनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वह सभा की कार्यवाही में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते थे तथा सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति तथा विभागों से सम्बद्ध श्रम तथा कल्याण संबंधी स्थायी समिति के सदस्य थे। श्री गया प्रसाद कोरी का देहावसान 44 वर्ष की युवा आयु में 22 नवंबर, 1994 को जालोन जिले के कोंच में हुआ।

श्री हनुमन्तराव गणेशराव वैष्णव ने 1952-57 के दौरान भूतपूर्व हैदराबाद स्टेट के अम्बद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का पहली लोक सभा में प्रतिनिधित्व किया।

वह पेशे से वकील थे और 1932-36 के दौरान वह औरंगाबाद बार-एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे।

वह एक सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्ता थे और बहुत से विभिन्न शैक्षिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठनों से सम्बद्ध रहे और उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने शिक्षा के प्रसार में गहन रुचि ली तथा 1939-51 के दौरान औरंगाबाद की एस.बी. एजुकेशन सोसाइटी के सचिव के रूप में और फिर बाद में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तथा 1941-48 के दौरान गवर्नमैंट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के सदस्य के रूप में कार्य किया।

वह कुशल सांसद थे और सभा की कार्यवाही में गहरी रुचि लेते थे।

श्री वैष्णव प्रसाद का देहावसान 90 वर्ष की आयु में 15 अगस्त, 1994 को औरंगाबाद में हुआ।

श्री ए.एम. रत्नास्वामी 1950-52 के दौरान अन्तरिम संसद के सदस्य रहे तथा उन्होंने भूतपूर्व मद्रास स्टेट के मद्रास निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वह एक सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे और उन्होंने समाज के दलित तथा कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। वह मद्रास डिप्रेसड क्लासिस लीग के महासचिव तथा डिप्रेसड क्लासिस यूथस लीग, मद्रास के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा आन्दोलन में भाग लिया तथा "हरिजनस इन ए चैन्जिंग इण्डिया" तथा "अवर स्ट्रगल" (तमिल में) नामक पुस्तकें लिखीं।

श्री रत्नास्वामी का देहावसान 79 वर्ष की आयु में 15 अगस्त, 1994 को हुआ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा 1962–67, 1980–84 तथा 1984–89 के दौरान क्रमशः तीसरी, सातवीं तथा आठवीं लोकसभा की सदस्य थी। वह बिहार के पटना तथा सिहारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती थीं।

इससे पूर्व वह 1952–57 तथा 1969–77 के दौरान दो बार बिहार विधानसभा की सदस्य तथा कैबिनिट मंत्री भी रहीं।

उन्होंने 1980 और 1988 की अवधि के दौरान केन्द्रीय मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों में राज्यमंत्री के रूप में अपनी योग्यता सिद्ध की। वह 1988–90 के दौरान केरल की राज्यपाल रहीं।

वह व्यवसाय से कृषक थीं तथा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक तथा मजदूर संघों के आन्दोलनों में गहरे रूप से जुड़ी हुई थीं।

उन्होंने महिलाओं के उत्थान में गहरी रुचि ली तथा दहेज और पर्दा जैसी सामाजिक बुराइयों के लिए अथक कार्य किया। उन्होंने महिलाओं तथा बालकों की शिक्षा तथा दलितों के उत्थान के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया।

उनका व्यक्तित्व बहुमुखी था। वह बिहार विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य तथा अनेक कालेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों के शासकीय निकायों की सदस्य रहीं।

उन्होंने अनेक देशों की यात्रा की, वह मई 1965 में फिलीपीन यात्रा पर गईं। सद्भावना मिशन की सदस्या थीं तथा 1973 में जिनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन के भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के उप नेता के रूप में गई थीं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा का देहावसान 71 वर्ष की आयु में 31 अगस्त, 1994 को नई दिल्ली में हुआ।

श्री किशोरीमोहन त्रिपाठी 1946–50 तथा 1950–52 के दौरान क्रमशः संविधान सभा तथा अंतरिम संसद के सदस्य रहे तथा तत्कालीन पूर्वी राज्यों के ग्रुप के प्रांत तथा मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। 1962–67 के दौरान वह मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री त्रिपाठी एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने रियासती प्रजा परिषद बनाकर स्वतंत्रता आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक सुप्रसिद्ध सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपने राज्य के लोगों की निष्ठापूर्वक सेवा की तथा वह अनेक सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्थाओं में विभिनन पदों पर आसीन रहे। वह 1947–49 के दौरान रायगढ़ नगरपालिका के आयुक्त रहे। उन्होंने बिहार तथा असम में भूंकप के दौरान लोगों के कष्टों को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक श्रेष्ठ लेखक थे जिन्होंने 1970 में रायगढ़ जिले से प्रथम सप्ताहिक समाचार पत्र 'ब्यार' निकाला तथा वे कविता संग्रह "शाहमन बैरीमन प्रीत" के लेखक थे। उन्हें अपने अप्रकाशित कविता संग्रह "अनामिका" के लिए रायगढ़ प्रान्त द्वारा चक्रधर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

श्री किशोरीमोहन त्रिपाठी का निधन 25 सितम्बर, 1994 को रायगढ़ में हुआ, वे 82 वर्ष के थे।

श्री ज्वाला प्रसाद कुरील छठी लोक सभा के सदस्य थे जो उत्तर प्रदेश के घाटमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। इससे पूर्व, वे 1957–62, 1962–67 तथा 1969–74 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

वे पेशे से कृषक थे। उन्होंने 1935 से 43 तक एक शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने समाज के गरीब तथा कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए काम किया। वे कानपुर की भूदान योजना समिति तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर संघ के सदस्य भी रहे।

श्री ज्वाला प्रसाद कुरील का निधन 13 अक्तूबर 1994 को 79 वर्ष की आयु में कानपुर में हुआ।

श्री जयन्ती लाल वीरचन्द शाह गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 1989–91 के दौरान नौंवी लोक सभा के सदस्य रहे। इससे पूर्व वह 1967–71 तथा 1985–89 के दौरान गुजरात विधान सभा के सदस्य रहे।

पेशे से कृषक, श्री शाह ने स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया। सुप्रसिद्ध सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्त्ता और सहकारी आन्दोलन के नेता श्री शाह ने सहकारी आन्दोलन के प्रसार के लिए कठोर परिश्रम किया तथा 'इफ्को', 'कृभको' तथा 'नेफेड' के निदेशक और गुजरात राज्य सहकारी विपणन संघ के चेयरमैन के रूप में कार्य किया।

अद्वितीय संसदविद् तथा योग्य प्रशासक श्री शाह नवम्बर 1990 से अप्रैल 1991 तक केन्द्र में कृषि तथा सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री रहे। वे कृषि मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे।

श्री राम गोपाल शालवाले 1969–70 के दौरान चौथी लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री शालवाले एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। वह दिल्ली के एक सुप्रसिद्ध जननेता थे। श्री शालवाले ने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया तथा वे अनेक बार जेल गए। उन्होंने आर्य समाज आन्दोलन में निष्ठापूर्वक कार्य किया तथा 1957–59 और 1965–67 के दौरान सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के महासचिव और आर्य समाज, दिल्ली के दस वर्ष तक अध्यक्ष रहे। उन्होंने संसार को त्याग कर सन्यास ले लिया तथा सन्यासी के रूप में उन्हें स्वामी आनन्द बौध सरस्वती के नाम से जाना जाता था। वे मरतें दम तक अन्तर्राष्ट्रीय आर्य लीग में अध्यक्ष रहे।

श्री शालवाले अतिविद्वान थे तथा वह 'सार्वदेशिक साप्ताहिक' के सम्पादक थे। उन्होंने "आर्य समाज" "पूजा किसकी" "धर्म प्रचार के नाम पर राजनीतिक षडयन्त्र" सहित कुछ पुस्तकें भी लिखीं।

श्री रामगोपाल शालवाले का 18 अक्टूबर, 1994 को 85 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हुआ।

सरदार स्वर्ण सिंह 1957–1977 के दौरान दूसरी से लेकर पांचवी लोक सभा तक लगातार चार बार इस सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने पंजाब के जालन्धर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व

किया। इससे पूर्व वे 1952–1957 के दौरान राज्य सभा के संदस्य भी रहे।

संसद में आने से पूर्व सरदार स्वर्ण सिंह 1946 से 1952 तक पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने 1946 में पंजाब के मंत्रिमंडल में प्रथमबार संसदीय सचिव के रूप में पदभार संभाला और तदुपरान्त 1952 तक पंजाब सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उनका तीन दशकों से भी अधिक समय तक एक विशिष्ट राजनीतिक जीवन रहा।

सरदार स्वर्ण सिंह को तीन प्रधान मंत्रियों अर्थात पं. जवाहरलाल नेहरु, श्री लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी के मंत्रिमण्डलों में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने निर्माण आवास और आपूर्ति; रेलवे; इस्पात, खान और तेल; खाद्य और कृषि; उद्योग; विदेश कार्य तथा रक्षा मंत्री जैसे अनेक महत्वपूर्ण पदों पर विशिष्टता से कार्य किया।

सरदार स्वर्ण सिंह अपने शान्त स्वभाव तथा प्रेरणा देने की महान् शक्ति के लिए जाने जाते थे और इसलिए बहुधा उन्हें राजनीतिक विवादों को सुलझाने के लिए बुलाया जाता था। अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेने में उनकी अग्रणी भूमिका रही। 1960 में श्री चाऊ–इन–लाई के नई दिल्ली दौरे के समय हिन्द–सियाचीन सीमा विवाद पर बातचीत के दौरान उन्होंने स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु को सहयोग दिया। उन्होंने 1962–63 में सीमा विवादों को हल करने के लिए हिन्द–पाक सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर मुद्दे को सफलतापूर्वक संभाला। वह पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ ताशकन्द गए।

उन्होंने 1954 तथा 1955 में जिनेवा में हुए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के सत्रों में भारतीय शिष्ट मण्डल का नेतृत्व किया तथा मई, 1959 में भारत की विकास योजनाओं हेतु अधिक सोवियत ऋण के बारे में बातचीत करने के लिए तत्कालीन सोवियत संघ को गए शिष्ट मण्डल का नेतृत्व किया। उन्होंने विदेश मंत्रियों के स्तर के गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए काहिरा का दौरा किया। उन्होंने 1964 में संयुक्त राष्ट्र संघ तथा 1970 में यूनेस्को गये, भारतीय शिष्ट मण्डल का नेतृत्व किया। वह अक्टूबर, 1970 में संयुक्त राष्ट्र संघ के रजत जयन्ती समारोहों में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ न्यूयार्क गए। उन्होंने अनेक अवसरों पर अनेक अफ्रीकी–एशियायी तथा अन्य देशों को भेजे गए भारत के सदभावना मिशनों का नेतृत्व किया।

उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय समझबूझ तथा शान्ति बढ़ाने में सराहनीय भूमिका निभाई तथा वह दक्षिण अफ्रीका से सम्बंधित राष्ट्रमण्डल के विशिष्ट व्यक्तियों के ग्रुप के सदस्य रहे।

सरदार स्वर्ण सिंह प्रतिष्ठित संसदविद् थे और उन्होंने संवैधानिक सुधारों हेतु सुझाव देने के उद्देश्य से गठित की गई समिति के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। समिति की कुछ सिफारिशों को बयालीसवे सविधान संशोधन में सम्मिलित किया गया।

सरदार स्वर्ण सिंह बड़े ही विनम्र, सरल तथा बहुप्रिय और स्नेही व्यक्ति थे। इन गुणों के कारण वह लगातार प्रिय बने रहे और देश तथा विदेश में असंख्य लोगों को अपना प्रशंसक तथा मित्र बना लिया।

सरदार स्वर्ण सिंह का 29 अक्तूबर, 1994 को 87 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया।

श्रीमती इंदिरा अनन्त मेदेव प्रथम लोक सभा की सदस्य रहीं और उन्होंने 1952–57 के दौरान भूतपूर्व बाम्बे स्टेट के पूना (दक्षिण) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्रीमति मेदेव 1930 से ही सार्वजनिक जीवन की मुख्यधारा में रहीं। वह एक सक्रिय समाज सेविका थीं और उन्होंने समाज के दलित तथा कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अनवरत प्रयास किए तथा वह 1933–52 के दौरान महाराष्ट्र प्राविंसियल हरिजन सेवक सेल की सदस्य रही। 1946–49 के दौरान वह कस्तूरबा विलेज सेन्टर की आयोजक, 1947 से 1952 तक रीजनल स्टेट एजूकेशन कमेटी की सदस्य तथा 1947 से 1952 तक बम्बई सरकार के सर्वोदय केन्द्र की निदेशका रहीं।

श्रीमती मेदेव की पत्रकारिता में गहरी रूचि थी और वह 1943 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के त्रैमासिक बुलेटिन "रोशनी" की सम्पादक रहीं और बाद में उन्होंने यहीं मानद महासचिव के रूप में कार्य किया।

श्रीमति इंदिरा अनन्त मेदेव का देहावसान 91 वर्ष की आयु में 10 नवम्बर, 1994 को कोल्हापुर में हुआ।

श्री सी. जर्नादनन चौथी तथा पांचवी लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने केरल के त्रिचूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया। उनकी राजनीति, अर्थशास्त्र तथा खेलकूद के क्षेत्र में विशेष रूचि थी।

वह सभा की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेते थे।

श्री सी. जनार्दनन का देहासवान 75 वर्ष की आयु में 12 नवम्बर, 1994 को त्रिचूर में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा यह सभा शोकाकुल परिवारों के प्रति सम्वेदना व्यक्त करती है।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान के रूप में कुछ क्षण मौन धारण करेगी।

11.21 म.पू.

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

11.23 म. पू.

बहरीन के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : मुझे दो और घोषणाएं करनी हैं।

माननीय सदस्यो, मुझे एक घोषण करनी है।

मैं, अपनी ओर से तथा इस सभा के माननीय सदस्यों की ओर से बहरीन राष्ट्र की शुरा परिषद के द्वितीय उप–सभापति महामहिम

श्री अली संलेह अल सलेह तथा बहरीन के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के अन्य माननीय सदस्यों का, जो इस समय हमारे माननीय अतिथि के रूप में भारत भ्रमण पर हैं का स्वागत करता हूँ।

प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्य हैं :

1. श्री अबदुल नबी अब्दुल्ला अन--शेर--आला
2. श्री तक़ी मोहम्मद अल बहनी
3. शेख़ अब्दुल हुसैन शेख़ खलफ अल असफूर
4. जमाल मोहम्मद फखरू
5. श्री फावजकी अहमद अली कालू
6. श्री जलाल मोहम्मद युसुफ जलाल

यह प्रतिनिधि मंडल कल प्रातः दिल्ली पहुंचा था। आज वे लोग विशेष सभा में बैठे हैं। उनके माध्यम से हम बहरीन के अमीर, सरकार शुरा परिषद तथा बहरीन राष्ट्र के लोगों को अपना अभिवादन और शुभकामनाएं देते हैं।

11.24 म. पू.

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

संसद के दोनों सदनों के प्रश्न-काल की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करने में हर्ष है कि दूरदर्शन मुख्य डीडी--एक चेनल पर पूरे देश में आज से 11 बजे से 12 बजे तक दोनों सदनों की प्रश्न काल की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करेगा। दूरदर्शन लोक सभा और राज्य सभा की प्रश्न काल की कार्यवाही का सीधा प्रसारण एक--एक सप्ताह छोड़कर बारी--बारी से करेगा। आज राज्य सभा के प्रश्न काल की कार्यवाही के सीधे प्रसारण से शुरूआत हो रही है।

सदस्यों को ज्ञात है कि दूरदर्शन पूरे देश में प्रतिदिन के प्रश्न काल की कार्यवाही की रिकार्डिंग का प्रसारण अगले दिन सुबह 7.10 बजे से 8.10 बजे तक करता है। लोक सभा और राज्य सभा के प्रश्न काल की कार्यवाही का प्रसारण दूरदर्शन एक--एक सप्ताह छोड़कर बारी--बारी से करता है। दिल्ली में चैनल 11 बैंड 3 से 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में प्रश्न काल की कार्यवाही तथा मध्याह्न भोजन काल के पश्चात् की संपूर्ण कार्यवाही का सीधा प्रसारण दूरदर्शन 25 अगस्त, 1994 से कर रहा है। यह प्रबंध दसवीं लोक सभा के बारहवें सत्र में भी जारी रहेंगे। दूरदर्शन कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर से चैनल 9 बैंड 3 द्वारा राज्य सभा की कार्यवाही का प्रसारण भी करेगा।

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष जी, लोक सभा में सदस्यों के स्वागत संबंधी जो दर्शक दीर्घा में मतपट्टिका पर लिखा गया है वह सिर्फ अंग्रेजी में है। कृपया इसे अविलंब हिन्दी में भी करायें। हिन्दी राष्ट्र भाषा है। इसकी अवमानना नहीं होनी चाहिए **(व्यवधान)**।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द खण्डूरी (गढ़वाल) : *अध्यक्ष जी, इधर लाइट आ गई है। मैंने आपसे निवेदन किया है कि रूल ....*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको प्रश्न काल समाप्त होने के तुरन्त बाद अपनी बात कहने की अनुमति दूंगा।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द खण्डूरी : मेरा अनुरोध है कि कृपया मेरी बात सुनी जाये। मैं केवल कुछ ही मिनट लूंगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। यह लंबे समय से लटका हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझे अनुमति दीजिए केवल मुझे दो मिनट दीजिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको केवल 30 मिनट इन्तजार करना होगा।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द खण्डूरी : ऐसा है कि उत्तरांचल का प्रस्ताव, जिसके बारे में मैं आज यहां बात करना चाहता हू, का मुख्य उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश का मामला केन्द्र सरकार के पास पिछले साढ़े तीन साल से पड़ा हुआ है। सर्वसम्मति से पास करके प्रस्ताव 12 अगस्त, 1992 को केन्द्र के पास प्रदेश सरकार ने भेज दिया था। केन्द्र सरकार की हमसे यहां साढ़े सात घण्टे बहस हुई थी और मुफ्ती साहब ने कहा था कि हम इसके ऊपर तुरन्त निर्णय लेंगे, जब यू.पी. सरकार का प्रस्ताव आयेगा। अब यू.पी. सरकार का भी अगस्त, 1992 में आपके पास प्रस्ताव आ गया है। मैं प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि अब आप किस वजह से रुके हुए हैं, जब सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके विधान सभा ने आपको भेजा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री खण्डूरी, मैं आपको प्रश्न--काल समाप्त होने के तुरन्त बाद इस विषय पर बोलने के लिए अनुमति दूंगा ताकि अन्य सदस्य भी इसमें भाग ले सकें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, मैं हमेशा इस बात पर बल देता रहा हूं कि प्रश्न काल चलते रहना चाहिए। कई बार मैं .... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री वाजपेयी को बोलने की अनुमति दे रहा हूँ। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : माफ करिये, अभी मेरी प्राइमरी शिक्षा नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : 4--5 दिन ऐसा ही चलेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सामान्यतः प्रश्न काल होना चाहिए, लेकिन कभी--कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती

हैं कि जब प्रश्न काल को स्थगित करने की मांग हो और इसीलिए नियमों को बनाने वालों ने इसके लिए नियम की व्यवस्था की है।

अब हम चाहते हैं कि उत्तरांचल के मामले में, विशेषकर गांधी जयन्ती की पूर्व संध्या पर उत्तरांचल से दिल्ली आने वाली महिलाओं के साथ मुजफ्फरनगर में जो ज्यादतियां हुईं और जिस तरह से उनको अत्याचारों का और अपमानों का शिकार बनाया गया, हम चाहते हैं कि ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : यह प्रश्न–काल है। वाजपेयी जी विपक्ष के नेता हैं और उन्हें यह मालूम होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या आपकी इसमें रुचि नहीं है?

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : रुचि है, रुचि क्यों नहीं है। हम कह रहे हैं कि आपने बलात्कार की जो बात कही है, उसपर हमें आपत्ति है और इसलिए है, क्योंकि पार्लियामेंट का जो डैलीगेशन गया था ... **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : आप अपनी ही बात का खंडन कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : सामान्यतः आप प्रश्न–काल को स्थगित नहीं करते। ऐसा पूर्वोदाहरण रहा है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, और इसलिए उत्तरांचल के लोक सभा के सदस्यों का उत्तेजित होना स्वाभाविक है।

अब आप यह कह सकते हैं कि यह मामला क्वश्चन आवर के बाद लिया जाए।

श्री रशीद मसूद : उसके लिए हम मना भी नहीं कर रहे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मना कर भी नहीं सकते।

अगर अध्यक्ष चाहें तो मना कर सकते हैं लेकिन आप भी मना नहीं करेंगे क्योंकि यह सार्वजनिक महत्व का विषय है और महिलाओं के सम्मान से संबंधित सवाल है। हम उत्तर प्रदेश की सारी घटनाओं का इस समय उल्लेख नहीं कर रहे हैं। हमारे मित्र बलात्कार की घटना पर आपत्ति कर रहे हैं....**(व्यवधान)**...मैं सारे उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं। यह मामला इतना गम्भीर था कि हाई कोर्ट को इस सारे कांड की जांच करने का निर्देश देना पड़ा। हमें पता लगा है कि सी.बी.आई. ने जांच पूरी कर ली है। सरकार के पास भी इसके बारे में तथ्य होने चाहिये। हिमालय में चिंगारियां उड़ रही हैं और वे गम्भीर आग में बदल सकती हैं। सीमा से लगा हुआ प्रदेश है। बड़ी संख्या में वहां पूर्व सैनिक रहते हैं। अगर उन्हें अपमानित किया जायेगा, उनके घर की महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा तो उत्तरांचल का मामला अपनी जगह रह जायेगा और एक विकट परिस्थिति पैदा हो जायेगी। इसलिये हम चाहते थे कि आप नियमों को शिथिल कर दें। वैसे भी ज्यादा समय नहीं बचा है और आप खंडूरी जी को मौका दे दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, पहली बात जो मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि यदि आप बटन दबाए बिना बोलेंगे तो वह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं हो पायेगा क्योंकि जो आप कह रहे हैं रिकार्ड करने वाले लोग उसे सुन नहीं पायेंगे। दूसरे, इसके बाद मैं यह कहता हूं कि मैंने सभा में बोलने की व्यवस्था किसी सदस्य विशेष अर्थात् संबंधित मंत्री को सौंप दी है तो वह आपको बोलने का अवसर तथा इस संबंध में सुविधा देगा जिससे इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जायेगा। अतः अनुमति लेने के बाद बोलना सभी सदस्यों के लिए फायदेमंद होगा। मैंने वाजपेयी जी को अपनी बात कहने की अनुमति दी थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उन्हें अभी भी अनुमति दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि केवल बीस मिनट की बात है। 20 मिनट के तुरन्त बाद हमारे पास अवसर होगा, तब सदस्य जो कहना चाहें वह कह सकते हैं। मैं समझता हूं आप अपनी बात कह चुके हैं। अब प्रश्न काल चलने दीजिए। यह आपके लिये भी फायदेमंद होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उत्तरांचल की महिलाओं के साथ जितनी ज्यादतियां हुई हैं, उनके विरोध में हम सदन का त्याग कर रहे हैं।

11.53 म. पू.

तत्पश्चात् श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा–भवन से बाहर चले गए।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

11.53½ म. पू.

[अनुवाद]

अपारम्परिक ऊर्जा

+

*1. **डॉ. असीम बाला** :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अपारम्परिक ऊर्जा उत्पादन के लिए राज्य–वार किन–किन परियोजनाओं/योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार कुल कितनी ऊर्जा/विद्युत का उत्पादन हुआ; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान ऐसी कितनी विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए गैर–परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय देश भर में व्यापक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। मंत्रालय का मुख्य कार्य ग्रामीण ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना, सौर ऊर्जा का उपयोग करना, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादित करना, शहरी, औद्योगिक और नगरीय अपशिष्ट से ऊर्जा बनाना और नई प्रौद्योगिकियों का विकास करना है।

इन क्षेत्रों में शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम/योजनायें निम्न प्रकार से हैं और इन्हें सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा सकता है।

1. राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम
2. राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना
3. बायोमॉस उत्पादन, परिवर्तन और उपयोगिता कार्यक्रम
4. पशु ऊर्जा कार्यक्रम
5. एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम
6. सौर तापीय कार्यक्रम
7. सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम
8. पवन विद्युत कार्यक्रम
9. लघु पन बिजली विकास कार्यक्रम
10. बायोमॉस आधारित विद्युत उत्पादन
11. शहरी, औद्योगिक और नगरीय अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन
12. हाइड्रोजन, रसायनिक स्रोत, भू–तापीय, वैकल्पिक ईंधन, समुद्री ऊर्जा सहित नई प्रौद्योगिकियां

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार विभिन्न विद्युत उत्पादन कार्यक्रमों के अंतर्गत गैर–परंपरांगत ऊर्जा स्रोतों की कुल अधिष्ठापित क्षमता तालिका–एक में दी गई है। पिछले तीन वर्षों (1991–92, 1992–93 और 1993–94) के दौरान पवन, सौर, लघु–पन और बायोमॉस आधारित सह–उत्पादन से विद्युत का अनुमानित उत्पादन 1730 मिलियन कि. वा. और 31.10.1994 तक 2225 मिलियन कि. वा. हुआ।

(ग) चालू वर्ष (1994–95) के दौरान विद्युत उत्पादन कार्यक्रमों के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए :

क्र.सं.	कार्यक्रम	यूनिट	लक्ष्य (1994–95)
1.	पवन ऊर्जा	मे. वा.	10
2.	लघु पन विद्युत	मे. वा.	25
3.	बायोमॉस आधारित सह-उत्पादन	मे.वा.	30
4.	बायोमॉस ज्वलन	मे. वा.	10
5.	बायोमॉस गैसीफर आधारित विद्युत	मे. वा.	0.5
6.	बायोमॉस स्टैंड–एलोन गैसीफर	मे.वा.	5
7.	ग्रिड से जुड़ी एस पी वी विद्युत	मे. वा.	0.2
8.	एस. पी. वी. विद्युत संयंत्र (लघु)	कि. वा.	100
9.	पवन बैटरी चार्जर	कि. वा.	30

तालिका - एक

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विभिन्न विद्युत उत्पादन कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल अधिष्ठापित क्षमता :

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	पवन (मे.वा.)	लघु पन (मे.वा.)	सह–उत्पादन (मे.वा.)	गैसीफरस (कि.वा.)	विभिन्न एस. वी.पी. प्रणलियां (कि.वा.पी.)	लघु पवन बेटरी चार्जर (कि.वा. पी.)
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.55	6.01		60.00	251.43	12.25
2.	अरूणाचल प्रदेश		19.15		10.00	58.29	
3.	असम		2.00			23.31	
4.	बिहार	—				72.80	
5.	गोवा	—			3.00	5.16	4.00
6.	गुजरात	26.77	2.00		186.00	173.22	16.00
7.	हरियाणा		0.20		17.00	74.16	
8.	हिमाचल प्रदेश		9.17		2.00	39.12	2.50
9.	जम्मू और कश्मीर		2.31		4.00	47.80	13.25
10.	कर्नाटक		3.35		468.00	20.76	4.50
11.	केरल		0.02		6.00	80.14	0.25
12.	मध्य प्रदेश	0.59	1.20		126.00	242.58	4.00
13.	महाराष्ट्र	1.10	3.58		305.00	267.36	8.00
14.	मणिपुर		2.70			31.64	2.00
15.	मेघालय		1.51			76.61	2.00
16	मिजोरम		3.36			78.00	
17.	नागालैंड		3.17			28.46	
18.	उड़ीसा		1.15		15.00	200.42	8.00
19.	पंजाब		3.90	10.00	56.00	8.30	
20.	राजस्थान		2.02		24.00	470.51	3.45
21.	सिक्किम		6.90			12.34	6.30
22.	तमिलनाडु	83.84	4.75	6.00	58.00	162.95	12.00
23.	त्रिपुरा		1.01		34.00	108.53	1.30
24.	उत्तर प्रदेश		23.38			872.22	6.00
25.	पश्चिम बंगाल		7.46			83.43	1.15
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह				17.00	51.67	9.25
27,	दिल्ली				16.00	41.95	0.25
28.	वी.ए.आई.एफ.				58.00	—	
29.	लक्षद्वीप					41.91	

डॉ. असीम बाला : मैं जानना चाहूँगा कि क्या पवन ऊर्जा क्रियान्वयन कार्यक्रम विदेशी और स्वदेशी कम्पनियों सहित निजी क्षेत्रों को सौंपा जा रहा है? यदि हां, तो सरकार किस आधार पर

बहुराष्ट्रीय और स्वदेशी कम्पनियों के निजी उद्यमियों को कार्य क्षेत्रों के आबंटन में अन्तर कर रही है?

श्री एस. कृष्ण कुमार : महोदय, केवल इस मंत्रालय का पवन ऊर्जा कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि सभी ऊर्जा पुनः उपयोग कार्यक्रम इस प्रकार संशोधित किए गए हैं कि सरकार के पास बजट के माध्यम से उपलब्ध सीमित परिव्यय निजी क्षेत्रों की भागीदारी द्वारा बढ़ा दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, इस वर्ष सरकार का पवन ऊर्जा लक्ष्य केवल 10 मे. वा. है। निजी क्षेत्र की सहभागिता से, इस वित्तीय वर्ष के पहले छः माह में लगभग 88 मे. वा. पहले ही उत्पादित की जा चुकी है। सरकार की यह नीति है कि समग्र कार्य निजी क्षेत्र के परिव्यय से बढ़ाया जाएगा। एक राष्ट्रीय पवन ऊर्जा कार्यक्रम शुरू किया गया है, स्थलों का पता लगाया जा रहा है और जिन परियोजनाओं के लिए राशि राज्य और केन्द्रीय सरकार देती है, उनके प्रदर्शन के अलावा सभी स्थल निजी उद्यमियों के लिए उपलब्ध हैं। भूमि राज्य सरकारों द्वारा आबंटित की जाती है तथा निजी उद्यमियों को प्रोत्साहन दिए जाते हैं। सरकार की इस नई नीति के कारण, भारत में पवन ऊर्जा कार्यक्रम को बहुत ही सशक्त तरीके से शुरू किया गया है और हमें पहले ही विश्व में पवन ऊर्जा राष्ट्रों में एक अग्रणी देश के रूप में माना जा रहा है।

डॉ. असीम बाला : मैं जानता हूँ कि यद्यपि कुछ कमियां हैं तथापि अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय बहुत ही कार्यकुशलता से कार्य कर रहा है। मैं सर्वप्रथम जानना चाहूँगा कि इसकी लोकप्रियता के कम होने अथवा सौर ताप ऊर्जा के उपयोग को स्वीकार करने के क्या विशेष कारण हैं और दूसरे फोटो-वोलटेक ऊर्जा के मामले में हमने स्वदेशी प्रौद्योगिकी से भारत में कितनी ऊर्जा विकसित की है?

श्री एस. कृष्ण कुमार : हमारा सौर ताप और सौर फोटो-वोलटेक सहित व्यापक सौर ऊर्जा कार्यक्रम है। माननीय सदस्य का यह कहना ठीक नहीं है कि कार्यक्रम की लोकप्रियता कम हो रही है। हमने उत्तरोत्तर राज्य सहायता कम की है। इसलिए कुछ निर्माताओं, जिन्हें राज्य सहायता प्राप्त होती रही है, से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। लेकिन वास्तव में दोनों कार्यक्रमों में वास्तविक प्रविकायां और उपलब्धियों में वृद्धि हुई है। हम नियमित आधार पर लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। मंत्रालय द्वारा लक्ष्यों में भी वृद्धि की गई है।

दूसरे, सौर फोटो-वोलटेक के संबंध में, हमने सौर माड्यूल और सिलिकोन चिप निर्माता के लिए व्यापक निर्माण आधार तैयार कर लिया है। हमारे पास केन्द्रीय इलैक्ट्रॉनिक प्रयोगशालाएं हैं जोकि केन्द्र के अधीन सरकारी क्षेत्र की उपक्रम है। राजस्थान सरकार के अधीन एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है और देश में अनेक निजी उद्योग और विदेशों से संयुक्त उद्यम स्थापित किए जा रहे हैं। हम देश में एक बहुत बड़ा सौर फोटो-वोलटेक उद्योग विकसित कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा करना चाहूंगा। माननीय सदस्य भी इस संबंध में काफी सक्रिय हैं। इस देश में पारम्परिक ऊर्जा की बहुत अधिक गुंजाइश है। 'ऊर्जा ग्राम कार्यक्रम' नाम से एक कार्यक्रम जिसमें इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक ग्राम लिया जा रहा था। मेरे क्षेत्र के एक गांव में, जो कि केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए है, यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया था। केन्द्रीय सरकार ने 50 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई थी, राज्य सरकार ने 25 प्रतिशत और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय विकास प्राधिकरण ने शेष 25 प्रतिशत राशि दी थी। हमने इसके लिए कुछ अतिरिक्त राशि दी थी। इसका अत्याधिक प्रभाव पड़ा था। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधान मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। हमने प्रत्येक परिवार में ये चूल्हे और सौर लालटेन सप्लाई किए हैं। इस गांव में लगभग 182 घर है। मैं यह बात नहीं भूल सकता।

मैं इस बात को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कराना चाहता हूं कि एक 50 वर्षीय वृद्ध महिला ने मुझसे कहा कि इसने उसका सम्पूर्ण जीवन ही बदल दिया। मैं चाहता हूं कि ऐसा प्रत्येक ऐसे अनुसूचित जाति परिवार के संबंध में कहा जा सकता है जिनके पास धुआंरहित चूल्हा और लालटेन है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा, विशेषतः जबकि माननीय प्रधान मंत्री यहाँ उपस्थित हैं, कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा खण्ड- वार कुछ और गांवों में ऊर्जाग्राम कार्यक्रम का विस्तार किया जाए। **(व्यवधान)** मैं समझता हूं कि इसकी बहुत अधिक प्रंशसा की जायेगी। मैं सरकार तथा प्रधान मंत्री से इस कार्य को बड़े पैमाने पर करने का अनुरोध करूंगा।

प्रधानमंत्री (श्री पी.वी.नरसिंह राव): मैं अवसर मिलते ही जल्दी से जल्दी उस गांव विशेष जाऊंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने बटन नहीं दबाया है। **(व्यवधान)**

श्री पी.वी.नरसिंह राव : मैंने बटन तो दबाया है परन्तु शायद गलत बटन दब गया है। मैं यह कह रहा था कि मैं अवसर मिलते ही जल्दी से जल्दी उस गांव विशेष जाऊंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपका स्वागत है। मैं आपको यहीं पर और अभी आमन्त्रित करता हूं।

श्री रमेश चेन्नित्तला: गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का सदुपयोग करने के लिए देश भर में विस्तृत कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि देश भर में बड़ी संख्या में शुरू की गई इन परियोजनाओं पर निगरानी रखने के लिए इस समय क्या तंत्र मौजूद है। यदि देश के विभिन्न भागों में लागू की जाने वाली परियोजनाओं की प्रभावपूर्ण निगरानी करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है, तो क्या मंत्रालय इस पर विचार कर रही है या मंत्रालय इन परियोजनाओं के उचित कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए कोई तंत्र तैयार कर रहा है?

श्री एस.कृष्ण कुमार : महोदय, जहां तक इस कार्यक्रम का संबंध है, हम राज्य सरकारों और अन्य प्रमुख एजेंसियों के द्वारा इसका अधिकांश भाग कार्यान्वयन करते हैं। इसमें बायो गैस, धुआंरहित चूल्हे आदि जैसे लगभग लाखों छोटे उपस्कर सम्मिलित रहते हैं। इस संबंध में 100 प्रतिशत जांच या निगरानी रखना केन्द्र सरकार के लिए नुकसानदायक है। इसकी निगरानी सामुदायिक विकास खण्डों तथा राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है। हमारे कुछ क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनके द्वारा हम जांच करते हैं। हमें उपकरणों के कार्यकरण को सुनिश्चित करना होता है; हमारे पास विकसित

चूल्हों जैसी छोटी वस्तुओं से लेकर बड़ी मशीनों तथा पवन ऊर्जा उपस्कर जैसे विद्युत संयंत्रों से पुनः प्रयोज्य ऊर्जा तैयार करने के लिए एक बहुत ही सशक्त निगरानी कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिये धनराशि

+

*2. **श्री के. प्रधानी :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1994–95 के दौरान प्रत्येक संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य हेतु एक करोड़ रुपए की राशि दी है;

(ख) क्या ससद सदस्यों को इस संबंध में सूचित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले पर पुनर्विचार करने का है?

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सभी लोक सभा सदस्यों के संबंध में राशि रिलीज कर दी गई है। राज्य सभा सदस्यों के संबंध में भी, 32 संसद सदस्यों, जिन्होंने अपनी पंसद के जिलों की सूचना नहीं दी है, को छोड़कर, राशि रिलीज कर दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

श्री के. प्रधानी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह राशि समय पर अर्थात "कार्य करने के मौसम" से ठीक पहले जारी कर दिये जाने पर प्रधान मंत्री का आभारी हूं। लोक सभा के पिछले सत्र के दौरान हमारे कुछ माननीय सदस्य निधियों के आबंटन तथा कार्य निष्पादन के संबंध में जारी किए गए मार्गनिर्देशों के बारे में स्पष्टीकरण चाहते थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में विभागीय कार्य निर्धन श्रमिकों को अपनी पूरी न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने में सहायता कर सकता है; तथा इससे किए गए कार्य का स्तर भी ठेका प्रणाली से कराए गए कार्य से बेहतर होगा। मैं माननीय प्रधान मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या विभागों के द्वारा करवाए जाने कार्य के लिए कोई मार्ग निदेश जारी किए गए हैं।

श्री रामेश्वर ठाकुर : इस संबंध में पहले से जारी किया गया मार्गनिर्देश यह है कि किसी भी स्तर पर किसी ठेकेदार का उपयोग नहीं किया जाएगा।

श्री के. प्रधानी: महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न उस धनराशि के आबंटन के बारे में है जो कि राज्य सभा के सांसदों को स्वीकृत की गई है। मैं अपने ही राज्य से ऐसा एक उदाहरण देना चाहूंगा। राज्य में राज्य सभा के दस सांसद हैं तथा 30 जिले हैं। उन्हें अपनी पसन्द का एक जिला चुनने की अनुमति दी गई है। परन्तु कुछ जिलों में राज्य सभा के दो सांसद भी हैं। अतः इस प्रकार से राज्य सभा के सांसदों का विभाजन जिलों के समानुपात नहीं है। इसी बीच राज्य सभा के सांसद का कार्य काल छः वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है तथा और अगले छः वर्षों के लिए वह अपने ही जिले का चुनाव करेगा। अतः अन्य जिले रह जायेंगे। इसलिए क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार ने जिले बदलने तथा कोई और अन्य विकल्प देने के बारे में विचार किया है। ताकि आबंटन का वितरण समान रूप से हो सके।

श्री रामेश्वर ठाकुर : यह मामला राज्य सभा में उठाया गया था। जहां तक चालू वर्ष का संबंध है, इसका स्पष्टीकरण दे दिया गया था। वह यह है कि राज्य सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य एक जिले का नाम देंगे।

यह सुझाव, कि माननीय सदस्य अगले वर्ष के लिए दूसरे नये जिले का नाम देने के हकदार होने चाहिए, सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह योजना बहुत उपयोगी योजना है और केन्द्र सरकार द्वारा सीधे जिलाधिकारियों को राशि भेजी गई है, यह स्वागत योग्य है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि काम की गुणवत्ता के संबंध में अगर माननीय सांसदों को शिकायत होगी, तो वे अपनी फरियाद कहां सुनाएंगे। कलेक्टर जो सीधे राज्य सरकार के नियंत्रण में है, संभव है कि राज्य सरकार के रुख को ध्यान में रख कर वहां पर कार्रवाई हो। क्या उस हालत में इस स्कीम के तहत् जो कार्यक्रम लिए जाएंगे, उन कार्यक्रमों की गुणवत्ता तथा प्रगति देखने के लिए, मानेटरिंग और मूल्यांकन करने के लिए क्या कोई मेकेनिज्म केन्द्र सरकार के स्तर पर सरकार स्थापित करना चाहती है?

श्री रामेश्वर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो बाते हैं। पहली बात यह है कि जो गाइड लाइन है, उसमें दिया गया है कि जो जिला मजिस्ट्रेट है, कम से कम 10 प्रतिशत योजनाएं जो उनके क्षेत्र में कार्यान्वित हो रही है, उनका वे स्वयं जाकर निरीक्षण करेंगे। इसके अतिरिक्त राज्य के अधिकारियों की समिति है और उनसे भी कहा गया है कि वे देखभाग करेंगे।

जहां तक केन्द्र का सवाल है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का सवाल है, हमारे यहां क्षेत्रीय विकास अधिकारी हैं, छोटे राज्य के लिए एक तथा बड़े राज्यों के लिए दो या तीन अधिकारी हैं और जो कार्य सामान्य तौर पर ग्रामीण विकास के होते हैं, उस समय यह कार्य भी इसी में सम्मिलित था और ये अधिकारी भी निराक्षण करेंगे। हमें आशा है कि प्लानिंग और प्लान इंप्लीमेंटेशन विभाग में, जिसके द्वारा यह कार्य अब किया जाएगा और इसका निरीक्षण किया जाएगा, नोडल मिनिस्ट्री होगी, उसके द्वारा समुचित व्यवस्था की जाएगी और यदि राज्यस्तर पर माननीय सदस्यों की कठिनाई हल नहीं होगी, तो वे केन्द्र स्तर पर नोडल मिनिस्ट्री को इस संबंध में अपनी सूचना दे सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा राशि आबंटित कर दिए जाने के बाद भी इनके कार्यान्वयन स्तर पर गड़बड़ है।

मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि क्या ये योजनाएं केवल राज्य योजना का ही एक अंग है तथा संसद सदस्यों को राज्य सरकारों द्वारा पहले से ही अनुमादित की गई योजनाओं में से चुनना पड़ेगा। अथवा, क्या संसद सदस्यों को अपनी योजनाएं चयन करने तथा उन्हें क्रियान्वित करवाने की स्वतंत्रता है।

क्या संसद सदस्य स्वविवेक से कुछ ऐसी योजनाएँ चुन सकते हैं जो निश्चित रूप से शैक्षणिक संस्थाओं जैसी उन गैर–सरकारी संस्थाओं के लिए सहायक हो तथा जहां कुछ भवन हैं तथा जो विशेषकर गावों में लोगों के लाभ के लिए आवश्यक हैं?

श्री रामेश्वर ठाकुर : चयन के बारे में मार्गनिर्देशों के खण्ड 2.5 में विवरण दिया गया है जो पहले ही जारी किए जा चुके हैं। लगभग 24 प्रकार के क्रियाकलाप ऐसे हैं जिन्हें माननीय सदस्य जिला कलेक्टर को बता सकते हैं। इसका काफी विस्तृत क्षेत्र है। इसमें स्कूल भवनों का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, गांव की सड़कों तथा सम्पर्क सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, स्थानीय निकायों के लिए भवनों का निर्माण, खेलकूद गतिविधियां, पुस्तकालय आदि शामिल हैं। मैं सम्मानीय सभा का अधिक समय नहीं लूंगा।

मेरा सुझाव यह है कि यह राज्य सरकार का कार्य नहीं है कि वह कुछ कार्य आवंटित करें। यह स्पष्टतः माननीय सदस्यों की इच्छा पर है। इससे पूर्व, कुछ काठनाइयां थीं क्योंकि हमने यह धन– 5 लाख रूपये–राज्य सरकारों को भेज दिया था। अनेक मामलों में उन्होंने यह धन जिलों को समय पर हस्तांतरित नहीं किया।

दूसरे, वे जिला योजना आदि के बारे में कठिनाइयां व्यक्त कर रहे थे। अब, यह अतिरिक्त प्रावधान है जो माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया है। यह धनराशि सीधे कलेक्टरों को भेजी जाती है। सदस्यों को केवल अपनी च्वाइस बतानी होती है। कलेक्टरों को बिना किसी कठिनाई के इसे मानना होगा। कोई सीमा नहीं है। इस धनराशि का प्रबन्ध अलग से किया जाता है तथा इसे कलेक्टर के पास रखा जाता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी।

माननीय संदस्य ने उन पंजीकृत निकायों के बारे में एक मामला उठाया है जो स्कूल या कालेज चलाते हैं। पहले के मार्गनिर्देशों में यह कहा गया था कि न्यास तथा सोसाइटियां और वाणिज्यिक निकाय इसके पात्र नहीं होंगे। दोनों सभाओं के अनेक माननीय सदस्यों से 100 से भी अधिक सुझाव आए हैं। यह मामला विचाराधीन है। अब इसकी जांच होगी।

माननीय अध्यक्ष ने यह बताया है कि इन गतिविधियों से सम्बद्ध मंत्रियों का एक दल अन्तिम मार्गनिर्देशों की जांच करेगा। इन मार्गनिर्देशों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जाएगा। यह दल माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों तथा इस बात पर विचार करेगा कि निचले स्तर पर इन्हें बिना किसी बाधा के प्रभावी रूप में किस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है।

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कहा कि यह धनराशि जिला कलेक्टरों को हस्तांतरित करने में काफी विलंब हुआ। क्या सरकार वित्त वर्ष के बाद तक इस धनराशि के उपयोग के लिए समय सीमा बढ़ाने पर विचार करेगी? मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वित्त वर्ष जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और मुझे वास्तव में ज्ञात नहीं है कि समय सीमा 31 दिसम्बर है या 31 मार्च। परन्तु उस समय के भीतर इस सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग करना कठिन होगा। इसलिए, प्रथम, सरकार वित्त वर्ष के बाद तक इस धन के उपयोग के लिए किए गए अनुरोध पर विचार करे। दूसरे, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या हमें अपना अनुरोध निर्धारित समय सीमा से पूर्व ही करना होगा या क्या हमें यह देखना होगा कि धनराशि का उपयोग उस समय सीमा के अन्दर प्रभावी ढंग से तथा पूरी तरह से हो जाए।

श्री रामेश्वर ठाकुर : इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू विलम्ब के बारे में है। इस मामले पर केवल अगस्त महीने में निर्णय लिया गया था। उसके बाद वित्त मंत्रालय से धनराशि प्राप्त करने के लिए कुछ औपचारिकताएं करनी थी।

दूसरी कठिनाई यह थी कि हम यह चाहते थे कि प्रत्येक कलेक्टर को टेलीग्राफ से हस्तांतरण किया जाए। सभी राज्य सरकारें हमें तुरन्त खाता संख्या तथा कलेक्टरों के बारे में अन्य अपेक्षित जानकारी नहीं दे पाई। अनेक मामलों में, हमें वस्तुतः खाता संख्या आदि प्राप्त करने के लिए कलेक्टरों से सम्पर्क करना पड़ा ताकि हम हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर सकें। लोक सभा के सदस्यों के लिए कुल 545 करोड़ रूपये में से 532 करोड़ रूपया पास है तथा उस पूरे 532 करोड़ रूपये को वितरित कर चुके हैं। धनराशि प्राप्त हो चुकी है। राज्य सभा के सदस्यों के लिए 245 करोड़ रूपयों में से 239 करोड़ रूपए पास हैं तथा 207 करोड़ रूपये पहले ही भेजे जा चुके हैं तथा केवल 32 करोड़ रूपये भेजे जाने हैं। एक बार हमें यह पता लग जाए कि राज्य सरकार की पसन्द क्या है, हम इस पैसे को भेज देंगे।

जहां तक क्रियान्वयन का संबंध है, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। विद्यमान मार्गनिर्देशों में यह व्यवस्था है कि कार्य एक या दो सीजनों में पूरा हो जाना चाहिए। यहां तक कि मार्गनिर्देशों के पहले सेट में भी कोई समय सीमा नहीं थी तथा ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था कि कार्य 31 दिसम्बर या 31 मार्च तक पूरा करना ही है। एक बार पसन्द का पता लग जाने पर अपेक्षित निर्देश कलेक्टरों को यथा संभव शीघ्र दे दिए जाने चाहिए। इससे धन भी व्यपगत नहीं होगा। दो सीजनों का मतलब है कि इसमें अगला वर्ष भी शामिल होगा।

श्री लोकनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, धन कलेक्टरों को भेजा जा चुका है तथा उन्होंने सुझाव मांगे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों में ऐसा कोई प्रावधान है कि योजना तब तक क्रियांवित नहीं होगी जब तक कि सम्बन्धित जिले की जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी आर डी ए) द्वारा उसका अनुमोदन न किया जाए। अनेक कलेक्टरों द्वारा यह बाधा खड़ी की जा रही हैं। वे कहते हैं कि वे योजना को तब तक क्रियान्वित नहीं करेंगे जब तक कि जिला आयोजना बोर्ड (डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड) इसका अनुमोदन न करें। इस संबंध में सरकार का वास्तविक अनुदेश क्या है?

श्री रामेश्वर ठाकुर : 5 लाख रूपये वाली पहले की योजना के

मामले में यह स्थिति थी। वर्तमान योजना में, प्रत्येक जिला कलेक्टर को एक करोड़ रूपये का अलग से आवंटन किया गया है। इसलिए, यह प्रश्न ही नहीं उठता, कलेक्टरों को स्पष्ट रूप से यह अनुदेश दिए गए हैं कि उन्हें माननीय सदस्यों के सुझावों को मानना होगा। यथार्थतः ये सुझाव निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार होने चाहिए तथा कलेक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय ब्यौरे, अनुमान आदि से सम्बन्धित प्रक्रिया ठीक प्रकार से बनाई जाए। अतः अब कोई बाधा नहीं है। पहले वाली स्थिति अब नहीं है। सदस्यों को कलेक्टरों को अपने सुझाव देने हैं और योजनांए क्रियान्वित की जाएंगी तथा राज्य सरकार की ओर से कोई बाधा नहीं होगी।

श्री लोकनाथ चौधरी : परन्तु वे क्रियान्वयन में विलम्ब कर रहे हैं तथा वे डी. आर. डी. ए. के अनुमोदन पर जोर दे रहे हैं।

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैं यह स्पष्ट कर दूं कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम विशेषकर जवाहर रोजगार योजना तथा विस्तारित जवाहर रोजगार योजना आदि के 20 प्रतिशत से सम्बंधित कार्यक्रम डी. आर. डी. ए. के अनुमोदन के लिए रखे जाते हैं। माननीय संसद सदस्य, सम्बंधित राज्य विधान सभाओं के माननीय सदस्य तथा कुछ अन्य सदस्य सभी वहां इस उदेश्य के लिए हैं। परन्तु एक करोड़ रूपये की यह योजना एक अलग चीज है। यह एक अलग राशि है जिसका आवंटन केवल माननीय संसद सदस्यों के लिए किया गया है। केवल एक बात अपेक्षित है कि यह मार्गनिर्देशों के अनुसार होनी चाहिए तथा कलेक्टर संसद सदस्यों के सुझावों का आदर करेंगे। इसका डी. आर. डी. ए. से कतई सम्बन्ध नहीं है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे राज्य का सम्बन्ध है, वहां कोई बाधाएं नहीं है और हम काफी हद तक ग्रामीण विकास में भाग ले सकते हैं।

12.00 मध्याह्न

हाल ही में माननीय मंत्री ने प्रत्येक जिला कलेक्टर को एक करोड़ रूपये आवंटित करने के बारे में जानकारी दी थी। उस पत्र में उन्होंने उल्लेख किया था कि संशोधित मार्गनिर्देशों की एक प्रति भी संलग्न है परन्तु वास्तव में यह संलग्न नहीं है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे सभी संसद सदस्यों को संशोधित मार्गनिर्देशों की प्रति उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे या नहीं।

श्री रामेश्वर ठाकुर : पत्र में यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विद्यमान मार्गनिर्देशों में उचित संशोधन किए जा रहे हैं जिसकी प्रति आपको अलग से भेजी जाएगी। यह प्रति भेजी नहीं जा रही है। मार्गनिर्देशों में संशोधन किया जा रहा है और संशोधन के पश्चात् यह प्रत्येक माननीय सदस्य को भेज दी जाएगी।

एक और प्रश्न उन मामलों के बारे में पूछा गया था जहां निर्वाचन-क्षेत्र में एक से अधिक जिले आते हैं। कलक्टर को अनुदेश भेज दिए गए हैं तथा धनराशि प्रधान कलक्टर को भेज दी गई है। परन्तु यदि माननीय सदस्य दो या तीन जिलों की पसन्द देते हैं जिनमें उनके निर्वाचन क्षेत्र फैले हुए हैं, इसके लिए प्रधान कलक्टर को अनुदेश दिए गए हैं तथा आनुपातिक आधार पर धनराशि उन जिलों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। इसके कारण कोई कठिनाई नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री, माननीय वित्त मंत्री तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री बहुत ही सहायक रहे हैं। परन्तु मैं महसूस करता हूं कि जारी किए गए मार्गनिर्देश बहुत स्पष्ट नहीं हैं। हमें मार्गनिर्देशों को स्पष्ट तथा सहायक बनाने चाहिए । और मुझे आशा है कि यह इस सत्र के समाप्त होने से पूर्व ही हो जाएगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पेयजल

***3. श्री परसराम भारद्वाजः**
श्री मोहन रावलेः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक संपूर्ण देश में स्वच्छ पेयजल का कम से कम एक स्रोत उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुमानतः प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति कितने पेयजल की आवश्यकता होती है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी हां।

(ख) 1981 की जनगणना के अनुसार देश में 5,83,003 गांव थे। 1993-94 के अंत तक 278 गांवों को छोड़कर शेष सभी गांवों में पेयजल का कम से कम एक अथवा अधिक स्रोत मुहैया करा दिया गया है। शेष 278 गांवों को वर्ष 1994-95 में कवर किए जाने का प्रस्ताव है। इनमें से 30.11.94 तक 15 गांवों को पहले ही कवर किया जा चुका है। कवर किए जाने वाले गांवों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1981 की जनगणना के अनुसार गांवों की कुल संख्या	बिना पेयजल स्रोत वाले गांवों की संख्या 1.4.85* की स्थिति के अनुसार	1.4.94 की स्थिति के अनुसार	1.12.94 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	27379	15834	0	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	3257	391	0	0
3.	असम	21995	9570	5	3
4.	बिहार	67546	91990	0	0
5.	गोवा	386	31	0	0
6.	गुजरात	18114	4911	9	9
7.	हरियाणा	6745	2314	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	16807	3539	0	0

1	2	3	4	5	6
9.	जम्मू एवं कश्मीर	6477	2959	152	142
10.	कर्नाटक	27028	5410	0	0
11.	केरल	1219	88	0	0
12.	मध्य प्रदेश	71352	14714	0	0
13.	महाराष्ट्र	39354	5174	22	22
14.	मणिपुर	2035	862	0	0
15.	मेघालय	4902	3658	74	74
16.	मिजोरम	721	595	0	0
17.	नागालैंड	1112	623	0	0
18.	उड़ीसा	46553	14443	0	0
19.	पंजाब	12342	2254	0	0
20.	राजस्थान	34968	7310	13	13
21.	सिक्किम	440	121	0	0
22.	तमिलनाडु	15831	4882	0	0
23.	त्रिपुरा	4727	2893	3	0
24.	उत्तर प्रदेश	112566	43906	0	0
25.	प. बंगाल	38024	5930	0	0
26.	अ. नि. द्वीपसमूह	491	40	0	0
27.	चंडीगढ़	24	0	0	0
28.	दा. न. हवेली	70	0	0	0
29.	दमन एवं द्वीव	26	7	0	0
30.	दिल्ली	214	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	7	11	0	0
32.	पांडिचेरी	291	53	0	0
		583003	161722	278	263

* छठी योजना, 1980 सूची के बकाया गांव और 1985 की सूची में पता लगाए गए नए गांव भी शामिल हैं।

(ग) भारत सरकार द्वारा अपनाए गए मानदण्डों में मानव–जाति के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 40 लीटर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गई है।

जम्मू और कश्मीर में सामान्य स्थिति

***4. श्री पी. सी. थामसः**
श्री गिरधारी लाल भार्गवः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर मामलों संबंधी विभाग ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को पुनः आरम्भ करने हेतु नए सिरे से की गई पहल का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 01 नवम्बर, 1994 की एक अधिसूचना के द्वारा, भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 संशोधित किए गए और "जम्मू और कश्मीर संबंधी मामलों का विभाग" नामक एक नया विभाग बनाया गया। मौजूदा कश्मीर प्रभाग अब इस नए विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस विभाग को और सुदृढ़ बनाने के लिए एक संयुक्त सचिव और अपेक्षित सहायक स्टाफ सहित 16 अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं। गृह सचिव और गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) ने साथ ही साथ जम्मू एवं कश्मीर संबंधी मामलों के विभाग में क्रमशः सचिव और विशेष सचिव का कार्यभार संभाल लिया है।

(ग) विभाग, राज्य में स्थिति और पहले ही उठाए जा चुके कदमों का जायजा ले रहा है। उद्देश्य, ऐसी स्थितियों को और बढ़ावा देने का है जो सामान्यीकरण और राजनीतिक प्रक्रिया के पुनर्जीवन के अनुकूल हों। जनता की भागीदारी सुनिश्चित करके विकास कार्यों में तेजी लाने, स्थानीय प्रशासन में पुनः उत्साह का संचरण करने और प्रशासन में जनता का विश्वास और सहयोग बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनका गहराई से प्रबोधन किया जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची की पुनरीक्षण और चुनाव क्षेत्रों के सीमांकन का काम शुरू किया गया है। राज्य में शुरू हुई प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर होने वाली सार्वजनिक चर्चा का प्रबोधन भी सावधानीपूर्वक किया जा रहा है।

[हिन्दी]

रक्षा व्यय

***5. श्री जनार्दन मिश्र :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के रक्षा व्यय में सतत् कमी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी खतरों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार रक्षा व्यय में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

पिछले 5 वर्षों के दौरान देश का रक्षा व्यय इस प्रकार रहा है:

वर्ष		(करोड़ रूपए में)
1990–91		15426.00
1991–92		16347.04
1992–93		17581.79
1993–94	(संशोधित प्राक्कलन)	21500.00
1994–95	(बजट प्राक्कलन)	23000.00

पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत का रक्षा व्यय केन्द्र सरकार के व्यय के प्रतिशत के रूप में और सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लगभग स्थिर रहा है।

(ख) और (ग). सरकार द्वारा सेवाओं के परिव्यय के संबंध में निर्णय, खतरे की आशंकाओं और समग्र संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर लिया जाता है। हमारी रक्षा सेनाएं सभी संभाव्य घटनाओं का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास परियोजनाएं

***6. श्री सुधीर सावंत :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) गत तीन वर्षों के दौरान लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कापार्ट) ने गैर–सरकारी सगठनों के लिए किस–किस प्रकार की ग्रामीण विकास परियोजनाएं स्वीकृत की हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में किन्हीं पिछड़े जिलों का चयन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार विशेष तौर पर समाज के कमजोर वर्गों के लिए कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों को परियोजनाएं स्वीकृत करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) से (ङ). लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) की मार्फत परियोजनाएं चलाने के लिए स्वयंसेवी एजेंसियों को वित्तपोषित किया जाता है, जिसके तहत् जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना, जन सहयोग, लाभार्थियों का संगठन, ग्रामीण प्रौद्यिगिकी विकास योजना, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम तथा त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई को कवर किया जाता है।

कापार्ट ने स्वयंसेवी एजेंसियों की सहायता हेतु किन्हीं पिछड़े जिलों का चयन नहीं किया है। तथापि, समाज के कमजोर वर्गो के लिए कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों को वित्तीय सहायता हेतु परियोजना प्रस्तावों पर विचार करते समय तरजीह दी जाती है।

परियोजना प्रस्तावों की जांच करने और स्वीकृति देने की प्रक्रिया को तेज करने हेतु जयपुर, लखनउ भुवनेश्वर, हैदराबाद, अहमदाबाद और गोवहाटी में छः क्षेत्रीय समितियां स्थापित करके सितम्बर, 1994 मे कापार्ट की कार्य प्रणाली का विकेन्द्रीकरण किया गया है। क्षेत्रीय समितियां 5 लाख रुपए तक के परिव्यय के परियोजना प्रस्तावों पर विचार करेगी।

औषधि नीति

***7. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**
श्री श्रीकान्त जेना :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घोषित की गई नई औषधि नीति की मुख्य बातें और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) इसके लागू होने के बाद औषधियों के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या सरकार का विचार विनियंत्रित औषधियों के मूल्यों को तर्कसंगत बनाने और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव): (क) सितम्बर, 1994 में घोषित औषधि नीति, 1986 में संशोधन की प्रमुख विशेषतायें निम्न प्रकार से हैं;

सभी बल्क दवाइयों – मध्यवर्तियों और फार्मुल्येशनों के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को हटाना, 51% विदेशी इक्विटी के निवेश को स्वतः स्वीकृति, मूल्य नियंत्रण की अवधि में कमी, मूल्य तंत्र का सरलीकरण और राष्ट्रीय भेषज मूल्य प्राधिकरण (एन. पी. पी. ए.) की स्थापना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण (एन. डी. ए.) स्थापित करना और स्वदेशी औषधि प्रणाली के संवर्धन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में नया विभाग गठित करना आदि। औषधि नीति, 1986 के प्रमुख उद्देश्य और संशोधन, जो वैसे ही रहेंगे, का ब्यौरा औषधि नीति, 1986 में संशोधन नामक पुस्तिका में दिया गया है, जो संसदीय ग्रंथालय में उपलब्ध है।

(ख) से (घ). आदानों की लागत बढ़ने के क़ारण मूल्यों में कुछ वृद्धि अपरिहार्य है। तथापि, सरकार मूल्यों के रूख और मूल्य अनियंत्रित औषधियों की उपलब्धता पर नज़र रखेगी।

चुनाव खर्च

***8. श्री बोल्ला रामय्या :**
श्री चन्द्रेश पटेलः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या सरकार का विचार विधान सभा और लोक सभा चुनाव में एक उम्मीदवार द्वारा चुनाव पर किए जाने वाले खर्च की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो हाल ही में संशोधित अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है;

(ग) क्या यह सीमा आगामी विधान सभा चुनावों से ही प्रभावी हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज): (क) से (घ). चुनाव खर्चों की सीमा सरकार ने पहले ही बढ़ा दी है और इसका विवरण संलग्न है। संशोधित सीमा 21 अक्तूबर, 1994 से लागू होगी।

विवरण

राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश का नाम	किसी में भी चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा	
	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
I. राज्य	रुपये	रुपये
1. आन्ध्र प्रदेश	4,50,000	1,50,000
2. अरूणाचल प्रदेश	1,50,000	10,000
3. असम	4,15,000	1,30,000
4. बिहार	4,50,000	1,50,000
5. गोवा	1,90,000	50,000
6. गुजरात	4,50,000	1,35,000
7. हरियाणा	4,50,000	1,35,000
8. हिमाचल प्रदेश	4,15,000	75,000
9. जम्मू और कश्मीर	3,75,000	——
10. कर्नाटक	4,50,000	1,35,000
11. केरल	4,50,000	1,35,000
12. मध्य प्रदेश	4,50,000	1,35,000
13. महाराष्ट्र	4,50,000	1,50,000
14. मणिपुर	3,75,000	50,000
15. मेघालय	3,00,000	30,000
16. मिजोरम	1,90,000	20,000
17. नागालैंड	4,15,000	20,000
18. उड़ीसा	4,50,000	1,35,000
19. पंजाब	4,50,000	1,35,000
20. राजस्थान	4,50,000	1,35,000
21. सिक्किम	1,50,000	10,000
22. तमिलनाडु	4,50,000	1,50,000
23. त्रिपुरा	4,15,000	50,000
24. उत्तर प्रदेश	4,50,000	1,50,000
25. पश्चिम बंगाल	4,50,000	1,35,000
II. संघ राज्य क्षेत्र		
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1 50,000	—
2. चंडीगढ़	1,90,000	—
3. दादरा और नगर हवेली	95,000	—
4. दमन और दीव	95,000	—
5. दिल्ली	4,15,000	95,000
6. लक्षद्वीप	60,000	—
7. पांडिचेरी	3,00,000	30,000

लघु और कुटीर उद्योग

*9. **श्री बीर सिंह महतो :**

श्री चित्त बसु :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु और कुटीर उद्योगों पर नई औद्योगिक नीति के प्रभाव का आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई औद्योगिक नीति के लागू होने के बाद से इन उद्योगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें बचाने के लिए किन–किन उपचारात्मक उपायों पर विचार किया गया है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) और (ख). सरकार 1991 में आरंभ की गई नई औद्योगिक नीतियों के लघु तथा कुटीर उद्योगों पर प्रभाव की निरन्तर समीक्षा करती रही है। सामान्य धारणा यह है कि सामने आने वाले औद्योगिक तथा आर्थिक परिदृश्य के अनुकूल लघु तथा अति लघु उद्योगों की वृद्धि और विकास के लिए प्रेरक वातावरण उत्पन्न करने की दृष्टि से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इन सकारात्मक परिणामों के नये औद्योगिक उपायों के परिणाम प्राप्त हुए हैं। इन सकारात्मक परिणामों के संख्या संबंधी पहलुओं को नीचे दी गई सारणी में देखा जा सकता है, जिसमें लघु क्षेत्र के उत्पादन, रोजगार और निर्यात में वृद्धि दर्शायी गई है।

सारणी-I

लघु क्षेत्र के विकास

वर्ष	एककों की संख्या (लाखों में)	वर्तमान मूल्यों पर उत्पादन (करोड़ रू.)	रोजगार (लाखों में)	निर्यात (करोड़ रू.)
1991–92	20.82	178699	129.80	13883
1992–93	22.85	209300	134.06	17785
1993–94(अ.)	23.84	241648	139.38	24149

(अ.) (अनंतिम)

सारणी-II

विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में तुलनात्मक विकास दरें

वर्ष	लघु उद्योग	कुल उद्योग क्षेत्र
1991–92	3.1	0.6
1992–93	5.6	2.3
1993–94	7.1 (अ.)	3.0

(अ.)(अनंतिम)

सारणी-III

खादी तथा ग्रामोद्योगों में विकास

वर्ष	उत्पादन (रूपये करोड़ में)	रोजगार (लाख व्यक्ति)
1990–91	2280.02	48.57
1991–92	2592.79	50.16
1992–93	2876.94	52.50
1993–94 (अ.)	3312.79	55.58

(अ.)(अनंतिम)

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ओमान में समुद्री सर्वेक्षण

***10. श्री सत्यदेव सिंह :**

डॉ. रमेश चन्द तोमर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय नौसेना ने ओमान के अनुरोध पर वहां किये जा रहे समुद्री क्षेत्र के सर्वेक्षण कार्य को इस बीच पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को कुछ अन्य देशों से इसी तरह के अनुरोध प्राप्त हुए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार और ओमान की सल्तनत सरकार के बीच हुए समझौता पत्र के अनुसरण में भुगतान के आधार पर अगस्त, 1993 और फरवरी, 1994 के बीच सर्वेक्षण किया गया था। ओमान के दक्षिण पूर्वी तट पर सर्वेक्षण कार्य करने के लिए भारतीय नौसेना के दो जहाज बारी–बारी से ओमानी समुद्रों में छः माह की अवधि के लिए तैनात किए गए थे।

(ग) कुछ अन्य देशों ने भी उसमें रुचि दिखाई है।

[अनुवाद]

विकास दर

***11. श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उद्योग के किन–किन क्षेत्रों में विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि न होने के कारण क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या–क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 1991–92 में आयातों पर लगाए गए सख्त प्रतिबंधों, रुपये के अवमूल्यन की वजह से आयात की उच्च लागत, ब्याज की उच्च दरों और ऋण संबंधी प्रतिबंधों, जो कि मुद्रास्फीति कम करने के लिए जरूरी थे, के कारण कम विकास हुआ है।

(ग) सरकार ने इन बाधाओं को धीरे–धीरे दूर कर दिया है। अब उद्योग सरकार द्वारा किए गए उपायों के प्रति सकारात्मक कार्य कर रहे हैं।

विवरण

प्रमुख उद्योग समूहों की क्षेत्रवार विकास दरें

क्षेत्र	अंश	% विकास दर 1991–92	1992–93	1993–94	1994–95 (अप्रैल–जुलाई)
खनन	11.46	0.6	0.6	2.3	2.9
विनिर्माणकारी	77.11 (–)	0.8	2.2	2.7	8.9
विद्युत	11.43	8.5	5.0	7.4	7.1
समग्र	100.00	0.6	2.3	3.3	7.9

स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

[हिन्दी]

औषधि उद्योग

***12. श्री राम पाल सिंहः**

श्री ब्रज भूषण शरण सिंहः

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औषधि उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री रामलखन सिंह यादव): (क) से (ग). अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय औषधि को प्रतियोगी बनाने के संबंध में कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

फिर भी, यह देखा गया है कि भारतीय औषधि उद्योग अनेक प्रपुंज औषधों और लगभग सभी सूत्रयोगों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी है, जैसाकि इन मदों के बढ़े हुए निर्यात से साबित होता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और अधिक तेजी से विकास को बढ़ावा देने के लिए एवं उद्योग को अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए सरकार ने "औषध नीति, 1986 में संशोधन" में विभिन्न उपाय घोषित किए हैं, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास योजनाएं

***13. श्री राम कापसे :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी से चलाई जा रही ग्रामीण विकास योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ 1993--94 के बजट में कितना प्रावधान किया गया तथा स्वयंसेवी संगठनों को कितनी--कितनी धनराशि दी गई;

(ग) इन योजनाओं को किन--किन राज्यों में कार्यान्वित किया गया है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वित की गई/कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) से (घ). ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) की मार्फत परियोजनायें चलाने के लिए स्वयंसेवी एजेंसियों को वित्तपोषित किया जाता है, जिसके तहत जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना, ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लाभार्थियों का संगठन, ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम तथा त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम को कवर किया जाता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कापार्ट को रिलीज की गई राशि और कापार्ट द्वारा 1993--94 के दौरान स्वयंसेवी एजेंसियों को रिलीज की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण--I में दिया गया है।

सिक्किम को छोड़कर शेष सभी राज्यों में कापार्ट द्वारा योजनायें कार्यान्वित की जा रही है।

उपरोक्त पैरा। में उल्लिखित योजनाओं का कार्यान्वयन चालू वित्त वर्ष 1994--95 के दौरान जारी रहेगा।

चालू वित्त वर्ष 1994--95 के दौरान बजट प्रावधानों का योजनावार ब्यौरा संलग्न विवरण--II में दिया गया है।

विवरण -I

(करोड़ रुपए में)

योजना	1993--94 के दौरान मंत्रालय द्वारा कापार्ट को रिलीज की गई राशि	1993--94 के दौरान कापार्ट द्वारा स्वयंसेवी एजेंसियों को रिलीज की गई राशि
1	2	3
त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	16.99	12.58
जवाहर रोजगार योजना	10.00	10.76
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	8.59	9.54
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लाभार्थियों का संगठन	2.50	2.44
ग्रामीण विकास कार्य में स्वयंसेवी संगठनों को बढ़ावा देना	9.50	11.32
ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना (डवाकरा)	4.50	4.32
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1.43	1.22
ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना	8.50	10.36
कुल :	62.01	62.54

विवरण-II

(करोड़ रुपए में)

योजना	1994--95 के लिए बजट
जवाहर रोजगार योजना	12.00
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	12.00
ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना (डवाकरा)	3.00
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लाभार्थियों का संगठन	2.50
त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	20.00
ग्रामीण विकास कार्य में स्वयंसेवी संगठनों को बढ़ावा देना	9.50
समन्वित ग्राभीण विकास कार्यक्रम	1.50
ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना	12.00
कुल :	72.50

ग्रामीण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

***14. श्री शांताराम पोतदुखे :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या सरकार ने असंगठित क्षेत्र में कार्यरत ग्रामीण श्रमिकों के कल्याण के लिए कोई योजना चलायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं से ग्रामीण श्रमिकों को कितना लाभ हुआ है, और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख). जी हां, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की परिधि के भीतर भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में ग्रामीण मजदूरों के कल्याण के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। योजना शुरू की गई है। उदाहरण के लिये जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत न्यूनतम

मजदूरी अधिनियम के तहत रोजगार की विभिन्न श्रेणों के लिये अधिसूचित की गई है और कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए गए मजदूरों को निर्धारित मजदूरी के भुगतान के लिये कार्यान्वयन एजेंसियां जिम्मेदार हैं। इसके अलावा, समान मजदूरी अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पुरुष और महिला मजदूरों को समान कार्य अथवा एक ही स्वरूप के कार्यों के लिए समान मजदूरी दिया जाना भी सुनिश्चित किया गया है। 1994–95 के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी दर को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है।

उपरोक्त उपायों के अलावा, ग्रामीण मजदूरों के कल्याण के लिए अनेक योजनायें कार्यान्वित की जा रही है, अर्थात् (1) गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे छोटे तथा सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों आदि के लिये समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (2) देश के उन 120 पिछड़े जिलों, जिनमें बेरोजगारों और अल्प–रोजगारों की अधिकता है, में गहन जवाहर रोजगार योजना, (3) ग्रामीण क्षेत्रों के शारीरिक रूप से सक्षम उन सभी वयस्कों, जो इसके जरूरतमंद हैं और जिन्हें इसकी तलाश है, को गैर कृषि मौसम के दौरान शारीरिक श्रम वाला रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सुनिश्चित रोजगार योजना, तथा (4) ग्रामीण कारीगरों को उनके उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि करने के प्रयोजन से उन्हें उन्नत किस्म के औजार व किटें उपलब्ध कराना।

(ग) और (घ). वर्ष 1993–94 के दौरान उपरोक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभांवित हुए ग्रामीण मजदूरों की संख्या और वर्ष 1994–95 के लिए निधियों के कुल आबंटन को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

1994-95 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यवार न्यूनतम मजदूरी दर (रूपए प्रति श्रमदिन)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	न्यूनतम मजदूरी	
1.	2.	3.	
1.	आन्ध्र प्रदेश	17.00	(जोन 1–रू 15.00, जोन 2– रू0 16.80, जोन 3–रू. 19.25)
2.	अरूणाचल प्रदेश	19.33	(क्षेत्र 1–रू. 18, क्षेत्र 2–रू. 19, क्षेत्र 3–रू. 21)
3.	असम	25.00	
4.	बिहार	30.50	
5.	गोआ	25.00	
6.	गुजरात	33.30	
7.	हरियाणा	42.65	
8.	हिमाचल प्रदेश	24.00	(आदिवासी क्षेत्र रू. 27.50 आदिवासी रहित क्षेत्र रू. 22.00)
9.	जम्मू व कश्मीर	15.00	
10.	कर्नाटक	26.00	
11.	केरल	40.50	
12.	मध्य प्रदेश	28.20	
13.	महाराष्ट्र	14.25	
14.	मणिपुर	40.75	
15.	मेघालय	35.00	
16.	मिजोरम	28.00	
17.	नागालैंड	25.00	(कुशल रू. 32, अकुशल रू. 25)
18.	उड़ीसा	25.00	
19.	पंजाब	39.75	(अकुशल कर्मचारी रू. 39, अन्य कृषि मजदूर रू. 40.50)
20.	राजस्थान	22.00	
21.	सिक्किम	17.00	
22.	तमिलनाडु	20.00	
23.	त्रिपुरा	23.65	
24.	उत्तर प्रदेश	34.00	
25.	पश्चिम बंगाल	28.91	
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	38.50	(रू. 37 अंडमान में और रू. 40 निकोबार में)
27.	दादर व नगर हवेली	20.00	
28.	दमन व दीव	18.00	
29.	लक्षद्वीप	30.00	
30.	पांडिचेरी	27.00	

विवरण - II

1993-94 के दौरान भौतिक उपलब्धियों और 1994-95 के दौरान विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए निधियों के कुल आबंटन को दर्शाने वाला विवरण (करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	1993–94 के दौरान भौतिक उपलब्धियां	1994–95 के दौरान निधियों का कुल आबंटन
1.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	25.35 (लाख परिवार)	रू. 1098.22
2.	गहन जवाहर रोजगार कार्यक्रम	713.36 (लाख श्रमदिन)	रू. 878.20
3.	सुनिश्चित रोजगार योजना	494.74 (लाख श्रमदिन)	रू. 1200.00
4.	उन्नत किस्म के औजार किटों की आपूर्ति	0.84 (कुल किट लाख में)	रू. 25.00

प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद

15. श्री पी. कुमारा सामी :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में 1993 के दौरान प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय

उत्पाद में गिरावट आई है जैसाकि दिनांक 1 अक्तूबर, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) भारत के प्रति व्यक्ति सवल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) जी, नहीं । भारत में स्थिर (1980–81) कीमतों पर प्रति व्यक्ति सवल राष्ट्रीय उत्पाद 1992–93 में 2.3 प्रतिशत तथा 1993–94 में 2.0 प्रतिशत बढ़ गया।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

औद्योगिक उत्पादन

***16. श्री रमेश चेन्नित्तला :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई औद्योगिक नीति के प्रभावी होने के बाद से विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवधि के दौरान किन–किन क्षेत्रों में निजी निवेश अधिक हुआ;

(घ) क्या निजी निवेशों के प्रयोजनार्थ ऐसे क्षेत्रों के उपयुक्त चयन हेतु कोई दिशा–निर्देश तैयार किऐ गए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किए गए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार जुलाई, 1991 में घोषित औद्योगिक नीति के बाद उत्पादन की वृद्धि दरों का क्षेत्रवार ब्योरा संलग्न विवरण–I में दर्शाया गया है जो संसद के सभा पटल पर रखा गया है।

(ग) विवरण–II संलग्न है।

(घ) और (ङ). विवरण–III में औद्योगिक नीति वक्तव्य द्वारा नामित नीति में उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग हैं जिसकी प्रति संलग्न है।

विवरण-I

प्रमुख उद्योग समूहों की क्षेत्रीय वृद्धि दरें

क्षेत्र	भार	वृद्धि की दरें% 1991–92	1992–93	1993–94	1994–95 (अप्रैल--जुलाई)
खनन	11.46	0.6	0.6	2.3	2.9
विनिर्माणकारी	77.11	(–)0.8	0.2	2.7	8.9
विद्युत	11.43	8.5	5.0	7.4	7.1
समग्र	100.00	0.6	2.3	3.3	7.9

स्त्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

विवरण-II

लाइसेंस प्राप्त और लाइसेंस मुक्त क्षेत्रों में घरेलू निवेश की मंशा (अगस्त 91-अक्टूबर 1994)

अनुसूचित उद्योग	कुल आ.प. + औ.उ.ज्ञा.	कुल निवेश आ.प.+ औ.उ. ज्ञा. करोड रु.	कुल में अंश%	कुल रोजगार अ.प.+ औ.उ.ज्ञा. ('000)	कुल में अंश%
रसायन (उर्वरक के अलावा)	2922	81150	22.0	410.	12.0
धातुकर्मी उद्योग	3012	59048	16.0	631	18.5
वस्त्र	2704	53024	14.4	662	19.4
सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	381	24716	6.7	109	3.2
विविध उद्योग	1837	22713	6.1	306	9.0
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	1151	17846	4.8	252	7.4
वैद्युत उपकरण	1075	16066	4.3	176	5.2
कागज और लुग्दी	542	15386	4.2	104	3.0
ईंधन	143	14653	4.0	23	0.7
दूर संचार	654	10521	2.8	123	3.6
उर्वरक	125	10308	2.8	38	1.1
वनस्पति तेल और वनस्पति	1156	10171	2.8	152	4.5
परिवहन उद्योग	232	9095	2.5	74	2.2
औद्योगिक मशीनरियां	386	6212	1.7	46	1.3
औषध	716	4963	1.3	69	2.0
चीनी	157	4369	1.2	84	2.5
रबड़ वस्तुएं	246	4249	122	57	1.7
वैज्ञानिक उपकरण	132	2745	0.7	27	0.8
फर्मन्टेशन उद्योग	231	1253	0.3	33	1.0
चमड़ा निर्मित वस्तु	152	908	0.2	37	1.1
कुल	17944	369395	100.0	3414	100.0

आ.प.–आशय पत्र

औ. उ. ज्ञा.–औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन

विवरण-III

औद्योगिक नीति व्यक्तव्य, 24 जुलाई, 1991 के अनुबन्ध-3 में उल्लिखित प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची

1. धातुकर्मी उद्योग
2. बायलर और वाष्प जनित्रण संयंत्र
3. प्राइम मूवर (वैद्युत जनित्रणों के अलावा)

4. वैद्युत उपकरण
5. परिवहन
6. औद्योगिक मशीनरी
7. (क) मशीनी औजार और औद्योगिक रोबोट और इनके कन्ट्रोल तथा सहायक सामान
   (ख) जिप्स, फिक्चर्स, विशेष प्रकार के औजार तथा डाइयां तथा क्रास लेंड टूलिंग
   (ग) इंजीनियरिंग उत्पादन का सहायक सामान जैसे यन्त्र कटिंग और फार्मिंग औजार, पेट्रन तथा डाईयां और औजार
8. कृषि मशीनें
9. अर्थ मूविंग मशीनें
10. औद्यागिक उपकरण
11. वैज्ञानिक और इलैक्ट्रोमैडिकल औजार और प्रयोगशाला उपकरण
12. उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 की पहली अनुसूची में 18 उर्वरकों के अधीन आने वाले नाईट्रोजन्स तथा फासफेटिक उर्वरक।
13. रसायन (उर्वरक के अलावा)
14. औषध तथा भेषज।
15. (क) कागज उत्पादों सहित कागज और लुगदी
    (ख) औद्योगिक लेमीनेटस
16. (क) आटोमोबाइल टायर और ट्यूबें
    (ख) सभी प्रकार की रबड़युक्त हैवी ड्यूटी औद्योगिक बैल्टें
    (ग) रबड़युक्त कनवेयर बैल्टें
    (घ) रबड़ रिइन्फोर्स और लाइन्ड फायर फाइटिंग होज पाइप
    (ड.) हाईप्रेसर ब्रेडिड होजेज
    (च) इंजीनियर और औद्योगिक प्लास्टिक उत्पाद
17. पीठ ग्लास
18. सरेमिक
19. सीमेंट उत्पाद
20. हाई टेक्नोलोजी रिप्रोडक्शन और मल्टीपिकेशन इक्विपमेंट
21. कार्बन तथा कार्बन उत्पाद
22. प्रोटेंशन हाई प्रेशर आर.सी.सी. पाइप
23. रबड़ मशीनरी
24. प्रिंटिंग मशीनरी
25. वेंल्डिंग माइल्ड स्टील के अतिरिक्त वेल्डिंग इलैक्ट्रोडस
26. औद्योगिक सिंथेटिक डायमंड्स
27. (क) फोटो सिंथेसिस इम्पूवर्स
    (ख) जेनेटिकली मोडीफाइड फ्री लिविंग सिम्बायोटिक्स नाइट्रोजन फिक्चर
    (ग) फिरोमंस
    (घ) बायो इंसेक्टिसाइड
28. गौण तेलों का निस्तारण एवं उन्नयन
29. पूर्व निर्मित भवन निर्माण सामग्री
30. सोया उत्पाद
31. (क) प्रमाणाकृत उच्च उपज देने वाले संकर बीज तथा कृतिक बीज
    (ख) प्लांट टिसू पद्धति के जरिये विकसित प्रमाणाकृत उच्च उपज देने वाले छोटे पौधे
32. लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर मिल्क फूड, माल्टिड फूड तथा फलोर के सिवाय सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
33. लधु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के पैकेजिंग हेतु सभी मदें।
34. होटल तथा पर्यटन सम्बन्धी उद्योग।
35. इलैक्ट्रोनिक्स सोफ्टवेयर।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत

***17. श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में उभर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गैर-परंपरागत ऊर्जा के अप्रयुक्त स्रोतों की अनुमानित क्षमता कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा नवीनतम प्रौद्योगिकी की सहायता से इन संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). ऊर्जा के पुनः उपयोग के क्षेत्र में भारत एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में उभरा है और विश्व स्तर पर ऊर्जा के पुनः उपयोग के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। उन्नत चूल्हा, बायोगैस, बायोमास, पशु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लधु पन विद्युत, सह-उत्पादन, हाइड्रोजन ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा सहित ऊर्जा सोतों और प्रौद्योगिकियों के पुनः उपयोग संबंधी अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। भारत में पुनः उपयोग किए जाने वाले विभिन्न ऊर्जा स्रोतों और प्रौद्योगिकी की अनुमानित क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन स्रोतों का उपयोग करने और नवीनतम प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए अनुसंधान और विकास प्रयास, प्रदर्शन और विस्तार कार्य शुरू किए गए हैं। एकपक्षीय और बहुपक्षीय तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त की गई विशेषरूप से पवन ऊर्जा उत्पादन, लघु-पन विद्युत, बायोमास आधारित सह-उत्पादन, शहरी, औद्योगिक और नगरीय अपशिष्ट से ऊर्जा, सौर ऊर्जा और अन्य नई प्रौद्योगिकियों के लिए प्राप्त की गई तकनीकी सहयोग और निवेश द्वारा संयुक्त उद्यम स्थापित किया जाएगा जिसमें ऊर्जा के पुनः उपयोग की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए नई और आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा।

विवरण

भारत में विभिन्न नए और पुनः उपयोग किए जाने वाले स्रोतों और प्रौद्योगिकियों की क्षमता

स्रोत/प्रौद्योगिकी	अनुमानित उपलब्ध क्षमता
बायोगैस संयंत्र	40 मिलियन
उन्नत चूल्हा	120 मिलियन
बायोमास/बायो ऊर्जा	17,000 मे.वा.
लघु/अति लघु पन विद्युत	10,000 मे.वा.
पवन विद्युत	20,000 मे.वा.
समुद्र तापीय विद्युत	50,000 मे.वा.
ज्वार–भाटा विद्युत	9,000 मे.वा.
समुद्र तरंग विद्युत	20,000 मे.वा.
भारत की भूमि में कुल सौर विकिरण	5×10^{15} कि.वा. घंटा/ वर्ष(समतुल्य)

राष्ट्रीय गोताखोरी संस्थान

***18. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

प्रो. प्रेम धूमलः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या व्यावसायिक गोताखोरों को प्रशिक्षित करने तथा उन्हें गोताखोरी के लाइसेंस देने के लिए एक "राष्ट्रीय गोताखोरी संस्थान" की स्थापना के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या अपतट पर तेल की खोज के चलाये जा रहे कार्यक्रम के लिए अपेक्षित व्यावसायिक गोताखोरों की सेवाएं लेने के संबंध में कोई व्यवस्था विद्यमान है: और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ). राज्य मंत्री (प्रभारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) की अध्यक्षता में 21 मई 1993 को हुई अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की एक बैठक में लिए गए निर्णयों में से एक निर्णय सेचुरेशन डाइविंग और जल के भीतर संस्थान कार्यो जो इस समय प्रवासी भारतीयों (एक्सपेट्रिएट्स) और विदेशियों द्वारा किए जा रहे हैं के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के संबंध में था। यह महसूस किया गया कि सेचुरेशन डाइविंग के प्रशिक्षण तथा पर्यवेक्षण के लिए नौसेना एक योजना बना सकती है ताकि ये कार्य शुरू किए जा सके।

तदनुसार, नौसेना ने अगस्त 1993 में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत पर एक नेशनल डाइविंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करने के लिए ब्यौरेवार प्रस्ताव तैयार किया था और इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भेजा था। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का न तो एक डाइविंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने का इरादा है और न ही यह इस योजना के लिए धन जुटाने की स्थिति में है।

समुद्र में तेल की खोज करने के सतत कार्यक्रम के लिए अपेक्षित वाणिज्यिक गोताखोरों की सेवाएं मुहैया कराने के लिए रक्षा मंत्रालय के पास कोई व्यवस्था नहीं है।

मजदूरी अर्जन कार्यक्रम

***19. श्री दिलीप भाई संघाणी :**

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 1993–94 और चालू वर्ष में अक्टूबर, 1994 तक की अवधि के दौरान गारंटीशुदा मजदूरी अर्जन नाम से कोई नया कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) क्या सभी राज्यों में इन कार्यक्रमों को शुरू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) सभी राज्यों में इस तरह के कार्यक्रम कब तक शुरू कर दिये जायेंगे?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ङ). भारत सरकार ने केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में 2/10/1993 को रोजगार आश्वासन स्कीम नामक एक नई स्कीम आरम्भ की है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के जरूरतमन्द तथा रोजगार के इच्छुक 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम की आयु के सभी व्यक्तियों को सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर मंद कृषि काल के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित आकस्मिक श्रम रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। रोजगार आश्वासन स्कीम को 23 राज्यों तथा चार संघ राज्य क्षेत्रों (गोवा, पंजाब, चण्डीगढ़, दिल्ली तथा पाण्डिचेरी को छोड़कर) में 261 जिलों के 1778 अभिनिर्धारित पिछड़े ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है, ये ब्लॉक मुख्यतः सूखा प्रवण क्षेत्रों, मरुस्थल क्षेत्रों, आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली वर्तमान में चालू है, में अवस्थित है।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क

***20. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पार्कों की स्थापना से किन–किन उद्देश्यों की पूर्ति होंगी और इनकी मुख्य बाते क्या हैं;

(घ) इस परियोजना पर अनुमानतः कितना खर्च आएगा और ये पार्क कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे; और

(ङ) क्या राज्य सरकारों को भी इन पार्कों की स्थापना में सहयोजित किया जाएगा।

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). प्रस्ताव बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में है। फिलहाल, संकल्पनात्मक ढांचे तथा अन्य प्रासंगिक मुद्दों पर विचार–विमर्श किया जा रहा है।

(ग) और (घ). ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क की संकल्पना पर एक या दो पायलट पार्कों की मदद से प्रयोग किया जायेगा जिसका उद्देश्य ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क के साथ जुड़े पंचायतों द्वारा किये गये चुनिंदा विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायक तकनीकी सहायता मुहैया कराना तथा क्षमता निर्माण करना है।

पवन ऊर्जा की क्षमता का आंकलन करने के लिए सर्वेक्षण

1. **श्री गोपीनाथ गजपति :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पवन ऊर्जा की क्षमता का आंकलन करने के लिए देश व्यापी सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के परिणाम क्या निकले हैं तथा इसमें कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र में पवन चक्कियां स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). जी हां। 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू किए गए राष्ट्रीय पवन संसाधन आंकलन कार्यक्रम के अंतर्गत आठ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः तमिलनाडु, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप समूह में पवन विद्युत उत्पादन के लिए 77 संभाव्य स्थलों का पता लगाया गया है।

(ग) और (घ). नई कार्यनीति और कार्य योजना के अंतर्गत आठवीं योजना में पवन विद्युत उत्पादन के लिए लक्ष्य संशोधन करके उसे 500 मे. वा. किया गया है। जबकि बजटीय नियतनों को चुनिंदा प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाया जाएगा, इस कार्यक्रम को वित्तीय संस्थाओं, बाहरी सहायता और निजी निवेश से संसाधन जुटाकर मुख्यतया निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। अब तक स्थापित की गई कुल 180 मे.वा. की पवन विद्युत क्षमता में से 140 मे. वा. क्षमता की स्थपना निजी क्षेत्र द्वारा की गई है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों से उपयुक्त संस्थागत प्रबंधों की स्थापना करने और आकर्षक नीतियां शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड

2. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड की सहायक धारक कम्पनी, भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड ने अपशिष्ट शोधन प्रौद्योगिकी के लिए कोई सहयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपे जाने के बाद यह सहयोग किस प्रकार से किया जा रहा है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). मैसर्स भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड (बीपीएमईएल) ने प्रक्रिया व इंस्ट्रूमेंटेशन आरेख, मुख्य उपकरण के आयामों, प्रक्रिया उपकरण इत्यादि सहित औद्योगिक अपशिष्ट जलशोधन संयंत्रों के लिए आस्ट्रिया की कंपनी मैसर्स एक्वा इंजीनियरिंग जी.एम.बी.एच. के साथ जुलाई, 1985 में एक सहयोगी करार किया जो जुलाई, 1993 तक वैद्य था।

(ग) बी.पी.एम.ई.एल. की धारक कंपनी मैसर्स भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) ने निर्णय लिया है कि बी.बी. यू.एन.एल. की एक अन्य सहायक कंपनी, ब्रेथवेट एण्ड कंपनी को बी.पी.एम.ई.एल. द्वारा अर्जित संपूर्ण प्रौद्योगिकी का अंतर्लयन करने का कार्य सौंपा जाना चाहिए।

विश्व बैंक की सहायता से शहरी विकास परियोजना

3. **श्री डी.वेंकटेश्वर राव :**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के महत्वपूर्ण कस्बों के विकास के हेतु विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के लिए आन्ध्र प्रदेश शहरी विकास परियोजना (ए.पी.अर्बन डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट) तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के गंदी बस्तियों वाले कस्बों में विकास और सुविधाओं में सुधार हेतु ओ.डी. ए. ब्रिटेन से वित्तीय सहायता के लिए कोई अन्य परियोजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). जी, हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 23 कस्बों के विकासार्थ विश्व बैंक की सहायता लेने के लिए आंध्र प्रदेश शहरी विकास परियोजना तैयार करके भेजी थी। परियोजना की अनुमानित लागत 650 करोड़ रू. है। आश्रय, यातायात प्रबन्ध तथा परिवहन, नगर अर्द्धसंरचना सुविधाएं, खुला स्थल विकास, पालिका नगर विकास कोष और नगर प्रबन्ध अध्ययन के लिये तकनीकी सहायता, आंकड़ा आधार आदि परियोजना के घटक हैं।

(ग) और (घ). आंध्र प्रदेश सरकार ने बाह्य सहायता प्राप्त करने हेतु आंध्र प्रदेश स्लम सुधार परियोजना नामक एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव में 225 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से

राज्य में 23 कस्बों को लाभान्वित करने का विचार है। परियोजना के मुख्य उद्देश्यों में स्लमों की अर्द्धसंरचना सुविधाओं मे सुधार, स्लम समुदाय की स्वास्थ्य और पौष्टिकता स्थिति में सुधार, अनौपचारिक शिक्षा तथा कौशल उन्नयन सहित साक्षरता दर में सुधार शामिल है। वित्त सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव ओ.डी.ए.,यू. के. को भेजा गया है।

आन्ध्र प्रदेश राज्य आवास बोर्ड द्वारा निर्माण

4. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य आवास बोर्ड ने चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत गृह निर्माण के लिए स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को गृह निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग). "आवास" राज्य का विषय होने के नाते, भारत सरकार आवास बोर्डों को मकानों के निर्माणार्थ वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है। इसके अलावा, भारत सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य आवास बोर्ड से मकानों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

तथापि, आवास तथा नगर विकास निगम लिमिटेड (हडको) द्वारा चालू वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य आवास बोर्ड को 2.74 करोड़ रूपये की ऋण वचनबद्धता वाली 3 स्कीमें अनुमोदित की गई हैं। इन स्कीमों के पूर्ण होने पर 209 रिहायशी एकक उपलब्ध होंगे। हडको द्वारा स्कीमों का अनुमोदन एक सतत् प्रक्रिया है और यह, हडको दिशानिर्देशों के तहत् यथा अपेक्षित अभिकरण द्वारा औपचारिकताएं पूरी करने तथा निधियों की उपलब्धता जैसे विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है।

संयुक्त उद्यम परियोजनाएं

5. **डा. सुधीर राय :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं की मंजूरी के लिए नई उदारीकृत प्रणाली के अंतर्गत सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या ऐसे प्रस्तावों पर विचार के पहले रोजगार आंकड़े, संभावित निर्यात आमदनी, उत्पाद मिश्रण आदि के विवरण देना आवश्यक है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). जैसा कि 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों में रखे गये औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य में बताया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अनुबंध–3 में सूचित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भारतीय संयुक्त उद्यमों की प्रदत्त पूंजी में 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए स्वतः अनुमोदन देता है बशर्ते कि विदेशी इक्विटी में परियोजना के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए जरूरी विदेशी मुद्रा शामिल हो। भारतीय संयुक्त उद्यमों में विदेशी निवेश के सभी अन्य प्रस्तावों पर सामान्य पद्धति के अधीन सरकार द्वारा गुण दोष के आधार पर विचार किया जाता है। सरकार को प्राप्त होने वाले विदेशी निवेश से संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए ऐसे सभी प्रस्तावों में सभी संबद्ध सूचना निहित होने की आशा की जाती है जैसे निर्माण की मदें, निवेश की मात्रा, निहित प्रौद्योगिकी, निर्यात और रोजगार की क्षमता जो कि परियोजनाओं के स्वरूप पर निर्भर करता है।

आयुध कारखानों का नवीकरण

6. **श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने 37 रक्षा संगठनों के लिए पुनर्गठन योजना तैयार करने के लिए मैसर्स एस.आर. बाटलिबोई एंड कंपनी को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो आयुध कारखानों की पुनर्गठन योजना तैयार करने के निदेश–पद क्या हैं और इन संगठनों के उच्च अधिकारियों को विशेषतः कम लागत की दृष्टि से आधुनिक प्रबंधन व्यवहार लागू करने के लिए क्या पुनः प्रबोधन कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है; और

(ग) उपरोक्त कंपनी को इस मामले में व्यवहार्यता के अध्ययन हेतु कितनी धनराशि देय है और यह कंपनी अपने निष्कर्ष कब तक प्रस्तुत कर देगी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). आयुध निर्माणी बोर्ड ने मैसर्स एस.आर.बाटलिबोई एंड कम्पनी को आयुध निर्माणियों में प्रचलित मौजूदा लागत लेखांकन और वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली का विस्तृत अध्ययन करने और आधुनिक औद्योगिक पद्धतियों के अनुरूप एक संकल्पनात्मक ढांचा विकसित करने के काम पर लगाया है। इस अध्ययन के दायरे में आयुध निर्माणियों के पुनर्गठन की योजना शामिल नहीं है।

(ग) इसके लिए उपर्युक्त कम्पनी को 1.5 लाख रुपए की राशि देय है और इसकी रिपोर्ट के 2 माह में प्राप्त होने की आशा है।

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम हेतु धनराशि

7. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू योजना के अन्तर्गत त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए कुल कितनी राशि का आवंटन किया गया है;

(ख) 31 मार्च, 1994 तक इस प्रयोजनार्थ राज्यों को उपलब्ध कराई गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्यक्रम को लागू करते समय तथा 31 मार्च, 1994 तक कितनी प्रतिशत शहरी आबादी को स्वच्छ पेय-जल उपलब्ध कराया गया है; और

(घ) उन शहरों एवं नगरों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जहां इस समय यह कार्यक्रम लागू किया जा रहा है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन) : (क) चालू योजना के तहत् त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए कुल नियतन 50 करोड़ रूपये हैं।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान दिये गये धन के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा दी गई अद्यतन सूचनानुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जिसे सही पेयजल उपलब्ध कराया गया है, अनुलग्नक "क" (कॉलम-4) में दिया गया है।

(घ) यद्यपि, 147 कस्बों में परियोजनाओ को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को कुछ केन्द्रीय अंश दे दिया गया था, परन्तु वास्तविक कार्यान्वयन अभी शुरू किया जाता है।

विवरण

अनुलंग्नक-''क''

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1993-94 के दौरान दिये गये केन्द्रीय अंश

क्र.सं.	राज्य	दिया गया केन्द्रीय अंश (रू. लाखों में)	जनसंख्या प्रतिशत जिसे जल आपूर्ति उपलब्ध है
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00 *	78.0
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00 **	100.00
3.	असम	26.06	35.9
4.	बिहार	0.00 *	69.7
5.	गोआ	6.24	91.6
6.	गुजरात	71.08	98.3
7.	हरियाणा	30.25	100.0
8.	जम्मू एवं कश्मीर	0.00	97.9
9.	हिमाचल प्रदेश	8.79	100.0
10.	कर्नाटक	8.15	96.2
11.	केरल	28.21	74.9
12.	मध्य प्रदेश	205.10	88.2
13.	महाराष्ट्र	5.36	98.2
14.	मणिपुर	7.65	77.8
15.	मेघालय	0.00 **	100.0
16.	मिजोरम	4.26	78.8
17.	नागालैण्ड	0.00 **	63.4
18.	उड़ीसा	50.23	50.1
19.	पंजाब	26.76	71.0
20.	राजस्थान	81.97	99.9
21.	सिक्कम	0.00 **	73.9
22.	तमिलनाडु	82.24	48.8
23.	त्रिपुरा	5.16	53.1
24.	उत्तर प्रदेश	327.88	96.9
25.	पश्चिम बंगाल	39.13	99.2

* योजनाएं प्राप्त नहीं हुई।

** कस्बे दिशा-निर्देशों के अनुमोदित मानकों को पूरा नहीं करते।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर सम्मेलन

8. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस वर्ष सितम्बर में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आयोजित मुख्य मंत्रियों और मंत्रियों के सम्मेलन में सर्वसम्मत से किन-किन विषयों पर निर्णय लिया गया;

(ख) क्या सरकार अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के संबंध मे जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों को आकर्षित करने हेतु कोई योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार) : (क) मुख्य मंत्रियों और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रभारी मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नई दिल्ली में 17 सितम्बर, 1994 को हुआ था। बैठक में अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों को तेज करने के लिए विभिन्न मुद्दों, जिन पर राज्य सरकार का ध्यान अपेक्षित है, चर्चा की गई और 15 प्रमुख उपायों, जिन्हें सम्मेलन की सिफारिश के रूप में अपनाया गया था, पर सहमति व्यक्त की। सम्मेलन की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) से (घ). ग्राम पंचायतों, स्थानीय निकायों और गैर-सरकारी संगठनों को पहले ही अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों, विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, योजना तैयार करने, कार्यान्वयन, मानीटरिंग, जागरूकता पैदा करने आदि में शामिल किया गया है।

विवरण

17.9.94 को हुए नए और अक्षय ऊर्जा के स्रोतों पर मुख्य मंत्रियों/राज्य सरकारों के मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन की सिफारिशें

1. बैठक ने अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं, विशेष रूप से पवन, लघु पनबिजली, सह-उत्पादन आदि के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए, का-कार्य करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक अलग शक्ति-प्राप्त संस्थागत निकाय के लिए आवश्यकता की

सिफारिश की। सभी राज्यों द्वारा अपनाये जाने के लिए अगले तीन महीनों में एक ढांचे अथवा संरचना का विकास किया जाना चाहिए। विद्यमान एजेंसियों को समुचित रूप से बढ़ाया और शक्ति–प्राप्त बनाया जाए अथवा नई एजेंसियों की स्थापना की जानी चाहिए, जैसा भी राज्यों द्वारा उचित समझा जाए।

2. यह सिफारिश की गई कि सभी राज्य तीन महीनों के अन्दर आकर्षक निजी क्षेत्र संबंधी नीति पैकेज की घोषणा करेंगे जिसमें व्हीलिंग, बैंकिंग, वापसी–खरीद और तीसरे पक्ष की बिक्री के लिए सुविधाएं शामिल होंगी, यह उसी प्रकार का होगा जैसा कि कुछ राज्यों ने हालही में घोषणा की है। ऐसा नीति संबंधी पैकेज वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी आकर्षित करने और अपारंपरकि ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में तेजी से वृद्धि लाने के लिए जरूरी होगा और इस प्रकार यह देश को आठवीं योजना में नए और अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 200 मे. वा. के नए लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा।

3. यह सिफारिश की गई कि विद्युत उत्पादन के लिए निबधि प्रौद्योगिकियों हेतु एक राष्ट्रीय नीति शुरू की जानी चाहिए जो सतत् अक्षय ऊर्जा प्रोद्योगिकियों द्वारा कोयला और अन्य प्रदूषणकारी जीवाश्म ईंधनों पर आधारित प्रौद्यौगिकियों की चरणबद्ध प्रतिस्थापना करेगी।

4. इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि केन्द्रीय और अन्य स्रोतों, जिसमें संस्थागत और बाहय वित्तपोषण शामिल है, से वित्त को आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य योजनाओं में पूरक धनराशियां निर्धारित की जानी चाहिए।

5. बैठक ने सिफारिश की कि राज्य बिजली बोर्डों को अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन और निजी क्षेत्र मे विवरण परियोजनाओं के लिए तेजी से अनुमति देने के साथ–साथ निजी उत्पादकों और वितरकों को एस.ई.बी. से अलग उपभोक्ताओं से सीधी बातचीत से अपने शुल्क निर्धारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

6. ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रमों जैसे बायोगैस, उन्नत चूल्हा, सौर लालटेन आदि को तेजी से व्यापक बनाने के उद्देश्य से इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि हालाकि मंत्रालय बजटीय सहायता के वर्तमान स्तर को दिया जाना जारी रखेगा फिर भी राज्य सरकारों को 1995–96 से आगे की अपनी राज्य योजनाओं में अपनी वित्तीय भागीदारी में वृद्धि करनी चाहिए ताकि इन कार्यक्रमों की वृद्धि की दर को बढ़ाया जा सके जिसके फलस्वरूप कम से कम संभव समय में ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रमों को व्यापक बनाया जा सके।

7. राज्य सरकारों ने बायोगैस संयंत्रों, उन्नत चूल्हों, सौर ऊर्जा प्रणालियों और अन्य ग्रामीण ऊर्जा युक्तियों की उचित संस्थापना और उन्नत कार्यात्मकता सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों, गैर–सरकारी संगठनों, ग्रामीण ऊर्जा उद्यमकर्त्ताओं आदि को शामिल करके आधार स्तर पर मानीटरिंग प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने पर सहमति व्यक्त की।

8. यह सिफारिश की गई कि ऊर्जा उद्यमकर्त्ताओं के निष्ठावान संगठन को तैयार करने के उद्देश्य से ग्रामीण ऊर्जा युक्तियों और प्रणालियों की संस्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण में बड़ी संख्या में बेरोजगार ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।-

9. इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के कार्यान्वयन का विस्तार किया जाएगा और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के साथ--साथ आय देने वाले रोजगार में वृद्धि करने के लिए विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के एकीकृत और योजनाबद्ध उत्पादन के माध्यम से समग्र विकास लाने के लिए आधार, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अक्षय ऊर्जा, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण विकास के लिए अन्य कार्यक्रमों के साथ उचित संयोजन विकसित किए जाएंगे।

10. यह प्रस्ताव किया गया कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के आदेशपत्र का विस्तार करके और अक्षय ऊर्जा तथा ऊर्जा संरक्षण को शामिल करके एक राष्ट्रीय ग्रामीण ऊर्जा निगम की स्थापना की जाएगी।

11. बैठक ने यह सिफारिश की कि राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में होटलों और अस्पतालों जैसे कार्यात्मक भवनों में सौर जल तापन प्रणलियों की संस्थापना को उनके द्वारा अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। यह भी प्रस्ताव किया गया कि राज्य सरकारें स्थानीय निकायों को निजी क्षेत्र के भवनों के संबंध में इस बारे में आवश्यक निर्देश जारी करें।

12. इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि शहरी, नगरीय, औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन परियोजनाएं शुरू की जाएं और इस प्रयोजन हेतु राज्य योजनाओं में आवश्यक बजटीय आवंटन प्रदान किये जाएं। इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि संबंधित प्राधिकारियों, स्थानीय निकायों और उद्योग संघों को उनकी अपशिष्ट निपटान स्कीमों और कार्यक्रमों, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार भी उचित तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, में ऊर्जा प्राप्ति को अनिवार्य घटक के रूप में शामिल करने के लिए उचित निदेश जारी किए जाएं।

13. इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि स्थानीय विनिर्माण आधार और आधारभूत ढांचे के विकास तथा अक्षय ऊर्जा प्रणालियों के उपयोग में तेजी से विस्तार तथा बाजार विकास के संवर्धन के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों, जिसमें उद्योग का दर्जा, पूंजीगत आर्थिक राज सहायता, इक्विटी भागीदारी और बिक्री कर तथा अन्य कर छूटें शामिल हैं, जो उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि अक्षय ऊर्जा युक्तियों के तेजी से आवंटन, विशेष रूप से बायोगैस संयंत्रों, सौर युक्तियों और अन्य वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध अक्षय ऊर्जा प्रणालियों के लिए आकर्षक शर्तों पर वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रभावी समन्वय के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को प्रेरित किया जाए और अधिक सक्रिय रूप से शामिल किया जाए। यह प्रस्ताव किया गया कि इरेडा द्वारा ऐसे ऋणों के लिए दिशा निर्देशों/प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जाए।

14. यह प्रस्ताव किया गया कि अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक संग्रह निधि तैयार करने के लिए राज्यों द्वारा विद्युत शुल्क का एक प्रतिशत उपकर के रूप में एकत्रित किया जाना चाहिए।

15. बैठक ने अंत में सिफारिश की कि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत

मंत्रालय के सक्रिय समर्थन और भागीदारी से राज्य सरकारें देश में अक्षय ऊर्जा शैक्षणिक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगी ताकि सतत् विकास के माध्यम से "सब के लिए ऊर्जा" का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जनता के सभी वर्गों द्वारा भारतीय अक्षय ऊर्जा आंदोलन को अपनाया जा सके।

उर्वरक राजसहायता

9. **श्री एन.जे.राठवा :**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993–94 के दौरान गुजरात राज्य के उर्वरक एककों को कितनी राजसहायता प्रदान की गई है;

(ख) वर्ष 1994–95 के दौरान कितनी राजसहायता उपलब्ध कराने का विचार है;

(ग) क्या यह राशि अन्य राज्यों को उपलब्ध करायी गई राजसहायता की तुलना में अपर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलोरो) : (क) 1993–94 के दौरान गुजरात में स्थित विभिन्न उर्वरक एककों को 569.23 करोड़ रू. की राशि राजसहायता के रूप में दी गई थी।

(ख) से (घ). 1994–95 के बजट में स्वदेशी उर्वरकों पर राजसहायता के भुगतान के लिए 3500 करोड़ रू. का प्रावधान रखा गया है। इसमें से, गुजरात मे स्थित एककों को भुगतान की जाने वाली राजसहायता वर्ष के दौरान उनके उत्पादन के स्तरों पर निर्भर करेगी। बजट में राज्यवार राजसहायता का आवंटन नहीं किया जाता है।

बिहार में रोजगार योजनाएं

10. **श्री राम टहल चौधरी :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी और पिछड़ेपन की समस्या को हल करने के लिए कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख). जंवाहर रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, बिहार सहित विभिन्न राज्यों में ग्रामीण बेरोजगारी और पिछड़ेपन की समस्या को सुलझाने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने देश *के 120 पिछड़े जिलों में रोजगार मुहैया कराने के लिए गहन जवाहर रोजगार योजना भी शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत* बिहार के 23 जिलों को कवर किया गया है। बिहार के 157 खंडों में 18 से 60 वर्ष के आयु समूह वाले ग्रामीण गरीबों, जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है और जो रोजगार चाहते हैं, को 100 दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम का सुनिश्चित रोजगार मुहैया कराने के लिए सुनिश्चित रोजगार योजना भी शुरू की है।

(ग) और (घ). ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए बिहार सहित विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों का अंतिम सर्वेक्षण न. 1991 में कराया था।

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उद्यम

11. **श्री खेलन राम जांगडे**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1994 तक मध्य प्रदेश के प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उद्यम में कितनी धनराशि का निवेश किया गया;

(ख) प्रत्येक उद्यम में वार्षिक उत्पादन, लाभ/घाटा और कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मध्य प्रदेश की उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा पूंजी निवेश किए जाने का विचार है और ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 31.3.1994 तक, जिस अवधि की जानकारी उपलब्ध है, मध्य प्रदेश राज्य में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित छः उद्यम अवस्थित थे :

1. फैरो स्क्रैप निगम लि0
2. मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लि.
3. नेपा लि.
4. नार्दन कोल फील्ड्स लि.
5. ने. टे. का. (मध्य प्रदेश) लि.

इन उद्यमों में किये गये पूंजी निवेश का उद्यम–वार ब्यौरा विवरण पृष्ठ 86 से विवरण पृष्ठ–94 पर विवरण संख्या–16 में दिया गया है।

(ख) वार्षिक उत्पादन, निवल लाभ/हानि तथा कर्मचारियों की संख्या का उद्यम–वार ब्यौरा 23–2–1994 को संसद में प्रस्तुत किये गये लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1992–93 के खण्ड–1 में क्रमशः विवरण पृष्ठ 134 से विवरण पृष्ठ 161 तक विवरण 23–क, विवरण पृष्ठ 43 से विवरण पृष्ठ 50 पर विवरण संख्या 7–क तथा वि. पृष्ठ 189 से वि. पृष्ठ 195 पर विवरण संख्या 28 में दिया गया है।

(ग) 31–3–1993 को 100 करोड़ रूपये और उससे अधिक लाभ वाली कार्यान्वयनाधीन केन्द्रीय परियोजनाओं के साथ–साथ उनके पूरा होने का सम्भावित समय का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1992–93 के खण्ड–1 में पृष्ठ संख्या 47 से 60 तक दिया गया है।

नगरों में पेय-जल की कमी

13. **श्री हरि केवल प्रसाद :**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पेय–जल समस्या से ग्रस्त छोटे और मझौले शहरों का पता लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इन नगरों में पेय–जल की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कोई योजना भेजी है और धनराशि की माग की है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). शहरी जल आपूर्ति राज्य विषय है और अपनी शहरी आबादी को सही और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों की है। जल आपूर्ति स्कीम राज्य के पी.एच.ई. विभाग द्वारा राज्य प्लान निधियों से बनायी तथा चलायी जाती है। अतः केन्द्र सरकार ने पेयजल की कमी का सामना कर रहे छोटे तथा मझौले नगरों का पता लगाने के लिये ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ग) और (घ). 20,000 से कम आबादी वाले नगरों के लिये केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत् भारत सरकार को 1993–94 के दौरान 1184 नगरों हेतु प्रोफार्मा प्रस्ताव विचारार्थ प्राप्त हुये और 147 नगरों को स्वीकार कर लिया गया है। तथा इन नगरों को 1176.76 लाख रूपये की राशि दी गई है।

[अनुवाद]

उड़ीसा के रूग्ण एकक

14. **श्री के. प्रधानी :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कुछ बड़े और मध्यम स्तर के औद्योगिक एकक रूग्ण हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में रूग्ण पड़े उद्योग ऐसे एककों का ब्यौरा क्या है और उनकी रूग्णता के क्या कारण हैं; और

(ग) इन एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). बैंकों से सहायता प्राप्त रूग्ण औद्योगिक एककों से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, उड़ीसा राज्य में सितम्बर, 1992 के अंत में लघु क्षेत्र में 9862 औद्योगिक एककों और गैर–लघु क्षेत्र में 38 औद्योगिक एककों के रूग्ण होने की सूचना थी।

बैंकों द्वारा औद्योगिक रूग्णता के जो मुख्य कारण बताए गए हैं वे आंतरिक कारकों से संबंधित हैं जिनमें परियोजना प्रबन्ध तथा परियोजना मूल्यांकन क्षेत्रों की कमी शामिल है। बैंकों द्वारा बताए गए अन्य मुख्य कारण कच्चे माल की अनुपलब्धता, बिजली की कमी, वित्तीय बाधाओं, पूरक लागत में वृद्धि, मांग में गिरावट/मंदी, आदि जैसे बाहरी कारकों से संबंधित हैं।

(ग) सरकार ने रूग्ण औद्योगिक एककों के पुनरूज्जीवन के लिए उपाय पहले ही कर लिए हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है।

विवरण

रूग्ण औद्योगिक एककों को फिर से चालू करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय।

(1) सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात् रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.)" नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गयी है, जिसका उद्देश्य रूग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है जिसने 15 मई 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रूग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा–निर्देश जारी किये हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्यक्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिये गये हैं। बैंक तथा वित्तीय रूग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनः स्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा–निर्देश जारी किये है जिसमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्यक्षम रूग्ण इकाइयों की पुनःस्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) रूग्ण एककों का स्वस्थ एककों के साथ समामेलन/विलयन करके भी रूग्ण औद्योगिक इकाइयों की पुनर्स्थापना की जाती है। स्वस्थ एककों को समामेलित रूग्ण एककों की पुनर्स्थापना के लिए आयक अधिनियम, 1961 की धारा 72(क) के तहत कर लाभ दिये जाते हैं।

(6) सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की है जो अन्य बातों के साथ–साथ औद्योगिक पुनर्गठन से प्रभावित श्रमिकों की प्रतिपूर्ति का भुगतान करता है।

(7) भारत सरकार की सलाह पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने जीव्यक्षम रूग्ण लघु इकाइयों को फिर से खोलने के लिए पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए सभी राज्यों में संबंधित राज्यों सरकार के उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अंतर–संस्थागत समितियां (एस. एल. आई. सी.) स्थापित की है।

(8) अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से संभावित जीव्यक्षम रूग्ण लघु औद्योगिक एककों को जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रूपये से अधिक नहीं है, को 1 प्रतिशत वार्षिक सामान्य सेवा प्रभार पर 1,50,000 रूपये तक दीर्घावधि इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है।

(9) अत्यंत छोटे और अंश लघु उद्योगों के लिये एक शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए एक भारतीय लघु विकास बैंक की स्थापना की गई है।

जीव्यक्षम रूग्ण लघु एककों के पुनरूज्जीवन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा एक पृथक पुनर्स्थापना हेतु पुनर्वित्तीयन योजना चलाई जा रही है।

मुम्बई के राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स संयंत्र में आग

15. **श्री राम नाईक :**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1994 के दौरान मुम्बई में राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स लि. संयंत्र में आग किस प्रकार से लगी और इसके कारण कितनी हानि हुई,

(ख) इसके क्या कारण हैं, और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलेरो) : (क) और (ख). नवम्बर, 1994 में राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि., (आरसीएफ) के ट्राम्बे एकक में जो आग लगी उसमें कूलिंग टावर के "टाप–डैक" के वुडन फ्रेम वर्क, "फेनहुड" और "इलेक्ट्रिकल केवल्स" को क्षति पहुँचाई। इस अग्निकांड़ से हुई हानि का लगभग 25 लाख रु. का अनुमान लगाया गया है। कूलिंग टावर के समीप स्थित हीट–एक्सचेंजर से उच्च दाब गैस के स्त्राव के कारण आग लगी।

(ग) आरसी एफ ने भविष्य में ऐसी घटनाओं के पुनः न घटने को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये है :

(1) कूलिंग टावर के शीर्ष पर "कूलिंग वाटर रिटर्न लाइन" के पूर्ण 'वोर वैंट" का प्रावधान, और

(2) कूलिंग टावर के शीर्ष पर "लाइटनिंग एरेस्टर" की स्थापना।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

16. **श्री मृत्युंजय नायक :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन के प्रश्न की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसकी जांच कब तक कर ली जाएगी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश में कृषि और ग्रामीण विकास

17. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान कृषि और ग्रामीण विकास के लिए मध्य प्रदेश को प्रति व्यक्ति कुल कितनी धनराशि दी गई;

(ख) उक्त अवधि में इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने कितने धन की मांग की और योजना आयोग ने कितने धन की स्वीकृति दी, और

(ग) कम धनराशि आबंटित करने के क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि तथा ग्रामीण विकास हेतु मध्य प्रदेश को आवण्टित प्रति व्यक्ति राशि निम्नानुसार है:

(रू.)

वर्ष	कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप	ग्रामीण विकास
1992–93	28.28	18.95
1993–94	27.26	19.22
1994–95	27.77	29.89

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा वांछित तथा योजना आयोग द्वारा स्वीकृत निधियां निम्नानुसार है:

(करोड़ रू.)

वर्ष	कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप		ग्रामीण विकास	
	प्रस्तावित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय	प्रस्तावित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय
1992–93	191.53	188.45	127.43	126.28
1993–94	181.64	181.64	128.10	128.10
1994–95	188.15	185.05	198.75	199.20

(ग) वैयक्तिक क्षेत्रकों के लिए आबण्टन; समग्र परिव्यय तथा विभिन्न क्षेत्रकों के लिए निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर तय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

गरीबी उन्मूलन योजनाएँ

18. **श्री अन्ना जोशी :**

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार के पास गरीबी उन्मूलन हेतु कुछ योजनाएँ विचार हेतु भेजी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत कौन–कौन सी परियोजनाएँ कार्यान्वित करने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने कोई नई गरीबी उन्मूलन स्कीम केन्द्र सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत नहीं की है। तथापि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोज़गार योजना, रोज़गार आश्वासन स्कीम तथा नेहरू रोज़गार योजना जैसी चालू केन्द्र प्रायोजित गरीबी उन्मूलन स्कीमें तथा महाराष्ट्र राज्य की रोज़गार गारण्टी स्कीम राज्य में कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज

19. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अभी तक अपने यहां पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना नहीं की है, और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख). सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों, जहां संविधान के भाग–9 का प्रावधान लागू होता है, ने पंचायती राज पर आवश्यक कानून बना लिए हैं। तथापि आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पांडिचेरी में किसी भी स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन नहीं किया गया है। गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर उड़ीसा, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर व नगर हवेली और दमन व दीव में पंचायती राज संस्थाओं का आंशिक रूप से गठन कर लिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना न होने का कारण पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने में विलंब इस सम्बन्ध में ग्रामीण विकास मंत्रालय संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पंचायतों का गठन करने के लिए इन राज्यों पर पहले से ही दबाव डाल रहा है।

[अनुवाद]

अनधिकृत निर्माण

20. श्री हरिन पाठक :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान राजोरी गार्डन में एल. आई. जी. फ्लैटों (दुमंजिला) के कुछ आवंटियों/निवासियों ने डी.डी.ए./दिल्ली नगर निगम की अनुमति के बिना ही छतों पर अतिरिक्त निर्माण कर लिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन फ्लैटों की नींव दुमंजिले भवनों के लिए निर्मित है और अतिरिक्त इकाइयों के निर्माण के लिए नहीं है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार के उल्लंघनों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). जी, हाँ।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि ऐसे निर्माणों को दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 343 और 344 के तहत दर्ज किया जाता है और इन अनधिकृत निर्माणों को गिराया जा सकता है।

चमड़े की वस्तुओं का निर्माण करने वाले एकक

21. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में चमड़े की वस्तुओं का निर्माण करने वाले एककों की स्थान–वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उनका वार्षिक उत्पादन कितना–कितना रहा;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इन राज्यों में चमड़े के उद्योग के विकास के लिए कोई कार्य–योजना बनाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) चमड़ा निर्यात परिषद, मद्रास द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार उक्त परिषद में पंजीकृत की गयी महाराष्ट्र में करीब 51 चमड़ा सामान विनिर्माता एकक हैं। इनमें से 47 एकक बम्बई में, 3 एकक पुणे में, और एक इकाई थाणे में स्थित है। कानपुर, उत्तर प्रदेश में लगभग 60 चमड़ा सामान विनिर्माता एकक स्थित है जो चमड़े का निर्यात करने के लिए उक्त परिषद में पंजीकृत है।

(ख) चूंकि चमड़े के सामान का उत्पादन विभिन्न मदों के रूप में होता है, इसलिए हर एक मद के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।

(ग) और (घ). उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के तहत कानपुर के जूता विनिर्माताओं के सहयोग से एक फुटवीयर डिजाइन तथा विकास संस्थान (एफ. डी. डी. आई.) उपकेन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। सैडलरी तथा साज चढ़ाने के कामगारों को प्रशिक्षण देने के लिए एक केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान का उपकेन्द्र शीघ्र शुरू करने का प्रस्ताव है। महाराष्ट्र में, केन्द्रीय सहायता से शीघ्र ही एक केन्द्रीय फुटवीयर प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में पंचाट निर्णय का कार्यान्वयन

22. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक और फोरमैन के पदों के वेतनमानों में विसंगतियों पर विचार करने के लिए नियुक्त पंचाट बोर्ड ने 12 अगस्त, 1985 को अपना निर्णय दे दिया है;

(ख) क्या सरकार ने 1 जनवरी, 1988 से निर्णय के कार्यान्वयन का आदेश 11 नवम्बर, 1988 को जारी किया है;

(ग) 22 सितम्बर, 1982 अर्थात् सरकारी और गैर–सरकारी पक्षों के बीच असहमति की तिथि से यह निर्णय लागू क्यों नहीं किया गया;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय के 18 मार्च, 1994 के निर्णय और आदेश की प्रति सभा पटल पर रखी जाने वाली है; और

(ङ) उपरोक्त आदेश और की गई अनुवर्ती कार्यवाही पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) पंचाट बोर्ड के निर्णय को 22.09. 1982 से लागू करने में अत्यधिक वित्तीय कठिनाइयां थीं। इसके लागू करने से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती थी। इस निर्णय को लागू करने की तारीख में किए गए संशोधन की स्वीकृति संसद के दोनों सदनों ने 1989 में दे दी है।

(घ) इस निर्णय की एक प्रति संसद पुस्तकालय में रखी गई है।

(ङ) अब आगे कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यथा कार्यान्वित पंचाट को संसद के दोनों सदनों ने अपनी स्वीकृति दे दी है तथा उच्चतम न्यायालय ने इसे अनुमोदित कर दिया है।

[हिन्दी]

सम्पत्ति कारोबार का लाइसेंसीकरण

23. **श्री बी.एल. शर्मा प्रेम :**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमि के अवैध कब्जों से निपटने और भूमि और सम्पत्ति के कारोबार से माफिया तत्वों को दूर रखने के लिए भूमि और संपत्ति करोबार के लाइसेंसीकरण सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग). दिल्ली में अपार्टमेंटों के संवर्धन, निर्माण, बिक्री, अंतरण तथा प्रबन्ध को विनियमित करने के लिए कानून बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ संवर्धक अथवा सम्पदा एजेन्ट का कार्य करने वाले व्यक्तियों को सदस्यता प्रदान करने का प्रावधान होगा। इस बारे में अन्तिम निर्णय की समय अवधि अथवा प्रकृति बताना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

बुनकरों को औद्योगिक भूखंडों का आबण्टन

24. **श्री शशि प्रकाश :**

क्या **शहरी विकास मंत्री** 22 दिसम्बर, 1993 के अतरांकित प्रश्न संख्या 3175 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में सावन पार्क के 650 बुनकरों को औद्योगिक भूखंड आबंटित करने के लिए कोई सूची तैयार की है।

(ख) यहि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आबंटन के लिए नियत की गई तिथिया क्या है; और

(ग) क्या आबंटन में तेजी लाने के लिए पृथक प्रकोष्ठ खोला जा रहा है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं. 4106/91 में डी.डी.ए. को सूची की पुनः जांच करने की छूट दी गई तथा तदनुसार 650 व्यक्तियों की सूची की जांच की गयी और भुगतान सम्बन्धी तथ्य का इस समय सत्यापन किया जा रहा है। इस सारे कार्य को पूरा करने की लक्षित तिथि 12 दिसम्बर, 1994 है।

(ग) जी, नहीं।

अनिवासी भारतीयों द्वारा उद्योगों की स्थापना

25. **श्री सुब्रत मुखर्जी :**
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार को प्रमुख और आधारभूत क्षेत्रों में विभिन्न उद्योग स्थापित करने के संबंध में अनिवासी भारतीयों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए है; और

(ख) इनमें से स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्प्यूटर साफ्टवेयर, खाद्य प्रसंस्करण, इलैक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, होटल, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स आदि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों

में उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार को अनिवासी भारतीयों से 407 प्रस्ताव मिले थे जिनका विवरण निम्नलिखित है :

वर्ष	अनिवासी भारतीयों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1991	54
1992	130
1993	223

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त (क) में उल्लिखित प्रस्तावों में से 385 प्रस्ताव स्वीकृत कर दिये गये हैं।

1993 की स्वीकृतियों का राज्यवार संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 1993 से पहले के राज्यवार आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे गये हैं।

विवरण

अनिवासी भारतीयों के अनुमोदनों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

क्रमांक	राज्य/संघ क्षेत्र	1993
1.	आंध्र प्रदेश	29
2.	बिहार	1
3.	गोवा	4
4.	गुजरात	16
5.	हरियाणा	10
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	कर्नाटक	19
8.	केरल	5
9.	मध्य प्रदेश	4
10.	महाराष्ट्र	24
11.	उड़ीसा	5
12.	पंजाब	2
13.	राजस्थान	8
14.	तमिल नाडु	30
15.	उत्तर प्रदेश	4
16.	पश्चिम बंगाल	5
17.	अंदमान और निकोबार द्विपसमूह	1
18.	चंडीगढ़	1
19.	दमन और दिव	1
20.	दिल्ली	13
21.	विनिर्दिष्ट नहीं	12
		195

नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत गुजरात को धनराशि

26. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत गुजरात के लिए कितनी धनराशि नियत/जारी की गई;

(ख) क्या राज्य सरकार ने नियत/जारी धन का उपयोग कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे योजना के अंतर्गत किन लोगों को लाभ पहुंचा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) गत दो वर्षों के दौरान नेहरू रोजगार योजना के तहत गुजरात राज्य हेतु दो केन्द्रीय धनराशि और चालू वर्ष के लिए धनराशि इस प्रकार है :

वर्ष	धनराशि (रू0 लाखों में)
1992–93	198.45
1993–94	212.52
1994–95	246.40 (नियतित)

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने निम्नलिखित धनराशियों के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया है :

वर्ष	धनराशि (रू0 लाखों में)
1992–93	108.03
1993–94	89.99

नेहरू रोजगार योजना के तहत योजना के प्रारम्भ से एवं दिनांक 31.10.94 की स्थिति के अनुसार प्राप्त लाभार्थियों का विवरण इस प्रकार है :

1.	माइक्रो उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थी	0.12 लाख
2.	सजित कार्य दिवस	11.74 लाख
3.	रिहायसी ईकाइयों में सुधार	508
4.	प्रशिक्षित लाभार्थी	6673

[हिन्दी]

विदेशी पूंजी निवेश

27. **श्री दत्ता मेघे :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश करने में रूचि दिखाने वाले विकसित और विकासशील देशों के क्षेत्र–वार नाम क्या है;

(ख) ऐसे प्रत्येक देश ने कितना–कितना पूंजी निवेश किया है, और

(ग) सरकार ने ऐसे पूंजी निवेश के सम्बन्ध में क्या नीति अपनायी है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). 1991 और अक्तूबर, 1994 के अन्त तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित किए गए विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के देशवार तथा क्षेत्रवार ब्यौरे दर्शाने वाले विवरण I और II संलग्न हैं।

(ग) नयी औद्योगिक नीति में देश के औद्योगिक विकास के हित में विदेशी पूंजी निवेश आमंत्रित करने तथा इसे सरल बनाने की अपेक्षा की गयी है।

विवरण-I

1991 से 1994 (अक्तूबर तक) के दौरान अनुमोदित किए गए प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश के देशवार ब्यौरे

(रू. मिलियन में)

क्र.सं.	देश का नाम	1991	1992	1993	1994
1	2	3	4	5	6
1	संयुक्त राज्य अमेरिका	1858.5	12315.0	34618.5	17862.4
2	युनाईटेड किंगडम	321.0	1176.7	6227.3	12336.9
3	जर्मनी	418.0	862.7	1759.3	5357.5
4	आस्ट्रेलिया	26.1	776.2	295.6	3856.3
5	जापान	527.1	6102.3	2574.3	3594.1
6	इटली	178.1	89.9	1173.5	3578.6
7	मारीशस	—	—	1242.4	2347.4
8	हांगकांग	211.5	570.8	879.5	1274.1
9	नीदरलैंड	559.2	967.9	3216.5	1046.3
10	रूस	86.1	115.9	19.5	1042.2
11	अफगानिस्तान	—	—	1.0	—
12	अर्मेनिया	—	—	1.0	—
13	आस्ट्रिया	15.9	61.4	155.7	198.2
14	बहामास	—	7.5	—	81.2
15	बहरीन	—	4.0	4.1	17.0
16	बेल्जियम	16.1	237.0	60.0	62.4
17	बेलोरशिया	—	—	0.5	—
18	बरमुडा	—	33.2	—	260.3
19	ब्राझील	0.1	1.1	—	—
20	ब्रिटिश विरजिन द्विपसमूह	—	5.3	46.0	—
21	कनाडा	48.6	7.8	272.8	417.1
22	केमन द्विपसमूह	—	—	33.0	35.0
23	चनेल द्विपसमूह	—	—	—	12.5
24	चीन	7.5	—	616.6	272.5
25	चेक गणतन्त्र	—	—	4.4	—
26	चेकोस्लावाकिया	—	52.6	—	—
27	डेन्मार्क	111.7	252.3	319.9	510.6
28	इस्टोनिया	—	—	70.0	—
29	फिनलैंड	25.3	105.0	20.7	72.1
30	फ्रांस	193.3	296.4	1290.9	313.2
31	हंगेरी	—	—	227.7	16.5
32	इंडोनेशिया	—	19.0	3.8	0.0
33	आयरलैंड	—	0.1	1656.4	7.5
34	इजराइल	—	12.7	14.6	69.3
35	इटली	178.1	893.9	1173.5	3578.6
36	काजकिस्तान	—	—	15.0	—
37	कोरिया (उत्तर)	1.6	—	—	—
38	कोरिया (दक्षिण)	61.5	394.0	293.3	603.7
39	कुवैत	—	0.9	0.5	30.9
40	लटविया	—	2.6	—	—
41	लक्झमबर्ग	—	—	29.0	—
42	मलेशिया	1.8	744.3	84.8	242.9
43	मालद्विव	—	—	—	6.0
44	मालटा	—	1.3	—	—
45	मेक्सिको	—	52.8	2389.8	0.1
46	नेपाल	—	—	—	0.2
47	न्यूजीलैंड	—	3.2	0.5	0.0
48	नाइजिरिया	—	−2	—	15.4
49	नॉर्वे	3.8	9.2	26.7	3.1
50	ओमान	—	—	5429.8	15.8
51	पनामा	—	—	25.5	—
52	फिलिपिन्स	—	50.0	132.5	34.0
53	पोलेंड	0.4	—	1.5	—
54	पोतूगाल	1.6	12.0	140.0	0.0
55	कातार	—	45.3	—	—
56	रशिया	86.1	115.9	19.5	1042.2
57	सिंगापुर	13.7	602.1	663.4	955.6
58	स्लोवाकिया	—	—	0.5	0.0
59	स्पेन	3.3	19.2	98.0	20.0
60	श्रीलंका	—	—	15.1	23.6
61	स्टेडान	69.8	484.1	06.0	62.6
62	स्वीट्जरलैंड	355.0	6897.6	4268.0	264.4
63	ताइवान	4.5	180.0	100.1	78.9

1	2	3	4	5	6
64.	थाइलैंड	–	25.2	3084.2	91.8
65.	यू.ए.ई.	22.0	64.5	4044.9	512.3
66.	यूक्रेन	–	8.4	2.8	4.5
67.	यूरूगुए	–	0.1	–	–
68.	वेस्ट इंडीज	–	3.0	–	0.5
69.	यूगोस्लाविया	–	4.4	–	–
70.	एनआरआई	197.0	4391.3	10433.2	4307.4
71.	यूरो इश्यूज	–	–	–	45510.9
72.	उपर समाविष्ट सभी देश	5341.1	38875.4	88593.3	107450.3

विवरण -II

1991 से 1994 (अक्तूबर तक) के दौरान विदेशी पूंजी निवेश के क्षेत्रवार ब्यौरे

क्र. सं.	उद्योग का नाम	1991 राशि (रू. करोड़ में)	1992 राशि (रू. करोड़ में)	1993 राशि (रू. करोड़ में)	1994 (अक्तूबर तक) राशि (रू. करोड़ में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	धातुकर्मी उद्योग	2.23	58.87	1246.53	884.75
2.	ईधन	2.30	1594.11	2822.54	2137.15
3.	बायलर तथा भाप जनित्रण संयंत्र	0.72	0.12	53.86	3.47
4.	प्राइम गूवर्रा विद्युत जनित्रण के अलावा	–	–	–	2.24
5.	विद्युत उपकरण	101.39	371.84	645.85	563.64
6.	दूर संचार	13.58	119.07	46.98	14.68
7.	परिवहन	20.11	145.36	396.25	1178.52
8.	औद्योगिक मशीनरी	55.79	70.71	85.84	652.64
9.	मशीनी औजार	1.97	6.73	12.99	17.94
10.	कृषि मशीनरी	–	5.54	–	–
11.	मिट्टी हटाने की मशीनरी	0.08	0.55	0.60	111.73
12.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरी उद्योग	0.84	37.17	40.38	67.65
13.	कार्यपालिका, कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर	–	63.81	9.27	8.71
14.	चिकित्सा तथा शल्य उपकरण	4.25	3.60	8.17	6.31
15.	औद्योगिक उपकरण	2.07	14.81	6.69	9.84
16.	वैज्ञानिक उपकरण	1.65	32.89	–	0.34
17.	गणितीय, सर्वेक्षण और ड्राइंग उपकरण	–	–	–	–
18.	उर्वरक	1.00	–	1.66	0.99
19.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	146.32	421.17	349.89	1122.12
20.	फोटोग्राफिक कैमरा फिल्म तथा पेपर	–	7.90	10.73	–
21.	खाद्य सामग्री	–	0.08	13.58	0.25
22.	औषध तथा भेषज	0.80	30.17	29.91	128.60
23.	वस्त्र (रजक, मुद्रित अथवा अन्यथा प्रक्रियागत वस्त्रों सहित)	18.55	139.25	119.21	906.14
24.	कागज तथा लुग्दी कागज उत्पादन सहित	4.40	20.15	115.27	198.34
25.	चीनी	–	–	53.50	–
26.	फर्मेन्टेशन उद्योग	–	4.99	147.45	16.00
27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	54.09	402.22	907.87	521.84
28.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	3.03	6.13	10.88	11.68
29.	साबुन, कासोटिक तथा टायलेट प्रिपेरेशन	–	18.86	0.47	21.91
30.	रवड़ की वस्तुएं	1.09	2.37	54.09	21.14
31.	चमड़ा तथा चमड़े का सामान व परिष्कारक	3.14	27.25	17.04	11.74
32.	ग्लू तथा जिलेटिन	–	–	–	–
33.	कांच	0.75	0.34	49.98	85.76
34.	सिरेगिक्स	12.74	19.38	30.98	115.16
35.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	12.00	6.79	25.20	177.73
36.	टिम्बर उत्पाद		–	0.16	–
37.	सुरवा उद्योग		–	–	–
38.	परामर्शदियी सेवाएं	5.81	12.16	10.31	11.28
39.	सेवा क्षेत्र	–	67.21	1136.28	1056.76
40.	होटल तथा पर्यटन	–	198.77	352.98	427.17
41.	ट्रोडिंग कम्पनी	–	5.43	22.57	33.10
42.	विविध उद्योग	63.52	61.74	118.29	270.97
	योग	534.11	3887.54	8859.33	10745.03

[अनुवाद]

माल डिब्बा निमार्ण उपक्रम

28. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :

श्री सुदर्शन राय चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कुछ माल डिब्बा निर्माण संबंधी रूग्ण उपक्रमों के स्वामित्व हेतु हाल ही में कोई निविदा जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उद्योग मंत्रालय ने ऐसे उपक्रमों के लिए पुनर्वास पैकेज औद्योगिक वित्तीय तथा पुनर्निमाण बोर्ड के पास भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इन उपक्रमों को निजी क्षेत्र को सौंपने का है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ङ). मालडिब्बे बनाने वाली केंद्रीय सरकार की कंपनी मेसर्स ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड इस समय औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) को संदर्भित है। इसे बी. आई. एफ. आर. द्वारा रूग्ण घोषित किया गया था और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को इसकी प्रचालन एजेन्सी नियुक्त किया गया था। बी. आई. एफ. आर. ने सरकार को इसका पुनरूद्वार पैकेज तैयार करने की सलाह दी है जिस पर सरकार सक्रियतापूर्वक विचार कर रही है। इस बीच, बी.आई.एफ.आर. ने प्रचालन एजेन्सी को किसी वैकल्पिक संभावना के लिए विज्ञापन देने का निर्देश दिया है। प्रचालन एजेन्सी ने कंपनी के अधिग्रहण की पेशकश का विज्ञापन बिज़नेस स्टैण्डर्ड तथा आनन्द बाजार पत्रिका में 4.10.1994 को दे दिया है।

गुजरात में शहरों का विकास

29. श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में कुछ कस्बो और शहरों का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कुछ देशों ने गुजरात सरकार को सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुगन) : (क) से (ग). छोटे तथा मझौले कस्बों के एकीकृत विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम (आई.डी.एस.एम.टी.) वर्ष 1979-80 से गुजरात राज्य सहित विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रचालन में है। वर्ष 1979-80 से 1994-95 तक (06.12.94 की स्थिति के अनुसार), आई.डी.एस.एस.टी. के तहत गुजरात राज्य के 39 कस्बों को शामिल किया गया है और 12.34 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई है। आठवीं योजना अवधि (1992-97) के दौरान, गुजरात सरकार द्वारा अभी तक निम्नलिखित छः कस्बों की परियोजना रिपोर्टें पेश की गई हैं जो सभी कस्बे आई.डी.एस.एम.टी. के तहत शामिल किए जा चुके हैं तथा नीचे दिए गए ब्योरो के अनुसार केन्द्रीय सहायता (प्रथम किस्त) राज्य सरकार को दी गई है।

कस्बे का नाम	लाख रूपये में
वागवान	24.00
भरूच	24.00
नाडियाड	57.24
पालीटाणा	24.00
बौरसाड	22.00
दोराजी	7.00
योग	158.24

आई.डी.एस.एम.टी. के दिशानिर्देशो में विदेशी सहायता लेने का प्रावधान नहीं है।

बड़ौदा शहर के लिए 55.75 करोड़ रूपये की लागत का एक स्लम सुधार परियोजना प्रस्ताव गुजरात सरकार से मिला है और यह ओवरसीज डवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (यू.के) को भेजने हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनूमोदन हेतु भेज दिया गया है।

भारत सरकार और के.एफ.डब्लु., जर्मनी ने समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए एच.डी.एफ.सी. कम लागत आवास कार्यक्रम बाबत उपऋण जुटाने के लिए एक समझौते (एच. डी. एफ. सी.-के.एफ.डब्लू.-I) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस समझौते के तहत, 11.22 लाख रूपये की ऋण राशि गुजरात सरकार के लिए स्वीकृत की गई थी।

ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग

30. श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की सफलता को वाणिज्यिक उद्यम के रूप में तब्दील किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में इस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जा सकता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री भूवनेश चतुर्वेदी): (क) से (ग). ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी. एस. एल. वी.) विकासात्मक चरण में है और अपनी अगली सफल विकास उड़ान के बाद यह आन्तरिक जरूरतो के लिए और वाणिज्यिक आधार पर दोनों के लिए प्रचालनात्मक प्रमोचन सेवाओं के लिए तैयार होगा। पी. एस. एल. वी. सुदूर संवेदन

उपग्रहों के साथ–साथ संचार के लिए निम्न–भू–कक्षा वाले उपग्रहों को प्रमोचित कर सकता है।

केन्द्रीय भण्डार द्वारा सामान की खरीदारी

32. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार सरकारी विभागों को पूर्ति हेतु लेखन सामग्री फर्नीचर और अन्य मदें तथा स्थानीय उपभोक्ताओं को विक्रय हेतु दालों की खरीदारी इन मदों के विनिर्माताओं अथवा इनके प्राधिकृत वितरकों से करने की बजाए निविदा आमंत्रित करके कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) गत एक वर्ष में निविदाएं आमंत्रित करके स्थानीय रूप से खरीदी गई मदों का ब्यौरा क्या है तथा इनकी पूर्तिकर्त्ता पार्टियों के नाम और इन मदों की पूर्ति किन दरों पर की गई है; और

(घ) स्वीकृत वितरकों से ही इन मदों की खरीद को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा): (क) और (ख). केन्द्रीय भण्डार की क्रय नीति के अनुसार, सरकारी विभागों को बिक्री के लिए लेखन सामग्री एवं अन्य मदों तथा केन्द्रीय भंडार के खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से उपभोक्ताओं को दालें, मसालों, कपड़े धोने का साबुन आदि जैसी किराना वस्तुएं बेचने के लिए वस्तुओं की गुणवत्ता पर उचित रूप से ध्यान देते हुए प्रतियोगी टेंडरों के आधार पर इन्हें खरीदा जाता है। ऐसी वस्तुओं के लिए टेंडरों का मूल्यांकन करते समय विनिर्माताओं अथवा उनके प्राधिकृत वितरकों को उनकी दरें तुलनात्मक होने पर तरजीह दी जाती है। ऐसे उत्पाद, जिनके लिए विनिर्माताओं अथवा उनके प्राधिकृत वितरकों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते हैं, तकनीकी रूप से स्वीकार्य निम्नतम टेंडरों से खरीदे जाते हैं। दालें, पंजीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं से पाक्षिक आधार पर आमंत्रित टेंडरों द्वारा खरीदी जाती हैं।

(ग) केन्द्रीय भंडार के पास 30.3.94 को 407 सामान आपूर्तिकर्त्ता थे। आपूर्तिकर्त्ताओं की एक सूचि संलग्न विवरण में दी गई है। उपर्युक्त आपूर्तिकर्त्ता संविदा दरों अथवा विनिर्माताओं की दरों अथवा आवधिक प्रतियोगी टेंडरों जैसा भी मामला हो, की अनुमोदित दरों पर औसतन लगभग 4000 वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं।

(घ) विनिर्माता तथा उनके प्राधिकृत वितरक, टेंडरों के उत्तर में भाव देने के लिए स्वतंत्र हैं तथा पंजीकरण में उन्हें तरजीह दी जाती है बशर्ते कि उनकी दरें तुलनात्मक हों।

विवरण

दिनांक 30.9.1994 के अनुसार आपूर्तिकर्त्ताओं की सूची

अम्बे लेबोट्रीज
अरावली लीजिंग लिमिटेड
अंकिता इन्टरप्राइजेज
अपेक्स इन्डिया आई.एन.सी.
अग्रवाल ट्रेडर्स
अपोलो फर्नीशर्स
ए. के. इन्डस्ट्रीज
अहमद उमेरभाई
एशियन सेल्स कार्पोरेशन
अमर तारा लिमिटेड
अकिन्को
ए. पी. अभिसोल इन्डिया
अल्पाइन इन्डस्ट्रीज
अदिति टेकनोलोजीज (प्रा.) लिमिटेड
आदिनाथ फूड इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लि.
अपोलो स्टील इन्डस्ट्रीज
अप्सरा इन्डस्ट्रीज
अशोक मसाला कम्पनी
आर. डी. ओवरसीज
अताश इन्डस्ट्रीज
अपार लिमिटेड
अक्षिता इलैक्ट्रोनिक इन्डस्ट्रीज
अशोक पेपर प्रोडक्ट
अटेची हाऊस
अलन्कार डिस्ट्रिब्यूटर्स
अदिति इन्जीनियर्स
भारत पेपर उद्योग
बंगाल केमिकल एण्ड फार्मा. लि.
बी. सी. आर. स्टेशनरी डिवीजन
बल्लड़पुर इन्डस्ट्रीज लि.
भारत स्टेशनरी उद्योग
बुद्धराजा एसोसिएट्स
बन्सल सन्स
ब्रुक बॉण्ड इन्डिया लि.
ब्रुक बॉण्ड लिप्टन इन्डिया लि.
बुद्धराजा एजेन्सीज (प्रा.) लि.
न्यू भगत सूगर डिपो
बक्षी ट्रेडिंग कार्पोरेशन इन्डस्ट्रीज
बेडेकर ब्रदर्स प्राइवेट लि.
बत्रा एसोसिएट्स
भारत लोक हाऊस
ब्लो प्लास्ट लि.
बी. इलैक्ट्रानिक्स मशीनरी लि.
बी. के. कनजिमपैक्स
बी. डी. रेफ्रिजिरेटर
बी. के. इन्टरप्राइजेज
बी. नाथ सिंह करनसिंह

बी. पी. एल. लि.
बिल्ली बूट पोलि. कम्पनी
ब्रिटेनिया इन्डस्ट्रीज
बन्सल ट्रेडर्स
बॉबी सोप लि.
केपिटल क्रोकरी हाऊस
कॉलगेट पामोलिव (इन्डिया) लि.
कास्मान इन्डिया लि.
कास्केट कॉन्सेट टेकनीकल प्राइवेट लि.
चम्पालाल एण्ड प्रेम चन्द जैन
कम्प्यूटर वेयर
चावला मार्केटिंग प्राइवेट लि.
चाणक्य एण्ड कम्पनी
चड्ढा स्टेशनरी
कम्पीटेंट मार्केटिंग प्राइवेट लि.
कानपुर वुलन मिल्स
दुर्गा इलैक्ट्रिक वर्क्स
दिल्ली पेपर प्रोडक्ट
दयाल सेल्स कार्पोरेशन
डिलाइट सेफ वर्क्स
धींगरा सेल्स प्राइवेट लि.
डाबर इन्डिया लि.
डायमन्ड मार्केटिंग कम्पनी
दशनी सेल्स
दिल्ली कन्ज्यूमर्स कॉपरेटिव डब्ल्यू. एस. एस. लि.
डी. आर. डिस्ट्रिब्यूटर्स
डी. राज एण्ड कम्पनी
दिल्ली वनस्पति सिन्डीकेट
दुर्गा राइस ट्रेडर्स
डी. पी. कम्प्यूटर फार्म्स (प्रा.लि.)
दिल्ली भारतीय ग्रामीण महिला
डी.बी. एजेन्सी
धर्म सन्स मार्केटिंग प्राइवेट लि.
डाटा सेफ
दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कोपरेटिव
धींगरा ब्रादर्स
दिल्ली पेपर उद्योग
धींगरा डिस्ट्रिब्यूटर्स
डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क
दिल्ली पेपर डिस्ट्रिब्यूटर्स
डिलाइट कुकर्स
डी. सी. एम. डाटा प्रोडक्ट्स
डिफरेंस इन रिकन्सीलेशन
इलेकिलर एण्ड कम्पनी
ऐवरसाइन प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज
एल्साइन सिस्टम्स
इसार फायल्स लि.
इगल ट्रेडर्स
इमाक्लेस
फलैस कम्यूनिकेशन
फ्रेन्डस एलाइड इन्डस्ट्रीज
फ्रैसर इन्टरप्राइजेज
फूड कार्पोरेशन ऑफ इन्डिया
फेयर डील मार्केटिंग एण्ड सर्विसस
गोला स्टेशनरी
गोयल स्टेशनर्स
गोयल सेल्स कार्पोरेशन
गोदरेज एण्ड बी. मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि.
गोल्डन मसाला कम्पनी (रजिस्टर्ड)
गोपी राम गंगा राम
जी. के. इन्टरप्राइजेज
गर्ग जनरल ट्रेडर्स
जी. एम. एच. आर. (टेक चन्द) एजेन्सीज
जीप इन्डस्ट्रीज सिन्डीकेट लि.
गोरव स्टेशनरी
गुजरात कॉपरेटिव मिल्क फैड लि.
गेसटेटनर इण्डिया लि.
जी. ए. वाई. प्रोडक्टस
गोल्डेज फर्नीशिंग एण्ड डेकोरेटर्स
गुलशन ब्राण्ड केन्डल्स
गुप्ता टी मार्केटिंग
गॉडविन इन्टरप्राइजेज
जी. के. ट्रेडर्स
गौरी शंकर हरि प्रसाद एण्ड कम्पनी
ग्लेरियस मार्केटिंग
गौरव प्लास्टिक
गनोवा रोलर फ्लोर मिल्स
ग्लोबल टेली सिस्टम्स लि.
गोयल पल्सेस मिल एण्ड कापरेटिव
गुप्ता ट्रैडिंग कम्पनी
होमाकुल सेल्स कार्पोरेशन
हरियाणा ट्रैडर्स प्राइवेट लिमिटेड
हिन्दुस्तान लीवर लि.
हिन्दुस्ता वेजीटेरियन ऑयल्स कार्पोरेशन लि.
हरियाणा स्टेट कॉपरेटिव एस.एम.एफ. लि.
हन्स इन्डस्ट्रीज रजिस्टर्ड
हरिसन्स फर्नीसिंग
हरिराम गुलाबराय एण्ड सन्स
एच. सी. एल.–एच. आर. लि.
हॉरिजन सेल्स कॉपरेटिव

हाई-टक फूड
हनी बी. नेशनल प्रोडक्ट्स
एच.सी.एल. लि.
एच.सी.एल. रेप्रोग्रेफिक्स डिवीजन
इण्डिया पेपर कनवर्टर्स
इण्डियन लॉक कम्पनी
इन्डैक्सपोर्ट लिमिटेड
आई.टी.सी. एग्रो टेक लि.
इन्टरनेशनल ट्रेड लिन्क
इन्डस ट्रेड लिल्क्स (प्रा.) लि.
इन्दिरा फर्नीशर्स
इमेज इण्डिया
इन्डियन से फैक्टरी
आई.टी.एल. कम्प्यूटर सर्विस
आई.टी.एल. कम्प्यूटर (प्रा.) लि.
आई. सी. आई. एम.
आइडल एनवलप
इण्डिया कम्यूनिकेशन
इन्टीग्रेट एण्ड ट्रांसपोर्ट सर्विस
जय श्री एन्टरप्राइजेज
जे.के मार्केटिंग
जेस (ऑवरसीज) कार्पोरेशन
जनता सोप फैक्टरी (रजिस्टर्ड)
जग्गू मल एजेन्सीज
जे.के. साइन्टीफिक स्पोर्ट्स ट्रैडर्स
जयमाता टिम्बर ट्रैडिंग कम्पनी
जय इन्जीनियरिंग वर्क्स
जगदीश मोटर वर्क्स
कर्मचन्द थापर एण्ड ब्रादर्स सी. एस.
कोरस इण्डिया लि.
कुमार जनरल ऑडर सप्लायर्स
केबिका सेल्स
कथूरिया सेल्स (रजि.)
किरण एण्ड कम्पनी
खट्टर इन्डस्ट्रीज
कोहिनूर केमिकल वर्क्स
कृष्णा ट्रैडिंग कम्पनी
खुराना ब्रादर्स प्राइवेट लि.
काशी राम पवन कुमार
के. एस. एजेन्सीज
कपिल फ्लोर मिल्स
कृष्णा पेपर रोलिंग मिल
कोनिका एंटरप्राइजेज
के.एस. एजेंसीज (विप्रो)
कनोडिया आयल मिल प्राइवेट लिमिटेड
किसान प्रोडेक्ट लिमिटेड
के.बी. इंडस्ट्रीज
कालू राम महादेव प्रसाद
काशी फर्नीशरस
केरल राज्य
कन्हैया लाल शिव कुमार
कृष्णा राइस एंड जनरल मिलस
खशीराम लक्ष्मी नारायण
कृष्णा ट्रेडिंग कोपरेटिव
कालवम एंड कम्पनी
खन्ना सोप फैक्ट्री
काजू कारपेटस
लक्ष्मी ग्लास कम्पनी
लैक्सर पैन कम्पनी
लाथम इंडिया लिमिटेड
लायर्ड सैफ कम्पनी
लिप्टन इंडिया लिमिटेड
इलैकट्रानिक प्राइवेट लिमिटेड
मित्तल फाइल मैनिफैक्चरिंग कारपोरेशन
मैट्रोपाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
मल्टीफोमइंटरनेशनल प्रोडक्टस
एम.सी. पेपर प्राइवेट लिमिटेड
मोदी जीरोक्स लिमिटेड
एम. के. इंडस्ट्री (I)
मोदी बिजनेस मशीन
मोदी केयर एंटरप्राइजेज
मित्तल एंटरप्राइजेज
मोती सोप फैक्ट्री (प्रा.) लिमिटेड
एम. जी. शाहनी एंड कम्पनीज (दिल्ली) लिमिटेड
मक्कड़ ब्रदर्स
एम. पी. स्टेट कोपरेटिव आयल सीड ग्रो
मनोज ट्रेडिंग कम्पनी
मानसरोवर इंडस्ट्री कारपोरेशन
मित्तल एंड कम्पनी
मोदी जी. बी. सी. लिमिटेड
मोंगा इंडस्ट्रीज
माडल फर्नीचर मार्क
मार्डेल फूड इंडस्ट्री (इंडिया)
एम. बी. इलेक्ट्रीक एंड मशीनरी एस.टी. ओ
मार्डन डेयरीज लिमिटेड
मिसिलेनियस राशन
मैकेट मूवस
मंगल जैन त्रिलोक चंद जैन
मोदी फलोर मिलस
महावीर मैटल वर्क्स

एम.आई.सी.
मिसलेनियस, सप्लायर्स एकाऊट
नवभारत एंटरप्राइजेज
नेशनल इंडस्ट्री
नेफ डेटा इंडस्ट्री प्रा. लिमिटेड
न्यू बंगाल स्टोरेज
नैसले इंडिया लिमिटेड
नेफैड प्रोसैसड फूड
नूप लिमिटेड
नैटवर्क लिमिटेड
नावल्टी ट्रेडर्स
नरीमन इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन
नेफेड
नरेन्द्र इंटरनेशनल
न्यूवेयर इंडिया लिमिटेड
नवीन स्टेशनर्स
नटराज इंडस्ट्रीज
नीलकांत ट्रेडर्स
न्यू फाइल स्टेशनर्स
न्यू पाइप स्टेशनर्स
एन.आई.सी.
नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज
उड़ीसा स्टेट का. आयल सीडस
ओरियंटल एंजेसीज
ओमप्रकाश सत्तप्रकाश
पायोनियर एंटरप्राइजेज (I)
प्रियदर्शिनी पेपर प्रोंडक्टस
प्रिमियर डुप्लीकेटर प्रा. लिमिटेड
प्रोक्टर एंड गैम्बल गोदरेज
प्रोक्टर एंड गैम्बल होम लिमिटेड
पोंडस इंडिया लिमिटेड
पालकोज
पैन फूड (प्रा.) लिमिटेड
प्रकाश एजेन्सीज
पुरी एंटरप्राइजेज
पंजाब स्टेट कोप रेटिव एस.सम.एफ (लि.)
परमा इंजीनियरिंग एंड ट्रेडिंग कम्पनी
पॉलजी फूड प्रा. लिमिटेड
पॉलजी एंड कम्पनी
पूजा कैंडल्स
पी.सी.एल
पन्ना लाल विनोद कुमार
पंजाब स्टेट मार्किटिंग
पोली फर्न इंडिया
प्रेम वाच इलैक्ट्रानिकस
पर्सनल केयर प्रोडक्टस लिमिटेड
पिनसल कम्प्यूटर प्रोडैक्टस
प्रकाश बर्दर्स
पूजा ट्रेडिंग कम्पनी
पैन कासमैटिक एंड ग्लास (पी) लिमिटेड
पंजाब रोलर फ्लोरस मिल्स
परफेक्शन इंजीनियरिंग कारपोरेटिव
प्रकाश ट्यूब लिमिटेड
पी.के. इलेक्ट्रानिक्स
पियर्स -- ट्रेडिंग कम्पनी
पंजाब ट्रेडिंग कम्पनी
पालकोज ए
पाल
क्वालिटी फूड प्रोडेक्टस
आर. के. एंटरप्राइजेज
रामा प्लास्टिक इंडस्ट्रीज
राजेन्द्रा एंटरप्राइजेज
रिलायंस मार्किटिंग
आर. के. बयाना एंड कम्पनी
आर. एन. चढ़डा एंड कम्पनी
राजधानी फ्लोर मिल्स
आर. बी. एंटरप्राइजेज
राजस्थान शुद्ध मसाला एस भंडार
राजधनी दाल मिल
रायॅल फर्नीशरस
आर. पी. जी. रिकोम लिमिटेड
आर. पी. लॉक्स कम्पनी
रामा एंजेंसीज
रॉयल सेफ कम्पनी
रिधी एंटरप्राइजेज
आर. एस. इस्पाईसिज़ मसाले
रमिंगटन रैंड
रिको प्लास्ट
राजधानी टी. सेन्टर
आर. के. एंड कम्पनी
राजहंस एजेंसीज
राजस्थान इंडस्ट्रीयल डिस्ट्रिब्यूट
रोहित एंजेंसीज
रायॅल सेल्स कोपोरेटिव लिमिटेड
राज एंड पाल इलैक्ट्रिक कम्पनी
रायॅल इंडस्ट्रीज
शौरिल डुप्लीकेशन (प्रा.) लिमिटेड
शाहदरा स्टेशनरी सप्लायर्स
स्वर्ण एंटरप्राइजेज
सिंगल एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड

एस. के. नाथ एंड संस
शौली एंटरप्राइजेज
शिवा इलैक्ट्रीकल
सुर्यारोशनी लिमिटेड
श्री विनायक एजेंसीज
शिल्पी कारपेट उद्योग
एस.ए. एंटरप्राइजेज
स्टीपन कैमिकल्स लिमिटेड
सारंग इंडस्ट्रीज
स्टैग एजेंसीज
एस कुमार डिर्टजैंट प्रा. लिमिटेड
श्रीराम ऑयल एंड जनरल मिल्स
स्मिथ नलिन बीचम
शिवाजी सुगन्धित धूप फैक्टरी
शिप्रा नैचुरल फूड प्रोडेक्ट
शुद्ध मसाला भंडार (रजिस्टर्ड)
श्रीमहिला गृह उद्योग लि. पापड़
एस.पी. एंटरप्राइजेज
सरस्वती ट्रेडर्स
शिव ट्रेडिंग कम्पनी
एस. एम. डाइकिम लिमिटेड
सूर्या एंटरप्राइजेज
शिव शक्ति एंटरप्राइजेज
सुपर स्टील इंडस्ट्रीज
सचदेवा एंड संस राइस मिल्स लिमिटेड
सिन्डट एंड कैमिकल्स लिमिटेड
साइनंदा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कम्पनी
सेव ब्रदर्स इंजीनियरिंग वर्क्स
श्री रूप एजेंसीज
स्पाइसिज ट्रेडिंग कम्पनी
स्वास्तिक इंसेन्सीज
शकुन एग्रो (प्रा.) लिमिटेड
सूर्या ट्यूबस एंड बल्बस
सनस्टार्स क्म्यूनिकेशनस
श्याम कम्यूनिकेशनस सिस्टम
संजय ब्रदर्स
सर्वशक्ति दाल एंड फ्लोर मिल्स
एस.डी. एंड संस
एस. एल. राज निट वियर
शा वेलेस एंड कम्पनी लिमिटेड
श्री चक्रधर इंटरनेशनल
सेठ रामचन्द्र एंड संस
सीताराम एंड संस
सुपर रिप्रोग्राफिक्स प्रा. लिमिटेड
एस. आई. सी.
सिलवेनिया एंड लक्ष्मण लिमिटेड
स्पेसर्ज
सोडी फ्लोर मिल्स
श्रीजनस पेपरस मिल्स लिमिटेड
श्रीराम इंस्टीट्यूट
टी. एस. मार्किटिंग इंडिया
टैकनो मार्क कन्सल्टेंसिज
थॉमस टैक्नोलोजी लिमिटेड
द वैक्सपोल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
त्रिलोकचंद एंड संस
टाटा आयॅल मिल्स कम्पनी लिमिटेड
ट्रेड लिंक्स लिमिटेड
दिल्ली कनोडिया आयॅल मिल्स लिमिटेड
द दीपक ऑयल मिल्स
तरूण उद्योग
ट्रेडर्स
ट्रेनिंग इंजीनियरिंग सैंटर
ट्राई–ट्रोनिक्स दिल्ली
तिरूपति फूड प्रोडेक्टस
टी. एल. सिस्टमस प्रा. लिमिटेड
थापर एग्रो मिल्स लिमिटेड
ऊषा फल्टीलाइजर कम्पनी लिमिटेड
यूनाईटेड एंटरप्राइजेज
उत्तम स्टोरर्स
यूनीक एंटरप्राईजेज
उमेश ट्रेडर्स
यू.पी. पशधन उद्योग लिमिटेड
यू. के. ट्रेड लिंक्स
ऊषा पेपर कम्पनी
यूनाईटेड सप्लायर्स
यूनीक एजेंसीज
बधवा एजेंसीज
वर्धमान कैमिकल्स लिमिटेड
वंशज टैक्स
विक्रम स्टैनलैस स्टील
विमल एंड कम्पनी
विनी मार्किटिंग कम्पनी
विक्रांतइलैक्ट्रानिक्स
विक्टोरिया फूड (प्रा.) लिमिटेड
वैल ब्राइनस कैमिकल्स (प्रा.) लिमिटेड
डब्ल्यू. ए. किचन केयर प्रोड्यूसर्स
विश्वकर्मा टेक्निकल इन्डस्ट्री
योगेश एजेंसीज
यम्मी फूड

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

33. श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात में सरकारी क्षेत्र के वर्तमान उपक्रमों के विस्तार सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

उद्योग मन्त्रालय औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). गुजरात राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अनुमोदित नई परियोजनाओं/योजनाओं के ब्यौरे के साथ उनकी अनुमानित लागत और 8वीं योजना हेतु अनुमोदित परिव्यय इस प्रकार है :

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं. परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत	8वीं योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय
गुजरात		
1. अहमदाबाद का स्टॉकयार्ड डेवलपमेंट (एस.ए.आई.एल.)	30.00	5.00
2. बूटाडाइन विस्तार संयंत्र (आईपीसीएल)	46.00	50.00
3. पोली बूटाडाइन रबड़ (आईपीसीएल)	445.00	110.00
4. गैस क्रैकर (गंधार) (आईपीसीएल)	3485.00	1060.00
5. इंजीनियरिंग प्लास्टिक (जेवीसी) (आईपीसीएल) (गुड़गावं, हरियाण में भी)	155.00	20.00
6. अतिरिक्त 3 पोल लाइन (पैट्रोफिल्स)	41.55	18.00
7. अतिरिक्त बैंजीन (आईओसी)	935.00	100.00
8. पोली प्रोपाइलीन संयंत्र	194.00	90 00

हिंडन हवाई अड्डे के पास विमान दुर्घटनाएं

34. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :
डा0 लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत छः महीनों के दौरान हिंडन हवाई अड्डे के पास पक्षियों से टकराने के कारण हुई विमान दुर्घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके परिणामस्वरूप कितने जान-माल की क्षति हुई; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 5 अक्तूबर, 1994 को एक मिग-27 वायुयान दुर्घटनाग्रस्त होकर नष्ट हो गया । इसके कारण 8,960/- रूपए की सिविल सम्पत्ति की हानि हुई । जन हानि कोई नहीं हुई।

(ग) इस मामले को हिण्डन वायुक्षेत्र सहित चुने हुए उच्च प्राथमिकता वाले वायु क्षेत्रों की सफाई के लिए शहरी विकास तथा कृषि मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है, ताकि पक्षियों की गतिविधि को कम किया जा सके।

[हिन्दी]

भारतीय उर्वरक निगम की कोरबा इकाई

35. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम को कोरबा स्थित इकाई को बंद करने के आदेश जारी किए है;

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पनी बंद की जा चुकी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुमर्डो फलेरो) : (क) से (घ). सरकार ने कोरबा (मध्य प्रदेश) में स्थापित की जाने वाली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ सी आई) की कोयले पर आधारित उर्वरक परियोजना को रामागुण्डम और तालचर स्थित एफ सी आई के अन्य दो कोयले पर आधरित संयंत्रों के कम निष्पादन की दृष्टि से फरवरी 1990 में बन्द कर दिया था। तथापि, कम्पनी अर्थात एफ सी आई को बन्द नहीं किया गया है ।

बड़ी और मझोली कंपनियां

36. डा. महादीपक सिंह शाक्य :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़ी और मझोली कंपनियों को उन वस्तुओं के उत्पादन करने की अनुमति देने का है जिनका उत्पादन अभी देश में लघु उद्योगों द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अब उन कंपनियों को उक्त माल के उत्पादन की अनुमति दे दी है जो अपने कुल उत्पादन का 60 प्रतिशत निर्यात करती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन कंपनियों के कार्यकरण की निगरानी करने की कोइ व्यवस्था की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ कंपनियों को निर्धारित शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). जी, नहीं, वर्तमान नीति के अनुसार, किसी भी मंझौले/बड़े उपक्रम को 75 प्रतिशत निर्यात दायित्व (3 करोड़ रू. की निवेश सीमा वाले निर्यातोन्मुख सिले-सिलाए वस्त्र एककों के संबंध में यह 50% है) के अलावा आरक्षित मदों का विनिर्माण करने की अनुमति नहीं दी गई है।

(ग) और (घ). गैर -लघु क्षेत्र एककों को निर्यात दायित्व के संबंध में विदेशी व्यापार महानिदेशालय (डी जी एफ टी) के साथ एक वचनबद्धता देनी होगी। डी जी एफ टी द्वारा निर्यात दायित्वों की जॉच केन्द्रीय रूप से नहीं की जाती है।

(ङ) और (च). उद्योग (विकास तथा विनियम), अधिनिमय, 1951 की धारा 24 के तहत आरक्षण नीति के अधीन उपबंध का उल्लंघन दंडनीय है। आरक्षण के उपबंध का किसी भी प्रकार से उल्लंघन होने की स्थिति में, डी जी एफ टी सहित संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग उल्लंघन करने वाली कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। इसके अलावा उल्लंघन करने वाली कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। इसके अलावा उल्लंघन संबंधी मामलों की जॉच, उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम के अधीन गठित आरक्षण संबंधी परामर्शदायी समिति द्वारा भी की जाती है।

[अनुवाद]

उपग्रह प्रौद्योगिकी

37. प्रो. के. वी. थामस :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश ने राकेट तथा उपग्रह प्रौद्योगिकी में कितनी प्रगति की है; और

(ख) क्रायोजीनिक इंजनों के विकास में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क)

(1) **राकेट प्रौद्योगिकी में की गई प्रगति** : भारतीय सुदूर संवेदन (आई.आर.एस.-पी.2) उपग्रह को वांछित कक्षा में स्थापित करते हुए ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट-डी. 2 (पी.एस.एन.वी. डी-2) के सफल प्रमोचन से भारत ने अपनी भूमि से हमारे अपने प्रमोचक राकेटों को उपयोग करते हुए प्रचालनात्मक श्रेणी के उपग्रहों के प्रमोचन के क्षेत्र में अपनी क्षमता सिद्ध कर दी है। पी. एस. एल. वी. डी-2 ने ठोस प्रौद्योगिकी, भू-भण्डारणीय द्रवप्रौद्योगिकी और नौवहन मार्गदर्शन तथा नियंत्रण जैसी अनेक अन्य प्रणालियों के प्रयोग में भारत की क्षमता सिद्ध कर दी है।

(2) **उपग्रह प्रौद्योगिकी में की गई प्रगति** : भारत ने सचार और सुदूर संवेदन उपग्रहों दोनों के क्षेत्र में प्रचालनात्मक क्षमताओं का विकास किया है, और इस प्रकार उपग्रहों और उनके उपयोगों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। स्वदेशी रूप में विकसित भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट), भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर. एस.) प्रणालियां प्रचालनात्मक राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ये दोनों उपग्रह तापीय, संरचना, नियंत्रण इंजीनियरी और इलेक्ट्रॉनिकी जैसे क्षेत्रों में विविध प्रकार की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(ख) सरकार ने अप्रैल 1994 में स्वदेशी क्रायो ऊपरी चरण (सी.यू.एस.) परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। स्वदेशी क्रायो चरण का विकास कार्य 1998 के अन्त तक पूरा करने की योजना है। फिर भी, लगभग एक वर्ष की अवधि में प्रारंभिक डिजाइन और संविरचन की योजना के पूरा होने के बाद ही इसका यथार्थ आकलन उपलब्ध होगा।

राज्यों को सहायता

38. श्री एम.वी.वी. एस. मूर्ति :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आधारभूत नीतिगत परिवर्तन करते हुए राज्यों के वित्तीय कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन विद्युत, सिंचाई और परिवहन संवर्गो में अर्जित किए गए राजस्व के आधार पर करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्तीय प्रबंध राज्यों को केन्द्रीय सहायता नियत करने का एक प्रमुख मानदण्ड है, और

(ग) यदि हां, तो राज्यों को केन्द्रीय सहायता निर्धारित करने में नई नीति किस सीमा तक सहायक होगी?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) योजना आयोग, राज्यों की योजनाओं हेतु उनके संसाधनों का मूल्यांकन करते समय, विद्युत सिंचाई तथा परिवहन क्षेत्रकों में विसर्जित राजस्वों को ध्यान में रखता है।

(ख) और (ग). राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता मुखर्जी फार्मूला के तहत राजकोषीय निष्पादन भी एक मानदण्ड है तथा इसे दो प्रतिशत का अधिभार दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अप्रयुक्त क्षमता

39. श्री पवन कुमार बंसल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में अप्रयुक्त क्षमता का कोई विश्लेषण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति को सुधारने हेतु कौन से कदम उठाए जाने का विचार है?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). जी हां। सरकार, सरकारी क्षेत्र के विविध उपक्रमों की क्षमता के उपयोग/अल्प उपयोग का प्रतिवर्ष विश्लेषण करती है तथा सम्बन्धित ब्यौरा संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले लोक उद्यम सर्वेक्षण में शामिल किया जाता है। वर्ष 1992–93 से सम्बन्धित जानकारी 23–2–1994 को संसद के दोनों, सदनों में प्रस्तुत उक्त सर्वेक्षण, 1992–93 के खण्ड–1 के अध्याय 9 में उपलब्ध है। क्षमता के उपयोग में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले उपायों का वर्णन भी उसी अध्याय में किया गया है।

इन्स्ट्रूमेंटेशन इंडिया लिमिटेड

41. श्री रमेश चेन्नित्तला :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इन्स्ट्रूमेंटेशन इंडिया लिमिटेड को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस उपक्रम का केरल स्थित एकक लाभ में चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उसे हुए लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस एकक को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा को, इसका निवल मूल्य ऋणात्मक हो जाने के कारण, रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) को संदर्भित कर दिया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) कम्पनी की पालघाट इकाई के कर पूर्व लाभ के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	लाख रूपये में
1991–92	387.61
1992–93	359.25
1993–94	475.24

(ङ) बी.आई.एफ.आर. ने इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड को रूग्ण कम्पनी घोषित किया है तथा इसके सुधार के उपाय निश्चित करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को इसकी प्रचालन एजेन्सी नियुक्त किया है।

[हिन्दी]

गुजराज में समुद्री/तटीय विकास

42. डॉ. अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में समुद्री/तटीय विकास के बारे में कोई योजना है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री। (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां, श्रीमान्। महासागर विकास विभाग 3 कार्यक्रम चला रहा है जिसमें गुजरात के तटीय क्षेत्र भी सम्मिलित हैं।

(ख) कार्यक्रमों का विवरण संलग्न है।

(ग) 50 लाख रूपए।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना में महासागर विकास विभाग, निम्नलिखित कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में गुजरात में सागर/तटीय विकास प्रारम्भ कर रहा है।

(1) तटीय/सागर प्रबोधन एवं भविष्य कथन प्रणाली (कोमैप्स) : समुद्र में 5 कि.मी. के आगे तक समुद्री प्रदूषर्ण के प्रबोधन के लिए 1990 में यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। गुजरात तट के साथ, निम्नलिखित स्थानों पर समुद्र में प्रदूषंर्ण का प्रबोधन किया जा रहा है, (क) कांडला (ख) नवलक्खी (ग) सलाया (घ) ओखां (ड़) द्वारका (च) पोरबंदर (छ) वेरावल (ज) हज़ीरा (ट) दमन

(2) समुद्री उपग्रह सूचना सेवा (मॉरसिस) : प्रचालनात्मक आधार पर उपग्रह से प्राप्त समुद्र आंकड़ा उत्पादों को उत्पन्न करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरूआत 1990 में हुई। संभाव्य मत्स्य क्षेत्र मार्गनिर्देश एक ऐसा ही आकड़ा उत्पाद है जिसे मछुआरों में व्यापक स्वीकार्यता मिली है। संभाव्य मत्स्य क्षेत्र मार्गदर्शी से गुजरात के 6 बड़े मत्स्य स्थलन केन्द्रों नामत : जखाऊ, ओखा, द्वारका, पोरबंदर, वेरावल एवं जफराबाद को, सप्ताह में दो बार सम्भाव्य मत्स्य क्षेत्र मार्गनिर्देश दिए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त कच्छ की खाड़ी के प्रवाल भित्ति मानचित्र पूरे कर लिए गये हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार किये गये अन्य कार्यकलापों में तटीय आर्द्रभूमि/भूमि फार्म मानचित्र एवं सम्पूर्ण गुजरात तट को समाहित करते हुए तट–रेखा परिवर्तन मानचित्र (1:50,000 के पैमाने पर) तैयार करना सम्मिलित है।

(3) समुद्र स्तर प्रबोधन एवं प्रतिरूपण : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आधुनिक ज्वार प्रमापियों का उपयोग करते हुए विभिन्न तटों के साथ ज्वारों का सही मापांकन किया जाता है। गुजरात तट के साथ पोरबंदर को ज्वार प्रमापी स्टेशनो में से एक के रूप में चुना गया है।

मध्य प्रदेश और हिमालय क्षेत्र में भूकम्प सम्बन्धी चेतावनी

43. श्री आनन्द अहिरवार :
डॉ. परशुराम गंगवार :
श्री बारे लाल जाटव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई वैज्ञानिकों ने निकट भविष्य में मध्य प्रदेश और हिमालय क्षेत्र में भूकम्प आने की संभावना के बारे में चेतावनी दी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या एहतिहयाती कदम उठाए जा रहे हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) जी, हां। कुछ वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश में मध्यम दर्जे के भूकम्प तथा हिमालयी क्षेत्र में बड़े भूकम्प का पूर्वानुमान लगाया है।

20.12.1993 के "द स्टेट्समैन" में प्रकाशित एक समाचार में यह कहा गया है कि एक अग्रणी विशेषज्ञ ने मध्य प्रदेश के खण्डवा जिले में अगले तीन महीनों के भीतर एक बड़े भूकम्प की संभावना का पूर्वानुमान लगाया है। इसी प्रकार की रिपोर्ट 26.9.1994 को कुछ राष्ट्रीय समाचार पत्रों में तथा अक्तूबर, 1994 के "करन्ट साईस" जरनल में भी प्रकाशित हुई है।

इस प्रकार के पूर्वानुमानों का कोई ज्ञात वैज्ञानिक आधार नहीं हैं क्योंकि विश्व में कहीं भी कोई ऐसी तकनीक उपलब्ध नहीं है जिससे कि किसी वैज्ञानिक आधार पर खासी सटीकता के साथ भूकम्पों के समय, स्थान तथा परिमाण का पूर्वानुमान लगाया जा सके।

(ग) देश के विभिन्न भागों में भूकम्पीय मानीटरिंग की जा रही है। विश्व बैंक द्वारा सहायित एक स्कीम से विशेषकर प्रायद्वीपीय भारत में मानीटरिंग क्षमता और अधिक बढ़ जायेगी। भूकम्प अवरोधी भवनों के निर्माण में मदद पहुंचाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो अपने भूकम्प जोनिंग मैप तथा सम्बद्ध कोडों को अधुनातन बनाने में प्रयत्नशील है।

[अनुवाद]

मतदाता सूची

44. डॉ. साक्षी जी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य में मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इसे कब तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (घ). उत्तर प्रदेश में, अर्हता की तारीख के रूप में 1.1.1994 के प्रतिनिर्देश से निर्वाचक नामावलियों 9 अप्रैल 1994 को प्रकाशित की जा चुकी हैं। आयोग ने अर्हता की तारीख के रूप में 1.1.1995 के प्रतिनिर्देश से निर्वाचक नामावलियों के गहन पुनरीक्षण के लिए भी आदेश कर दिया है। आयोग द्वारा विहित कार्यक्रम के अनुसार, इन नामावलियों के 9 मार्च, 1995 को अंतिम रूप से प्रकाशित किए जाने की संभावना है।

गुजरात में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन

45. डॉ. खुशीराम डुंगरोमल जस्वाणी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस मिशन में किसी स्वयंसेवी संगठन को शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत ग्रामीण जल सप्लाई योजनायें/त्वरित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मिनी मिशन परियोजनाएं, उप मिशन, गिनीकृमि उन्मूलन योजना, फ्लोरोसिस पर नियंत्रण करने की योजना, खारापन दूर करने की योजना, अत्यधिक लौह दूर करने की योजना, जल संरक्षण आदि के तहत शुरू की जाती है। 1986–87 से 1993–94 तक कम से कम एक या एक से अधिक स्वच्छ पेयजल स्रोत प्राप्त गांवों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ). जी, हां।

त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता कापार्ट (लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद), जो इस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत शासी संस्था है, की मार्फत दी जाती है। 1986–87 से 1993–94 के दौरान कापार्ट को इसे प्रयोजन हेतु 45.80 करोड़ रुपए रिलीज किये गये हैं।

विवरण

1986-87 से 1993-94 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किये गांवों की संख्या

क्रमांक	राज्य/संघशासित क्षेत्र	कवर किये गये गांवों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	15834
2.	अरूणाचल प्रदेश	391
3.	असम	9565

1	2	3
4.	बिहार	9199
5.	गोवा	31
6.	गुजरात	4902
7.	हरियाणा	2314
8.	हिमाचल प्रदेश	3530
9.	जम्मू व कश्मीर	2897
10.	कर्नाटक	5410
11.	केरल	88
12.	मध्य प्रदेश	14714
13.	महाराष्ट्र	5152
14.	मणिपुर	862
15.	मेघालय	3584
16.	मिजोरम	595
17.	नागालैंड	623
18.	उड़ीसा	14443
19.	पंजाब	2254
20.	राजस्थान	7297
21.	सिक्किम	121
22.	तमिलनाडु	4882
23.	त्रिपुरा	2890
24.	उत्तर प्रदेश	43906
25.	पश्चिम बंगाल	5930
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	40
27.	दमन व द्वीप	7
28.	लक्षद्वीप	11
29.	पांडिचेरी	53
		1,61,444

[हिन्दी]

फार्मास्यूटिकल उद्योग

46. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्मास्यूटिकल उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली हटा ली गई है और इसमें 51 प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति भी दी गई है,

(ख) यदि हां, तो इससे सरकार को कितनी राजस्व राशि का नुकसान होगा, और

(ग) इसकी भरपाई कैसे किए जाने का विचार है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलेरो) : (क) से (ख). सरकारी क्षेत्र में निर्माण के लिए आरक्षित 5 प्रपुंज औषधों तथा पुनः सम्मिश्रण डी एन ए प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा उत्पादित प्रपुंज औषधों तथा जिनके लिए सक्रिय सिद्धांतों के रूप में न्यूक्लिक एसिड के इन-विवो प्रयोग की आवश्यकता होती है, को छोड़कर सभी प्रपुंज औषधों, उनके मध्यवर्तियों और उनके सूत्रयोगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है। 15 सितम्बर, 1994 को घोषित औषध नीति, 1986 में संशोधनों के अनुसार सभी प्रपुंज औषधों, उनके मध्यवर्तीयों, उनके सूत्रयोगों के मामले में (पुनः सम्मिश्रण डी एन ए प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा उत्पादित को छोड़कर) 51 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति भी दी गई है। इन संशोधनों में किसी प्रकार का राजस्व शामिल नहीं है।

सार्वजनिक उपक्रम

47. श्री नीतिश कुमार :

श्री जगमीत सिंह बरार :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1994 के अन्त तक सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या कितनी थी;

(ख) इन उद्यमों में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया;

(ग) क्या इस पूंजी में विदेशो से ऋण के रूप में ली गई पूंजी भी सम्मिलित है;

(घ) यदि हां, तो विदेशी ऋण से प्राप्त पूंजी कितनी है;

(ङ) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान इन उपक्रमों को कितना वार्षिक वित्तीय घाटा हुआ और इन वर्षों के अन्त में प्रत्येक वर्ष इन उद्यमों में कितनी पूंजी लगी हुई थी; और

(च) सरकार ने इन उद्योगों द्वारा उठाए जा रहे घाटे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए है?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). केवल 31-3-1993 की अवधि तक की जानकारी उपलब्ध है। इसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 245 उद्यम थे जिन में से 237 उद्यम प्रचालन कर रहे थे। सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों में सामान्य शेयर और ऋणों के रूप में किये गये पूंजी निवेश का ब्यौरा 23. 2. 1994 को संसद मे प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण 1992-93 के खण्ड। विवरण पृष्ठ 86 से विवरण पृष्ठ 94 पर विवरण संख्या 16 में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विदेशी पार्टियों से लिये गये ऋण का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1992-93 के खण्ड-I में विवरण पृष्ठ 103 से विवरण पृष्ठ 111 पर विवरण संख्या 18 मे दिया गया है।

(ङ) वर्ष 1992–93 की अवधि तक की जानकारी उपलब्ध है जिसके अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान उद्यम–वार उठाई गई निबल हानि का ब्यौरा खण्ड 1 में पृष्ठ संख्या विवरण 47 से विवरण 50 पर दिया गया है जबकि विगत तीन वर्षों के दौरान लगी पूंजी का उद्यम–वार ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1992–93 के खण्ड–3 के प्रबन्ध अनुपात अनुभाग के अन्तर्गत दिया गया है।

(च) कार्य–निष्पादन में सुधार करने और उसके बाद हानि पर अंकुश लगाने हेतु उद्यम विशेष की आवश्यकता अनुसार उपाय किए जाते हैं। बहरहाल, इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों का ब्यौरा लोक उद्यम संरक्षण 1992–93 के खण्ड–I में पृष्ठ संख्या 150 पर दिया गया है।

[अनुवाद]

सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया में हानि

48. श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया में पिछले तीन वर्षों से भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो घाटे का इकाई–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार घाटे में चल रही इकाइयों को बंद करने का है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन इकाइयों में से कुछ इकाइयों के आधुनिकीकरण की योजना है;

(च) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु 1993–94 में कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(छ) घाटे को रोकने हेतु क्या उपाय करने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) वर्ष 1991–92 में 2.10 करोड़ रूपये के निवल लाभ की तुलना में, कारपोरेशन को वर्ष 1992–93 व 1993–94 (अनंतिम) में क्रमशः 52.08 करोड़ रूपये व 147.13 करोड़ रूपये का घाटा हुआ।

(ख) पिछले 3 वर्षों अर्थात् 1991–92 से 1993–94 (अनंतिम) में सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के विभिन्न एककों को हुए निवल लाभ/(हानि) के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ). सरकार ने ऐसे कोई निर्णय नहीं लिए हैं।

(च) निम्नलिखित स्कीमों के लिए वर्ष 1993–94 की वार्षिक योजना में 20 करोड़ रूपये आबंटित किए गए थे :

1. प्रौद्योगिकीय उन्नयन, आधुनिकीकरण तथा ऊर्जा बचत स्कीमें।
2. प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरणीय अध्ययन।
3. केपटिव विद्युत सुविधाएं।
4. अकलतरा में प्रीकैल्सीनेटर।
5. अनुसंधान और विकास।

(छ) सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए किए गए उपाय हैं–एककों का निवारक व नियोजित अनुरक्षण, मानीटरिंग व नियंत्रण की उन्नत प्रणालियां, सम्प्रेषण की उन्नत प्रणालियां और विपणन की बेहतर कार्यनीतियां।

विवरण

पिछले 3 वर्षों, अर्थात् 1991-92 से 1993-94 (अनंतिम) में सीमेन्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विभिन्न एककों को हुए निवल लाभ/(हानि) के ब्यौरे।

(लाख रूपए में)

एकक का नाम	1991–92	1992–93	1993–94 (अनंतिम)
मांढर	295	(669)	(1495)
कुर्कुटा	(157)	(185)	(511)
बोकाजन	470	551	502
राजबन	1099	745	359
नयागांव	452	(325)	(1162)
अकलतरा	249	(1097)	(2382)
येरागुंटला	143	(7)	(497)
चरखी–दादरी	(335)	(418)	(907)
आदिलाबाद	519	142	(848)
तांदूर	(548)	(1566)	(2936)
नयागांव विस्तार/ दिल्ली ग्राइंडिंग इकाई	(2088)	(2395)	(4804)
अन्य गतिविधियां	111	15	(30)
योग	210	(5208	(14713)

[हिन्दी]

रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

49. श्री भेरूलाल मीणा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय मिशन के तौर पर रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक योजना को हाल ही में स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सभी सम्बद्ध एजेंसियों से प्राप्त सामग्री के आधार पर रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए एक 10 वर्षीय योजना तैयार की गई थी इस योजना का लक्ष्य चुनिंदा रक्षा

प्रणालियों का दर्जा बढ़ाना, हिस्से–पुर्जों का देशीकरण किया जाना तथा देश में ही विकसित प्रणालियों को सेवा में उत्तरोत्तर शामिल किया जाना था। सरकार ने इस योजना को राष्ट्रीय मिशन के रूप में कार्यान्वित किए जाने के लिए अगस्त, 1994 में मंजूरी दे दी है।

(ख) और (ग). सरकारी मंजूरी के बाद कोई विशिष्ट सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

50. श्री छेदी पासवान :

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्य बहुत धीमा चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान ग्रामीण स्वच्छता के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटन राशि बढ़ाने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस वर्ष कुल कितनी अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जानी है;

(च) इस वर्ष इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितने ग्रामीण लोगों को इससे–लाभ मिलने की आशा है;

(छ) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत आदर्श गांव बनाने के उपाय किए है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख). केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम सुव्यवस्थित रूप में 1986 में ही शुरू किया गया था। समुदाय की कम भागीदारी, प्रयोक्ताओं के शामिल न होने, पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव और प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी के कारण केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता की कुल कवरेज निम्न प्रकार है :

यूनिट

1985	1990	1993	1994 (लक्षित माह का प्रतिशत)
0.7	2.4	3.15	3.69 (1981 की जनगणना पर आधारित)
			3.08 (1991 की जनगणना पर आधारित)

(ग) 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित राशि क्रमशः 37.59 करोड़ रूपए, 20 करोड़ रूपए, 30 करोड़ रूपए थे।

(घ) और (ङ). सरकार ने 1994–95 के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के लिए आबंटन को बढ़ाकर पहले ही 60 करोड़ रूपए कर दिया है।

(च) इस वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 29.82 लाख लोगों को लाभ पहुंचने की सम्भावना है।

(छ) और (ज). शहरी एवं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति ने कुछ गांवों को माडल गांवों के रूप में विकसित करने की सिफारिश की है। राज्य सरकारों को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण हस्तशिल्पियों को प्राथमिकता

51. श्री साईमन मरांडी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग का विचार ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में आयोग के नए एकक खोल कर देश के प्रमुख और कुशल हस्तशिल्पियों को प्राथमिकता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1993–94 के दौरान आज की तिथि तक कितने कामगारों/युवाओं को रोजगार दिया गया; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन कामगारों की सेवाएं नियमित करने का है जिन्होंने आयोग में लगातार 60 दिनों से अधिक अवधि तक काम कर लिया है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने 8वीं योजना अवधि के अंत तक 20 लाख और लोगों को रोजगार दिलाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। यह कार्य नये तथा परम्परागत कारीगरों को खादी तथा ग्रामोद्योग के अधीन लाकर किये जाने का विचार है।

(ग) वर्ष 1992–93 में 52.50 लाख व्यक्तियों की तुलना में वर्ष 1993–94 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में लगभग 53.26 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

इंदिरा आवास योजना

52. डा. कृपासिंधु भाई :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं योजना के अन्तर्गत राज्यवार इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत कितने मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है; और

(ख) इस संबंध में अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है और इस पर कितना व्यय हुआ है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख). इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लक्ष्य वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। 1992–93 से 1994–95 के वर्षों में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य, लक्ष्यों की उपलब्धि और किया गया खर्च संलग्न विवरण में किया गया है।

विवरण

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लक्ष्य, उपलब्धि और खर्च

क्रमाक राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992–93			1993–94			1994–95			सूचना की अवधि
	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या)	खर्च (लाख रूपये)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या)	खर्च (लाख रूपये)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या)	खर्च (लाख रूपये)	
1. आंध्र प्रदेश	7719	10961	1264.00	49034	44897	5956.77	19357	25392	2687.27	सितम्बर, 94
2. अरूणाचल प्रदेश	282	219	37.13	222	120	26.88	204	62	9.46	सितम्बर, 94
3. असम	1091	1037	130.76	6209	4304	573.02	5987	3022	453.14	सितम्बर, 94
4. बिहार	14509	28189	3271.50	37396	88960	13664.86	74182	31127	3033.10	सितम्बर, 94
5. गोवा	54	55	3.65	276	84	5.78	249	52	3.61	सितम्बर, 94
6. गुजरात	4546	4889	638.91	6568	6692	902.00	6834	3355	467.91	अक्टूबर, 94
7. हरियाणा	917	1002	120.58	1849	1552	217.50	1707	684	107.99	10/94
8. हिमाचल प्रदेश	343	351	52.03	803	629	84.37	701	264	61.13	10/94
9 जम्मू व कश्मीर	200	425	38.03	1084	390	45.02	1424	488	89.63	10/94
10. कर्नाटक	5309	7197	803.70	14197	8820	1270.11	12997	6977	1012.19	10/94
11. केरल	1690	4100	527.98	13245	4827	685.99	12570	1311	292.85	10/94
12. मध्य प्रदेश	17215	47156	2631.94	28399	49109	2931.17	24528	34197	1123.63	10/94
13. महाराष्ट्र	6974	8772	1180.91	6974	12270	3189.84	19827	6300	828.50	10/94
14. मणीपुर	58	213	22.15	290	94	16.43	268	140	14.80	9/94
15. मेघालय	439	432	61.31	353	318	44.20	306	127	18.10	9/94
16. मिजोरम	220	224	32.11	195	240	33.21	129	178	16.55	9/94
17 नागालैंड	383	1603	232.44	438	1536	222.72	322	0	0.00	9/94
18. उड़ीसा	8895	11305	1402.39	11649	10591	1133.93	15214	4911	628.12	10/94
19. पंजाब	1255	3359	790.92	5953	2739	704.33	4855	370	62.21	8/94
20. राजस्थान	7166	10541	1123.73	11399	19953	2287.96	9873	12725	1416.75	10/94
21. सिक्किम	31	140	20.73	142	142	20.37	119	37	5.77	10/94
22. तमिलनाडु	7044	14409	4910.54	19930	33759	4526.95	17499	5894	2427.51	9/94
23. त्रिपुरा	279	343	33.00	431	636	108.42	340	0	0.85	8/94
24. उत्तर प्रदेश	18449	22218	2933.01	44135	47722	5585.69	45704	13793	1601.19	10/94
25. पश्चिम बंगाल	11309	13300	1395.42	19860	13327	1843.68	17347	4470	759.03	10/94
26. अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	16	20	4.96	120	21	16.57	109	0	1.03	10/94
27. दादर व नगरे हवेली	60	52	7.01	71	60	2.09	59	10	1.37	8/94
28. दमन व दीव	8	21	1.31	38	13	1.64	35	0	1.19	8/94
29. लक्षद्वीप	16	0	0.00	11	0	0.00	11	0	0.00	
30. पांडेचरी	47	47	6.16	79	19	6.65	107	0	2.14	10/94

उच्चतम न्यायालय में मामले

53. कुमारी फ्रिडा तोपनो :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 1 जून, 1994 को उच्चतम न्यायालय में कितने मामले मंजूर किए जाने हेतु लंबित थे;

(ख) क्या इस स्थिति के समाधान हेतु भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा सरकार को कोई रिपोर्ट भेजी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशे क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को मान लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (ङ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली के वकीलों द्वारा हड़ताल

54. श्री राम विलास पासवान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1993 और 1994 के दौरान दिल्ली के वकीलों ने कितनी बार हड़ताल की और ऐसी हड़ताल प्रत्येक बार कितने दिनों तक चली; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) दिसंबर, 1993 में हुई मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों की बैठक में, उनके द्वारा अंगीकृत किए गए संकल्प में, वकीलों की हड़ताल से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए और न्यायालयों के अविवेकपूर्ण बंद होने को रोकने के लिए समुचित मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने के लिए समुचित स्तरों पर वकीलों और न्यायाधीशों की एक समिति का गठन किए जाने की सिफारिश की गई थी। इस संकल्प की प्रतिपां उच्चतम न्यायालय, सभी उच्च न्यायालयों और भारतीय विधिज परिषद को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं।

विवरण

वर्ष 1993 के दौरान और 1 दिसंबर, 1994 तक विभिन्न न्यायालयों के समक्ष दिल्ली के वकीलों द्वारा की गई हड़ताल के ब्यौरे

I. दिल्ली उच्च न्यायालय में वकीलों की हड़ताल

1993 मास	हड़ताल की अवधि तारीखें	प्रत्येक अवसर पर दिनों की संख्या जब वकील हड़ताल पर रहे
1	2	3
मार्च, 1993	3-3-1993	1 दिन
अप्रैल, 1993-	28-4-1993	1 दिन
1994 मास		
जनवरी, 1994	14-1-1994	1 दिन
जुलाई, 1994	22-7-1994	1 दिन
सितम्बर, 1994	22-7-1994	1 दिन
अक्तूबर, 1994	3-10-1994 और 4-10-1994	2 दिन

II. दिल्ली के अधीनस्थ न्यायालयों में वकीलों की हड़ताल

(क) तीस हज़ारी न्यायालय, दिल्ली

1993 मास	हड़ताल की अवधि तारीखें	प्रत्येक अवसर पर दिनों की संख्या जब वकील हड़ताल पर रहे
1	2	3
फरवरी, 93	22-2-93	1 दिन
	23-2-93	1 दिन
	27-2-93 से 5-3-93	6 दिन
मार्च, 93	19-3-93	1 दिन
अप्रैल, 93	2-4-93	1 दिन
	29-4-93 से 30-7-93 तक	53 दिन (31-5-93 से 26-6-93) तक ग्रीष्म अवकाश के लिए बंद रहा
सितंबर, 93	9-9-93	1 दिन
	15-9-93	1/2 दिन
अक्तूबर, 93	15-10-93	1 दिन
	25-10-93	1 दिन
नवम्बर, 93	2-11-93	1 दिन
	9-11-93	1 दिन
	12-11-93	1 दिन
	19-11-93	1 दिन
दिसम्बर, 93	3-12-93	1 दिन
1994 मास		
जनवरी, 94	14-1-94	1 दिन
फरवरी, 94	18-2-94 और 21-2-94 से 24-2-94 तक	5 दिन
मार्च, 94	1-3-94 से 2-3-94 तक	2 दिन
जुलाई, 1994	4-7-94	1 दिन
	20-7-94	1 दिन
अगस्त, 94	4-8-94	1 दिन
	24-8-94	1 दिन
	25-8-94 और 26-8-94	2 दिन

1	2	3
सितंबर, 94	1–9–94 और 2–9–94	2 दिन
	14–9–94 और 15–9–94	2 दिन
	23–9–94	1 दिन
	29–9–94	1 दिन
अक्तूबर, 94	3–10–94 से 7–10–94 तक	5 दिन
नवम्बर, 94	24–11–94	1 दिन
(ख) नई दिल्ली न्यायालय (पटियाला हाउस न्यायालय) दिल्ली		
1993 मास		
जनवरी, 93	22–1–93	1 दिन
	30–1–93	1 दिन
फरवरी, 93	24–2–93	1 दिन
	26–2–93	1 दिन
मार्च, 93	1–3–93 से 6–3–93 तक	6 दिन
	19–3–93	1 दिन
अप्रैल, 93	21–4–93	1 दिन
	22–4–93 और	2 दिन
	23–4–93	
	28–4–93	1 दिन
मई, 93	10–5–93 से	4 दिन
	13–5–93 तक	
जुलाई, 93	29–7–93 से	3 दिन
	31–7–93 तक	
अगस्त, 93	–	–
सितम्बर, 93	–	–
अक्तूबर, 93	4–10–93	1 दिन
नवम्बर, 93	2,3,9,10,12 से	9 दिन
	15 तक, 19 और 20	
दिसम्बर, 93	3 दिसम्बर से पूरे मास तक,	17 दिन
1994 मास		
जनवरी, 94	पूरे मास	22 दिन
फरवरी, 94	पूरे मास	21 दिन
	25–2–94 तक	
मार्च, 94	1–3–94 से	3 दिन
	3–3–94 तक	
अप्रैल, 94	8–4–94	1 दिन
जुलाई, 94	20–7–94	1 दिन
	28–7–94	1 दिन
अगस्त, 94	4–8–94	1 दिन
	25–8–94	1 दिन
सितम्बर, 94	29–9–94	1 दिन
नवम्बर, 94	14–11–94	1 दिन
	24–11–94	1 दिन

1	2	3
(ग) ककककडुमा न्यायालय, शाहदरा		
1993 मास		
फरवरी, 93	23 से 27 तक	5 दिन
माघ, 93	1 से 10 तक	8 दिन
	19–3–93	1 दिन
	23 मार्च, 93	1 दिन
अप्रैल, 93	2 अप्रैल, 93	1 दिन
	19 अप्रैल, 93	1 दिन
	20 अप्रैल, 93	1 दिन
	30 अप्रैल, 93	1 दिन
मई, 93	21 मई, 93	1 दिन
जून, 93	7–6–93	1 दिन
जुलाई, 93	26 से 31 जुलाई तक	6 दिन
अगस्त, 93	1 से 5 तक	3 दिन
सितम्बर, 93	10–9–93	1 दिन
अक्टूबर, 93	15–10–93	1 दिन
नवम्बर, 93	3–11–93 से 5–11–93 तक	3 दिन
	10 से 12 तक	3 दिन
	19–11–93	1 दिन
1994 मास		
फरवरी, 94	3–2–94 से 5–2–94 तक	3 दिन
	8–2–94	1 दिन
	25–2–94 से 28–2–94 तक	3 दिन
मार्च, 94	पूरे मास	21 दिन
	27–3–94 तक	
अप्रैल, 94	– –	
मई, 94	3–5–94 से 9–5–94 तक	6 दिन
	12–5–94 से 13–5–94 तक	2 दिन
जून, 94	8–6–94 से 10–6–94 तक	3 दिन
जुलाई, 94	4–7–94	1 दिन
	20–7–94	1 दिन
अगस्त, 94	4–8–94	1 दिन
	8–8–94 से 9–8–94	2 दिन
	19–8–94	1 दिन
	24–8–94 से 25–8–94	2 दिन
	30–8–94	1 दिन
सितम्बर, 94	15–9–94	1 दिन
	20–9–94	1 दिन
अक्टूबर, 94	21–9–94 से	
	6–10–94 तक	13 दिन
	7–10–94	1 दिन

गुजरात में रूग्ण एकक

55. श्री हरिलाल ननजी पटेल

*क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या गुजरात में बहुत सी औद्योगिकी इकाईयां रूग्ण हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन एककों में क्षेत्रवार कुल कितनी धनराशि फसी हुई है;

(घ) इन एककों की रूग्णता के कारण कुल कितनी श्रम शक्ति प्रभावित हुई है;

(ङ) अब तक कितने एककों को अर्थक्षम बनाया गया है; और

(च) शेष एककों को अर्थक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). देश में बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रूग्ण औद्योगिक एककों के आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एकत्र किये जाते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गुजरात में लघु तथा गैर–लघु क्षेत्रों के रूग्ण औद्योगिक एककों और सितंबर, 1992 के अंत तक उनके पास बकाया बैंक ऋण के विवरण इस प्रकार हैं :

	रूग्ण एककों की संख्या	**बकाया राशि (करोड़ रूपयों में)**
गैर–लघु उद्योग क्षेत्र	159	618.20
लघु उद्योग क्षेत्र	6391	228.16

(घ) औद्योगिक इकाइयों की रूग्णता के कारण प्रभावित हुए श्रमिकों की संख्या संबंधी आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) सितंबर, 1992 को अंत तक की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गुजरात में सितंबर, 1992 को समाप्त वर्ष की छमाही में 2 गैर–लघु उद्योग क्षेत्र के रूग्ण एककों को स्वस्थ बनाया गया है। इसके अलावा, गुजरात में, 233 रूग्ण लघु औद्योगिक एककों को उपचार कार्यक्रम के तहत रखा गया है।

(च) सरकार ने रूग्ण औद्योगिक एककों के पुनरूज्जीवन के लिए पहले ही उपाय किये हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपाय संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

रूग्ण औद्योगिक एककों को फिर से चालू करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय।

सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात् रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर)" नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गयी है, जिसका उद्देश्य रूग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है जिसने 15 मई 1987 में कार्य करना शुरू कर दिया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रूग्णता को रोकने हेतु बैंकों की दिशा–निर्देश जारी किये हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्यक्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनः स्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निर्देश दिये गये हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रूग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज बनाते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैकों को अलग से दिशा–निर्देश जारी किये हैं जिसमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्यक्षम रूग्ण इकाइयों की पुनःस्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

रूग्ण एककों का स्वस्थ एककों के साथ समामेलन/विलयन करके भी रूग्ण औद्योगिक इकाइयों की पुनर्स्थापना की जाती है। स्वस्थ एककों को समामेलित रूग्ण एककों की पुनर्स्थापना के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 (क) के तहत कर लाभ दिये जाते हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की है जो अन्य बातों के साथ–साथ औद्योगिक पुनर्गठन से प्रभावित श्रमिकों की प्रतिपूर्ति की भुगतान करता है।

भारत सरकार की सलाह पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने जीव्यक्षम रूग्ण लघु इकाइयों को फिर से खोलने के लिए पुर्नस्थापना पैकेज तैयार करने के लिए सभी राज्यों में संबंधित राज्यो सरकार के उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अंतर–संस्थागत समितियां (एस. एल. आई. आई. सी.) स्थापित की है।

अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से संभावित जीव्यक्षम रूग्ण लघु औद्योगिक एककों को जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रूपये से अधिक नहीं है, को 1 प्रतिशत वार्षिक सामान्य सेवा प्रभार पर 1,50,000 रूपये तक दीर्घावधि इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है।

अत्यंत छोटे और लघु उद्योगों के लिये एक शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए एक भारतीय लघु विकास बैंक की स्थापना की गई है।

जीव्यक्षम रूग्ण लघु एककों के पुनरूज्जीवन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा एक पृथक पुनर्स्थापना हेतु पुनर्वित्तीयन योजना चलाई जा रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यकुशलता

56. श्री हाराधन राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यकुशलता बढ़ाने तथा एक शीर्षस्थ संस्था अथवा नोडल एजेंसी का गठन करने हेतु छः वर्षीय "गेम प्लान" तैयार की गई है और इस "गेम प्लान" के कार्यान्वयन के लिए गठित की गई उक्त संस्था ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस शीर्षस्थ संस्था अथवा नोडल एजेंसी का अब तक का कार्यनिष्पादन क्या रहा है?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यक्षमता में सुधार करने से सम्बन्धित योजनाएं जुलाई, 1991 की नई औद्योगिक नीति में शामिल की गई है जिन्हें कार्यान्वित करना एक सतत प्रक्रिया है। इस उद्देश्य के लिए कोई अन्य गेम प्लान नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

संस्थाओं के लिए स्थल

57. श्रीमती गिरीजा देवी :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.डी.ए कालोनियों में स्कूलों, पार्कों, पुलिस स्टेशनों, आदि के लिए नियत अधिकांश स्थलों का विकास नहीं हुआ है अथवा उपयोग हेतु उन्हें संबंधित प्राधिकार को सौंपा जाना है,

(ख) यदि हां, तो इन स्थलों का उक्त प्राधिकरणों को सौंपने में विलम्ब करने के क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). अधिकांश मामलों में, स्थलों का कब्जा देने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। तथापि, कुछ विवादग्रस्त व न्यायालय में दायर किये गये मामलों में प्लाटों का कब्जा नहीं दिया जा सका है।

भारतीय वायु क्षेत्र में पाकिस्तानी हेलीकाप्टर का प्रवेश

58. श्री महेश कनोडिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 24 अक्तूबर, 1994 को भारतीय वायु क्षेत्र में एक पाकिस्तानी हेलीकाप्टर घुस आया था;

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर पाकिस्तान सरकार से चर्चा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर उस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां। दिनांक 24-10-94 को एक पाकिस्तानी हेलीकाप्टर ने जम्मू और कश्मीर क्षेत्र की भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण किया और भारतीय वायु सीमा पर लगभग एक मिनट तक उड़ता रहा।

(ख) और (ग). यह मामला पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

केन्द्रीय भण्डारों में दर्ज शिकायतें

59. श्री अमर रायप्रधान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1993 के द्वौरान केन्द्रीय भंडार की शाखाओं में उपलब्ध शिकायत पुस्तिकाओं में क्षेत्रबार केन्द्रीय भंडार के उपभोक्ताओं ने कितनी शिकायतें दर्ज की;

(ख) क्या प्रबंध उपभोक्ताओं द्वारा उठाये गये मुद्दों की समुचित जांच नहीं कर रहा है,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या शिकायतकर्त्ताओं को उनकी शिकायतों का जवाब दिया गया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) संलग्न विवरण में दर्शाये गये स्टोर वार ब्यौरों के अनुसार वर्ष 1993 के दौरान केन्द्रीय भण्डार की शाखाओं में उपलब्ध शिकायत पुस्तिकाओं में उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज शिकायतों/दिये गये सुझावों की संख्या 38 है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तथा (ङ). छः मामलों, जिनकी शिकायतों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं थी, को छोड़कर शेष सभी मामलों पर कार्यवाही की गई/जवाब दिए गए।

विवरण

वर्ष 1993 के दौरान केन्द्रीय भण्डार की शाखाओं में उपलब्ध शिकायत पुस्तिकाओं में क्षेत्रवार उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज शिकायतों/सुझावों की संख्या

क्र.सं.	शाखा/क्षेत्र का नाम	उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज शिकायतों/सुझावो की संख्या
1	2	3
1.	ए.एस.आई.	4
2.	एन्ड्रूजगंज	3
3.	डी.आई.जेड.	1
4.	आई.एन.ए.	2
5.	कृषि विहार	6
6.	कृषि कुन्ज	1
7.	मोती बाग-II	1
8.	मोती बाग (एन.डब्ल्यू.)	1
9.	नौरोजी नगर	1

1	2	3
10.	पण्डारा रोड	5
11.	पीतम पुरा	1
12.	आर.के.पुरम–I	1
13.	आर.के.पुरम–I × बी.	1
14.	आर.के.पुरम (डब्ल्यू.)	4
15.	सादिक नगर	1
16.	वसन्त विहार	3
17.	प्रेम नगर	2
		38

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास

60. **डॉ. लाल बहादुर रावलः**
श्री राजवीर सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य–वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) विकास परियोजनाओं के नाम क्या हैं और परियोजना वार प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि अपर्याप्त धनराशि के कारण विकास कार्यों को अधूरा छोड़ दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ). सरकार को यह बात मालूम है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त–पोषित कुछ परियोजनाएं निधियों की कमी से प्रभावित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के तहत अल्प–वित्त–पोषण की समस्या सहित समन्वित ग्रामीण विकास योजना को कार्यान्वित करने में आने वाली विभिन्न समस्याओं की समीक्षा करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधियों की अपर्याप्तता से परियोजनाएं प्रभावित न हों, समिति की सिफारिशे मान ली गई हैं।

विवरण

कार्यक्रम राज्य/संघ शसित क्षेत्र का नाम	आबंटन सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (लाख रू. में)		मरूभूमि विकास कार्यक्रम (लाख रू. में)		त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (करोड रू. में)		आबंटन समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (लाख रू. में)		केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता (लाख रू. में)	
	1992–93	1993–94	1992–93	1993–94	1992–93	1993–94	1992–93	1993–94	1992–93	1993–94
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
आन्ध्र प्रदेश	1203.00	1804.50	–	–	25.470	41.240	4880.00	8416.00	105.030	157.480
अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–	4.620	7.460	416.00	686.00	2.835	4.250
असम	–	–	–	–	13.700	13.700	1332.00	2770.00	38.250	57.470
बिहार	828.00	1242.00	–	–	29.990	48.560	9778.00	15974.00	186.630	279.790
गोआ	–	–	–	–	0.550	0.840	86.00	142.00	1.290	1.940
गुजरात	746.00	1119.00	225.00	337.50	16.330	26.560	2010.00	3090.00	47.370	71.010
हरियाणा	135.00	202.50	425.00	637.50	9.990	16.520	480.00	742.00	16.936	25.520
हिमाचल प्रदेश	–	–	200.00	300.00	6.420	8.330	172.00	242.00	17.460	26.280
जम्मू व कश्मीर	214.50	321.75	300.00	450.00	19.160	23.030	240.00	462.00	23.115	34.650
कर्नाटक	1249.00	1873.50	–	–	23.420	35.120	3054.00	5650.00	85.155	127.780
केरल	–	–	–	–	11.910	19.280	1660.00	2056.00	64.755	97.200
मध्य प्रदेश	809.00	1213.50	–	–	28.190	45.640	6472.00	10664.00	122.850	184.160
महाराष्ट्र	1343.00	2014.50	–	–	33.900	54.880	5228.00	9174.00	134.490	201.800
मणिपुर	–	–	–	–	3.080	3.080	38.00	200.00	4.965	7.470
मेघालय	–	–	–	–	4.200	4.200	116.00	192.00	5.335	8.030
मिजोरम	–	–	–	–	1.290	2.100	174.00	288.00	1.485	2.160

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
नागालैंड	–	–	–	–	4.220	4.220	182.00	300.00	3.720	5.580
उड़ीसा	621.00	931.50	–	–	13.350	21.600	3198.00	6826.00	73.620	110.540
पंजाब	–	–	–	–	4.240	6.880	406.00	528.00	17.235	25.960
राजस्थान	514.00	771.00	3800.00	5700.00	41.830	68.860	3118.00	4430.00	63.255	94.860
सिक्किम	–	–	–	–	3.720	3.720	34.00	56.00	1.395	2.090
तमिलनाडु	657.00	985.50	–	–	20.190	32.680	4382.00	7608.00	111.120	166.820
त्रिपुरा	–	–	–	–	3.500	3.500	136.00	618.00	7.515	11.300
उत्तर प्रदेश	1386.00	2079.00	–	–	47.240	76.480	13062.00	20508.00	261.090	391.430
पश्चिम बंगाल	517.50	776.25	–	–	18.240	29.520	5460.00	7542.00	100.965	151.290
अं. निको द्वीप समूह	–	–	–	–	0.400	0.400	48.00	71.00	0.255	0.400
चंडीगढ़	–	–	–	–	0.000	0.000	–	–	0.075	0.110
दादर व नगर हवेल	–	–	–	–	0.130	0.200	9.00	15.00	0.180	0.270
दमन व दीव	–	–	–	–	0.220	0.950	17.00	28.00	0.090	0.110
दिल्ली	–	–	–	–	0.140	0.220	–	–	1.080	1.620
लक्षद्वीप	–	–	–	–	0.100	0.100	4.00	7.00	0.015	0.020
पांडिचेरी	–	–	–	–	0.260	0.400	35.00	58.00	0.420	0.610
अखिल भारत	10223.00	15334.50	4950.00	7425.00	390.000	600.270	66222.00	109343.00	1500.00	2250.00

1992-93 से 1993-94 के दौरान मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत आबंटित/रिलीज की गई निधियां

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रिलीज किए गए संसाधन (केन्द्र + राज्य)				
		1992–93	1993–94	(जवाहर रोजगार योजना)		सुनिश्चित
			प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	रोजगार योजना
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	आन्ध्र प्रदेश	21418.39	27119.03	6243.75	357.13	4500.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	251.50	188.84	0.00	0.00	300.00
3.	असम	6194.14	8971.90	0.08	0.00	2587.50
4.	बिहार	46904.44	50356.45	17231.25	91.64	5887.50
5.	गोआ	406.13	426.81	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	10244.79	9309.23	3893.75	0.00	606.25
7.	हरियाणा	2366.87	2098.40	0.00	0.00	1650.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1182.10	1235.76	0.00	53.33	43.75
9.	जम्मू व कश्मीर	2139.63	1802.95	853.75	300.00	1043.75
10.	कर्नाटक	14252.56	16525.14	4713.75	164.59	3525.00
11.	केरल	7899.60	6327.35	0.00	0.00	725.00
12.	मध्य प्रदेश	33629.94	31062.44	14507.50	305.58	7118.75
13.	महाराष्ट्र	25049.79	22369.31	9948.75	0.00	3306.25
14.	मणिपुर	645.13	355.49	0.00	179.20	825.00
15.	मेघालय	461.10	241.20	0.00	0.00	200.00
16.	मिजोरम	249.82	459.30	0.00	0.00	750.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
17.	नागालैंड	746.51	672.01	0.00	0.00	1050.00
18.	उड़ीसा	16389.03	20491.23	6712.50	3.15	5335.00
19.	पंजाब	1702.19	1614.09	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	17064.22	13136.90	4568.75	0.00	4575.00
21.	सिक्किम	394.60	240.03	0.00	100.00	145.00
22.	तमिल नाडु	23241.96	22130.01	2903.45	45.76	1318.75
23.	त्रिपुरा	669.61	679.71	0.00	0.00	762.50
24.	उत्तर प्रदेश	58887.46	59028.58	8335.00	329.07	3507.81
25.	पश्चिम बंगाल	25220.33	20379.31	6125.00	700.00	5068.75
26.	अं. व नि. द्वीपसमूह	62.58	81.93	0.00	0.00	10.00
27.	दादर व नगर हवेली	91.02	73.75	0.00	0.00	5.00
28.	दमन व दीप	20.28	20.28	0.00	0.00	5.00
29.	लक्षद्वीप	60.08	56.48	0.00	0.00	25.00
30.	पांडिचेरी	315.82	126.23	0.00	0.00	0.00
	योग	318161.58	317580.12	86037.20	2629.47	54876.56

[अनुवाद]

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत व्यक्तियों का आमेलन

61. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत व्यक्तियों का आमेलन करने हेतु कोई प्रावधान है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) और (ख). को-टर्मिनस नियुक्तियां, जैसे कि मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ की नियुक्तियां प्रायः विवेकी स्वरूप की होती है। ये पद मंत्रियों द्वारा कार्यभार छोड़ने के बाद समाप्त हो जाते हैं। अतः इस प्रकार के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमेलित नहीं किया जा सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड

62. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :**

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड की सिफारिशों को अभी कार्यान्वित किया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने यह सिफारिश की कि क्षेत्रीय योजना -2001 के संगत उपबंधों और बोर्ड द्वारा स्वीकृत समनुरूपी समयबद्ध क्रियान्वयन नीतियों को ध्यान में रखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए संबंधित मंत्रालयों जैसे रेल, जल-भूतल परिवहन, विद्युत, दूरसंचार और शहरी विकास मंत्रालय को अपनी उप-घटक योजना तैयार करनी चाहिए।

क्षेत्रीय योजना के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए सभी प्रमुख परियोजनाओं को वर्ष 2001 तक क्रियान्वित किया जाना है।

[हिन्दी]

हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड में इंजीनियरों की नियुक्तियां

63. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1994-95 के दौरान अब तक बिहार में हथिया स्थित हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड में कितने इंजीनियर नियुक्त किए गए और इन नियुक्तियों के लिए किस प्रक्रिया का अनुपालन किया गया;

(ख) क्या इस कारपोरेशन के सेकडों इंजीनियरों और कर्मचारियों ने गत तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ली है; और

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ली है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) एच.ई.सी. ने निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद 155 इंजीनियरों को कैम्पस साक्षात्कारों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के बकाया पदों को भरने के लिए विशिष्ट विज्ञापन के प्रति लिए गए साक्षात्कारों के माध्यम से नियुक्त किया है।

(ख) और (ग). विगत तीन वर्षों के दौरान जिन कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई है, उनके वर्ग-वार ब्यौरे निम्नानुसार है:

	1991-92	1992-93	1993-94
कार्यपालक	390	619	422
पर्यवेक्षक	127	268	139
श्रमिक	504	1149	767
कुल	1021	2036	1328

[अनुवाद]

वनहीन परती भूमि का विकास

64. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निगमित क्षेत्र और किसानों को शामिल करके वनहीन परती भूमि के विकास के लिए कोई नई व्यापक योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यवार कितना पूंजी निवेश किया गया है तथा इसके लक्ष्य क्या है और इसकी अवधि क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजरभूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने एक योजना तैयार की है जो वनेतर बंजरभूमि के विकास के लिए उपयोग-कर्ता उद्योगों तथा अन्य उद्यमों सहित वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, निगमित निकायों से संसाधन जुटाने/आकृष्ट करने/ सुलभ बनाने/वितरण करने पर जोर देती है।

योजना के अंतर्गत, वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा अनुमोदित तथा तैयार की गई परियोजना की कुल लागत का 25 प्रतिशत या 25 लाख रूपये जो भी कम हो, प्रोत्साहन सहायता/ अनुदान मुहैया किया जाता है। परियोजना तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता के अतिरिक्त बैंक योग्य/व्यावहार्य परियोजना तैयार करने के लिए परियोजना लागत के एक प्रतिशत की दर से परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के संबंध में प्रोत्साहनकर्ता को 25 प्रतिशत के योगदान की छूट है। ऐसी परियोजनाएं 50 प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान/सहायता के योग्य हैं बशर्ते कि 50,000/- रूपये प्रति परियोजना की उच्चतम सीमा हो।

केन्द्र तथा राज्य सरकार के उपक्रमों द्वारा प्रोत्साहित परियोजनाएं निगमित संस्थाएं, सार्वजनिक निकाय तथा समिति पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटियाँ, कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत निगमित निकाय और व्यक्तिगत उद्यम योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन अनुदान सहायता के पात्र होंगे।

योजना के स्थान विशेष, परियोजना उन्मुखता तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता और वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा निर्धारित लागतों पर निर्भर होने तथा इनके प्रोत्साहन-कर्ताओं के योगदान से सम्बद्ध होने के कारण इसके अंतर्गत समयावधि सहित कोई राज्यवार आबंटन या वास्तविक लक्ष्य अथवा वित्तीय निवेश निर्धारित नहीं किया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का कम किया जाना

65. श्री प्रभू दयाल कठेरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1994-95 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश को और कम करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो निवेश कम किए जाने वाले उपक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक उपक्रम में कितना विनिवेश किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) निवेश कम करने का प्रस्तावित तरीका क्या है;

(घ) क्या प्रस्तावित विनिवेश इन उपक्रमों के विस्तार और आधुनिकीकरण से जुड़ा है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) अक्तूबर, 1994 में सरकारी उपक्रमों के शेयरों की बिक्री का एक चरण सम्पन्न किया गया था और उसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी शेयरों की आगामी बिक्री के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं किया है।

(ख) से (ङ). उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की उत्पादन क्षमता

66. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं और उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की कम्प्रेस्ड हैवी वाटर रियेक्टर यूनिट में थोरियम का प्रयोग किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो भविष्य में थोरियम का ईंधन के रूप में प्रयोग करके विद्युत उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है; और

(घ) थोरियम का किस तरह से प्रयोग किये जाने का विचार है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) वर्तमान में देश में नौ न्यूक्लियर विद्युत रिएक्टर जिनकी कुल निर्धारित विद्युत क्षमता 1720 मेगावाट है, काम कर रहे हैं।

(ख) पहली बार, ककरापार परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट में, विद्युत उत्पादन के प्रारम्भिक चरणों में न्यूट्रॉन अभिवाह को एक समान करने के लिए मुख्यतः रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन के बंडलों के साथ थोरियम ईंधन के थोड़े बंडलों को काम में लाया गया है। इससे पहले के रिएक्टरों में, इस प्रकार के प्रयोजन के लिए अवक्षयित यूरेनियम के बंडलों का उपयोग किया जाता था।

(ग) ककरापार यूनिट–I में थोरियम का ईंधन के रूप में उपयोग करना, विद्युत उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से, शुरू नहीं किया गया है।

(घ) प्रगत किस्म के भारी पानी रिएक्टरों, जो वर्तमान दाबित भारी पानी किस्म के रिएक्टरों (पी एच डब्ल्यु आर) का स्थान लेंगे में, यूरेनियम–233 में समृद्ध किए गए थोरियम और प्लूटोनियम–239 में अवक्षयित समृद्ध यूरेनियम को उपयोग में लाने की संकल्पना के आधार पर अनुसंधान और विकास कार्य किया जा रहा है।

[अनुवाद]

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

67. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में 1993–94 में और अब तक ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम सफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख). गुजरात में 1993–94 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के निर्धारित भौतिक लक्ष्य का 86 प्रतिशत प्राप्त करने में सफलता मिली है।

योजनागत व्यय

68. श्री थाइल जॉन अंजलोज :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के लिए वर्ष 1993–94 और 1994–95 के लिए योजनागत व्यय की कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ख) 1993–94 और 1994–95 की वार्षिक योजना में राज्य का अंशदान कितना है; और

(ग) वर्ष 1993–94 के दौरान राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) केरल का 1993–94 तथा 1994–95 का अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय क्रमशः 1003 करोड़ रूपये तथा 1260 करोड़ रूपये है।

(ख) वार्षिक योजना 1993–94 तथा 1994–95 में राज्य के संसाधनों के योगदान का अनुमानित अंशदान क्रमशः 46.63 करोड़ रूपये तथा 214.41 करोड़ रूपये है।

(ग) राज्य की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1993–94 के दौरान/विभिन्न स्कीमों पर व्यय निम्नानुसार है :

क्षेत्रक	व्यय (करोड़ रूपये में)
1. कृषि और संबद्ध सेवाएं	147.62
2. ग्रामीण विकास	56.62
3. सहयोग	15.54
4. सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	150.69
5. विद्युत	254.28
6. उद्योग, खनिज, परिवहन तथा संचार	192.00
7. वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	6.23
8. सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं	180.24
9. आर्थिक सेवाएं	2.34
10. सामान्य सेवाएं	10.10
जोड़ :	1015.66

[हिन्दी]

मत्स्य उद्योग में पूंजी निवेश

69. श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मत्स्य उद्योग में देश–वार कितना विदेशी पूंजी निवेश हुआ है; और

(ख) सरकार ने इस उद्योग की सहायता करने तथा इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मत्स्य उद्योग सहित समुद्री उत्पादों में स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के देशवार–ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) समुद्री उत्पाद नई औद्योगिक नीति, 1991 के अनुबंध–3 में सूचित उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में से एक है। ये उद्योग निर्धारित मानदंडों के अधीन 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के स्वतः अनुमोदन के पात्र हैं। अन्य प्रस्तावों पर भी विचार किया जाता है और इस क्षेत्र में सामान्य पद्धति के अधीन स्वीकृति दी जाती है।

विवरण

अगस्त, 1991 से जुलाई, 1992, अगस्त 1992 से जुलाई, 1993, अगस्त, 1993 से जुलाई, 1994 की अवधि के दौरान मत्स्य उद्योग सहित समुद्री उत्पादों में स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के देशवार ब्यौरे

क्र.सं. देश का नाम	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की राशि (लाख रूपये) 1991–92 (अगस्त–जुलाई)	1992–93 (अगस्त–जुलाई)	1993–94 (अगस्त–जुलाई)
1. आस्ट्रेलिया	–	–	284.54
2. चीन	–	–	2.50
3. डेनमार्क	–	120.00	–
4. एस्तोनिया	–	700.00	–
5. जर्मनी	–	8.16	–
6. हांगकांग	–	9.76	–
7. इटली	20.00	–	–
8. जापान	90.00	220.90	–
9. कोरिया (उत्तर)	16.85	–	–
10. कोरिया (दक्षिण)	86.70	3.82	–
11. लाटविया	13.00	13.00	–
12. मैक्सिको	–	–	1000.00
13. फिलीपीन्स	–	–	109.20
14. रशिया	68.56	230.76	32.00
15. सिंगापुर	–	149.30	427.98
16. ताइवान	–	314.10	132.00
17. थाईलैण्ड	23.29	40.00	1.50
18. यू.एस.ए.	400.00	–	–
19. यूक्रेन	–	27.50	–
20. अनिवासी भारतीय	–	255.75	437.00
योग	718.40	2093.05	2426.72

[अनुवाद]

उद्योगों को लाइसेंस-मुक्त करना

70. श्री बलराज पासी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक किन–किन उद्योगों को लाइसेंस–मुक्त कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार शेष उद्योगों को लाइसेंस–मुक्त करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) औद्योगिक नीति पर सरकार द्वारा सदन में 24.7.1991 को दिये गये वक्तव्य के बाद मोटरकारों, वाइट गुड्स, चमड़े (चामोइस लेदर को छोड़कर) औषध और भेषजों (विशिष्ट औषधियों को छोड़कर) के उद्योगों को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है।

(ख) और (ग). सरकार ने किसी अन्य उद्योग को लाइसेंमुक्त करने का निर्णय अभी नहीं लिया है।

टैनरी एंड फुटवेयर कारपोरेशन ऑफ इंडिया की समस्याएं

71. श्री जगत वीर सिंह द्रोण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को टैनरी एंड फुटवेयर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के ट्रेड यूनियन की ओर से निगम की विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डालने वाला कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). ट्रेड यूनियन ऑफ टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर नामक संगठन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

स्वीडन के साथ निवेशक गारंटी समझौता

72. श्री मंजय लाल

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 मई, 1994 के हिन्दी दैनिक "जनसत्ता" में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार भारत स्वीडन के साथ निवेशक गारंटी समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) द्विपक्षीय और बहुपक्षीय निवेशक गारंटी समझौतों का मूल उद्देश्य क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान किन–किन देशों के साथ ऐसे समझौते किए गए हैं;

(ङ) उनसे अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं, और

(च) ऐसे समझौतों के कार्यान्वयन की निगरानी की जिम्मेवारी किस प्राधिकरण पर है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (च). स्टाकहोम में 25–26 मई, 1994 को आयोजित भारत–स्वीडन संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान स्वीडन ने भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्धन संरक्षण समझौता करने की इच्छा व्यक्त की थी जिस पर भारत विचार करने के लिए सहमत हुआ था। भारत और स्वीडन ने अभी भी समझौते के मसौदे का आदान–प्रदान करना है अथवा कोई बातचीत करनी है। ऐसी संभावना है कि स्वीडन को 1995–96 के दौरान बातचीत के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

जैसा कि नाम से स्पष्ट है, निवेश गारंटी समझौता का मुख्य उद्देश्य निवेश संवर्धन संरक्षण तंत्र की कुछ व्यवस्था करना है। अब तक भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकार के साथ केवल द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं जो मार्च, 1994 में किये गये थे। चूंकि उद्धत समझौता अभी भी अनुमोदित होना है इसलिए यह लागू नहीं किया गया है।

जम्मू और कश्मीर में मारे गए व्यक्ति

73. **श्री फूल चन्द वर्मा :**

डॉ. रमेश चन्द तोमर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 और 1994 में अब तक जम्मू और कश्मीर में कितने असैनिक, पुलिस, अर्द्धसैनिक, सैनिक और सेना के अधिकारी मारे गए/घायल हुए/अपहृत किये गये;

(ख) उक्त अवधि में अपहृत व्यक्तियों में से कितने मुक्त किये गए/मुक्त कराये गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने आतंकवादी गिरफ्तार किए गए/मारे गए;

(घ) जम्मू और कश्मीर में आंतकवादियों से कितनी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया; और

(ङ) राज्य में आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाने हेतु क्या कदम उठाए गए?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और औद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1993 तथा 1994 (31 अक्तूबर तक) के दौरान, आंतकवादी गतिविधियों में सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 2320 व्यक्ति मारे गए तथा 596 व्यक्तियों का अपहरण किया गया।

(ख) इस अवधि के दौरान अपहृत किए गए 276 व्यक्तियों को मुक्त किया गया। और

(ग) इस अवधि के दौरान 2736 उग्रवादी मारे गए।

(घ) इस अवधि के दौरान, उग्रवादियों से, भारी मात्रा में शस्त्र और गोला बारूद बरामद किया गया था। इसमें, 124 राकेट प्रक्षेपक, 290 मशीनगन, 4331–ए.के. राईफलें, पिस्तोल/रिवाल्वर तथा अन्य गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री शामिल हैं।

(ङ) आंतकवादियों के विरुद्ध, निरन्तर व लक्ष्यबद्ध अभियान जारी है। सुरक्षा प्रबंधों में वृद्धि करके, खासतौर से संवेदनशील, अतिसंवेदनशील और दूर–दराज के इलाकों में विशेष उपाय किए गए हैं। नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ को रोकने के लिए चौकसी बढ़ा दी गई है तथा सतत चौकसी रखी जा रही है।

[अनुवाद]

विकलांग भूतपूर्व सैनिकों/सिपाहियों को पेंशन

74. **श्रीमती सरोज दुबे :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजपूत रेजिमेंट, फतेहगढ़, उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने पेंशन भोगी/विकलांग पेंशन भोगी सिपाही हैं जो 16.1.1947 को सेवामुक्त हो गये थे और उन्हें अभी तक पेंशन नहीं दी गई है और उन्हें पेंशन न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या हाल ही में इस मामले को प्रधान मंत्री के ध्यान में लाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को हल करने हेतु क्या ठोस कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 16–1–19947 तक उत्तर प्रदेश राजपूत रेजिमेंट से सेवामुक्त किए गए सभी पात्र कार्मिकों को पेंशन दे दी गई है। तथापि, हाल ही में एक पेंशन भोगी ने यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है कि उनके वर्ष 1947 में पेंशन कागजात खो गए थे और वे अपनी पेंशन नहीं ले पा रहे हैं। संबंधित प्राधिकारियों को दावों की जांच करने और देय होने पर पेंशन का भुगतान करने के निदेश दे दिए गए हैं।

असम में रूग्ण औद्योगिक एकक

75. **श्री नुरुल इस्लाम :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में आज तक लघु, मध्यम एवं बड़े रूग्ण एकक कितने हैं;

(ख) इनकी रूग्णता के उद्योगवार क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें पुनः अर्थक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, असम में 31 मार्च, 1993 को रूग्ण लघु औद्योगिक एककों की संख्या 5460 थी जिनके पास 36.43 करोड़ रू. का बैंक ऋण बकाया था। बड़े तथा मझौले एककों के संबंध में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सितम्बर, 1992 के अन्त तक गैर–लघु उद्योग क्षेत्र में (मझौले तथा बड़े) 9 रूग्ण एकक थे जिनके पास 77.67 करोड़ रूपये का बैंक ऋण बकाया था।

(ख) लघु उद्योग क्षेत्र में संस्थागत ऋण की पर्याप्तता और संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए नियुक्त की गई नायक समिति की रिपोर्ट के अनुसार लघु क्षेत्र में रूग्णता मुख्यतया इसकी आंतरिक अनेक कमियों के कारण होती है जैसे कि सीमित वित्तीय ससाधन तथा संगठनात्मक, वित्तीय तथा प्रबंधात्मक कुशलता व विशेषज्ञों का अभाव। रूग्णता के बाहरी कारण अनेकानेक हैं, जिनमें से मुख्य ये हैं—कच्चा माल तथा बिजली सहित अन्य निविष्टियों की उपलब्धता में कठिनाई होना (2) विपणन सम्बन्धी कठिनाइयां (3) ऋण की अपर्याप्तता तथा देरी से मिलना (4) उच्च कर दर (5) श्रमिक समस्याएं (6) परियोजनाओं का दोषपूर्ण मूल्यांकन और (7) प्रबन्धक

जो अकुशल/ईमानदारी की कमी/भागीदारी में मतभेद आदि से पीड़ित होते हैं।

बड़े तथा मझौले उद्योगों के लिए, रूग्णता के मुख्य कारण परियोजना का मूल्याकन करने में कमी और प्रबन्ध में कमी होना, मांग में गिरावट/मन्दी का होना है। अन्य कारणों में बिजली की कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, वित्तीय समस्या, सरकारी नीति में परिवर्तन आदि शामिल हैं।

(ग) केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों द्वारा किये गये उपाय इस प्रकार हैं—(1) उद्यमिता सम्बन्धी विकास (2) निरीक्षण, दिशानिर्देश, कार्यशाला, परीक्षण, टूल रूम और उत्पाद-सह-प्रक्रिया विकास सुविधाओं के माध्यम से तकनीकी सहायता (3) मूल्य तथा खरीद वरीयता के माध्यम से और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम व राज्य लघु उद्योग विकास निगम के जरिये विपणन सहायता (4) राज्य सरकारों द्वारा विकसित औद्योगिक प्लाटों शेडों आदि के माध्यम से अवस्थापनापरक सहायता (5) वित्तीय संस्थानों के माध्यम से वित्तीय तथा ईक्विटी सहायता से संबंधित उपाय नायक समिति की सिफारिशों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई कार्यवाही रूग्ण लघु औद्योगिक एककों की संशोधित परिभाषा, पुनर्स्थापना के लिए कम ब्याज दर, पता लगाये गये रूग्ण एककों के लिए शीघ्रता से जीव्यता संबंधी अध्ययन/उपरात्मक कार्यक्रम मुख्य क्षेत्रीय केन्द्रों व मुख्य कार्यालय कक्षों की स्थापना करना जो रूग्ण औद्योगिक इकाइयों से संबंधित कार्य करेंगे तथा तकनीकी पहलुओं पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों के स्टाफ का प्रावधान करने से संबंधित है, जिसमें तकनीकी कार्मिक भी शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर अपने अधिकारियों को राज्य स्तरीय अंतर संस्थागत समिति को प्रेरित करने के लिए परामर्श देता है। बड़े तथा मझौले एककों के रूग्ण एककों के संबंध में कार्य करने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की गई है।

ललित कला अकादमी को स्टूडियो का सौंपा जाना

76. **श्री गुरूदास कामत :**

क्यां **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ललित कला अकादमी को नए बने यूनिट स्टूडियो सौंप दिए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) 42 लाख रूपये के कुल व्यय में से ललित कला अकादमी ने 27 लाख रूपये जारी कर दिये हैं। जब तक ललित कला अकादमी द्वारा 15 लाख रूपये की शेष धनराशि जारी नहीं की जाती, तब तक डी.डी.ए. के लिए कार्य पूरा करना संभव नहीं होगा।

(ग) शेष धनराशि जारी करने के बारे में दि.वि.प्रा. के प्राधिकारियों द्वारा इस मामले पर ललित कला अकादमी के साथ विचार किया गया है। लेकिन ललित कला अकादमी द्वारा शेष धनराशि अब तक जारी नहीं की गई है।

कम्पनियों के आंकड़े

77. **श्री शरत् पटनायक :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को कम्पनियों के आंकड़ों की बिक्री का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या मार्गनिर्देश निर्धारित किए हैं?

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी, नहीं। विभाग ने भारत में पंजीकृत कम्पनियों से संबंधित आंकड़ों की बिक्री बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को करने की कोई योजना नहीं बनाई है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

बांग्लादेश के साथ संयुक्त उद्यम

78. **डॉ. वसंत पवार :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश ने देश में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए दिलचस्पी दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन क्षेत्रों में इन संयुक्त उद्यमों को लगाए जाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) बांग्लादेश के निवेश से भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

अपारंपरिक ऊर्जा केन्द्र

79. **श्री राम निहोर राय :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों में अपारंपरिक ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं। सरकार को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में

अपारंपरिक ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा वाहन कारखाना, जबलपुर द्वारा जोंगा जीपों का उत्पादन

80. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा वाहन कारखाना, जबलपुर ने असैनिक बाजार में एक वाहन का विक्रय आरम्भ करने की अपनी योजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जोंगा जीपों की प्रतिवर्ष अनुमानित उत्पादन क्षमता क्या है; और

(घ) असैनिक बाजारों में जीपों के नए मॉडलों के कब तक आने की सम्भावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ). वाहन निर्माणी जबलपुर ने अपनी अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए सिविल बाजार के लिए डीजल की जोंगा जीप के एक संशोधित मॉडल से संबंधित योजना को अन्तिम रूप दे दिया है। इस वाहन का 10/11/12 सीटों वाले तीन मॉडलों में पुनर्निर्माण किया गया है। यह वाहन सैन्य मानकों के अनुरूप है जोकि न केवल मजबूत है बल्कि यह प्रति लीटर 16 कि.मी. (परीक्षण परिस्थितियों में) की उच्च ईंधन क्षमता रखता है तथा त्वरित रूप से गति पकड़ने की क्षमता रखता है और ग्यारह सेकंड में 60 कि.मी. की गति प्राप्त कर सकता है व इसकी अधिकतम गति 120 कि.मी. प्रति घंटा है और चढ़ाई पर चढ़ने की क्षमता तीन में एक है।

2. वाहन निर्माणी जबलपुर में उपलब्ध मौजूदा आधारभूत संरचना में मामूली समायोजन कर उसका उपयोग शुरू में सिविल बाजार के लिए प्रति वर्ष लगभग 4000 जोंगा जीपों के उत्पादन के लिए किया जाएगा। सिविल बाजार में बिक्री के लिए नए मॉडल वर्ष 1995 से उपलब्ध हो जाएंगे।

[हिन्दी]

सरकारी आवासों का स्मारकों के रूप में परिवर्तन

81. श्री वीरेन्द्र सिंह :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में कई सरकारी बंगलों को स्मारकों में परिवर्तित किया जा चुका है;

(ख) क्या इनके संचालन हेतु सरकार द्वारा धन जारी किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उद्योगों का बंद होना

82. श्री एम.रमन्ना राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई औद्योगिक नीति अपनाने के बाद कितने उद्योग बंद हुए हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा अधिग्रहीत उद्योगों का ब्यौरा क्या है: और

(ग) ऐसे मामलों में प्रभावित श्रमिकों के हितों की रक्षा किस प्रकार की गई है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). श्रम मंत्रालय के अनुसार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंध के अधीन बंद एककों की संख्या के संबंध में सूचना इस प्रकार है:

वर्ष	बंद एककों की संख्या
1991	238
1992	187
1993	493
1994	114

(जनवरी–अगस्त)
(आंकड़े अनंतिम हैं)

किन्तु बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा अधिग्रहित उद्योगों के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

औद्योगिक विकास अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अनुसार किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के बंद होने के कारण छटनी किया गया प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का पात्र होगा जो निरंतर सेवा के पूरे किये गए प्रत्येक वर्ष के लिए अथवा छः महीने से ज्यादा किसी हिस्से के लिए 15 दिन की औसत के बराबर होगा। इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि जो कर्मचारी उपक्रमों के स्वामित्व अथवा प्रबंध के स्थांतरण द्वारा विपरीत रूप से प्रभावित होंगे वे नोटिस/प्रतिपूर्ति के ऐसे ही पात्र होंगे जैसे इनकी छटनी की गई है।

आन्ध्र प्रदेश में बंद एकक

83. श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में इस समय बंद पड़े बड़े माध्यम और लघु औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन एककों में कुल कितना निवेश किया हुआ है; और

(ग) इन एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). श्रम

मंत्रालय के अनुसार, 1991–94 (अनंतिम) के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में बन्द पड़े औद्योगिक एककों संबंधी सूचना इस प्रकार है:

वर्ष	बन्द पड़े एककों की संख्या
1991	9
1992	4
1993	11
1994	शून्य

(जनवरी–अगस्त)

तथापि, इन एककों में अन्तर्ग्रस्त कुल निवेश संबंधी सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। सरकार ने रूग्ण तथा बन्द औद्योगिक एककों को पुनरूज्जीवित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कुछ महत्वपूर्ण कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(1) सरकार ने व्यापक कानून अर्थात रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1995 बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर)" नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य रूग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रूग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्यक्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनः स्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिए गए हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रूग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनः स्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा–निर्देश जारी किए हैं जिसमें उन मानदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्यक्षम रूग्ण इकाइयों की पुनः स्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे की राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) रूग्ण एककों का स्वस्थ एककों के साथ समामेलन/विलयन करके भी रूग्ण औद्योगिक इकाइयों की पुनर्स्थापना की जाती है। स्वस्थ एककों को समामेलित रूग्ण एककों की पुनर्स्थापना के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 (क) के तहत कर लाभ दिए जाते हैं।

(6) सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की है जो अन्य बातों के साथ–साथ औद्योगिक पुनर्गठन से प्रभावित श्रमिकों की प्रतिपूर्ति का भुगतान करता है।

(7) भारत सरकार की सलाह पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने जीव्यक्षम रूग्ण लघु इकाइयों को फिर से खोलने के लिए पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए सभी राज्यों में संबंधित राज्य सरकारों के उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अंतर–संस्थागत समितियां (एस.एल.आई.आई.सी) स्थापित की हैं।

ब्रेथवेट कम्पनी लिमिटेड

84. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड के ब्रेथवेट कम्पनी के लिए जी.ई.सी. से खरीदी गई इस्पात पिघलाने वाली भट्टी में हुई दुर्घटना के बारे में की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) इस संबंध में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस बीच भट्टी ने पुनः कार्य करना शुरू कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) ब्रेथवेट के एंगस कारखाने में दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा गठित जांच समिति के निष्कर्ष थे–मुख्यतः अपर्याप्त प्रशिक्षण, अनियोजित कामबंदी, गलन प्रक्रिया के दौरान कार्य स्थगन, स्थापित उपकरणों का दोषपूर्ण निर्माण व लेआउट।

(ख) जांच समिति के निष्कर्षों के अनुपालन में कंपनी के दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया और विभागीय कार्यवाहियां शुरू कर दी गईं।

(ग) और (घ). उपयुक्त प्राधिकारियों से मंजूरी लेने के बाद, भट्टी को 25 जुलाई, 1993 से फिर से चालू कर दिया गया।

सशस्त्र बलों की शिकायतें

85. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान वेतनमान, भत्तों, आवास सुविधा और अनुशासन के रख–रखाव की कार्यविधि के संबंध में सशस्त्र बलों के जवानों की शिकायतों की ओर गया है;

(ख) क्या सशस्त्र बलों ने आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र बना लिया है;

(ग) क्या सरकार ने कार्यरत जवानों के कार्मिक प्रबंधन, सेवा और सेवा के दौरान रहन–सहन की स्थितियों और साथ ही सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए सेवावकाश लाभों और पुनर्वास सहायता की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान क्या–क्या परिवर्तन हुए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ). सशस्त्र सेना कार्मिको के वेतन व भत्तों, सेवा शर्तों और सेवांत लाभों संबंधी मौजूदा सुविधाए

चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा यथा स्वीकृत हैं। केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में पांचवे वेतन आयोग का गठन किया है। पांचवे वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों के अनुसार आयोग को सशस्त्र सेना कार्मिकों को मिलने वाले कुल लाभों को ध्यान में रखते हुए उनकी परिलब्धियों के मौजूदा ढांचे और सेवा शर्तों पर विचार करना है और वांछनीय व व्यवहार्य परिवर्तन का सुझाव देना है। पांचवे वेतन आयोग को सशस्त्र सेना कार्मिकों को देय मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति लाभों सहित पेंशन ढांचे पर भी विचार करना है और तत्संबंधी सिफारिशें करनी हैं।

सशस्त्र सेना कार्मिकों की व्यक्तिगत शिकायतों को दूर करने के लिए सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम और वायुसेना अधिनियम में उपयुक्त व्यवस्था और क्रियाविधि का उल्लेख किया गया है और इन अधिनियमों के अंतर्गत नियम तथा विनियम बनाए गए हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास और कल्याण उपायों की व्यापक व्यवस्था है। केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए केन्द्रीय सरकार के विभागों के साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" और "घ" पदों में आरक्षण की व्यवस्था की हुई है। वे सशस्त्र सेना कार्मिक जो युद्ध अथवा शांति काल में निशक्त हो जाते हैं उन्हें प्राथमिकता-1 प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों ने भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए राज्य सरकार के विभागों और उसके उपक्रमों में आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं सेमफैक्स-1, सेमफैक्स-2 और सेमफैक्स-3 योजनाओं के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान वेतन व भत्तों, सेवा-शर्तों आदि में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं:-

(क) फील्ड सेवा रियायत

फील्ड/संशोधित फील्ड क्षेत्रों, सियाचिन और उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में तैनात सेना कार्मिकों को 1.4.1993 से निम्नलिखित दरों पर प्रतिपूरक भत्ता दिया गया है। साथ ही, पूर्वदेय विशेष प्रतिपूरक (सुदूर स्थान) भत्ता और विशेष प्रतिपूरक फील्ड भत्ता बंद कर दिया गया है।

रैंक	फील्ड क्षेत्र भत्ता	संशोधित फील्ड क्षेत्र भत्ता	उच्च तुंगता (प्रतिकूल जलवायु) भत्ता श्रेणी-1 (9000 फुट-15000 फुट)	उच्च तुंगता (प्रतिकूल जलवायु) भत्ता श्रेणी-2 (15000 फुट से ऊपर)	सियाचिन भत्ता
			(राशि रूपयों में)		
जूनियर कमीशन अफसर, आनरेरी कमीशन अफसरों सहित	650	225	180	270	
हवलदार	450	175	140	210	800
सिपाही/नायक अयोधी (नामांकित) सहित	375	150	100	150	

(ख) छुट्टी नकदीकरण

छुट्टी नकदीकरण की सीमा 180 दिनों से बढ़कार 240 दिन कर दी गई है।

(ग) पेंशन में एक बार की वृद्धि

1.1.1986 से पूर्व के सशस्त्र सेना पेंशनरों द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों की समीक्षा करने के लिए गठित उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की एक मत सिफारिशों के अनुसरण में 1.1. 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए सशस्त्र सेना कार्मिकों की पेंशन में एक बार की वृद्धि करने के लिए 1.1.1992 से एक योजना स्वीकृत की गई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से रोजगार

86. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों में खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से दो लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने संबंधी कार्य योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में किन-किन जिलों का चयन किया गया है; और

(ख) इस योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम.अरूणाचलम) : (क) दो विशेष रोजगार कार्यक्रम हैं। पहले कार्यक्रम में 50 पिछड़े जिले हैं, जिसे 8वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में शुरू किया जायेगा। खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के जरिये प्रत्येक जिले में 10,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन किया जायेगा। पहले चरण में उत्तर प्रदेश में मऊ जिले सहित 16 जिले में कार्य शुरू किया जायेगा।

दूसरे कार्यक्रम में 8वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में देश के 125 पिछड़े ब्लाकों में प्रति ब्लाक 1,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन किया जायेगा। इस योजना के अधीन, पहले चरण में 71 ब्लाकों को अधिसूचित किया गया है। इनमें से निम्नलिखित सात उत्तर प्रदेश राज्य में हैं।

क्र. सं.	ब्लाक	जिला
1.	गरदार पुर	नैनीताल
2.	ताकुला	अल्मोड़ा
3.	पाटी	पिथौड़गढ़
4.	मौरनीपुर	झांसी
5.	चरखारी	हमीरपुर
6.	बिर्धा	ललितपुर
7	उखीमत	चमौली

(ख) वित्तीय वर्ष 1994-95 के संशोधित अनुमान प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

गुजरात में सीमेंट के संयंत्र

87. **श्री एन.जे. राठवा :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में कुल कितने बड़े, मंझोले तथा छोटे सीमेंट संयंत्र हैं;

(ख) ऐसे प्रत्येक संयंत्र में गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक सीमेंट का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया है; और

(ग) इन संयंत्रों से कुल कितने रोजगार अवसर उत्पन्न हुए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). गुजरात में सीमेंट के 12 बड़े संयंत्र हैं जिनमें से एक क्लिंकराजेशन यूनिट और दो उत्पादन एकक हैं। इसके अलावा गुजरात में 33 मिनी सीमेंट प्लांट हैं जिनकी अधिष्ठापित क्षमता 14,48,900 मी.टन है। बड़े संयंत्रों की एक सूची जिसमें 1991-92 से आगे का उत्पादन भी दर्शाया गया है, संलग्न विवरण में दी गई है। मिनी सीमेंट प्लांटों के बारे में संयंत्रवार सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) रोजगार के बारे में संयंत्रवार आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

1991-92 से 1993-94 तक और 1994-95 (अप्रैल-अक्तूबर) के दौरान गुजरात में बड़े सीमेंट संयंत्रों का उत्पादन

लाख मी. टन

संयंत्र	सीमेंट उत्पादन			
	1994-95	1993-94	1992-93	1991-92
1	2	3	4	5
नर्मदा सीमेंट जाफराबाद	क्लिंकराजेशन यूनिट			
मगदल्ला	1.88	4.04	4.33	5.55
श्रीदिगविजय		0.8		1.51
सिक्का	0.42	0.80	0.85	1.31
सिक्का (न्यू यूनिट)	3.38	.757	7.49	8.38
अहमदाबाद	0.22	0.37	0.27	0.43
एच एम पी सीमेंट पोरबन्दर	0.70	1.65	1.75	1.85
सौराष्ट्र सीमेंट रनवव	3.96	7.02	7.95	9.39
अम्बुजा सीमेंट कोडिनार	3.65	7.82	10.29	10.24
जगदम्बा सीमेंट कोडिनार	5.34	7.75	–	–
गुजरात सिद्धी सीमेंट बीरावल	3.23	6.73	6.89	6.19
1	2	3	4	5
द्वारका सीमेंट द्वारका	उत्पादन नहीं होता है।			
सेवालिया सीमेंट सेवालिया	उत्पादन नहीं होता है।			
योग	22.78	43.75	39.82	43.54

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के लिए धनराशि

88. **श्री हरि केवल प्रसाद :**

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने वाली इकाइयों को कुल कितनी राशि दी गई;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) इस राज्य में इन अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के द्वारा कितना विद्युत उत्पादन किया जाएगा?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं के तहत, पिछले तीन वर्षों में, उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न इकाइयों/संगठनों/संस्थाओं को लगभग 43 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध की गई है।

(ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों के लिए धनराशियां वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों के वित्तीय मानदण्डों के अनुसार राज्यों को प्रदान की जा रही हैं। पूरी योजना अवधि के लिए राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य में संचयी संस्थापित क्षमता अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों की संख्या/स्थापित इकाइयां विवरण में दी गई हैं।

विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य में संस्थापित संचयी नई और अक्षय ऊर्जा प्रणालियों की संख्या

क्र.सं.	एन.आर.एस.ई.प्रणालियां	संस्थापना
1	2	3
1.	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र	220730
2.	सी.वी.पी. आई.बी.पी.	198
3.	उन्नत चूल्हा	1,805,864
4.	आद्योगिक सौर जल तापन प्रणालियां	800
5.	बायोमास गैसीफायर	33
6.	घरेलू सौर जल तापन प्रणालियां	255

1	2	3
7.	सौर वायु तापन प्रणालियां	27
8.	सौर आसवन प्रणालियां	586
9.	सौर तापीय क्लिन	30
10.	सौर कुकर	22,523
11.	सड़क रोशनी	2161
12.	घरेलू रोशनी	6699
13.	सामुदायिक टेलीविजन/रोशनी	130
14.	एस.पी.वी. विद्युत संयंत्र	25 (103 केडब्ल्यूपी)
15.	एस.पी.वी. जल पम्प	160
16.	छोटी बैटरी चार्जिंग प्रणालियां	3
17.	पवन पम्पन प्रणालियां	5
18.	गियर रहित/ उथला कुंआ पवन पम्पन प्रणालियां	300
19.	लघु पन–बिजली परियोजनाएं	36 (23.38 मेवा.)
20.	बैटरी चालित वाहन	186
21.	ऊर्जा ग्राम	50

संदूषित जल का शोधन

89. श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में संदूषित जल के शोधन के लिए हुडको से ऋण मांगा था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1994–95 के दौरान हुडको द्वारा कितना ऋण दिए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री.पी.के. थुंगन) : (क) से (ग). जी, नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

समेकित ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण परियोजनाएं

90. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री अरविंद त्रिवेदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से समेकित ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और परियोजनावार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या है और इसके अंतर्गत कितने गांव शामिल हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी हां।

(ख) तत्संबंधी विवरण संलग्न है।

विवरण

बहु-द्विपक्षीय एजेंसी-विश्व बैंक

राज्य	परियोजना का नाम	कवर किये गए जिले	परियोजना का संक्षिप्त ब्यौरा	प्राराम्भिक लागत रू. में)	तारीख करार की	पूरा होने की	स्थिति
कर्नाटक	जल सप्लाई एवं पर्यावर्णीय स्वच्छता	बंगलौर (देहात), मध्या मैसूर सिमोगा, दक्षिणा दौलारी, गुलवर्गा, रायचूर, बिदर, बेलगांव, तुमको एवं हसन	12 जिलों के 1200 गांवों में जल सप्लाई और स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराई जानी हैं।	44720.00	3/93	12/99	कार्यान्वित की जा रही है।
उत्तर प्रदेश	पाइप लाइन पर जल सप्लाई एवं पर्यावर्णीय स्वच्छता परियोजना	28 जिले	28 जिलों के 3321 गांवों में जल सप्लाई एवं स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराना	50000.00	अभी संभाव्यता पूर्व अवस्था को अंतिम रूप दिया जाना है		
महाराष्ट्र	महाराष्ट्र ग्रामीण जल सप्लाई एवं पर्यावर्णीय स्वच्छता परियोजना	सतारा, पुणे, अहमदनगर, सांगली, थाणे, औरंगाबाद, बीट, लातूर, बुलछाना, चन्द्रापुर	375 गांवों, 6 बार्डो, 2 शहरों को कवर करने वाली 34 ग्रामीण जल सप्लाई योजनाएं 49 गांवों के लिए 49 अलग–अलग योजनाएं। दो चरणों में कार्यान्वयन	13183.90	3/91	1997	कार्यान्वित की जा रही है।
तमिलनाडु	ग्रामीण क्षेत्र के लिए तमिलनाडु जल सप्लाई एवं स्वच्छता परियोजना	14 जिले	राज्य में 9000 ग्रामीण बस्तियों और 40 ग्रामीण नगर पंचायतों में जल सप्लाई एवं स्वच्छता	53000.00	--	–	परियोजना अभी मूल्यांकन की अवस्था में है।

दीर्घकालीन लंबित मामले

91. **श्री वी.श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30.11.94 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के कितने मामले लंबित पडे हैं;

(ख) ये मामले कब से लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन मामलों पर निर्णय लिए जाने की कब तक सम्भावना है;

(घ) इस उद्देश्य से कितने न्यायाधीशों और दंडाधिकारियों की नियुक्ति की आवश्यकता है; और

(ङ) विभिन्न न्यायालयों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान न्यायालय-वार तथा वर्षवार कितने मामले निपटाए गए?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). न्यायालयों में मामले विभिन्न जटिल कारणों से बकाया हैं। तुरन्त उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ग) इन मामलों को निपटाए जाने के लिए समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

(घ) जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में न्याय प्रशासन संबंधित राज्य/सरकार/उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र के अधीन आता है। इसके साथ ही इन न्यायालयों में न्यायाधीशों और मजिस्ट्रटों को नियुक्त करने का कार्य उन्हीं का है। उच्च न्यायालयों के संबंध में यह विनिश्चय किया गया है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में 529 स्थायी/अपरन्यायाधीशों के स्वीकृत पदों के अतिरिक्त स्थायी/अपर न्यायाधीशों के 46 नए पद सृजित किए जाए।

(ङ) विभिन्न न्यायालयों में पिछले तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए मामले निम्नलिखित हैं :

न्यायालय का नाम	निम्नलिखित वर्षों में निपटाए गए मामलो की संख्या		
	1991	1992	1993
1. उच्चतम न्यायालय	6,662	15,613	6,350
	(केवल नियमित सुनवाई वाले मामले)		
2. उच्च न्यायालय	8.38 लाख	8.46 लाख	9.11 लाख
3. जिला/अधीनस्थ न्यायालय*	116.28 लाख	111.54 लाख	96.63 लाख

* ये आंकेड़े अपूर्ण हैं अतः अनंतिम हैं।

विवरण-I

लंबित मामले

न्यायालय का नाम	31 मार्च, 1994 की लंबित मामलों की स.	5 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की स.
उच्चतम न्यायालय	38,728	20,117
(नियमित सुनवाई वाले मामले)		
उच्च न्यायालय :		
1. इलाहाबाद*	7,35,326	3,21,851
2. आंध्र प्रदेश	1,24,387	15,993
3. मुंबई	1,93,012	44,279
4. कलकत्ता	2,35,721	1,47,937
5. दिल्ली*	1,38,482	62,914
6. गुजरात	96,949	41,600
7. गुवाहाटी	25,573	5,870
8. हिमाचल प्रदेश	20,466	4,465
9. जम्मू-कश्मीर	78,065	24,577
10. कर्नाटक	1,43,852	32,364
11. केरल	1,47,084	9,189
12. मध्य प्रदेश*	85,448	18,084
13. मद्रास	3,25,935	68,133
14. उड़ीसा	44,794	5,754
15. पटना**	91,758	16,372
16. पंजाब और हरियाणा	1,29,838	46,850
17. राजस्थान*	82,404	17,137
18. सिक्किम**	76	25

* 31.12.1993 को उच्च न्यायालयों में लंबित मामले उपदर्शित करता है।

** 30.6.1994 को उच्च न्यायालय में लंबित मामले उपदर्शित करता है।

विवरण-II

जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लंबित मामलों की सं. सिविल	दांडिक	तारीख को
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	612441	217293	30.6.93
2.	अरूणाचल प्रदेश	395	3685	30.6.92
3.	असम	41493	174310	31.12.93
4.	बिहार	201298	860846	31.12.92
5.	गोवा	29570	16922	31.12.93

1	2	3	4	5
6.	गुजरात	656309	3235626	31.12.93
7.	हिमाचल प्रदेश	53238	41383	31.12.93
8.	जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
9.	हरियाणा	185189	151749	30.6.93
10.	कर्नाटक	593698	517606	30.6.94
11.	केरल	172902	213289	31.12.93
12.	मध्य प्रदेश	1402408 (सिविल न्यायाधीश का न्यायालय)	222521 (सिविल न्यायाधीश का न्यायालय)	31.12.93
13.	महाराष्ट्र	918705	2859407	31.12.93
14.	मणिपुर	2478	26579	30.6.92
15.	मिजोरम	663	1898	31.12.93
16.	मेघालय	1124	9055	31.12.93
17.	उड़ीसा	153049	486553	31.12.93
18.	पंजाब	190123	94057	30.6.93
19.	राजस्थान	268214	578874	30.6.93
20.	सिक्किम	469	430	30.6.93
21.	नागालैंड	उपलब्ध नहीं	259	31.12.89
22.	तमिलनाडु	448319	335633	31.6.93
23.	त्रिपुरा	4811	23246	31.12.93
24.	उत्तर प्रदेश	769416	1919460	30.6.93
25.	पश्चिमी बंगाल	339919	1259707	31.12.91
	संघ राज्यक्षेत्र			
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप	579	14264	31.12.92
27.	चंडीगढ़	10985	15648	31.12.92
28.	दिल्ली	123273	338534	30.6.93
29.	दादरा और नागर हवेली	254	405	30.6.93
30.	दमण और दीव	476	530	31.12.93
31.	लक्षद्वीप	259	176	31.12.93
32.	पांडिचेरी	5824	25877	31.12.93

[हिन्दी]

लघु तथा कुटीर उद्योग

92. **श्रीमती शीला गौतम :**

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु तथा कुटीर औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में देश के औद्योगिक क्षेत्र में कितने व्यक्ति रोजगार में लगे हुए है;

(ख) कुल औद्योगिक उत्पादन की तुलना में लघु और कुटीर उद्योगों में वार्षिक आधार पर हुए उत्पादन का प्रतिशत कितना है;

(ग) कुल औद्योगिक निर्यात की तुलना में लघु और कुटीर उद्योगों से वार्षिक आधार पर कितने उत्पादन का निर्यात किया जा रहा है;

(घ) पूरे औद्योगिक क्षेत्र को प्रदत्त ऋण की तुलना में बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा लघु और कुटीर उद्योगों को कितना ऋण प्रदान किया गया; और

(ङ) लघु और कुटीर उद्योगों की तुलना में बड़े उद्योगों को दिए गए ऋण पर किस दर पर ब्याज प्रभारित किया गया है।

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) क्षेत्रों द्वारा मार्च, 1992 तक औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या निम्नलिखित है :

	लाख संख्या
10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले सरकारी और गैर-सरकारी एकक (नवीनतम उपलब्ध)	64.27
लघु और कुटीर उद्योग	448.71

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए जो अनुमान दिए गए है उनमें 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले लघु उद्योगों के रोजगार का अंश भी सम्मिलित है।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान कुल औद्योगिक उत्पादन में लघु और कुटीर उद्योगों का योगदान 46.94 प्रतिशत था।

(ग) लघु तथा कुटीर उद्योगों ने रत्नों और आभूषणों के अलावा 1992-93 के दौरान 23,379 करोड़ रूपये मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया था जो देश में निर्मित वस्तुओं के कुल निर्यात का 57.7 प्रतिशत है।

(घ) जून, 1993 तक लघु तथा कुटीर उद्योगों पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋण की राशि 20064 करोड़ रुपये थी। यह औद्योगिक क्षेत्र के कुल श्रण का 25.5 प्रतिशत है। लघु तथा कुटीर उद्योगों को सहायता देने वाले प्रमुख राज्य स्तरीय संस्थान राज्य वित्तीय निगम हैं। इन निगमों द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान लघु तथा कुटीर उद्योगों को 1335 करोड़ रूपये की राशि दी गई थी।

(ङ) बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों पर लगने वाली ब्याज की दर का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार होता है। उधार लेने वाले से जो ब्याज लिया जाता है उसकी दरें ऋण की मात्रा के अनुसार अलग-अलग होती है। इस समय निम्नलिखित दरें लागू हैं।

	ब्याज दर (वार्षिक) कार्यशील पूंजी और सावधिक ऋण के लिए
(1) 25,000 समेत 25,000 रुपये तक	12.0
(2) 25,000 रुपये से अधिक और 2 लाख रुपये तक	13.5 (स्थिर)
(3) 2 लाख रूपये से अधिक	अस्थिर दर (डीरेगुलेटिड)

[अनुवाद]

चुनाव खर्च

93. श्री पी.सी. थामस :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास लोक सभा और विधान सभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चुनाव खर्च के संबंध में संशोधन करने हेतु जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजनैतिक दलों के कार्यकरण के ढंग और इन दलों का लेखा परीक्षण करने पर भी विचार किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). निर्वाचन व्ययों की अधिकतम सीमा 21.10.1994 से पुनरीक्षित कर दी गई है। तथापि, सरकार द्वारा निर्वाचन व्ययों की बाबत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में कोई परिवर्तन करने के लिए अभी तक कोई विनिश्चिय नहीं किया गया है।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनधिकृत कालोनियाँ

94. श्री जनार्दन मिश्र :
श्री पंकज चौधरी :
श्री अरविन्द त्रिवेदी :
श्री सुरेन्द पाल पाठक :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु लगातार मांग की जाती रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसायटी द्वारा दायर की गई एक सिविल रिट याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में किसी भी अनधिकृत कालोनी को नियमित करने के लिए कोई और निर्णय लेने या कार्रवाई करने से भारत सरकार सहित प्रतिवादियों को अगले आदेशों तक रोक दिया है। अतः यह मामला विचाराधीन है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड मुद्दे पर सशस्त्र बलों की प्रतिक्रिया

95. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 सितम्बर, 1994 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "आर्म्ड फोरसेज वरीड वाइ इनैक्शन इन उत्तर प्रदेश" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में उठाये जाने वाले उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). जी, हां।

इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है कि उत्तराखंड से सम्बद्ध सैन्य टुकडियों के मनोबल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तथापि, स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा रक्षा सामग्रियों का उत्पादन

96. श्री सुधीर सावन्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा कारखानों को रक्षा संबंधी कल पुर्जों की आपूर्ति करने के मामले में भूतपूर्व सैनिकों के उद्यमों और सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता देने के लिए कोई मार्ग निर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुनर्वास महानिदेशक द्वारा रक्षा संबंधी कल पुर्जों तथा सहायक सामग्रियों के उत्पादन और तत्संबंधी रक्षा आपूर्ति की निगरानी की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). सरकार ने रक्षा विभागों द्वारा सिविल बाजार से प्रत्यक्ष रूप से खरीदी जाने वाली मदों में भूतपूर्व सैनिकों के उद्यमों द्वारा निर्मित निम्न तकनालॉजी वाली 10 प्रतिशत मदें आरक्षित की हैं बशर्ते कि उक्त मदें गुणवत्ता और कीमत में समान स्तर की हों।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं होता।

शहरी भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976

97. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम,

1976 में प्रस्तावित संशोधन अभी भी सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो संसद में इस संबंध में विधेयक पेश किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार संसद के इस सत्र के दौरान अधिकतम सीमा अधिनियम को समाप्त करके अथवा कानून में संशोधन करके राज्यों को शक्ति प्रदान करने की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सम्बन्धित विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर पहले से ही तैयार किये गये प्रस्तावों की पुनरीक्षा की गयी है। इन प्रस्तावों को सरकार द्वारा अन्तिम रूप दिये जाने तथा अनुमोदित कर दिये जाने के पश्चात् कम से कम उन दो राज्यों के विधान मण्डलों जहां यू. एल. सी. एक्ट प्रयोज्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 (2) के तहत एक संकल्प पारित करना होगा और उसके बाद ही संशोधन विधेयक तैयार किया जायेगा तथा संसद में प्रस्तुत किया जायेगा।

चूंकि यह एक जटिल प्रक्रिया है, अतः विधेयक प्रस्तुत करने की कोई निश्चित समय–सीमा बताना कठिन है।

[हिन्दी]

पेय जल

98. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार का राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल कितने गांवों को पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है तथा इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ धनराशि में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गांवों के संबंध में अलग से कोई आंकडे नहीं रखे जाते हैं। राज्यों को गांवों/बस्तियों में स्वच्छ पेयजल सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। तथापि, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की कवरेज को तेज करने के लिए त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटन/रिलीज की कम से कम 25 प्रतिशत राशि अनुसूचित जातियों के लिए और 10 प्रतिशत राशि अनुसूचित जन–जातियों के लिए पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने हेतु इस्तेमाल की जानी होती है।

1994–95 के दौरान राजस्थान के लिए 82.22 करोड़ रूपये आबंटित किये गए हैं। इसमें से राजस्थान की राज्य सरकार को 41.105 करोड़ रूपये की राशि पहले ही रिलीज की जा चुकी है।

सामान्य आबंटन के अतिरिक्त, राजस्थान सरकार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जातियों की बस्तियों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए 1991–92 में 6.00 करोड़ रूपये की विशेष सहायता दी गई थी।

(ख) व (ग). जी हां। राजस्थान के लिए आबंटन को 1993–94 के दौरान 68.86 करोड़ रूपये के आबंटन को 1994–95 में बढ़ा कर 82.22 करोड़ रूपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है, वे उन अनुसूचित जाति/जनजाति बस्तियों जिन्हें त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के 35 प्रतिशत के आबंटन में कवर नहीं किया जा सकता, विशेष परियोजनाएं तैयार करें।

[अनुवाद]

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए धनराशि

99. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्याः
श्री डी. वेंकटेश्वर रावः
श्री सैयद शहाबुद्दीनः

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1994–95 के दौरान त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक राज्य–वार कितने शहरों को इस कार्यक्रम का लाभ दिया गया है; और

(घ) 1994–95 के दौरान कितने अन्य शहरों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख). जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण–I में देखें।

(ग) अभी तक 147 कस्बों के लिये धन दिया गया है और राज्य–वार दिये गये धन का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में देखें।

(घ) अभी तक दिया गया धन, केन्द्रीय अंश की प्रथम किस्त दी थी। इस बाबत दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय अंश की दूसरी किस्त, जो इस योजना के लिये पात्र केन्द्रीय अंश का 50 प्रतिशत होगी, राज्य सरकारों को निम्नलिखित शर्तों पर दी जायेगी:–

– राज्य अंश की प्रथम किस्त देना।

– इस योजना के निष्पादन हेतु ठेका देने अथवा सामग्री आदि की सप्लाई वास्ते आर्डर देने आदि जैसे अपेक्षित कार्यों सहित मुख्य कार्य पूरे करना, और

– योजना के लिये दी गई धनराशि के न्यूनतम 50 प्रतिशत का उपयोग (केन्द्रीय अंश का 25 प्रतिशत जमा राज्य अंश का 25 प्रतिशत)

– विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले प्रथम किस्त दिये जाने की स्थिति में इसका अनुमोदन

राज्य सरकारों को देने के लिये केन्द्रीय अंश के रूप में 1994–95 के दौरान 16 करोड़ की धनराशि रखी गई है।

विवरण-I

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम 1994-95 के लिये केन्द्रीय सहायता का आबंटन तथा राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों का समान अंश

राज्य	कस्बों की कुल सं. (श्रेणी– iv, v, vi)	प्रत्येक राज्य का केन्द्रीय– सहायता अंश कालम–(3) × 1600 (रू. लाखों में)	राज्य सरकार अंशदान (समान अंश) (रू. लाखों में)	1994–95 के दौरान उपलब्ध कुल धन (कालम 4+5
1 2	3	4	5	6
1. आन्ध्र प्रदेश	56	47.56	47.56	95.12
2. अरूणाचल प्रदेश	10	5.28	5.28	10.55
3 असम	59	34.74	34.74	69.48
4. बिहार	87	81.54	81.54	163.07
5. गोवा	22	10.14	10.14	20.28
6. गुजरात	127	87.24	87.24	174.47
7. हरियाणा	52	34.00	34.00	67.99
8. हिमाचल प्रदेश	50	12.78	12.78	25.57
9. जम्मू एवं कश्मीर	47	7.88	7.88	15.77
10. कर्नाटक	134	105.12	105.12	210.25
11. केरल	40	37.62	37.62	75.23
12. मध्य प्रदेश	312	244.19	244.19	488.38
13. महाराष्ट्र	132	103.36	103.36	206.71
14. मणीपुर	26	11.00	11.00	22.00
15. मेघालय	4	2.04	2.04	4.08
16. मिजोरम	19	5.68	5.68	11.36
17. नागालैण्ड	5	2.73	2.73	5.47
18. उड़ीसा	76	65.24	65.24	130.47
19. पंजाब	67	35.64	35.64	71.27
20. राजस्थान	110	100.11	100.11	200.22
21. सिक्किम	7	0.82	0.82	1.64
22. तमिलनाडु	122	99.59	99.59	199.19
23. त्रिपुरा	13	7.30	7.30	14.61
24. उत्तर प्रदेश	486	395.03	395.03	790.06
25. पश्चिम बंगाल	73	52.25	52.25	104.50
26. अ. व नि.द्विप समूह	0	0.00	0.00	0.00
27. चण्डीगढ़	0	0.00	0.00	0.00
28. दा.व न. हवेली	1	1.00	0.00	1.00
29. दमन एवं दीव	0	0.00	0.00	0.00
30. दिल्ली	6	4.56	0.00	4.56
31. लक्षद्वीप	4	2.60	0.00	2.60
32. पांडिचेरी	4	2.90	0.00	2.90
योग:	2131	1600	1589	3189

1981 की जनगणना के अनुसार

विवरण -II

अनुमोदित कस्बों की सूची उनकी अनुमानिक लागत और 1993-94 के दौरान दिए गए केन्द्रीय अंश दर्शाने वाला ब्यौरा

सं. राज्य	कस्बों की सं0	कुल अनुमानित लागत (रू. लाखों में)	केन्द्रीय अंश का आवंटन	दिया गया केन्द्रीय अंश	टिप्पणी
1 2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	–	0.00	39.84	0.00	योजनाएं प्राप्त नहीं हुई
2. अरूणाचल प्रदेश	–	0.00	3.96	0.00	
3. आसाम	1	212.23	26.06	26.06	
4. बिहार	–11	0.00	61.15	0.00	योजनाएं प्राप्त नहीं हुई
5. गोवा	2	49.92	7.61	6.24	
6. गुजरात		568.62	65.43	71.08	
7. हरियाणा	4	241.99	25.50	30.25	
8. हिमाचल प्रदेश	2	70.30	9.59	8.79	
9. जम्मू एवं कश्मीर	--	0.00	5.91	0.00	
10. कर्नाटक	9	681.16	71.84	85.15	

1	2	3	4	5	6	7
11.	केरल	1	236.00	28.21	28.21	
12.	मध्य प्रदेश	32	1640.79	103.14	205.10	
13.	महाराष्ट्र	6	682.87	77.52	85.36	
14.	मणिपुर	3	61.23	8.25	7.65	**
15.	मेघालय	--	0.00	1.53	0.00	
16.	मिजोरम	1	44.24	4.26	4.26	**
17.	नागालैण्ड	--	0.00	*2.05	0.00	**
18.	उड़ीसा	5	401.84	48.93	50.23	
19.	पंजाब	.2	226.12	26.73	26.73	
20.	राजस्थान	10	655.73	75.08	81.97	
21.	सिक्किम	–	0.00	0.62	0.00	**
22.	तमिलनाडु	15	657.90	74.70	82.24	
23.	त्रिपुरा	1	41.30	5.48	5.16	
24.	उत्तर प्रदेश	42	2623.04	296.07	327.87	
25.	पश्चिम बगाल	--	324.38	39.19	39.13	
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	–	0.00	0.00	0.00	##
27.	चंडीगढ़	–	0.00	0.00	0.00	##
28.	दादर और नगर हवेली	–	0.00	0.38	0.00	स्कीम प्राप्त नहीं
29.	दमन और द्वीव	–	0.00	0.00	0.00	##.
30.	दिल्ली	--	0.00	1.77	0.00	##
31.	लक्षद्वीप	–	0.00	0.98	0.00	##
32.	पांडिचेरी	–	0.00	1.11	0.00	स्कीम प्राप्त नहीं
	योग	147	9419.66	1200.00	1171.49	

** कस्बे अनुमोदित मानको/दिशा निर्देशों को पूरा नहीं करते।

20,000 से कम आबादी वाले कस्बे नहीं हैं।

[हिन्दी]

फोटोवोल्ट प्रौद्योगिकी

100. श्री बीरसिंह महतो :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के किन-किन ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन एवं भूमि से पानी निकालने के लिए फोटोवोल्ट प्रौद्योगिकी पर आधारित नलकूप एवं सौर लालटेन कार्य कर रहे हैं; और

(ख) किन-किन क्षेत्रों को इस प्रौद्योगिकी के अंतर्गत लाया जाना शेष है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री. एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, बीरभूम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, मिदनापुर, दर्गापुर, पश्चिम दिनाजपुर और 24 परगना जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में चौदह सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणालियां चल रही हैं।

राज्य में बीरभूम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, और 24 परगना जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 466 सौर लालटेनें वितरित की गई हैं।

निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा।

[अनुवाद]

लीज होल्ड परिसम्पत्तियों का फ्री होल्ड परिसम्पत्तियों के रूप में परिवर्तन

101. श्री शशि प्रकाश :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष की पहली तिमाही के दौरान लीज होल्ड परिसम्पत्तियों को फ्री होल्ड परिसम्पत्तियों के रूप में परिवर्तित करने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या इनमें से कई मामले डी. डी. ए. के संबंधित कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता तथा भूमि एवं वितरण अधिकारी (एल. खड डी. ओ.) द्वारा निरीक्षण आदि कार्य पूरा किए जाने/करने के बावजूद अभी तक नहीं निपटाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ये सभी मामले कब तक निपटा दिए जायेंगे?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के थुंगन) : (क) 1994 की पहली तिमाही में दिल्ली विकास प्राधिकरण, भूमि तथा विकास कार्यालय एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार को परिवर्तन के लिए 2127 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) पहली तिमाही के दौरान पट्टा प्रवर्तक प्राधिकरणों द्वारा 3054 आवेदनों को निपटाया गया था।

प्राप्त किये गए आवेदनों को निपटान हेतु सामान्यतः अगली तिमाही में लिया जाता है।

जहां तक तकनीकी स्टाफ द्वारा निरीक्षण करके निपटान की बात है, यह बताया जाता है कि दुरूपयोग / अनधिकृत निर्माण की रिपोर्ट प्राप्त हुए बिना कोई भी मामला निरीक्षण के लिए नहीं भेजा जाता है।

(ग) और (घ). पट्टा प्रवर्तक प्राधिकरणों द्वारा लम्बित आवेदनों को 90 दिनों के अन्दर निपटाने के लिए भरसक प्रयत्न किए जाते है बशर्ते कि सभी औपचारिकताएं पूरी हों । इस प्रयोजनार्थ लोक अदालत एवं विशेष अभियान आयोजित किए जाते हैं।

रोजगार योजनाएं

102. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के शिक्षित और अशिक्षित युवाओं हेतु रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिए अपनाई गई योजनाओं / नीतियों की सफलताओं का मूल्यांकन करने हेतु कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं योजना के दौरान प्रस्तावित रोजगार सृजन के लिए योजना आयोग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख). सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) के दौरान रोजगार संवृद्धि की अनुमानित औसत वार्षिक दर 1.89 प्रतिशत थी। यह संवृद्धि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों में विकास का परिणाम थी जिसकी कमियों को विशेष रोजगार कार्यक्रमों द्वारा पूरा किया गया था। प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की विशेष रोजगार स्कीमों मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना ने एक साथ सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3066.05 मिलियन श्रम दिवस के लक्ष्य की तुलना में दैनिक मजदूरी रोजगार के 3496.31 मिलियन श्रम दिवस सृजित किए । एकीकृत ग्रामीण

विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1603.8 मिलियन के लक्ष्य की तुलना में 1817.7 मिलियन परिवारों (इसमें छठी योजना में सहायता प्राप्त 5.2 मिलियन परिवार शामिल है जिन्हें अनुपूरक सहायता उपलब्ध कराई गई थी) को सहायता दी गई थी। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व. रोजगार योजना के अंतर्गत 10 लाख के लक्ष्य की अपेक्षा 8.56 लाख मामलों में बैंक ऋण मजूर किए गए।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रकों, उपक्षेत्रकों और अपेक्षाकृत उच्च रोजगार की संभावना वाले क्षेत्रों के तीव्र विकास के माध्यम से प्रतिवर्ष औसतन 8–9 मिलियन के स्तर तक रोजगार अवसरों की गति बढाने हेतु एक कार्यनीति तैयार की गई है। कार्यनीति में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित और सम्बद्ध क्रियाकलापों और लघु तथा विकेन्द्रीकृत उत्पादक क्षेत्रक के विकास, आधारभूत संरचना और रिहायशी आवास के निर्माण कार्यक्रमों के विस्तार और सेवाओं तथा अनौपचारिक क्षेत्रक क्रियाकलापों के विकास को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है। आठवीं योजना के दौरान उपर्युक्त तरीके के नये अवसरों के सृजन और नौवीं योजना के दौरान इस कार्यनीति को जारी रखने से वर्ष 2002 तक लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति हो जाने की संभावना है।

बिहार में फील्ड फायरिंग रेंज

103. डा0 सुधीर राय :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाटारहट फील्ड फायरिंग रेंज, बिहार के विस्तार का प्रस्ताव इस समय किस चरण में है;

(ख) इसके लिए कितनी भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा और इससे कितने परिवार विस्थापित होंगे; और

(ग) इससे प्रभावित परिवारों के लिए प्रस्तावित क्षतिपूर्ति का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नाटारहट फील्ड फायरिंग रेंज के विस्तार के प्रस्ताव में प्रगति नहीं हो रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी

104. श्री श्रीकान्त जेना :
श्री रामविलास पासवान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी अपर्याप्त सुरक्षोपायों के कारण क्षय रोग से पीड़ित हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कर्मचारियों को इस पर्यावरणीय

संकट से बचाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

गुजरात में केन्द्रीय पूंजी निवेश

105. श्री हरिसिंह चावड़ा :

श्री अन्ना जोशी :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1992–93,1991–92, और 1990–91 की तुलना में 1993–94 के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र में केन्द्रीय पूंजी निवेश मे कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त राज्यों में केन्द्रीय निवेश बढ़ाने के लिए सरकार क्या उपचारात्मक कदम उठाने जा रही है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख). राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए पूरे देश के लिए केन्द्रीय योजना निवेश किया जाता है। इसकी आयोजना और गिनती राज्यवार नहीं की जाती है।

(ग) आठवीं योजना के लिए तय की गई प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए इस संबंध में गुजरात और महाराष्ट्र के प्रस्ताव जैसे ही प्राप्त होंगे उन राज्यों की कोटि और प्राथमिकताओं पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

कश्मीरी आतंकवादी

106. श्री दत्ता मेघे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान और आज तक कितने कश्मीरी उग्रवादियों को रिहा किया गया;

(ख) इन्हें रिहा करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन उग्रवादियों की रिहाई का राज्य में शान्ति स्थापित करने के प्रयासों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, आतंकवादी गतिविधियों में संदिग्ध रूप से लिप्त होने के लिए गिरफ्तार किए गए 3700 व्यक्तियों को वर्ष 1993 और 1994 (15.11.94 तक) के दौरान रिहा किया गया। ये रिहाइयां, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के अधीन सक्षम न्यायालयों द्वारा जमानती आदेश देने, पैरोल, निरूद्धीकरण, के आदेशों के समाप्त होने, रद्द किए जाने तथा राज्य सरकार द्वारा गठित संवक्षी समिति द्वारा की गई पुनरीक्षा और सिफारिशों के आधार पर की गई थी।

इस तरह से रिहा किए गए व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है तथा इस प्रकार की रिहाइयों का शांति बनाए रखने के प्रयासों पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

सरकारी क्वार्टरों का बिना बारी के आवंटन

107. श्री पंकज चौधरी :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय द्वारा गत छः महीनों के दौरान श्रेणी–वार कितने सरकारी कर्मचारियों को बिना बारी के आधार पर सरकारी क्वार्टर आवंटित किये गये हैं।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. के थुंगन) : गत 6 माह (जून 94 से नवम्बर 94 तक) के दौरान बिना बारी आधार पर आवंटित क्वार्टरों की श्रेणीवार संख्या इस प्रकार है :

टाईप	आबंटित क्वार्टरों की संख्या
I	134
II	522
III	508
IV	121
IV (एस पी एल)	06
V ए (डी–II)	60
V बी (डी–I)	35
VI ए (सी–II)	26
योग	1412

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में मतदाता सूचियां

108. डा0 पी0 वल्लल पेरूमान :

श्री नारायण सिंह चौधरी :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर राज्य में विधान सभा चुनाव के लिए मतदाता सूची को अद्यतन करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा;

(ग) क्या मतदाता सूचियों में सभी प्रवासियों के नाम सम्मिलित कर लिए जायेंगे;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच0 आर0 भारद्वाज) : (क) और (ख). निर्वाचन आयोग ने जम्मू-कश्मीर राज्य में अर्हता की तारीख के रूप में 1.1.1995 के प्रति निर्देश करते हुए निर्वाचक नामावलियों के, संक्षिप्त पुनरीक्षण का आदेश किया है, और इसके द्वारा ऐसे पुनरीक्षण के लिए विहित कार्यक्रम के अनुसार नामावलियों के तारीख 3 मार्च, 1995 को अंतिम रूप से प्रकाशित किए जाने की संभावना है।

(ग) निर्वाचन आयोग ने ऐसे निवासियों के नामांकन के लिए, जिन्होंने अपने मामूली तौर पर निवास स्थान से अस्थायी रूप से प्रवास किया है, आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च). जम्मू-कश्मीर सरकार ने नया परिसीमन आयोग गठित किया है और उसका कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

डी. ए. पी. का आयात

109. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

श्री नारायण सिंह चौधरी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरक उद्योग आवश्यक मात्रा में डी. ए. पी. का आयात नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1994 की रबी फसल के बुआई महीनों के दौरान डी. ए. पी. की कमी के लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं;

(घ) सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिये क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने हाल ही में डी. ए. पी. की कीमतों में वृद्धि की है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिक विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुअर्डो फैलोरो): (क) और (ख). डाई-अमोनिएम फास्फेट (डीएपी) 25.8.1992 से मूल्य और परिवहन नियंत्रणों की परिधि से बाहर है। डीएपी का आयात 17.9.1992 से असरणीबद्ध कर दिया गया है और कोई भी इसे देश में आयात करने के लिए स्वतंत्र है। अतः बाजार शक्तियां उद्योग और व्यापार द्वारा आयात की जाने वाली डीएपी की मात्राओं का निर्धारण करती है।

(ग) और (घ). बाजार शक्तियां देश में डीएपी की उपलब्धता भी निर्धारित करती है। चालू रबी मौसम के दौरान देश में डीएपी की उपलब्धता कुल मिलाकर संतोषजनक है।

(ङ) और (च). भारत सरकार डीएपी के मूल्य निर्धारित नहीं करती। तथापि, राज्य सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फासफोरिक एसिड और अमोनिया जैसे निवेशों के मूल्यों में वृद्धि के कारण विशेष रियायत योजना के अन्तर्गत स्वदेशी डीएपी के निर्देशक मूल्य हाल ही में बढ़ाये हैं।

[हिन्दी]

जीपों का निर्माण

110. श्री रामपाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में जोंगा जीपों का निर्माण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनका उत्पादन कब तक शुरू कर दिया जायेगा; और

(ग) यह जीप बाजार में बिक्री हेतु किस मूल्य पर मिलेगी?

रक्षा मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). वाहन निर्माणी, जबलपुर सेना के लिए पहले से ही जोंगा जीपों का निर्माण कर रही है। इसने सिविल बाजार के लिए डीजल इंजन वाली संशोधित जोंगा बनाने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है ताकि यह अपनी अतिरिक्त क्षमता का उपयोग कर सके। इस वाहन का 10/11/12 सीटों वाले तीन माडलों में पुनर्निर्माण किया गया है। यह वाहन सैन्य मानकों के अनुरूप है जोकि न केवल मजबूत है बल्कि यह प्रति लीटर 16 कि0मी0 (परीक्षण परिस्थितियों में) की उच्च ईंधन क्षमता रखता है तथा त्वरित रूप से गति पकड़ने की क्षमता रखता है और ग्यारह सेकंड में 60 कि0मी0 की गति प्राप्त कर सकता है व इसकी अधिकतम गति 120 कि0मी0 प्रति घंटा है और चढ़ाई पर चढ़ने की क्षमता तीन में एक है।

2. वाहन निर्माणी जबलपुर में उपलब्ध मौजूदा आधारभूत संरचना में मामूली समायोजन कर उसका उपयोग शुरू में सिविल बाजार के लिए प्रतिवर्ष लगभग 4000 जोंगा जीपों के उत्पादन के लिए किया जाएगा। सिविल बाजार में बिक्री के लिए नए माडल वर्ष 1995 से उपलब्ध हो जाएंगे।

3. स्थानीय करों को छोड़कर, तीनों माडलों के निर्दिष्ट मूल्य 2.78 लाख रुपए, 3.45 लाख रुपए तथा 3.65 लाख रुपए हैं।

नारियल जटा उद्योग

111. श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीनों, नारियल जटा की चटाइयों तथा जालीदार चटाइयों की बड़ी मांग हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य देशों में इसकी मांग के वर्तमान स्तर को बनाये रखने के लिये सरकार का विचार नारियल जटा उद्योग को निर्यात उद्योग का दर्जा देने तथा उसे प्रोत्साहन देने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ सरकार का विचार क्वायर बोर्ड की कारगरता को आंकने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) कयर उत्पाद जैसे यार्न, मैटिंग, कारपेटों की विश्व बाजार में उच्च प्रवृत्ति है। कयर निर्यात 1986–87 में 23214 मी0 टन जिसका मूल्य 31.4 करोड़ रूपये है, से बढ़कर 1993–94 में 37951 मी0 टन हो गया है जिसका मूल्य 129.3 करोड़ रुपया है।

(ख) कयर उद्योग एक निर्यातोन्मुख उद्योग है। कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 10 (क) और (ङ) के अनुसार कयर बोर्ड के मुख्य कार्य कयर यार्न और कयर उत्पादों के निर्यातों को बढ़ावा देना तथा इस संबंध में प्रचार–प्रसार करना और भारत में तथा अन्यत्र नारियल जटा, कयर फाइबर, कयर यार्न तथा कयर उत्पादों के विपणन में सुधार लाना और अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकना है। भारत सरकार ने 1993 में कयर बोर्ड को निर्यात संवर्धन परिषद के रूप में मान्यता दी है। कयर बोर्ड उपर्युक्त दिशा में जोरदार प्रयास कर रहा है।

(ग) लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग कयर बोर्ड के कार्य की निरंतर समीक्षा कर रहा है। कयर बोर्ड ने निर्यात में विशेष करके पिछले पांच वर्षों के दौरान पर्याप्त रूप से निरंतर वृद्धि हासिल की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

न्यायाधीशों की नियुक्तियां

112. श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 1994 से 30 नवम्बर,1994 के दौरान प्रत्येक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कितने न्यायाधीश नियुक्त किए गए;

(ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने न्यायाधीशों के चयन और नियुक्तियों की वर्तमान प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में वर्तमान न्यायाधीशों की संख्या कितनी है;

(घ) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में इस समय न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं;

(ङ) इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा;

(च) क्या सरकार का विचार सभी श्रेणियों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में वृद्धि करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ओर वेतन और भत्तों का वर्तमान ढांचा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क), (ग) और (घ). अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 (2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात्, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 (1) के अधीन, राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्, की जाती है।

(ङ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विद्यमान रिक्त पदों को भरने के लिए, संबद्ध सांविधानिक प्राधिकारियों के बीच परामर्श की प्रक्रिया जारी है। तथापि, यह बताना संभव नहीं है कि कितने समय में यह रिक्तियां भरी जा सकेंगी।

(च) जी नहीं।

(छ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वर्तमान वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियां उपाबद्ध विवरण–II में दिए गए हैं।

क. विवरण -I

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	1–1–94 से 30–11–94 तक नियुक्त न्यायाधीशों की सं. स्थायी	अपर	30–11–94 को स्थायी/अपर न्यायाधीशों की वास्तविक संख्या	30–11–94 को रिक्त की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद	8	–	66	4
2.	आन्ध्र प्रदेश	2	–	27	2
3.	मुंबई	2	6	40	14
4.	कलकत्ता	7	-	36	12
5.	दिल्ली	-	4	25	6
6.	गुवाहाटी	2	–	13	4
7.	गुजरात	-	4	25	5
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	7	1
9.	जम्मू कश्मीर	–	1	7	4
10.	कर्नाटक	8	2	28	2
11.	केरल	2	2	21	3
12.	मध्य प्रदेश	8	–	22	8
13.	मद्रास	8	–	25	4
14.	उड़ीसा	–	3	12	3
15.	पटना	8	–	34	3
16.	पंजाब और हरियाणा	6	2	31	6

1	2	3	4	5	6
17.	राजस्थान	4	–	23	3
18	सिक्किम	–	–	2	1
	योग	65	24	444	85

ख. उच्चतम न्यायालय

(i) 1.1.94 से 30.11.94 तक नियुक्त न्यायाधीशों की सं.–4

(ii) 30.11.94 को वास्तविक पदों की संख्या 22

(iii) 30.11.94 को रिक्त पदों की संख्या –4

विवरण -II

1 उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मूल वेतन के रूप में प्रति मास 8000 रू0 प्राप्त करता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश प्रति मास 9000 रू0 प्राप्त करता है। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति प्रति मास 10,000 रू0 प्राप्त करता है।

2. महत्वपूर्ण परिलब्धियां और भत्ते नीचे दर्शित किए गए हैं:

(I) **किराया मुक्त आवास** : न्यायाधीशों को किराया मुक्त सुसज्जित आवास अनुज्ञात किया जाता है।

(II) **निःशुल्क साज-समान** : 25.11.1994 से निःशुल्क साज– सामान के लिए सीमा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के लिए 1.25 लाख रूपए तक और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 1 लाख रूपए तक बढ़ा दी गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में, सीमा को 70,000 रूपए तक और मुख्य न्यायमूर्ति के संबंध में 1 लाख रूपए तक बढ़ा दिया गया है।

(III) **निःशुल्क सवारी सुविधा** : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रतिमास 150 लीटर पेट्रोल या वास्तविक उपभोग, इनमें जो भी कम हो, की व्यवस्था के साथ एक कार और एक चालक का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात किए गए हैं।

(IV) **सत्कार भत्ता** : इस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को सत्कार भत्ते के रूप में प्रतिमास 1250 रू0 और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्रतिमास 750 रू0 सदत्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को प्रतिमास 500 रू. और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रतिमास 300 रू. सदत्त दिये जाते हैं।

(V) **निःशुल्क जल और विद्युत** : उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए प्रति वर्ष 17000 यूनिट विद्युत और 4,320 किलो लीटर जल अनुज्ञात किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में यह सीमा प्रति वर्ष 10,000 यूनिट विद्युत और 3,600 किलो लीटर जल है।

(VI) **सेवानिवृत्ति के उपरान्त फायदे** : उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को व्यवस्थित भत्ते के रूप में प्रतिमास 1,750 रू0 अनुज्ञात किए जाते हैं और उन्हे उनके जीवन काल के दौरान 1500 काल प्रति मास की निःशुल्क टेलीफोन सुविधा दी जाती है। इन फायदों को आय–कर से छूट प्राप्त है।

(VII) **प्रतिकरात्मक भत्ता** : किसी न्यायाधीश के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के मामले में वेतन का 10 प्रतिशत प्रतिकरात्मक भत्ते के रूप में दिया जाता है।

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं

113. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तारापुर में 500 मेगावाट क्षमता के दो अतिरिक्त उन्नत परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं का कार्य धनराशि की कमी के कारण गत दो वर्षो से पूर्णतः रूका पड़ा है;

(ख) सरकार ने इन दो एककों के लिए अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की है;

(ग) क्या सरकार इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना के तीसरे तथा चौथे यूनिट (2 × 500 मेगावाट क्षमता वाले यूनिट) को अनुमोदित किया गया था और इसके लिए परियोजना वित्तीय संस्वीकृति जनवरी, 1991 में जारी की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण और लम्बे समय में प्राप्त होने वाली मदों को प्राप्त करने के लिए अग्रिम कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। इनमें से कुछ मदें प्राप्त करके स्थल पर रख दी गई हैं। सिविल निर्माण–कार्य शुरू करने के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निर्माण संबंधी परमिट भी दिया गया था। मुख्य संयंत्र के सिविल निर्माण कार्यों को शुरू करने के बारे में विचार, इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

(ख) सितम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार, इस परियोजना पर कुल मिलाकर लगभग 640 करोड़ रूपए व्यय किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ). इस परियोजना में निजी ईक्विटी सहभागिता के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

लघु पनविद्युत परियोजनाएं

114- श्री शान्ताराम पोतदुखे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना मे पूर्व

प्रयोज्य ऊर्जा के स्रोतों के अंशदान में वृद्धि करने संबंधी कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लघु पनविद्युत परियोजनाओं के लिए किन्हीं सम्भावित स्थानों का चयन किया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार ऐसे कितने स्थानों का चयन किया गया है; और

(ङ) ऐसी परियोजनाओं के माध्यम से कितनी बिजली का उत्पादन होगा?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस0 कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने एक कार्यनीति और कार्य योजना तैयार की है, जिसमें आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए अपने कार्यक्रमों के लक्ष्यों को कई गुना बढ़ाया है। संशोधित लक्ष्य विवरण-I में संलग्न है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों के अंशदान को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(ग) और (घ). राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर इस मंत्रालय ने 3 मेवा स्टेशन क्षमता तक की लघु पनबिजली परियोजनाओं के लिए अब तक 1344 संभाव्य स्थलों की एक सूची तैयार की है। राज्यवार ब्यौरा विवरण-II में संलग्न है।

(ङ) अब तक कुल 113 मेवा लघु पनबिजली क्षमता की स्थापना की गई है और 216 मेवा से अधिक क्षमता निर्माणाधीन है। पहचान किए गए 1344 स्थलों की अनुमानित संभाव्यता लगभग 1170 मेवा है। कुल 250 मेवा से अधिक क्षमता वाले संभाव्य स्थलों पर सर्वेक्षण अनुसंधान और संभाव्यता कार्य प्रगति पर है।

विवरण -I

आठवीं योजना के लिए गई "कार्यनीति और कार्य योजना" के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्य

क्र. सं	कार्यक्रम	आठवीं योजना के लिए वास्तविक लक्ष्य/उद्देश्य	
		आठवीं योजना के दौरान जैसा कि मूलतः परिकल्पना की गई थी।	संशोधित लक्ष्य*
1	2	3	4
(क)	**विद्युत उत्पादन**		
1.	पवन विद्युत	100 मेवा**	500 मेवा
2.	लघु पन बिजली	200 मेवा**	600 मेवा
3.	सौर प्रकाशवोल्टीय	3 मेवा	25 मेवा
	(क) सौर लालटेन		4 लाख सं.
	(ख) सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत पैक		400 सं.
4.	सौर तापीय विद्युत	–	30 मेवा
5	बायोमास/बायोऊर्जा	300 मेवा*	800 मेवा
	(क) बायोमास गैसीकरण		50 मेवा
	(ख) कम्बस्टन और सह उत्पादन		300 मेवा
	(ग) शहरी और नगरीय अपशिष्ट		100 मेवा
	(घ) औद्योगिक अपशिष्ट का पुनः चक्रण		300 मेवा
	(ङ) बायोमास सघनीकरण (ब्रिक्रेटिंग)		50 मेवा
		603 मेवा	1955 मेवा
(ख)	**प्रोसस हीट और खाना पकाने की ऊर्जा कुल विद्युत**		
6.	सौर तापीय प्रणालियॉं	2.75 लाख वर्ग मी.	11.00 लाख वर्ग मी
7.	बायोगैस	7.50 लाख सं.	10 लाख सं.***
8.	उन्नत चूल्हा	100 लाख सं.	180 लाख सं.***
9.	सौर कुकर	3.0 लाख सं.	7.0 लाख सं.

* निजी क्षेत्र शामिल है।

* अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को जुटाने के अध्यधीन ।

*** निकट भविष्य में सभी संभाव्य लाभार्थियों को शामिल किया जाना।

विवरण -2

3. मेवा क्षमता **तक की पहचान की गई लघु पन बिजली परियोजनाओं की राज्यवार सूची

क्र. स.	राज्य	संख्या	क्षमता (मेवा)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	23	30.80
2.	अरूणाचल प्रदेश	190	112.52
3.	आसाम	10	15.19
4.	बिहार	110	133.52
5.	गोआ	1	1.50
6.	गुजरात	37	26.78
7.	हियाणा	14	14.30
8.	हिमाचल प्रदेश	145	167.08
9.	जम्मू और कश्मीर	27	29.64
10.	कर्नाटक	28	30.15
11.	केरल	140	156.19
12.	मध्य प्रदेश	41	38.46
13.	महाराष्ट्र	122	68.17
14.	मणीपुर	30	1.70
15.	मेघालय	36	7.76
16.	मिजोरम	23	14.68
17.	नागालैंड	6	3.26
18.	उड़ीसा	48	28.25
19.	पंजाब	112	04.12
20.	राजस्थान	24	17.34

1	2	3	4
21.	सिक्किम	3	6.50
22.	तमिल नाडु	15	25.15
23.	त्रिपुरा	5	3.35
24.	उत्तर प्रदेश	111	81.80
25.	पश्चिम बंगाल	69	69.28
26.	अंडमान और निकोबार	1	3.00
	योग	1344	1170.49

** विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों/एजेंसियों से उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार

[हिन्दी]

जीरॉक्स आपरेटर

115. श्री रामटहल चौधरी :
श्री तेजनारायण सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार में ड्राइवर के पद को वर्गीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जीरॉक्स आपरेटरों का भी इसी आधार पर वर्गीकरण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) स्टाफ कार ड्राइवरों के पद को "सामान्य ग्रेड" ग्रेड-"II" तथा ग्रेड-"I" में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रायः जीरॉक्स मशीन, फोटोकापियर को चलाने का कार्य समूह "घ" के सामान्य संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। समूह "घ" संवर्ग में जीरॉक्स आपरेटरों के पदों की संख्या कम तथा इक्की-दुक्की है। समूह-"घ" के अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध पदोन्नति के अवसर उनको भी प्राप्त हैं। इस प्रकार ड्राइवरों के पद से इनकी किसी प्रकार तुलना नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

परमाणु विद्युत कार्यक्रम

116. श्री पी. कुमारासामी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 सितम्बर, 1994 के "बिजिनेस स्टैंडर्ड" में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार धन की कमी के कारण देश में परमाणु विद्युत कार्यक्रम की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ परियोजनाओं के दीर्घ अवधि से विचाराधीन होने के कारण भी परमाणु विद्युत क्षेत्र की भावी प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। उठाने जा रही है?

प्रधान मंत्री के कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) न्यूक्लियर विद्युत परियोजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था करना निम्नलिखित के कारण प्रभावित हुआ है (i) बड़े आन्तरिक अधिशेष तैयार करने के लिए परमाणु बिजली घरों का सीमित परिचालनात्मक आधार (ii) विदेशों से धनराशि प्राप्त होने का कोई अवसर न होना और (iii) सरकार के सामने आई वित्तीय कठिनाइयों के साथ-साथ धनराशि के प्रबंध के लिए अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक दावे होना। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिन परियोजनाओं का निर्माण-कार्य शुरू किया जाना प्रस्तावित है, अर्थात तारापुर, (टी. ए पी पी 3 तथा 4) में 500 मेगावाट क्षमता वाले दो यूनिट, केगा (केगा 3 से 6) में 220 मेगावाट क्षमता वाले चार यूनिट और राजस्थान (राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना 5 तथा 6) में 500 मेगावाट क्षमता वाले दो यूनिट, उनके संबंध में धनराशि संबंधी अड़चने आ रही है, हालांकि लम्बे समय में प्राप्त होने वाले और महत्वपूर्ण किस्म के उपस्करों को प्राप्त करने/निर्माण करने के लिए अग्रिम कार्रवाई की जा चुकी है, और ऊपर उल्लिखित परियोजनाओं के लिए कुछ उपस्कर और मशीनरी तैयार किए जा चुके/प्राप्त किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ). पूर्व में, परमाणु विद्युत परियोजनाओं के बनकर तैयार होने में, प्रौद्योगिकी के विकास के लिए किए गए प्रयासों के कारण लम्बा समय लगता रहा है। तथापि, इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने से प्राप्त अनुभव के बाद परियोजनाओं के बनकर तैयार में लगने वाला समय उत्तरोत्तर घट गया है। परियोजना के बनकर तैयार होने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगने के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि मुख्यतः मूल्य-वृद्धि और निर्माण के दौरान लगने वाले ब्याज की वजह से होती है। भारत में न्यूक्लियर विद्युत उत्पादन पर आने वाली लागत कोयले की खानों से दूर स्थित स्थलों पर स्थापित कोयले को ईंधन के रूप में काम मे लाकर किए गए तापीय विद्युत उत्पादन से आमतौर पर सस्ती पड़ती रही है।

(ङ) परमाणु बिजली कार्यक्रम के लिए धनराशि की व्यवस्था करने हेतु किए जाने वाले उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं : (i) भारत सरकार से पर्याप्त बजटीय सहायता प्राप्त करना (ii) संयुक्त प्रयास आधार पर ऐसी न्यूक्लियर विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने की संभावना का पता लगाने के लिए किए गए प्रयास जिनमें लाभभोगी राज्य सरकारों की सहभागिता हो। परियोजनाओं के बनकर तैयार होने की अवधि को यथासंभव सीमा तक कम करने के लिए किए गए प्रयासों में क्रमिक मानकीकरण, बढ़ा हुआ यन्त्रीकरण, आपूर्ति की और कार्यों की पैकेजिंग का स्तर बढाना और परियोजना प्रबन्धन को और अधिक सुदृढ़ बनाना शामिल है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं

117. श्री काशी राम राणा :

श्री पूर्णचन्द्र मलिक :

श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि,

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की लागत वृद्धि की जांच करने वाले उच्च स्तरीय दल की सिफारिशों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उच्च स्तरीय दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की लागत वृद्धि होने से बचाने के लिए क्या नीति अपनाने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग). विषय सरकार के विचाराधीन है और सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

केरल में केन्द्रीय निवेश

118. श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास केरल सरकार का राज्य में नए केन्द्रीय निवेश और विद्यमान सरकारी उपक्रमों के आधुनिकीकरण हेतु प्रस्ताव लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन पर क्या निर्णय लिया गया है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल राज्य में आधार स्तर पर सरकारी क्षेत्र का कोई उद्यम स्थापित करके नए सिरे से निवेश करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया है। बहरहाल, केरल में स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के मौजूदा उद्यमों में अनुमोदित नई परियोजनाओं/योजनाओं का विवरण निम्नलिखित है :

(करोड़ रूपये में)

परियोजना का नाम	परियोजना की अनुमानित लागत	8वीं योजना हेतु अनुमोदित परिव्यय
1	2	3
1. नया अमोनिया संयंत्र (पुराने को हटाने के लिए)	618.00	550.00
2. क्षमता उपयोग में सुधार (कोचीन शिपयार्ड)	18.70	11.20
3. अतिरिक्त जहाज मरम्मत सुविधाएं (कोचीन शिपयार्ड)	80.00	25.00
4. फिनॉल विस्तार (एच.ओ.सी.एल)	50.00	10.00
5. प्रोपाइलिन ट्रिमर (जे.वी.सी) (कोचीन शिपयार्ड)	14.00	2.50
6. मेलोइक एंण्ट्रिड (जे.वी.सी.) (कोचीन रिफाइनरी)	56.00	5.00
7. इपीकोरोहाइड्रिन (कोचीन रिफाइनरी)	100.00	4.50

स्वच्छ पेयजल

119. श्री के. प्रधानी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरात्र स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने संबंधी कार्यक्रम का विस्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास संपूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में आठवीं योजना हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ पेजयल कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी हां।

(ख) 1993–94 में त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम सहित राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत 740 करोड़ रूपए के परिव्यय की तुलना में वर्ष 1994–95 के परिव्यय को बढ़ाकर 890 करोड़ रूपए कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप स्वच्छ पेयजल की गतिदिधियों/योजनाओं। में वृद्धि हुई है।

(ग) जी हां।

(घ) लक्ष्य वर्ष–दर वर्ष आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "बिना पेयजल स्रोत" वाली सभी बस्तियों में स्वच्छ पेयजल का कम से कम एक और स्रोत उपलब्ध कराया जायेगा।

(ङ) 31. 3. 97 तक सम्पूर्ण जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया करा दिये जाने की संभावना है । आठवीं और नवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आंशिक रूप से कवर किये गये गांवों/सर्वेक्षणाधीन जनसंख्या को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण रूप से कवर कर लिया जायेगा।

[हिन्दी]

पी. एस. एल. वी. डी.–2

120. डा0 साक्षीजी :

श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी. एस. एल. वी. डी.–2 को हाल ही में छोड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी सभी प्रणालियां सही ढंग से कार्य कर रही हैं;

(ग) इस पर कितना व्यय किया गया;

(घ) इसमें कितने प्रतिशत स्वदेशी पूर्जों का प्रयोग किया गया;

(ङ) अब तक इस श्रृंखला में कितने उपग्रह छोड़े जा चुके हैं और इस प्रकार के उपग्रह छोड़ने वाले देशों में भारत की क्या स्थिति है; और

(च) क्या भारत द्वारा इस प्रकार के उपग्रहों के छोड़े जाने पर किसी अन्य देश ने इस आधार पर आपत्ति की है कि यह प्रक्षेपण प्रक्षेपास्त्र नियंत्रण प्रणाली के अनुरूप नहीं है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा तथा अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). जी, हां। ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट –डी 2 (पी.एस. एल. वी. डी.–2) को ध्रुवीय कक्षा में भारतीय सुदूर संवेदन (आई आर एस–पी 2) उपग्रह को कक्षा में स्थापित करते हुए, श्रीहरिकोटा से अक्तूबर 15, 1994 को सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। उपग्रह को अक्तूबर 16,1994 को कार्यशील किया गया और इसकी सभी उपप्रणलियां संतोषप्रद रूप में कार्य कर रही हैं।

(ग) पी. एस. एल. वी. परियोजना की कुल लागत 415.00 करोड़ रूपये के लगभग है, जिसमें दो प्रमोचक राकेटों और अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना, जिन्हें भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एस.एल.वी.) के लिए भी प्रयुक्त किया जाएगा, की लागत शामिल है। पी.एस.एल.वी राकेट की एक यूनिट की लागत लगभग 45.00 करोड रूपये हैं।

(घ) पी.एस.एल.वी. में लगभग 70 प्रतिशत स्वदेशी पुर्जों का प्रयोग किया गया है।

(ङ) आई.आर.एस. श्रृंखला में अब तक तीन सुदूर संवेदन उपग्रह सफलतापूर्वक छोड़े जा चुके हैं, जिसमें से हाल ही में छोड़ा गया आई.आर.एस.पी–2 उपग्रह हमारे अपने पी.एस.एल.वी.डी–2 राकेट द्वारा छोडा गया था। ऐसे सुदूर संवेदन उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमरीका, रूस, जापान, चीन, और यूरोपियन, अन्तरिक्ष एजेन्सी के बाद भारत का विश्व में छठा स्थान है।

(च) जी, नहीं।

[अनुवाद]

सुरक्षा कर्मचारी

121. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्री अमर पाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य में नियुक्त सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा आत्महत्या के मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992–93 और 1993–94 के दौरान ऐसे कितने मामले हुए हैं और इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सूचित किया गया है कि वर्ष 1992, 1993 और 1994 (नवम्बर तक) के दौरान सुरक्षा बलों के 26 कार्मिकों ने मुख्यतः घरेलू समस्याओं और कुछ एक मामलों में मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या की है।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का विस्तार

122. श्री सी पी मुदालगिरियप्पा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अर्थ भूवर्स लिमिटेड का आस्ट्रेलिया के सहयोग से विस्तार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय मे राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रुग्ण एककों को श्रमिक सहकारिताओं को सौंपना

123. श्री साईमन मराण्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक सहकारिताओं ने कुछ रूग्ण एककों को पुन चालू करने एवं उन्हें अर्थक्षम बनाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी गत तीन वर्षों का राजयवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार अथवा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा श्रमिक सहकारिताओं को सौंपे जाने वाले ऐसे रूग्ण एककों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). सरकारी

क्षेत्र के रूग्ण एकक के प्रबन्धन का संचालन कामगारों की सहकारी समितियों द्वारा किए जाने का प्रस्ताव था, परन्तु सरकारी क्षेत्र के किसी एकक का संचालन कामगारों की सहकारी समितियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। सरकारी क्षेत्र के रूग्ण एकक के प्रबन्धन का भार कामगारों की सहकारी समितियों को सौंपा जाना समिति द्वारा तैयार किए प्रस्ताव की अर्थक्षमता पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

खोई पर आधारित सह-विद्युत उत्पादन कार्यक्रम

124. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की सहायता से देश में खोई पर आधारित सह–विद्युत उत्पादन कार्यक्रम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन राज्यों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लिया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितने विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है;

(घ) उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) यह कार्यक्रम सभी चीनी उत्पादक राज्यों के लिए होगा।

(ग) विद्युत उत्पादन के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 60 मेवा तक की समग्र क्षमता की निजी क्षेत्र सह–उत्पादन परियोजनाओं को शुरू किए जाने की उम्मीद है।

(घ) और (ङ). विश्व पर्यावरणीय सुविधा के प्रति अमेरिकी वचनवद्धता के भाग के रूप में शुरू किए जाने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य खोई आधारित ऐसे सह उत्पादन संयंत्रों के वाणिज्यीकरण का प्रदर्शन और संबर्द्धन करना है जो बेमौसम विद्युत उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर रहने के बजाय अनुपूरक बायोमास ईंधनों पर निर्भर करते हैं। अनुपूरक बायोमास के इस्तेमाल के लिए खोई सह–उत्पादन संयंत्रों की बढ़ी हुई लागतों के लिए अतिरिक्त निवेशों में मदद करने के लिए यह कार्यक्रम वित्तीय संस्थाओं और निजी क्षेत्र के साथ कार्य करेगा। जबकि इस कार्यक्रम पर सिद्धांत रूप में सहमति हो गई है, इसका कार्यान्वयन दो सरकारों द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदन कर दिए जाने और परियोजना अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद शुरू किया जाएगा।

नौसेना के लिए पोतों की प्राप्ति

125 डॉ. कृपासिंध भोई :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौसेना के लिए कुछ और पोत प्राप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो कितने पोत प्राप्त करने का प्रस्ताव है; और

(ग) पोतों के बेड़े के प्रस्तावित विस्तार का उद्देश्य क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) नौसेना के पोत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी *के 19 पोतों का निर्माण कार्य चल रहा है।*

(ग) ये पोत, छंटनी किए जाने के लिए निर्धारित पोतों के स्थान पर अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किए जाएंगे।

[हिन्दी]

परती-भूमि विकास

126. श्री मृत्युन्जय नायक :

क्या **प्रधान मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में परती भूमि विकास परियोजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या परती भूमि तथा क्षारीय भूमि पर वन–रोपण हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं हेतु योजना–वार कौन–कौन से जिले चुने गए हैं;

(घ) इस परियोजना के अंतर्गत कितनी भूमि (हैक्टेयर में) को शामिल किया गया है/शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इससे कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजरभूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) से (ङ). आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सभी निर्वाचन अधिकारियों के पूर्ववृत्त की जांच

127. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से निर्वाचन से संबंधित सभी अधिकारियों के पूर्ववृत्त की संवीक्षा करने के लिए कहा है और राजनीति में रूचि रखने वाले सभी अधिकारियों को बदल दिए जाने की अपेक्षा की है;

(ख) क्या मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह प्रक्रिया ऐसे सभी राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं, अपनायी गई है; और

(ग) मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा कितने अधिकारियों के विरूद्व आरोप लगाए गए है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गुजरात की पेयजल योजनाएं

128. श्री दिलीप भाई संघाणी :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों से अब तक गुजरात के शहरी क्षेत्रों की कितनी पेजयल योजनाओं को स्वीकृति दी गई;

(ख) इन योजनाओं के लिए योजना–वार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) किन किन शहरों के लिए ऐसी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) 20,000 से कम आबादी वाले शहरों की शहरी सुलभ जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत गुजरात राज्य में 8 योजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(ख) और (ग). 71.08 लाख रूपये की धनराशि जारी कर दी गई है। योजना–वार नियतन तथा उन शहरों के नाम जिनके लिए ये योजनाएं मंजूर की गई हैं, संलग्न विवरण में देखें।

विवरण

केन्द्र प्रवर्तित शहरी सुलभ जलापूर्ति कार्यक्रम वार्षिक योजना 1993-94 के दौरान केन्द्रीय सहायता के नियतन हेतु मंजूर शहर-वार योजनाओं की सूची

राज्य गुजरात (रू लाखों में)

क्र. सं.	शहर का नाम	जिला	आबादी 1991 की जन–गणना	सुविधा स्तर (वर्तमान/प्रस्तावित	योजना श्रेणी नई/संवर्धन/पुनर्वास	अनुमानित लागत (1991के अनुसार	प्रति शहर लागत (रूपये)	केन्दीय अंश का लाभ 7 का 50%	केन्दीय (अनुमोदित केन्द्रीय अंश का 25%
1.	धरमपुर	वलसाढ़	16584	15/70	संवर्धन	47.42	286.00	23.71	5.93
2.	बनतवा	जूनागढ़	15349	15/70	संवर्धन	68.89	448.00	34.45	8.61
3.	धरेल	जामनगर	17060	16/70	संवर्धन	130.00	762.00	65.00	16.25
4.	सूरजकराडी	जामनगर	14325	14/70	संवर्धन	80.00	558.00	40.00	10.00
5.	ओखापोरट	जामनगर	13342	14/70	संवर्धन	55.00	412.00	27.50	6.88
6.	जोडिया	जामनगर	12083	16/70	संवर्धन	92.13	762.00	46.07	11.52
7.	बरवाला	अहमदाबाद	13485	15/70	संवर्धन	38.83	288.00	19.45	4.86
8.	मेनदर्दा	जूनागढ़	13142	19/70	संवर्धन	56.29	428.00	28.15	7.04
	योग					568.62		284.31	71.08

[अनुवाद]

न्यूजप्रिंट का उत्पादन

129. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने डी. इन्कड पल्म से केरल में वैलोर स्थित हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड को चालू करने हेतु पूंजी निवेश करने का अन्तिम निर्णय ले लिया है, ताकि न्यूजप्रिंट का समुचित उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि जंगली कच्चे सामान की कमी के कारण अखबारी कागज का उत्पादन प्रभावित न हो, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड का अपने कारखाने में प्रतिदिन 200 टन क्षमता वाले स्याही मिटाने के संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव है। कंपनी ने इस संबंध में एक परियोजना रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है। सरकार ने उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

गुजरात में नाभिकीय विद्युत केन्द्र

130. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में नाभिकीय विद्युत केन्द्र की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक मंजूरी प्रदान कर दी जायगी?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) ककरापार, गुजरात स्थित 200 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले दो यूनिटों के अलावा, जिनमें से पहला यूनिट काम कर रहा है और दूसरा यूनिट पूरा होने की अंतिम अवस्था में है, गुजरात में अब और किसी नई परमाणु विद्युत परियोजना को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

131. श्री जगत वीर सिंह द्रोण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को निरन्तर घाटा होने के कारण उसे औद्यौगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौपा गया है;

(ख) क्या सरकार ने इसे अर्थक्षम बनाने के लिए कोई वित्तीय सहायता देने से इंकार कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इसे अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है; और

(ङ) इस उपक्रम के बन्द होने की स्थिति में इसके श्रमिकों का पुनर्वास किस प्रकार किया जायेगा?

उद्योग मंत्रालय (औद्यौगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड मई, 1992 से औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को संदर्भित है।

(ख) से (ङ). स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के पुनरूद्धार का मामला सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड, मुजफ्फरपुर

132. श्री मंजन लाल :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का मुजफ्फरपुर एकक रूग्ण हो गया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस एकक में सुधार करने और इसको अर्थक्षम बनाने के लिए कोई कार्य योजना बनायी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलोरो) : (क) जी हां।

(ख) आईडीपीएल, मुजफ्फरपुर इकाई को हानियां होने के मुख्य कारण हैं : बिजली की पूर्ति सहित आधारभूत सुविधाओं संबंधी कमियां, अल्कोहल, जो इस इकाई के मुख्य उत्पादों के लिए फीड स्टाक हैं, की उपलब्धता में समय–समय कर कठिनाइयां और अधिक ब्याज,–भार।

(ग) और (घ). आईडीपीएल की पनुनरूद्धार योजना औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा 10 फरवरी, 1994 को अनुमोदित की गई थी। तदनुसार, आईडीपीएल की मुजफ्फरपुर इकाई को 1 अप्रैल, 1994 से पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया है और बिहार ड्रग्स एंड आर्गेनिक केमिकल्स लि. के नाम और स्टाइल से एक नई कम्पनी निगमित कर दी गई है। मुजफ्फरपुर इकाई के संबंध में पुरानी मियादी ऋण देयताओं और उन पर उचित ब्याज, जो लगभग 50 करोड़ रू. था, को आई डी पी एल ने अपने ऊपर ले लिया है।

पेयजल की आपूर्ति

133. श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन गांवों में, जिनकी जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 2000 व्यक्तियों से अधिक है, सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार पानी के नल लगाने की योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अधिक धनराशि प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूर्वी क्षेत्र में उर्वरक एकक

134. डॉ. असीम बाला :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में स्थित उर्वरक उत्पादन एककों का आधुनिकीकरण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के पूर्वी क्षेत्र में रूग्ण अथवा बंद पड़े उर्वरक एककों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलोरो) : (क) से (घ). दि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि0 (एचएफसी) और दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि0 (एफसीआई) उर्वरक उत्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के वे दो उद्यम हैं जिनके भारत के पूर्वी क्षेत्र में एकक हैं। इन दो कम्पनियों के एकक जो पूर्वी क्षेत्र में एच एफ सी के नामरूप–I, नामरूप–II, नामरूप–III बरौनी, दुर्गापुर और हल्दिया (परियोजना) हैं तथा एफ सी आई के सिन्दरी, तालचर और गोरखपुर हैं। एफ.सी. आई. की गोरखपुर इकाई संयंत्र में एक दुर्घटना के कारण 10.6.1990 से बन्द पड़ी है, जबकि एच एफ सी की हल्दिया परियोजना में आरम्भण के दौरान बारंबार उपस्कर खराबियों की वजह से उत्पादन कभी शुरू नहीं हुआ।

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) वित्तीय औद्योगिक कम्पनियां (वित्तीय प्रावधान) अधिनियम, 1985 के तहत एच एफ सी और एफ सी आई दोनों को रूग्ण कम्पनियां घोषित कर दिया है। बी आई एफ आर में भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि0 (आई सी आई सी आई) को एच एफ सी और एफ सी आई दोनों के लिए प्रचालन अभिकरण नियुक्त किया है और वित्तीय तथा प्रौद्योगिक–आर्थिक व्यवहार्यता के दृष्टि कोण से सभी उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करने तथा प्रत्येक कम्पनी के लिए एककवार पुनरूदार योजनाएं बी आई एफ आर को प्रस्तुत करने के लिए इसे निदेश दिया है। पूर्वी क्षेत्र में उनके संयंत्रों सहित एच एफ सी और एफ सी आई का भविष्य बी आई एफ आर जो न्यायिक कल्प प्राधिकरण है, के समक्ष लम्बित कार्यवाहियों के परिणाम पर निर्भर करेगा। इस बीच एच एफ सी और एफ सी आई को उनके संयंत्रों में प्रचालन जारी रखने के लिए सरकार इन कम्पनियों को बजटीय सहायता प्रदान कर रही है।

सरकारी क्वार्टरों का रख-रखाव

135. श्रीमती सरोज दुबे :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सभी क्षेत्रों में विशेषतः लोदी कॉलोनी में, सरकारी क्वार्टरों के घटिया रख–रखाव के क्या कारण हैं;

(ख) प्रत्येक क्वार्टर (टाइपवार) के रख–रखाव के लिए प्रति वर्ग सरकारी कालोनी–वार कितनी धन राशि उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या प्रत्येक क्वार्टर के समुचित रख–रखाव के लिए निर्धारित धनराशि पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो 16000 रूपये की राशि की लागत से कांटेदार तारों की बाड़ लगाने सहित क्वार्टरों का रख–रखाव नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में प्राप्त अन्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और आज तक उस पर क्या कार्यवाही हुई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एशिया खेल गांव में टावर

136. श्री गुरूदास कामत :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली स्थित एशिया खेल गांव में निर्मित 'टावर' गत एक दशक से अप्रयुक्त पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इसे नीलाम करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख). डी. डी. ए. द्वारा बताया गया है कि दिल्ली में एशियाड विलेज स्थित टावर 1939 से अप्रयुक्त पडी है। इसकी बिक्री नहीं की जा सकी क्योंकि विगत में इसके लिए कोई बोली लगाने वाला नहीं था।

(ग) और (घ). दिल्ली विकास प्राधिकरण ने टावर की नीलामी के लिए 17.10.94 को नई बोली आयोजित की तथा उन्हें एक सर्शत बोली प्राप्त हुई।

[हिन्दी]

स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की सम्पत्ति

137. श्री महेश कनोडिया :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की सम्पत्ति का अधिग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कारगर उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

लघु उद्योगों का संवर्द्धन

138. श्री छेदी पासवान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लघु उद्योगों की स्थापना हेतु निरंतर प्रोत्साहन दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो मार्च 1991 से अक्तूबर, 1994 के मध्य कुल कितने लघु उद्योगों की स्थापना की गई;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान रूग्ण लघु उद्योग इकाइयों में भी वृद्धि हुई है,

(घ) यदि हां, तो ऐसी इकाइयों की सख्या कितनी है; और

(ङ) इन रूग्ण इकाइयों में राष्ट्रीकृत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा कुल कितनी राशि का निवेश किया गया है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 1991 और मार्च,1994 (नवीनतम उपलब्ध आंकड़े) के बीच स्थापित लघु एककों की कुल संख्या 4.36 लाख है।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च 1991, मार्च 1992 और मार्च1993 में रूग्ण एककों की संख्या क्रमशः 2,21,1472, 2,45,575 और 2,38,874 थी।

मार्च 1992 और मार्च 1993 के बीच रूग्ण एककों की संख्या में कमी आई है।

रूग्ण लघु औद्योगिक एककों के पास मार्च 1991 के अंत तक बकाया राशि 2792.04 करोड़ रूपये और मार्च 1993 के अंत तक 3411.21 करोड़ रूपये थी। (भारतीय रिर्जव बैंक से उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार)।

(ङ) लघु औद्योगिक एककों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई कुल अग्रिम राशि (बकाया) मार्च 1991 के अंत तक 16783 करोड़ रूपये से बढ़ कर मार्च 1993 के अंत तक 19,388 करोड़ रूपये हो गई है।

सरकारी कालोनियों में झुग्गी-झोंपडियां

139. डॉ. लाल बहादुर रावलः

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन–किन सरकारी कालोनियों में झुग्गी–झोपड़ियां हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन झुग्गी–झोपड़ियों को सरकारी भूमि से हटाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इन झुग्गी–झोपड़ियों को कब तक हटा दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

'पिनाक' राकेट का प्रयोक्ता परीक्षण

140. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वदेश निर्मित नई भू–आधारित राकेट प्रणाली का हाल ही में प्रयोक्ता परीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस राकेट की क्षमता एवं सेना के लिए उपयोगिता सहित इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यह राकेट सेना में कब तक शामिल कर दिया जाएगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। नवम्बर, 1994 में किए गए उड़ान परीक्षण सतत तकनीकी परीक्षणों का एक हिस्सा था जो प्रयोक्ता परीक्षणों का प्रारंभिक चरण है।

(ख) तीव्र प्रतिक्रिया वाले वाहन पर लगी मल्टी बैरल राकेट लांचर प्रणाली "पिनाक" अपने 12 बैरल लांचर से 40 कि.मी. रेंज तक सतह से सतह पर मार करने वाले राकेटों के साल्वों से अचूक फायर करने की क्षमता रखती है ताकि लक्षित क्षेत्र पर प्रभावी रूप से प्रहार करके उसे नाकाम बनाया जा सके।

(ग) इस राकेट प्रणाली जिसे सेना में शामिल किए जाने की आशा है, के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद शीघ्र ही इसके प्रयोक्ता परीक्षण प्रारम्भ किए जाएंगे।

[हिन्दी]

बायो-गैस कार्यक्रम

142. श्री हरिन पाठक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बायोगैस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्राप्त लक्ष्य का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस0 कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां। वर्ष 1994 –95 के लिए निर्धारित किए गए 2.00 लाख परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों और 200 सामुदायिक, संस्थागल और विष्ठा आधारित बायौगैस संयंत्रों के लक्ष्य की तुलना में अप्रैल से अक्तूबर 1994 की अवधि के दौरान कुछ 42,700 से अधिक परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र और 30 सामुदायिक संस्थागत और विष्ठ आधारित बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

(ख). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

बायोगैस कार्यक्रम : वर्ष 1994-95 के लिए राज्यवार और एर्जेसीवार वार्षिक लक्ष्य और अप्रैल से अक्तूबर, 94 की अवधि के दौरान उपलब्धियाँ

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी	राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना		सामुदायि संस्थागत और बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम	
	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि अप्रैल से अक्तूबर, 94	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि अप्रैल से अक्तूबर, 94
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	20000	6486	3	–
असम	1000	245	–	–
बिहार	3000	427	2	–

1	2	3	4	5
गोवा	200	39	–	–
गुजरात	39200	1522	7	–
हरियाणा	2000	604	2	–
हिमाचल प्रदेश	1800	327	–	–
जम्मू और कश्मीर	50	6	–	–
कनार्टक	18000	7213	4	–
केरल	1500	430	1	–
मध्य प्रदेश	19495	4153	10	5
महाराष्ट्र	15000	3304	27	5
मणिपुर	150	15	–	–
मिजोरम	100	36	–	–
नागालैंड	100	20	–	–
उड़ीसा	12000	1659	2	–
पंजाब	3000	1422	20	5
राजस्थान	5000	1252	1	–
सिक्किम	150	68	1	–
तमिलनाडु	8000	1282	20	1
त्रिपुरा	50	4	–	–
उत्तर प्रदेश	10000	2705	40	10
पश्चिम बंगाल	6000	1379	5	–
खादी ग्राम उद्योग आयोग	32000	8081	40	4
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड	250	8	–	–
अखिल भारतीय महिला सम्मेलन	1800	21	–	–
अन्य राज्यों संघ राज्य क्षेत्र और एजेंसियों	155	3	15	–
योग	200000	42711	200	30

[अनुवाद]

सोलिसिटर फर्म/ रिटेनर एडवोकेट

143. श्री भेरू लाल मीणा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और चण्डीगढ़ में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान नियुक्त किए गए सोलिसिटर फर्मों एवं रिटेनर एडवोकेटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष ऐसी प्रत्येक फर्म को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). सरकारी नीति सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मण्डलों को अधिकाधिक शक्तियां देने की है ताकि वे पर्याप्त स्वतन्त्रातापूर्वक काम कर सकें। सोलिसिटर फर्मों तथा रिटेनर एडवोकेट की नियुक्ति निदेशक मण्डलों के प्राधिकार के अन्तर्गत है तथा इसके लिए उन्हें सरकार के अनुमोदन की जरूरत नहीं है। इसलिए, इस सम्बन्ध में जानकारी सरकार मे किसी एक स्थान पर नहीं रखी जाती।

जम्मू कश्मीर से विस्थापित व्यक्ति

144. डॉ. रमेश चन्द तोमर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर के आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्रो से अब तक कितने व्यक्ति विस्थापित हुए हैं;

(ख) इनमें से आज तक कितने व्यक्ति दिल्ली आए हैं;

(ग) इन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गये हैं और इन विस्थापितों पर कुल कितना खर्च हुआ है; और

(घ) इस विस्थापन को रोकने के लिए क्या निवारक उपाय किए गये हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) आतंकवादी हिंसा के परिणामस्वरूप कश्मीर घाटी से लगभग 2.5 लाख व्यक्तियों का पलायन कर जाने का अनुमान है। यह पलायन मुख्य रूप से वर्ष 1989,1990 और 1991 के दौरान हुआ था।

(ख) दिल्ली में दर्ज हुए प्रवासी परिवारों की संख्या लगभग 19300 है।

(ग) प्रवासियों का घाटी से बाहर स्थाई रूप से पुनर्वास करने पर एक नीतिगत मामले के रूप में विचार नहीं किया गया है। प्रवासियों को राहत देने की व्यवस्था स्वयं राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है, अतः कोई आंकड़े सुलभ नहीं है।

(घ) उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए उग्रवाद के खिलाफ लगातार किए जा रहे अभियान और विश्वास की भावना बनाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों का उद्देश्य भी कश्मीर घाटी के निवासियों का और पलायन रोकना है। राज्य के जम्मू क्षेत्र में दी गई राहत सुविधाओं को और अधिक आकर्षक बनाया गया है ताकि इस राज्य से देश के अन्य भागों को लोगों के और पलायन को रोका जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता

145. श्री पूर्णचन्द्र मलिक :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी हटाने हेतु कोई विशेष प्रावधान किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कितने गरीब लोग लाभान्वित होंगे?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के तीन प्रमुख कार्यक्रम हैं। (i) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) (ii) जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई); तथा (iii) रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस)। आठवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम ढाई वर्षों के लिए योजना प्रावधान तथा वास्तविक उपलब्धियों को संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिये परिव्यय निम्नानुसार है : (करोड़ रु.)

स्कीम का नाम	1992–93			1993–94			1994–95		
	केन्द्र	राज्य	जोड़	केन्द्र	राज्य	जोड़	केन्द्र	राज्य	जोड़
1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा संबद्ध कार्यक्रम	411.20	486.71	897.91	688.00	510.07	1198.07	710.00	591.59	1301.59
2. जवाहर रोजगार योजना	2046.00	584.41	2630.41	3306.00	592.73	3855.73	3898.00	881.47	4736.47
3 रोजगार आश्वासन स्कीम	–	–	–	600.00*	–	600.00	1200.00	412.04**	1612.04

* रोजगार आश्वासन स्कीम 2 अक्तूबर, 93 को शुरू की गई थी ** विशेष रोजगार कार्यक्रमों के लिए प्रावधान भी शामिल हैं।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धियां निम्नानुसार है :—

स्कीम का नाम	यूनिट	1992–93	1993–94	1994–95	
				लक्ष्य	उपलब्धियां (सितम्बर तक)
1. आई आर डी पी	सहायता प्राप्त परिवारों की सं.	20,68,773	25,38,320	21,15,097	6,67,134
2. जे आर वाई	लाख श्रमदिवस	7,821.02	10,326.81	10,365.53	3,190.83
3. ईएएस	--यथोपरि--	–	494.74	–	796.75

ईएएस एक आवश्यकता आधारित कार्यक्रम है तथा इसीलिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते।

आवास सम्बन्धी आवश्यकता

146. श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बिल्डिंग आर्गेनाइजेशन ने बकाया तथा अतिरिक्त आवास संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए 1991–2001 के दशक में आवास संबंधी जरूरत का अनुमान 79 मिलियन रिहायशी एकक लगाया है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना मे आवास के लिए कुल कितना संशोधित परिव्यय निर्धारित किया गया तथा 31 मार्च, 1994 तक राज्यवार इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई और इस योजना में 31 मार्च, 1994 तक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सरकारी सहायता से राज्यवार कितने रिहायशी एककों का निर्माण हुआ; और

(ग) 1994–95 के लिए इसे प्रयोजनार्थ कितने परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है और राज्यवार कितने अतिरिक्त रिहायशी एककों का निर्माण किया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) 1971 और 1981 की जनगणना ऑकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के पूर्वानुमानों के अनुसार 01.03.91 को आवास की कमी 31 मिलियन रिहायशी इकाइयां थीं। 1991–2001 के दौरान 48.6 मिलियन नये परिवार बढ़ जायेंगे। और इस अवधि के दौरान 38.1 मिलियन स्वीकार्य रिहायशी इकाइयां और जुड़ेंगी। इस प्रकार 2001 में आवास की कमी 41 मिलियन होगी।

(ख) 8वीं योजना के लिए केन्द्रीय सेक्टर तथा राज्य सेक्टर के तहत आवास हेतु कुल योजनागत परिव्यय क्रमशः 2795.35 करोड़ और 3581.67 करोड़ रुपये हैं। गत दो वर्षों अर्थात् 1992–93 तथा 1993–94 के दौरान आवास पर खर्च की गई राज्य–वार धनराशि को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण–I में संलग्न है। 1992–93 तथा 1993–94 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के लिए इन्दिरा आवास योजना और 20–सूत्री कार्यक्रम के तहत बनाई गई रिहायशी इकाइयों को दशाने वाला ब्यौरा विवरण–II में संलग्न है। 8वीं योजना के दौरान हडको का 5168.74 करोड़ रुपये की ऋण वचनबद्धता और 4218.02 करोड़ रुपये के ऋण संवितरण से आवास तथा सम्बद्ध परियोजना को सहायता देने का प्रस्ताव है। 1992–93 और 1993–94 के दौरान हडको ने क्रमशः 399179 और 416374 रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिए 705.22 करोड़ रुपये और 846.62 करोड़ रुपये की ऋण राशि मंजूर की है।

(ग) आवास सेक्टर के लिए 1994–95 का अनुमोदित राज्य–वार परिव्यय का ब्यौरा विवरण–III में संलग्न है। ई. डब्लू. एस./आई. जी. इकाईयों के निर्माण हेतु राज्यवार लक्ष्य विवरण–IV में संलग्न है।

विवरण-I

1992-93 और 1993-94 के दौरान आवास निर्माण पर राज्य वार खर्च की गई राशि

राज्य/संघ शासित प्रदेश	खर्च की गई राशि	
	1992–93	1993–94
1. आन्ध्र प्रदेश	8433.00	8174.00
2. अरूणाचल प्रदेश	912.00	1014.00
3. असम	379.00	450.00
4. बिहार	722.00	––
5. गोआ	219.00	410.00
6. गुजरात	4942.00	5051.00
7. हरियाणा	2036.00	3367.00
8. हिमाचल प्रदेश	448.00	537.00
9. जंम्मू एवं कश्मीर	603.00	532.00
10. कर्नाटक	5127.00	23194.00
11. केरल	989.00	2339.00
12. मध्य प्रदेश	1712.00	1892.00
13. महाराष्ट्र	6428.00	7109.00
14. मणिपुर	330.00	308.00
15. मेघालय	236.00	287.00
16. मिजोरम	696.00	486.00
17. नागालैण्ड	254.00	976.00
18. उड़ीसा	830.00	930.00
19. पंजाब	3092.00	5724.00
20. राजस्थान	1699.00	1874.00
21. सिक्किम	157.00	90.00
22. तमिलनाडु	2929.00	10110.00
23. त्रिपुरा	394.00	196.00
24. उत्तर प्रदेश	4157.00	4513.00
25. पश्चिम बंगाल	729.00	1589.00
26. दिल्ली	3013.58	1604.00
27. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	299.07	262.00
28. चण्डीगढ़	531.83	385.00
29. दादरा एवं नगरहवेली	64.51	70.00
30. दीऊ एवं दमन	80.00	50.00
31. पाण्डिचेरी	300.92	362.00
32. लक्षद्वीप	93.67	80.00
सकल योग	52696.58	81951.00

विवरण -II

इन्दिरा आवास योजना और 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत 1992-93 और 1993-94 के दौरान निर्मित तथा निर्माणाधीन रिहायशी इकाइयों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	इंदिरा आवास योजना 1992–93	इंदिरा आवास योजना 1993–94	20 सूत्री कार्यक्रम 1992–93	20 सूत्री कार्यक्रम 1993–94
1.	आन्ध्र प्रदेश	14376	69478	43035	55424
2.	असम	218	366	228	294
3.	अरूणाचल प्रदेश	1037	4456	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	बिहार	29348	152413	496	42
5.	गोआ	55	84	50	20
6.	गुजरात	7585	9790	2571	2445
7.	हरियाणा	1002	1748	1182	641
8.	हिमाचल प्रदेश	351	819	30	30
9.	जम्मू एवं कश्मीर	425	1039	2	1
10.	कर्नाटक	7197	8820	5564	7521
11.	केरल	4100	11194	3152	22051
12.	मध्य प्रदेश	76463	90427	5895	6013
13.	महाराष्ट्र	8778	29325	10675	4410
14.	मणिपुर	271	213	शून्य	शून्य
15.	मेघालय	432	318	165	547
16.	मिजोरम	224	274	300	100
17.	नागालैण्ड	1603	1536	लागू नहीं	लागू नहीं
18.	उड़ीसा	15026	14558	2271	2723
19.	पंजाब	6193	5099	2364	421
20.	राजस्थान	10541	19958	2494	1994
21.	सिक्कम	140	142	50	40
22.	तमिलनाडु	14409	33758	12800	9948
23.	त्रिपुरा	343	668	92	387
24.	उत्तर प्रदेश	22642	50624	17348	5122
25.	पश्चिम बंगाल	13300	14432	150	025
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	100	185	40	शून्य
27.	दादरा एवं नगर हवेली	52	90	लागू नहीं	लागूनहा
28.	दीऊ और दमन	21	27	शून्य	10
29.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
30.	पाण्डिचेरी	47	79	लागू नहीं	लागू नहीं
31.	दिल्ली	लागू नहीं	लागू नहीं	3726	2886
		236279	521923	114413	122895

विवरण-III

आवास सैंसर के लिए 1994-95 का परिव्यय

1. अरूणाचल प्रदेश	13.75
2. आन्ध्र प्रदेश	88.90
3. असम	9.15
4. बिहार	27.35
5. गोआ	5.82
6. गुजरात	59.26
7. हरियाणा	48.75
8. हिमाचल प्रदेश	8.00
9. जम्मू एवं कश्मीर	8.80
10. कर्नाटक	145.35
11. केरल	26.00
12. मध्य प्रदेश	33.00
13. महाराष्ट्र	35.45
14. मणिपुर	3.80
15. मेघालय	4.00
16. मिजोरम	5.90
17. नागालैण्ड	14.53
18. उड़ीसा	17.50
19. पंजाब	67.12
20. राजस्थान	21.98
21. सिक्कम	0.90
22. तमिलनाडु	27.21
23. त्रिपुरा	8.00
24. उत्तर प्रदेश	60.60
25. पश्चिम बंगाल	25.42
संघशासित प्रदेश	
26. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	4.35
27. चंडीगढ़	5.85
28. दीऊ एवं दमन	0.50
29. दादरा एवं नगर हवेली	1.04
30. दिल्ली	37.00
31. लक्षद्वीप	0.85
32. पाण्डिचेरी	4.61
कुल (राज्य एवं संघशासित प्रदेश)	820.31

विवरण -IV

1994-95 के दौरान मकानों के निर्माण का लक्ष्य

क्र.स.	राज्य/संघशासित प्रदेश	लक्षय	
		ई. डब्लू. एस	एल. आई. जी.
1.	आन्ध्र प्रदेश	30000	1250
2.	असम	1660	20
3.	बिहार	500	500
4.	गोआ	100	125
5.	गुजरात	4800	2000
6.	हरियाणा	600	1500
7.	हिमाचल प्रदेश	100	200
8.	जम्मू एवं कश्मीर	10	10
9.	कर्नाटक	6000	4210
10.	केरल	13000	1200
11.	मध्य प्रदेश	8000	3600
12.	महाराष्ट्र	4500	5000
13.	मणिपुर	200	200
14.	मेघालय	100	50
15.	मिजोरम	100	250
16.	उड़ीसा	1650	3300
17.	पंजाब	3000	750
18.	राजस्थान	2000	1500
19.	सिक्कम	–	50
20.	तमिलनाडु	6000	2000
21.	त्रिपुरा	100	80
22.	उत्तर प्रदेश	6000	2000
23.	पश्चिम बंगाल	2600	530
24.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	10	10
25.	दमन एवं दीऊ	10	5
26.	दिल्ली	3000	4000
27.	दादरा एवं नगर हवेली	–	5

यूरेनियम की चोरी

147 श्री बी0 श्रीनिवास प्रसाद :
श्री श्रीकान्त जेना :
डॉ. कृपासिन्धु भोई :
श्री राम विलास पासवान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेघालय के डोमियासिएट क्षेत्र में यूरेनियम के

निर्बाध खनन के कारण अशोधित यूरेनियम की तस्करी को प्रोत्साहन मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने यूरेनियम की इस चोरी के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कर ली है तथा उत्तरदायित्व निर्धारित किया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं। परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग (ए एम डी) द्वारा मेघालय में डोमियासियात नामक स्थल पर यूरेनियम अयस्क की सीमित मात्रा का समन्वेषी खनन किया गया है और इस अयस्क को स्थल पर प्रायोगिक स्तर पर संसाधित किया गया है।

(ख) और (ग). परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए ई आर बी) ने परमाणु खनिज प्रभाग से 12 अक्तूबर 1994 को घटित उस घटना के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी थी। जब मेघालय पुलिस द्वारा चार व्यक्तियों से 2.5 किलोग्राम सोडियम–डाई–यूरेनेट (जो येलो केक भी कहलाता है) बरामद किया गया था। मांगी गई रिपोर्ट परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को प्रस्तुत कर दी गई है।

(घ) और (ङ). उन चार व्यक्तियों के खिलाफ परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत एक मामला दर्ज किया गया है, जिनसे येलों केक बरामद किया गया है, और मेघालय के पुलिस प्राधिकारी इस मामले की जॉच–पड़ताल कर रहे हैं।

[हिन्दी]

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ऋण

148. श्रीमती शीला गौतम :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991–92, 1992–93 तथा 1993–94 के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की किन–किन समितियों को खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ऋण दिया गया है; और

(ख) उन्हें उपलब्ध कराई गई ऋण राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी आवासों को किराये पर देना

149. श्री जनार्दन मिश्र :

श्री पंकज चौधरी :

श्री अरविन्द्र त्रिवेदी :

श्री राजवीर सिंह :

डॉ. लालबहादुर रावल :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान और अब तक केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारी अपने सरकारी आवासों को किराये पर उठाने के दोषी पाए गए;

(ख) ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई और कितने सरकारी आवास लौटाये गए; और

(ग) इस अभियान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने क्या ठोस उपाय किए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जानकारी इस प्रकार है :

वर्ष	1992	1993	1994(30.11.94तक)
उप–किरायेदारी के दोषी कर्मचारियों की संख्या	214	43	44

(ख) सरकारी वास का आबंटन दिल्ली में साधारण पूल (नियमावली,1963) एस. आर. 317 बी 21 के तहत निधारित सभी दंड ऐसे सरकारी कर्मचारियों को दिए गए हैं जो सरकारी वास की उप–किराएदारी के दोषी पाए गए हैं। वापस/बेदखल/खाली किए गए क्वार्टरों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	1992	1993	1994
	110	7	28

(ग) किसी क्वार्टर की उप–किराएदारी बाबत शिकायत मिलते ही निरीक्षण किया जाता है।

शिकायतों के आधार पर क्वार्टरों के निरीक्षण हेतु सितम्बर, 94 में एक विशेष अभियान चलाया गया । 680 से अधिक शिकायतों की जॉच की गई, जिनमें से 285 मामलों मे उप–किरायदारी पाई गई । ऐसे आबंटियों को कारण बताओं नोटिस भेजे गए हैं और निरीक्षण रिपोर्टों तथा आंबटियों की वैयक्तिक रूप से सुनवाई के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

औषधियों के मूल्य के संबंध में सम्मेलन

150. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषधि कंपनियों ने "व्यापार और तटकर संबंधी

आम करार" (गैट) के बारे में जुलाई,1994 में कोई सम्मेलन आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और इसमें किन–किन मामलों पर चर्चा की गई है;

(ग) पेटेन्ट के अन्तर्गत आने वाली उन बल्क औषधियों के नाम क्या हैं जिनका 1992–93 और 1993–94 के दौरान 50 लाख रुपये से अधिक का आयात किया गया है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान आयातित औषधियों की मात्रा और सी आई एफ मूल्य क्या था तथा इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ). भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 में औषधों के लिए उत्पाद पेटेंट की व्यवस्था नहीं है और इसलिए पेटेंट के अंतर्गत औषधों के आयात के बारे में कोई विश्लेषण नहीं किया गया है। जुलाई, 1994 में, भारत के भेषज उत्पादकों के संगठन और भारतीय उद्योग महासंघ ने "दी पोस्ट गैट एजेंडा फार दी इंडियन फर्मास्युटिकल्स इंडस्ट्री" पर एक सेमिनार आयोजित किया था। इस मंत्रालय तथा कुछ अन्य मंत्रालयों के अधिकारी भी इस सेमिनार में आमंत्रित थे। इस सेमिनार में जिन मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया था, भावी पेटेंट सुरक्षा में मुख्य मुद्दे भेषज निर्यातों के अवसर प्राद्योगिक स्थानांतरण में पेटेंट सुरक्षा की भूमिका, आधारभूत अनुसंधान और विकास में उद्योग की भूमिका, अनुसंधान सहयोग में विश्वव्यापी रूख तथा अनुसंधान एवं विकास सहयोग।

[हिन्दी]

राजस्थान में बंजरभूमि विकास

151. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान को बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1992–93, 1993–94 और 1994–95 के दौरान कितनी–कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) क्या यह राशि दूसरे राज्यों को प्रदान की गई राशि की तुलना में कम है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजरभूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) (क) और (ख). 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 16 के अंतर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण बंजरभूमि सहित भूमि की विभिन्न श्रेणियों पर किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आबटन वर्ष दर वर्ष के आधार पर किया जाता है। वर्ष 1992–93, 1993–94 तथा 1994–95 के दौरान राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों को किये गये आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया है। इस आबटन में बंजरभूमि विकास विभाग द्वारा इसकी योजनाओं के अंतर्गत सरकारों से प्राप्त विभिन्न परियोजना प्रस्ताव के लिए रिलीज की गई धनराशि भी सम्मलित है क्योंकि इन योजनाओं में धनराशि के एकमुश्त आबटन/रिलीज का कोई प्रावधान नहीं है।

विवरण

(रु. लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र/ शासित क्षेत्र	1992–93 आबंटन	1993–94 आबंटन	1994–95 आबंटन
1.	आंध्र प्रदेश	2510.52	3324.70	2579.47
2.	अरूणाचल प्रदेश	434.55	511.00	1324.00
3.	असम	1520.00	1217.00	–
4.	बिहार	2112.46	3381.46	4715.60
5.	गोवा	156.95	150.80	154.66
6.	गुजरात	6713.93	6684.04	6881.12
7.	हरियाणा	4576.57	3777.40	–
8.	हिमाचल प्रदेश	4746.00	6063.13	–
9.	जम्मू व कश्मीर	1795.95	1108.02	–
10	कर्नाटक	6157.87	7548.06	–
11.	केरल	1215.00	695.05	330.00
12.	मध्य प्रदेश	5512.96	7350.68	5800.00
13.	महाराष्ट्र	7624.11	8936.45	9525.86
14.	मणिपुर	573.65	284.49 +	542.61
15.	मेघालय	1164.07	1084.20	–
16.	मिजोरम	870.00	906.09	927.44
17	नागालैंड	155.38 *	150.11 *	–
18.	उड़ीसा	4208.00	4069.50	–
19.	पंजाब	1159.50	1672.70	–
20	राजस्थान	9583.00 *	12550.44 *	14339.17
21.	सिक्किम	383.87	364.82	–
22.	तमिलनाडु	4640.70	5199.39	–
23.	त्रिपुरा	1158.04	1163.63	–
24.	उत्तर प्रदेश	6790.16	9043.33	12983.49
25.	पश्चिम बगाल	2880.00 *	2098.30 +	–
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	116.25	114.85	127.50
27.	चंडीगढ	30.00	170.00	–
28.	दादरा व नगर हवेली	97.20	200.00	146.97
29.	दीऊ व दमन	13.00	13.00	22.50
30.	दिल्ली	281.00	197.00	–
31	लक्षद्वीप	16.00	16.50	–
32.	पाडिचेरी	91.33	131.00	92.00
	योग	79288.02	90177.14 +	60493.27

*–संशोधित

+ अंतिम

(पी) अस्थायी

(एन आर) प्राप्त नहीं हुए

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

152. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार लाने के लिए किए गये विभिन्न नीतिगत उपायों के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या उपचारात्मक कदम उठा रही है/उठाने का विचार कर रही है?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार लाना एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों के सकारात्मक परिणाम निकले हैं। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य–निष्पादन में सुधार करने के लिए किए गए कुछ उपचारात्मक उपायों में निदेशक मण्डलों को और अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन करना और निदेशक मण्डलों का व्यवसायीकरण करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन, अनुसंधान व विकास, निर्यात संवर्धन, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के जरिये अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या में कमी करना, उत्पाद–मिश्र का विविधीकरण करना और सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उद्यमों को औद्योगिक एवं/को वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

प्रति व्यक्ति योजना व्यय

153. श्री बीर सिंह महतो :

श्री चित्त बसु :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना व्यय हेतु गत तीन वर्षों एवं चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रति व्यक्ति आंवटित धन राशि का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या योजना व्यय हेतु प्रति व्यक्ति धन राशि का आवंटन अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसमें समानता के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). राज्यों के लिए योजना आवंटन राज्य के अपने संसाधनों के साथ–साथ राज्यों को केन्द्रीय सहायता पर निर्भर करता है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा गठित मुखर्जी फार्मूला पर आधारित होती है और जनसंख्या, गरीबी, विशेष समस्याएं, निष्पादन इत्यादि जैसे मानदण्ड इसमें शामिल हैं। फार्मूला के अनुसार कुल उपलब्ध निधि का 30 प्रतिशत विशेष श्रेणी राज्यों को दिया जाता है। विभिन्न राज्यों के लिए प्रति व्यक्ति योजना आवंटनों में इन घटकों से अंतर आ जाता है। योजना आयोग राज्य के अधिक संसाधन जुटाने की आवश्यकता पर बल दे रहा है ताकि योजना परिव्ययों के वित्त पोषण के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध हो सके।

विवरण

वार्षिक योजना 1991-92 से 1994-95 प्रतिव्यक्ति परिव्यय

(आंकड़े रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य	1991–92	1992–93	1993–94	1994–95
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	209	244	267	302
2.	अरूणाचल प्रदेश	2638	2744	3169	3571
3.	असम	354	416	435	436
4.	बिहार	257	248	253	258
5.	गोवा	1444	1271	1389	1458
6.	गुजरात	421	443	496	511
7.	हरियाणा	458	489	531	579
8.	हिमाचल प्रदेश	778	916	1036	1181
9.	जम्मू व कश्मीर	926	1031	1082	1142
10.	कर्नाटक	333	417	648	691
11.	केरल	274	308	333	413
12.	मध्य प्रदेश	360	353	346	389
13.	महाराष्ट्र	314	390	460	522
14.	मणिपुर	1053	1108	1186	1210
15.	मेघालय	1147	1317	1501	1467
16,	मिजोरम	2181	2225	2493	2715
17.	नागालैंड	1375	1467	1563	1638
18.	उड़ीसा	439	433	439	580
19.	पंजाब	491	725	595	681
20.	राजस्थान	263	309	367	519
21.	सिक्किम	2311	2594	2740	2987
22.	तमिलनाडु	285	309	367	476
23.	त्रिपुरा	810	992	1066	1042
24.	उत्तर प्रदेश	264	270	279	309
25.	पश्चिम बंगाल	216	215	219	237
जनसंख्या अनुमान		1991	1992	1993	1994

अमरीकी कांग्रेस के प्रतिनिधियों का जम्मू और कश्मीर का दौरा

154. **डॉ. सुधीर राय :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी कांग्रेस के प्रतिनिधियों के एक दल ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर का दौरा किया था ;

(ख) क्या इस दल ने देश में किसी व्यक्ति विशेष या संगठन से कोई विचार–विमर्श किया था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें अमरिकी सांसद श्री गैरी एकरमैन, सांसद सुश्री बारबरा रोज कोलिनस और कांग्रेसनल स्टाफ के 4 सदस्यों ने दिल्ली में मिसन के अमरिकी डिप्टी चीफ के साथ 16–17 नवम्बर, 1994 को जम्मू और कश्मीर राज्य का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान यह प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर और जम्मू में सेना और अर्ध सैनिक बलों के प्रतिनिधियों, विभिन्न राजनैतिक और अन्य संगठनों के सदस्यों और व्यक्तियों सहित सरकारी अधिकारियों से मिला। जम्मू में, प्रतिनिधिमंडल ने एक प्रवासी शिविर का दौरा भी किया।

भारत में, प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने प्रधान मंत्री से भी मुलाकात की और विदेश, गृह रक्षा मंत्रालय और जम्मू कश्मीर संबंधी मामलों के विभाग में और मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के साथ बैठक की।

[हिन्दी]

विकास योजनाएं

155. **श्री एन. जे. राठवा :**

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात विशेषतः इसके जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित कोई विकास योजना/योजनाएं आयोग के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो ये योजनाएं कब से लंबित हैं तथा इसके क्या कारण हैं,

(ग) इन योजनाओ के लिए आबंटित धनराशि का, इनके वास्तविक लक्ष्यो, ससाधन जुटाने संबंधी योजनाओ और राज्य को इससे होने वाले लाभो सहित ब्यौरा क्या है, और

(घ) इन योजनाओ को स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र

157. **श्री पंकज चौधरी :**

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

श्री रामपाल सिंह :

डा0 रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पृथ्वी" प्रक्षेपास्त्र के प्रयोक्ता परीक्षण पूरे हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे सेना में कब तक शामिल कर लिया जाएगा ; और

(ग) इस प्रक्षेपास्त्र का संचालन करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). हाल ही में किए गए प्रयोक्ता परीक्षणों में इस प्रणाली के सक्रियात्मक इस्तेमाल पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। सेना की आवश्यकताओं के अनुसार अफसरों और कार्मिकों को प्रणाली संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों का वेतन-ढांचा

158. **डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**

श्री भेरू लाल मीणा :

श्री सी के कुप्पुस्वामी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक कर्मचारी संघ ने सरकार को हाल में कोई मांग पत्र दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक कर्मचारी संघ ने पांचवे वेतन आयोग को सम्बोधित अपने अभ्यावेदन में अन्य बातों के साथ–साथ वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक स्टॉफ के वेतनमान के परिशोधन और उन पर लागू होने वाली अन्य सेवा शर्तों के सम्बन्ध में कुछ सुझाव प्रस्तुत किए थे। महानिदेशक, सी एस आइ आर द्वारा गठित एक समिति ने पांचवे वेतन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु फाइनल पेपर तैयार करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर यथाविधि विचार किया। पांचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट सरकार द्वारा अंगीकार किए जाने के लिए उपलब्ध होने पर ही इस विषय में अनुवर्ती कार्यवाही संभव है।

गुजरात में खादी ग्रामोद्योग आयोग की परियोजनाएं

159. श्री काशीराम राणा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में उद्योगों की स्थापना के संबंध में कुल कितने प्रस्तावों/परियोजनाओं की सिफारिश की गई है;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इन परियोजनाओं का समय पर वित्त पोषण न करने के कारण उनके कार्यान्वयन में विलम्ब हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें मिली हैं; और

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं जिससे ऐसे प्रस्तावों/परियोजनाओं का निपटान निर्धारित समय-सीमा के अंदर हो ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों की कुल संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	प्रस्तावों की संख्या
1991-92	65
1992-93	71
1993-94	88

(ख) से (घ). इस समय, आयोग द्वारा संस्थानों को ब्याज सबसीडि पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं। इन प्रमाण-पत्रों के आधार पर वे बैंक ऋण हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों से बातचीत करते हैं। इनमें से कुछ बैंकों ने इन प्रमाण-पत्रों को नहीं माना तथा ऋण देने में भी बहुत अधिक समय लगाया है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग तथा सरकार को कुछ मामलों में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

यह मामला सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा है तथा प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में के.बी.आई. क्षेत्र संबंधी उच्च अधिकार समिति (एच.पी.सी.) में भी इस पर चर्चा की गई थी। एच पी सी से प्राप्त निदेशों के आधार पर, इस मामले की जांच करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक उप-समिति नियुक्त की गई थी। उप-समिति ने भारतीय रिज़र्व बैंक को खादी क्षेत्र संबंधी अपनी रिपोर्ट मई, 1994 को प्रस्तुत कर दी है। उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 28 जुलाई, 1994 के पत्र सं. पी एल एन. एफ. एस. बी. सी. 16/5/6. 12/94-95 के तहत एक परिपत्र जारी किया जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों को ब्याज सबसिडि पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने तथा खादी संस्थानों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं का हिसाब लगाने में समिति की सिफारिशों का अनुपालन करने की सलाह दी गई है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि, अब से के. बी. आई. क्षेत्र को दिए जाने वाले सभी अग्रिमों को, संचालन के आकार तथा एकक के स्थापना-स्थल पर विचार किए बिना वरीयता क्षेत्र अग्रिमों के अधीन शामिल किया जाएगा तथा वे वरीयता क्षेत्र के भीतर लघु क्षेत्र खण्ड के उपलक्ष्य (40 प्रतिशत) के तहत विचार करने के पात्र भी होंगे।

ग्रामोद्योग क्षेत्र के संबंध में समिति ने अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को 29.11.94 को प्रस्तुत कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस क्षेत्र के लिए शीघ्र ही आवश्यक निर्देश जारी किए जाने की संभावना है।

चमड़ा उद्योग समूह

160. डॉ. असीम बाला :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने देश में चमडा उद्योग समूहों के विकास हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चमड़े की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु देश में चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) •प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में चुनिंदा संस्थाओं/एजेंसियों के माध्यम से चमड़ा उद्योग का एकीकृत विकास करने के लिए भारत सरकार द्वारा इस समय यू. एन. डी. पी. की सहायता से एक राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

161. श्री के. प्रधानी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में संयुक्त क्षेत्र में कुछ उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलेरो) : (क) और (ख). इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

162 डॉ. साक्षी जी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या कितनी है और उनके पुनर्वास तथा कल्याण हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए है;

(ख) क्या सरकार को पिछले एक वर्ष के दौरान राज्य के

भूतपूर्व सैनिकों से उनकी पेंशन आदि के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). भूतपूर्व सैनिकों की जनगणना के अनुसार 30.9.1994 तक उत्तर प्रदेश में कुल 2,09,413 भूतपूर्व सैनिक पंजीकृत किए गए हैं।

2. भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास और कल्याण उपायों की व्यापक व्यवस्था है। केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए केन्द्रीय सरकार के विभागों के साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" और "घ" पदों में आरक्षण की व्यवस्था की हुई है। वे रक्षा कार्मिक जो युद्ध अथवा शांतिकाल में निशक्त हो जाते हैं और जिनकी निशक्तता सैन्य सेवा के कारण मानी जाती है उन्हें प्राथमिकता –I प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने समूह "क" और "ख" (इ. सी. ओ. एस.) में 8 प्रतिशत और राज्य सरकार के विभागों और इसके उपक्रमों में समूह "ग" और "घ" में 3 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की हुई है।

3. कई केन्द्रीय योजनाएं भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। इन योजनाओं में सेमफैक्स –I लघु औद्योगिक परियोजनाएं लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है; सेमफैक्स–II योजना ग्रामीण क्षेत्रों में फार्म और गैर–फार्म संबंधी कार्य–कलापों को लाभप्रद रूप में चलाने का कार्य करती है। सेमफैक्स–III योजना ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्राम उद्योगों के संवर्धन, पैट्रोलियम उत्पाद एजेन्सियों का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन; भारतीय यूनिट ट्रस्ट की एजेन्सियों का आवंटन, कोयले के परिवहन आदि के माध्यम से स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराती है। भूतपूर्व सैनिकों के सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनकी रोजगार प्राप्त करने की क्षमता में सुधार लाने अथवा स्वरोजगार लगाने की योग्यता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। भूतपूर्व सैनिक सेना अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं पाने और निकटवर्ती कैंटीन स्टोर्स विभाग की कैंटीनों से कैंटीन सुविधाएं पाने के लिए प्राधिकृत हैं। वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों को घरेलू उड़ानों की विमान यात्रा में तथा द्वितीय श्रेणी की रेल यात्रा में 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर भूतपूर्व सैनिकों को रक्षा मंत्रालय और राज्य सैनिक बोर्डों की कल्याण निधियों से वित्तीय सहायता दी जाती है। भूतपूर्व सैनिक अपने मामलों के निपटान के लिए जिला–मुख्यालयों में सैनिक विश्राम गृहों में थोड़े समय के लिए ठहरने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सेवारत सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए सैनिक और मिलिटरी स्कूलों में आरक्षण की व्यवस्था है। रक्षा सुरक्षा कोर में भर्ती मुख्य रूप से भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही आरक्षित है।

4. उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों के लिए निम्नलिखित लाभ मुहैया कराती है :

(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण लेने वाले भूतपूर्व सैनिकों को 250/- रू. प्रतिमाह का वजीफा ।

(2) राज्य रूट परमिटों के आवंटन में 15 प्रतिशत का आरक्षण।

(3) गृह/भूमि के पुनर्ग्रहण में भूतपूर्व सैनिकों को मदद पहुँचाने के लिए रैंट कंट्रोल एक्ट और लैण्ड टेनेन्सी एक्ट में संशोधन किया गया है।

(4) द्वितीय विश्वयुद्ध के भूतपूर्व सैनिकों तथा युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को 250/- रूपये प्रतिमाह का अनुग्रह भुगतान।

(5) शौर्य पुरस्कार विजेताओं को भूमि के बदले में नकद अनुदान वार्षिक भृत्ति तथा नकद राशि का भुगतान।

(6) क्यू. एम. टी. एस., किरकी में प्रशिक्षण लेने वाले अशक्त भूतपूर्व सैनिकों को 600 रूपये प्रतिमाह का अनुरक्षण अनुदान।

(7) भूतपूर्व सैनिकों/युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों की संतानों को विभिन्न व्यावसायिक विश्वविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/पॉलिटेक्निक में सीटों का आरक्षण।

(8) युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों तथा अशक्त भूतपूर्व सैनिकों को मकान बनाने के लिए 5000 रूपये का अनुदान।

(9) भूमि प्रबंध समिति द्वारा वीरगति प्राप्त सैनिकों/युद्ध में अशक्त/भूमिहीन भूतपूर्व सैनिकों आदि को ग्राम सभा भूमि आबंटित किए जाने में प्राथमिकता ।

(10) सेवारत सेना कार्मिकों, भूतपूर्व सैनिकों तथा सैन्य कार्रवाई में मारे गए सेना कार्मिकों के आश्रितों को उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद तथा राज्य विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकानों, प्लाटों और दुकानों के आबंटन में 5 प्रतिशत का आरक्षण ।

5. भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन तथा अन्य मामलों से संबंधित शिकायतों का निपटान करने के लिए रक्षा मंत्रालय में एक विशेष पेंशन शिकायत अनुभाग है। इस अनुभाग मे गत एक वर्ष में उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन से संबंधित 17 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें पेंशन स्वीकृत किए जाने पेंशन में एक बार की वृद्धि का भुगतान किए जाने मंहगाई राहत आदि से संबंधित थीं। इन शिकायतों की नियमों तथा आदेशों के अनुसार जांच की गई और इन पर अपेक्षित कार्रवाई की गई तथा जहां भी आवश्यक समझा गया वहां शिकायतकर्ता को उत्तर भेजे गए।

महिला पायलट

163. श्री सी. पी. मुदालगिरियप्पा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायु सेना ने पहली बार कुछ महिला पायलटों की भर्ती की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय वायुसेना में 1993 से महिला पायलट भर्ती की गई है। यह. योजना 3 वर्ष के लिए प्रयोगात्मक आधार पर शुरू की गई है और तत्पश्चात् इसकी पुनरीक्षा की जाएगी।

(ख) अब तक भर्ती की गई/प्रशिक्षणाधीन महिला पायलटों का विवरण इस प्रकार है :

प्रशिक्षण की तारीख	चयनिय/तैनात उम्मीदवारों की संख्या
(1) 19 जुलाई 1993	14
(2) 17 जनवरी 1994	6
(3) 18 जुलाई 1994	11
(4) 16 जनवरी 1995	इस समय चयन प्रक्रिया चल रही है जिसके दिसम्बर 1994 तक पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से गुजरात में विद्युत का उत्पादन

164. श्री दिलीपभाई संघाणी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने गुजरात में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) इस प्रयोजनार्थ गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गुजरात राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

(ग) इस संबंध में उपलब्धियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ध) आठवीं पंचवर्षीय योजना, के दौरान इस संबंध में कितना लक्ष्य रखा गया है और इस दिशा में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) राज्य में पवन, लघु पन बिजली और बायोमास पर आधारित अपारंपरिक ऊर्जा की ग्रिड से जुड़ी विद्युत परियोजनाओं को शुरू किया जा रहा है। राज्य में उपलब्ध बड़ी संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए राज्य में विशेषकार पवन विद्युत विकास के कार्य में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उपयुक्त स्थलों का पता लगाने के लिए पवन संसाधन आकलन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और पवन विद्युत विकास के कार्य में तेजी लाने के लिए राज्य द्वारा कई प्रोत्साहन शुरू किए गए हैं।

(ख) इन कार्यक्रमों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य को 3.11 करोड़ रूपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

(ग) वर्ष 1991–92 के दौरान 0.55 मेवा की क्षमता; वर्ष 1992–93 के दौरान 1.610 मेवा; वर्ष 1993–94 के दौरान 12.63 मेवा; और चालू वर्ष के दौरान अब तक 13.18 मेवा की क्षमता संयोजित की गई है।

(घ) आठवीं योजना के लिए राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि अब तक राज्य में कुल 40 मेवा की पवन विद्युत क्षमता स्थापित की गई है। कुल 600 मेवा के लिए निजी क्षेत्र के प्रस्ताव राज्य सरकार के साथ विचार–विमर्श के अंतर्गत हैं।

मध्य प्रदेश की जल आपूर्ति योजनाएं

165. श्री फूलचंद वर्मा :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार नें 20,000 से कम आबादी वाले शहरों के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए. यू. डब्लू. एस. पी.) के अन्तर्गत जल आपूर्ति योजना भेजी है

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये योजनाएं कब से लम्बित पड़ी हैं; और

(घ) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति दी जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी सुलभ जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत् सहायता हेतु 43 शहरों (संलग्न विवरण–I) एक के प्रोफार्मा प्रस्ताव भेजे हैं। इनमें से 32 योजनाओं को 1993–94 के दौरान मंजूरी दी गयी और राज्य सरकार को उपलब्ध सीमित नियतन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को 32 योजनाओं की कुल परियोजना लागत में 25 प्रतिशत केन्द्रीय अंश के हिसाब से 205.1 लाख रूपये की धनराशि भी दी गयी थी। शहरों के ब्यौरे और दी गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण II पर है। चूंकि कार्यक्रम 1993–94 के अन्त में ही शुरू किया गया था इसलिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मंगवाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, अतः इन योजनाओं को प्रोफार्मा प्रस्तावों के आधार पर 1993–94 के दौरान मंजूरी दी गयी। तथापि, दिशा निर्देशों में यह उल्लेख कर दिया गया है कि 1994–95 के बाद शहरी योजनाओं को नगर पालिकाओं द्वारा तैयार और समिति को प्रस्तुत की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के आधार पर राज्य स्तर पर गठित समिति द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

विवरण -I

शहरी सुलभ जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत् केन्द्रीय सहायता के लिए पात्र शहरों की सूची

राज्य : मध्य प्रदेश

क्र.सं.	शहर का नाम	जिला	आबादी (1991 की जनगणना)	सुविधा स्तर (वर्तमान/प्रस्तावित)	योजना श्रेणी नयी/संवर्धन/पुनर्वास	अनुमानित लागत (1199 की स्थिति अनुसार) रुपये लाखों में	प्रति शहर लागत रुपये	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अहिरवारा	दुर्ग	18701	13/70	संवर्धन	56.00	299.00	अनुशंसित
2.	गडियाबन्द	रायपुर	83901	13/70	संवर्धन	34.00	405.00	"
3.	भाटगांव	रायपुर	8639	10/70	"	56.00	48.00	"
4.	सीतामऊ	मंदसौर	11446	18/70	"	69.00	603.00	"
5.	सौहाग पुर	होसंगाबाद	18613	23/70	"	56.00	301.00	"
6.	सुल्तानपुर	रायसेन	7041	14/70	"	45.00	639.00	
7.	भीकन गांव	खारगोन	11812	30/70	"	167.00	1414.00	एच. पी. सी. सी. एन. आर.
8.	गंदाईपंठरीया	राजनन्दगांव	19273	40/70	"	55.00	285.00	अनुशंसित
9.	गौतमपुरा	इन्दौर	10104	16/70	"	47.60	471.00	"
10.	उदयपुर	रायसेन	10076	40/70	"	45.00	447.00	"
11.	पच्चूर	राजगढ़	14206	10/70	"	260.00	1830.00	एच. पी. सी. सी. एन. आर.
12.	गैरत गंज	रायसेन	6479	40/70	"	25.00	386.00	अनुशंसित
13.	बुधनी	सिहोड़	13352	54/70	"	39.00	292.00	"
14.	बबाई	होसंगाबाद	10909	41/70	"	36.00	328.00	"
15.	खिड़किया	होसंगाबाद	14946	27/70	"	54.00	361.00	"
16.	तिमरानी	होसंगाबाद	14156	32/70		31.00	219.00	"
17.	पिथौरा	रायपुर	8831	27/70	"	43.00	487.00	"
18.	बाग बेहरा	रायपुर	14801	39/70	"	56.00	378.00	"
19.	हॉट पिपलिया	देवास	12771	45/70	"	72.00	555.00	"
20.	कर्नवाद	देवास	8125	34/70	"	52.00	640.00	"
21.	कान्ता फोल	देवास	7295	34/70	"	44.00	603.00	"
22.	खनियाधाना	शिवपुरी	9780	16/70	"	34.00	649.00	"
23.	सहवार	इन्दौर	10574	30/70	"	55.00	542.00	"
24.	बधनवार	धार	15137	35/70	"	56.00	839.00	"
25.	धरमपुर	धार	11100	40/70	"	55.72	502.00	"
26.	भाभरा	झबुआ	6200	31/70	"	38.00	613.00	"
27.	बाग	धार	6520	46/70	"	30.55	469.00	"
28.	धमनोड	धार	18837	26/70	"	163.00	868.00	"
29.	जोबट	झबुआ	8290	46/70	"	40.00	483.00	"
30.	बमनिया	झबुआ	4478	20/70	"	29.00	648.00	"
31.	पंसेमल	खरगोन	8249	33/70	"	49.00	594.00	"
32.	पाटन	दुर्ग	7143	33/70	"	76.90	1077.00	एच. पी. सी. सी. एन. आर.
33.	डोगर गांव	राजनाथगांव	9317	32/70	"	63.50	682.00	अनुशंसित

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	चोकी	राजनाथगांव	6672	52/70	"	50.50	757.00	अनुशंसित
35.	रोघोगढ	गुना	17859	35/70	"	72.50	406.00	"
36.	बरोड़ा	मुरैना	12617	45/70	"	21.52	171.00	"
37.	सेवंधा	दतिया	15373	56/70	"	33.11	215.00	"
38.	विजयपुर	मुरैना	10680	42/70	"	48.50	454.00	"
39.	बामोर कलां	मुरैना	19216	15/55	"	48.00	250.00	"
40.	उनडेल	उज्जैन	9890	27/70	"	49.00	495.00	निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त
41.	खुर्द	रायपुर	13666	9/60	"	51.00	373.00	निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त
42	चन्देरी	गुना	–	–	–	–	–	विवरण प्राप्त नहीं।
43	भानदा	सागर	–	–	–	–	–	विवरण प्राप्त नहीं।
						2407.90		

विवरण -II

केन्द्र प्रवर्तित शहरी सुलभ जल आपूर्ति कार्यक्रम वार्षिक योजना 1993-94 के दौरान केन्द्रीय सहायता के नियतन हेतु राज्यवार योजनाओं की सूची :

राज्य: मध्य प्रदेश

क्र. सं	शहर का नाम	जिला	आबादी (1991की जनगणना)	सुविधा (वर्तमान/प्रस्तावित)	योजना श्रेणी (नयी/संवर्धन/ पुनर्वास)	अनुमानित लागत (1991की स्थिति के अनुसार)	प्रति शहर, लागत	केन्द्रीय अंश कालम 7का 50%	जारी केन्द्रीय सहायता (अनुमोदित केन्द्रीय अंश का 25%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अहिरवारा	दुर्ग	18701	13/70	संवर्धन	58.00	299.00	28.00	7.00
2.	नड़ियाबन्द	रायपुर	9391	13/70	"	34.00	405.00	17.00	4.25
3	भाठगांव	रायपुर	8539	10/70	"	56.00	548.00	28.00	7.00
4.	शिलापांव	मंदसौर	11446	18/70	"	69.00	600.00	34.60	8.63
5.	सोहागपुर	होशंगाबाद	18613	23/70	"	56.00	301.00	28.00	7.00
6.	सुल्तानपुर	रायसेन	7041	14/70	"	45.00	639.00	22.50	5.63
7.	गैदयी पनदनिया	राजनाथगांव	19273	40/70	"	55.00	295.00	27.50	6.88
8.	गौतमपुरा	इन्दौर	10104	16/70	"	47.00	483.00	83.00	5.88
9.	उदयपुर	रायसेन	10076	40/70	"	45.00	447.00	22.50	5.63
10.	गैरत गंज	रायसेन	6470	40/70	"	25.00	386.00	12.50	3.13
11.	बाबई	होशंगाबाद	10979	41/70	"	36.00	328.00	18.00	4.50
12.	खिड़किया	होशंगाबाद	14946	27/70	"	54.00	351.00	27.00	6.05
13.	तीमारानी	होशंगाबाद	14156	32/70	"	31.00	219.00	15.50	3.88
14.	पिथौरा	रायपुर	8831	27/70	"	43.00	487.00	21.50	5.38
15.	बोग बेहरा	रायपुर	14801	39/70	"	55.00	378.00	22.00	7.00
16.	करनवाड	देवास	8125	34/70	"	52.00	640.00	26.00	6.50
17.	कान्ताफोड	देवास	7295	34/70		44.00	503.00	22.00	5.50
18.	खनियाधाना	शिवपुरी	9730	16/70		34.00	348.00	17.00	4.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	सहवार	इन्दौर	10574	30/70	संवर्धन	55.00	520.00	27.50	6.88
20.	बधनवार	धार	15137	35/70	"	56.00	370.00	22.00	7.00
21.	धरमपुर	धार	11100	40/70	"	55.72	502.00	27.86	6.97
22.	भाभरा	झबुआ	6200	31/70	"	38.00	613.00	19.00	4.75
23.	धमनोड	धार	18837	26/70	"	168.50	868.00	81.75	20.44
24.	भवनिया	झबुआ	4478	20/70	"	29.00	648.00	14.50	3.63
25.	पानसेमल	खरगौन	8249	33/70	"	4"9.00	594.00	24.50	6.13
26.	डोगर गांव	राजनाथगांव	9317	32/70	"	53.50	681.00	31.75	7.94
27.	राधौगढ़	गुना	17859	35/70	"	72.50	406.00	36.25	9.06
28.	बामौर कला	मुरैना	19215	15/55	"	48.00	250.00	24.00	6.00
29.	हॉट पिपलिया	देवास	12971	45/70	"	72.00	555.00	35.00	9.00
30.	बाग	धार	6520	45/70	"	30.55	469.00	15.28	3.82
31.	बड़ौदा	मुरैना	12617	45/70	"	21.52	171.00	10.75	2.69
32.	विजयपुर	मुरैना	10680	42/70	"	48.50	454.00	24.25	6.06
	योग					1640.79		820.40	205.10

प्रश्न पत्रों का उत्तर देने का विकल्प

166. श्री रामटहल चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुभाग अधिकारियों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए लेखन और प्रारूपण के साथ–साथ भारतीय संविधान और नियम तथा प्रक्रिया पर बनाए गए प्रश्न–पत्रों का हिन्दी में उत्तर देने की वैकल्पिक व्यवस्था रखने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रश्न पत्रों का हिन्दी में उत्तर देने के विकल्प को कार्यान्वित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क). जी, नहीं।

(ख) और (ग). परीक्षा के पांच प्रश्न–पत्रों में से तीन का उत्तर हिन्दी में देने का विकल्प पहले से ही उपलब्ध है। अन्य दो प्रश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने की सुविधा प्रदान करने के प्रश्न की जांच विदेश, रक्षा एवं रेल मंत्रालयों से परामर्श करके की जा रही है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में मतदाता सूचियां

167. श्री गुरूदास कामत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार के कर्मचारियों ने मतदाता सूचियों का संशोधन करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, जम्मू–कश्मीर राज्य में राजस्व कर्मचारी संगम, पटवारी संगम और राजस्व अधिकारी संगम ने 1 अक्तूबर, 1994 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित संकल्प पारित किया

"विद्यमान परिस्थितियों में, जबकि घाटी को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया जाना जारी है और हमारे जीवन, हमारे कुटुंबों और नातेदारों के जीवन तथा संपत्तियां भी खतरे में हैं हम निर्वाचन प्रक्रिया में, जिसके अन्तर्गत 3 अक्तूबर, 1994 से प्रारम्भ होने वाली निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण भी है, सम्मिलित होने की स्थिति में नहीं है।"

(ग) और (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जल-मल व्ययन शोधन संयंत्र

168. श्री महेश कनोडिया :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मार्च,1994 में जल–मल व्ययन शोधन संयंत्र के निर्माण के सम्बन्ध में गुजरात सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) से (ग). केन्द्र सरकार को मार्च, 1994 मे जल–मल व्ययन शोधन संयंत्र के निर्माण के संबंध में गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। तथापि, आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) को गुजरात राज्य से ऋण सहायता हेतु निम्नलिखित स्कीमें प्राप्त हुई हैं:

(1) अहमदाबाद शहर के लिए सीवरेज स्कीम;

(2) बड़ौदा के लिए सीवेज शोधन संयंत्र का संवर्धन;

(3) जाम नगर के लिए भूमिगत् सीवरेज स्कीम; और

(4) सूरत में सीवेज शोधन संयंत्रों का निर्माण।

ये स्कीमें आगे कार्यवाही के लिए लम्बित इसीलिए पड़ी हैं क्योंकि संबंधित राज्य अभिकरणों ने अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं।

[अनुवाद]

रक्षा क्षेत्र में उद्योगों की भागीदारी

169 श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर, 1994 में नई दिल्ली में रक्षा क्षेत्र और संबद्ध मामलों के स्वेदशीकरण हेतु भारतीय वायु सेना और भारतीय उद्योग महासंघ द्वारा सह–प्रायोजित एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें भाग लेने वालों और संगोष्ठी के उद्देश्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) संगोष्ठी में क्या सिफारिशें और सुझाव दिए गए; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ). भारतीय वायुसेना की आवश्यकता की मदों के देशीकरण की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए हाल ही में, नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना तथा भारतीय उद्योग महासंघ ने संयुक्त रूप से एक पदर्शनी तथा संगोष्ठी का आयोजन किया था। इस संगोष्ठी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय वायुसेना, संबंधित निरीक्षण एंजेसियों के प्रतिनिधियों तथा निजी क्षेत्र के लगभग 200 भागीदारों ने भाग लिया। यह संगोष्ठी देशीकरण की सम्भावनाओं का पता लगाने का प्रयास थी, जिसके ठोस प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं।

[हिन्दी]

समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

170. श्रीमती शीला गौतम :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ से अब तक समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमो का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र पहले ही स्थापित कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो ये किन–किन स्थानों पर कार्यरत हैं;

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक राज्य–वार कितने ब्लाक शामिल किए गए हैं; और

(ङ) शेष ब्लाकों को कब तक शामिल कर लिए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ होने से लेकर अब तक एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत दस राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(ख) और (ग). दो प्रशिक्षण संस्थानों ने, एक संस्थान दिल्ली (बकोली) में और एक संस्थान उत्तर प्रदेश (लखनऊ) में, पहले से ही कार्य करना आरंभ कर दिया है। गुजरात (खेड़ा), मेघालय (शिलांग) और कनार्टक (बंगलौर) मे तीन अन्य संस्थान पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) अब तक विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 552 ब्लाकों को हाथ में लिया गया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) आठवीं योजना प्रलेख के अनुसार प्रतिवर्ष कम से कम 100 ब्लॉकों को शामिल करने के लिए एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम (1994-95) के अंतर्गत लिए गए ब्लॉकों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ब्लॉकों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	30
2.	अरुणाचल प्रदेश	9
3.	आसाम	18
4.	बिहार	14
5.	गोआ	4
6.	गुजरात	22
7.	हरियाणा	24
8.	हिमाचल प्रदेश	31
9	जम्मू और कश्मीर	14
10	कर्नाटक	26
11.	केरल	28
12.	मध्य प्रदेश	52

1	2	3
13.	महाराष्ट्र	33
14.	मणीपुर	10
15.	मेघालय	13
16.	मिजोरम	8
17.	नागालैण्ड	6
18.	उड़ीसा	11
19	पंजाब	30
20.	राजस्थान	20
21	सिक्किम	3
22.	तमिलनाडु	17
23.	त्रिपुरा	5
24.	उत्तर प्रदेश	78
25.	पश्चिम बंगाल	26
	उप जोड़	532
26.	अंडमान और निकोबार	5
27.	चंडीगढ़	1
28.	दादर और नगर हवेली	1
29.	दमण और दीव	1
30.	दिल्ली	5
31.	लक्षद्वीप	1
32.	पांडिचेरी	6
33.	उत्तर पूर्व परिषद्	–
	कुल जोड़	552

[अनुवाद]

प्रति व्यक्ति आय

171. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1992–93 की तुलना में 1993–94 के दौरान देश में प्रतिव्यिक्ति आय में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के प्रथम तीन महीनों के दौरान प्रति व्यक्ति अनुमानित आय कितनी थी?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख). देश में स्थिर मूल्यों (1880–81) के आधार पर प्रति व्यक्ति आय (कारक लागत पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद) वर्ष 1992–93 में 2216 रूपये से बढ़कर 1993–94 में 2255 रुपये हो गई।

(ग) राष्ट्रीय उत्पाद के आकलन तिमाही आधार पर तैयार नहीं किए जाते हैं। अतः चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन महीनों के दौरान प्रति व्यक्ति आय का आकलन दिया जाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

आवास समितियां

172 श्री एन. जे. राठवा :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में वित्तीय सहायता के लिए "हुडको" के अन्तर्गत पंजीकृत आवास समितियों के क्या नाम हैं;

(ख) किन किन समितियों को कितनी–कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) शेष समितियों को कब तक वित्तीय सहायता प्रदान कर दी जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख). सहकारी समितियों के पंजीकरण हेतु हुडको के पास कोई व्यवस्था नहीं हैं। तथापि, हुडको की ऋण सहायता हेतु सरकारी समितियों द्वारा प्रस्तुत आवास योजनाओं पर हुडको के दिशा निर्देशों के अनुसार विचार किया जाता है। हुडको ने अपनी स्थापना से लेकर 31.10.94 तक गुजरात राज्य की सहकारी आवास समितियों को 42 परियोजनाएं मंजूर की हैं, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) चूंकि पंजीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए शेष समितियों को वित्त वित्तीय सहायता की मंजूरी का प्रश्न ही नहीं उठता। समितियों को ऋण की मंजूरी एक सतत प्रक्रिया है और ऋण सहायता के आवेदन प्राप्त होने पर यथा समय विचार किया जाता है।

विवरण

गुजरात की सहकारी समितियों को हुडको द्वारा स्वीकृत आवास योजनाओं के ब्यौरे

01/01/78से 31/10/94 तक

एजेन्सी	योजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	स्वीकृति (रू. लाखों में)	रिहायशी इकाइयां	स्वीकृत प्लाट
अल्कानगर, बडोदरा सी. जी. ई.	1	61.61	40.73	39	0
केन्द्रीय सहकारी हाउसिंग सो.	1	54.97	38.97	40	0
दिपेन नगर सहकारी हाउसिंग सो.	1	73.77	55.33	181	0
गुजरात हाउसिंग बोर्ड	1	63.64	42.80	139	0
गुजरात राज्य सहकारी हाउसिंग वित्त सो. लि0	1	3186.97	1996.87	8485	0
जनक पुरी अपार्टमेंट सहकारी हाउसिंग सो.	1	127.86	62.00	124	0
कर्नावती सहकारी हा. सो.	1	53.42	40.04	56	0
कमलेश पार्क सहकारी हाउ. सो.	1	264.62	198.43	500	0
मोची नगर सहकारी सोसाइटी	2	88.74	65.92	253	0
मनीभाई पार्क सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी	1	192.67	148.21	235	0
नवयुग सहकारी हाउसिंग सो.	2	131.94	73.86	132	0
श्री नर्मदा सहकारी हाउ. सो. लि.	1	53.79	40.13	125	0
प्रहलाद पार्क सहकारी हाउ. सो.	1	61.62	46.22	151	0
राजीव नगर सहकारी हाउ. सो.	1	216.92	162.52	395	0
सागर सहकारी हाउ. सो.	2	388.22	220.22	168	0
सोनम सहकारी हाउ. सो.	1	86.87	65.02	178	0
सुरम्य सहकारी हाउ. सो.	1	78.71	58.88	159	0
समीर नगर सहकारी हाउ. सो.	1	286.53	214.91	499	0
श्री रेल नगर सहकारी हाउ. सो.	2	14.92	11.35	74	0
तृप्ती सहकारी हाउ. सो.	1	33.70	25.25	32	0
वीरता नगर सहकारी हाउ. सो.	1	162.75	120.73	199	0
वसुपूज्य स्मृति सहकारी हाउ. सो.	1	198.21	113.62	68	0
	42	5882.45	3842.01	12232	0

[अनुवाद]

अपशिष्ट पदार्थों से विद्युत उत्पादन

173. **श्री के. प्रधानी :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपशिष्ट पदार्थों से विद्युत उत्पादन हेतु कुछ परियोजनाएं शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ग) ये परियोजनाएं किन–किन राज्यों में शुरू की जा रही हैं;

(घ) क्या उड़ीसा में ऐसी कोई परियोजना लगाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो यह परियोजना किस स्थान पर स्थापित की जाएगी, इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इसको लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) ऊर्जा की प्रतिप्राप्ति के लिए शहरी और औद्योगिक अपशिष्टों के इस्तेमाल हेतु सरकार द्वारा "बायोमैनेशन प्रक्रियाओं के विकास पर" यू.एन.डी.पी./

जी.ई.एफ. सहायता प्राप्त एक परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है और इस परियोजना के अंतर्गत इस प्रक्रिया में प्राप्त की गई मिथेन गैस चालित दोहरे ईंधन इंजिनों के इस्तेमाल से विद्युत उत्पादन के लिए प्रदर्शन परियोजनाओं की स्थापना, उनका मूल्यांकन और मानीटरिंग शामिल है।

(ख) इस परियोजना की 5 वर्षों की अवधि के दौरान इस प्रदर्शन कार्यकलाप हेतु 3.72 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

(ग) से (ङ). अभी विशिष्ट स्थलों का चयन नहीं किया गया है जो मिथेन प्रतिप्राप्ति प्रणालियों के सफलतापूर्वक प्रचालन पर निर्भर करेगा।

मतदाता सूची

174. श्री सी. पी. मुदालगिरियप्पा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन व्यक्तियों की मतदाता सूची में शामिल करने की संभावना नहीं है जो नौकरी अथवा व्यापार के लिए विदेश गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). निर्वाचन विधि के अधीन, किसी निर्वाचन क्षेत्र में मामूली निवास स्थान, उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक निर्वाचक के रूप में नामांकन के लिए एक आवश्यक अपेक्षा है। अतः विदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह ऐसे व्यक्तियों के किसी विशेष प्रवर्ग से संबंध न रखता हो, जिन्हें उनके गृह निर्वाचन-क्षेत्र में, उनके वहां से शारीरिक रूप से अनुपस्थित रहने पर भी, विधि की अधीन मामूली तौर पर निवासी समझा जाता है।

आर. डी. एक्स. विस्फोटक

175. श्री गुरूदास कामत :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नौसेना का एक पोत पश्चिमी घाट पर आर. डी. एक्स. विस्फोटक सामग्री सहित शस्त्र और गोला बारूद उतारने की एक घटना में लिप्त पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय नौसेना का कोई भी पोत भारत के पश्चिमी तट पर शस्त्र और गोला-बारूद उतारने के कार्य में लिप्त नहीं पाया गया है। ऐसी गतिविधि में नौसेना के किसी अन्य पोत के लिप्त होने की सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

खादी ग्रामोद्योग आयोग में रिक्त पद

176. श्रीमती शीला गौतम :
श्री राजेश कुमार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवम्बर, 1994 तक खादी ग्रामोद्योग आयोग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने रिक्त पद भरे गए; और

(ख) शेष पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने विशेष भर्ती अभियान के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की पिछली कुल 162 शेष रिक्तियों में से नवम्बर, 1994 तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की 24 रिक्तियों को भर दिया है।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्याग क्षेत्र पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुपालन में हाल में गठित आयोग ने अपनी अक्तूबर, 1994 की बैठक में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में श्रमिक बल संरचना की समीक्षा के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की सेवाएं ली थी। रिपोर्ट के प्राप्त होते ही आयोग पता लगायी गयी रिक्तियों को भर देगा।

[अनुवाद]

ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान

177. श्री तारा सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में प्रवेश करने का है;

(ख) क्या यह निर्णय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान डी-2 की सफलता को देखते हुए लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) विकासात्मक चरण में है और अपनी अगली सफल विकास उड़ान के बाद यह आन्तरिक जरूरतों के लिए और वाणिज्यिक आधार पर दोनों के लिए प्रचालनात्मक प्रमोचन सेवाओं के लिए तैयार होगा। पी. एस. एल. वी. सुदूर संवेदन उपग्रहों के साथ-साथ संचार के लिए निम्न-भू-कक्षा वाले उपग्रहों को प्रमोचित कर सकता है।

स्कूटर्स इण्डिया लि. में कर्मचारियों की छंटनी

178. श्री गुरूदास कामत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर्स इण्डिया लि. के कई कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिन्द महासागर में खनन

179. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर का कुछ मध्यवर्ती क्षेत्र गहरे समुद्र से खनिज पदार्थ निकालने हेतु "पायलट" संयन्त्र स्थापित करने के लिए भारत को आवंटित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1993–94 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) इस कार्यक्रम के क्या परिणाम निकले?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 1993–94 के दौरान इस कार्यक्रम पर 3.47 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई।

(ग) कार्यक्रम अनुसंधान एवं विकास चरण मे है। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

12.02 म.प.

[अनुवाद]

प्रतिभूति घोटाले के बारे में संशोधित की गई कार्यवाही रिपोर्ट के सम्बन्ध में

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री बूटा सिंह (जालोर): महोदय, मुझे आशा है कि हम लोगों ने जो आपको लिखा है उस पर आप ध्यान देंगे।.... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : इससे भी अधिक महत्वपूर्ण मेरे क्षेत्र में आदिवासियों की हत्या का मामला है। वहां अनेक आदिवासी लोगों की हत्यां कर दी गई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आज हमारे सत्र का पहला दिन है। सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे पास समय होगा। हमारा उन पर एक–एक करके चर्चा करने का विचार है और यदि उन पर एक–एक करके चर्चा न होकर एक साथ चर्चा की जाती है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस लिए हमें एक–एक मुद्दे का चयन करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री इंद्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : यह चर्चा की मद नहीं है। हम किसी चर्चा के लिए जोर नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे लेंगे। यदि आप वास्तव में अपने मुद्दे उठाने तथा सरकार से उत्तर पाने के इच्छुक हैं तो प्रक्रिया यह होगी कि मेरे कहने पर आप में से एक व्यक्ति खड़ा हो और वह मुद्दा उठाए, मेरे कहने के बगैर नहीं। और तब मैं सरकार से उचित मामलों में उत्तर देने का अनुरोध करूंगा। अन्यथा, आप जानते हैं, हम सब एक साथ ही बोलते रहेंगे।

श्री इंद्रजीत गुप्त : महोदय, आपको याद होगा कि पिछले सत्र का अधिकांश समय विरोध प्रकट करने तथा सभी विपक्षी दलों द्वारा सभा की कार्यवाही का बहिष्कार करने में व्यर्थ हो गया था। मुद्दा यह था कि संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन के संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया तथाकथित की गई कार्यवाही प्रतिवेदन बिल्कुल अस्वीकार्य था और विपक्ष के प्रत्येक सदस्य का यह मानना था कि यह कोई की–कई–कार्यवाही–प्रतिवेदन नहीं हैं। महोदय, मैं आपको पुनः स्मरण करा दूं कि संयुक्त संसदीय समिति की सर्वसम्मत् सिफारिशों पर न तो कोई कार्यवाही की गई तथा न ही उन्हें लागू करने के लिए कोई कार्यवाही की गई। पहली बार दोनों सभाओं तथा सभी दलों के सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से तैयार किया गया प्रतिवेदन देश के सामने रखा था और सरकार से आशा थी कि वह इसका सम्मान करेगी, स्वीकार करेगी तथा इसे क्रियान्वित करेगी अन्यथा संसदीय प्रणाली में ऐसे प्रतिवेदन का कोई महत्व नहीं है।

यहां तक कि बहिष्कार के समय आपके हस्तक्षेप से कोई हल निकालने के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयासों के कारण एक हल निकाला गया था जिसे सरकार तथा विपक्ष दलों, दोनों ने ही स्वीकार किया था। हल यह निकाला गया था कि की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के जिन–जिन मुद्दों पर विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं, जिन मुद्दों को वे स्वीकार करने को तैयार नहीं है तथा जिन मुद्दों को सरकार ने केवल आंशिक रूप से स्वीकार किया है परन्तु उन्हें पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया है, उन मुद्दों पर सरकार को एक संशोधित प्रतिवेदन तैयार करना चाहिए और वह संशोधित प्रतिवेदन सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उस आधार पर सरकार द्वारा उस समय आश्वासन दिये गए थे कि सरकार उस प्रतिवेदन को वापस ले लेगी, उस पर पुनर्विचार करेगी तथा विपक्षी दलों के सदस्यों के कथनों को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन करेगी और तब सभा के समक्ष एक संशोधित प्रतिवेदन लाएगी। केवल तब ही हम इस पर विचार करने की स्थिति मे होंगे। यह स्थिति थी। केवल ऐसा आश्वासन देने के पश्चात् ही सभा में सामान्य कार्यवाही सम्भव हो पाई।

तब से काफी समय बीत चुका है। हम सभी यह आशा कर रहे थे कि इस सत्र के प्रथम दिन सरकार हमें यह बताएगी कि वह वो

संशोधित प्रतिवेदन ले आए हैं तथा उसे सभा पटल पर रख रहे हैं और इसे सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि हम यह देख सकें कि यह हमें स्वीकार्य है या नहीं या इसमें कुछ सुधार किया गया है अथवा नहीं। और उस पर पूरी तरह चर्चा होनी चाहिए। परन्तु हमें कार्य सूची में की–गई–कार्यवाही–प्रतिवेदन से संबंधित कोई मद नहीं मिली जिसका कि सरकार ने वादा किया था। इसलिए, हमारा विचार है कि जब तक उसे किसी न किसी तरह निपटाया न जाए तब तक किसी अन्य मद पर चर्चा करना कठिन है। हमें यह अवश्य पता होना चाहिए कि स्थिति क्या है। यह सत्र उसी मुद्दे से शुरू होना चाहिए जिस पर पिछले सत्र समाप्त होते समय चर्चा चल रही थी। यह इस टिप्पणी पर समाप्त हुआ था कि सरकार उस प्रतिवेदन को वापस ले रही है तथा उसमें संशोधन करने जा रही है।

इस बीच वित्त मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री के साथ अनेक बैठकें हुई। वे विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से एक साथ नहीं बल्कि अलग–अलग यह परामर्श करना चाहते थे कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं या हम किस चीज का विरोध कर रहे हैं या हमें क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, ताकि उन्हें स्थिति स्पष्ट हो सके। वे बैठकें हुईं। मुझे नहीं पता कि उनमें सभी दलों ने भाग लिया या नहीं परन्तु हमारे दल ने उन बैठकों में भाग लिया। दोनों मंत्रियों के साथ हमारी लम्बी चर्चा हुई। यह सब बातें हो जाने के बाद हम अब यही आशा करते हैं कि कम से कम संशोधित प्रतिवेदन बिना किसी और देरी के तुरन्त सभा के समक्ष लाया जाना चाहिए।

यह बहुत संक्षिप्त सत्र होगा। हमारे पास केवल 12 या 13 कार्य दिवस हैं और हम यह नहीं चाहते हैं कि सरकार किसी न किसी वजह से विलम्ब करे और सदस्यों को इस संशोधित प्रतिवेदन का अध्ययन करने तथा सत्र में इस पर चर्चा करने का अवसर न मिले। इसलिए, सारतः बात यह है कि, हम चाहते हैं कि यह प्रतिवेदन सभा के समक्ष बिना और विलम्ब के लाया जाए। मंत्रीजी यहां सभा में उपस्थित हैं। वह यह स्पष्ट कर सकते हैं कि सरकार इसके बारे में क्या कर रही है, यह हमें कब तक मिल जाएगा तथा हम कब इस पर चर्चा करने की स्थिति में होंगे। सरकार द्वारा ऐसा स्पष्ट आश्वासन मिलने से पूर्व हम कार्य की किसी अन्य मद पर अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे।

भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों ने एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाया है। हम सभी उत्तराखण्ड के प्रश्न पर या दिल्ली आने वाले शान्तिपूर्ण प्रदर्शकों के साथ मुजफ्फरनगर में जो हुआ, उस पर चिन्तित हैं। ऐसा नहीं है कि इस पर केवल एक दल को चिन्ता है। परन्तु, तब भी मैं यह कहूंगा कि संशोधित की गई कार्यवाही प्रतिवेदन का यह प्रश्न पिछले सत्र का छोड़ा हुआ मामला है। इसलिए इसे बीच में नहीं रोका जाना चाहिए और केवल इसमें हस्तक्षेप करने या दखल देने के लिए ही अन्य मदों को नहीं लाया जाना चाहिए।

सर्वप्रथम, मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप कृपया सरकार को यह निदेश दें कि वह संशोधित प्रतिवेदन सभा के समक्ष लाए तथा इसे सभापटल पर रखे ताकि हमें इस पर चर्चा के लिए काफी समय मिल सके।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, केवल हमें यह स्मरण कराना है कि आपने अपनी टिप्पणियां पिछले सत्र में 17 अगस्त को की थीं जिनसे विवाद कुछ समय के लिए खत्म हो गया था, और तब से साढ़े तीन महीने से भी अधिक समय बीत चुका है। आपने यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि संशोधित प्रतिवेदन यथासंभव शीघ्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा। महोदय, काफी अधिक समय बीत चुका है। इस जैसे मामले में यह तथ्य कि साढ़े तीन महीने बाद भी सरकार ने इस सत्र के प्रथम दिन में प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया यह दर्शाता है कि उनकी मंशा इस सभा के उचित कार्य–निष्पादन के अनुकूल नहीं है।

महोदय, उसके अलावा जिस प्रकार से चर्चा की गई है वह भी खेदजनक है। माननीय मंत्रियों की विभिन्य दलों के नेताओं तथा पदाधिकारियों के साथ हुई चर्चा यह दर्शाती है कि चर्चा के समय सरकार ने वास्तव में इसे खुले दिमाग से नहीं लिया। आपके प्रयासों तथा हस्तक्षेप ने, जिनका श्री गुप्त ने उल्लेख किया तथा जिन्हें दोहराते हुए हमें बहुत खुशी है, उस समय स्थिति को तनावमुक्त बनाने में सहयोग दिया और हम सभा में वापस आए गए। सरकार ने उन प्रयासों का कोई ख्याल नहीं रखा। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय अध्यक्ष को इच्छाओं तथा उनके द्वारा किए गए प्रयासों को सरकार ने समुचित परिप्रेक्ष्य में नहीं लिया, अन्यथा ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता है कि सरकार देश में भ्रष्टाचार के किसी भी मुद्दे पर कार्यवाही न करे। चाहे की–गई–कार्यवाही–प्रतिवेदन का मुद्दा हो, चाहे चीनी घोटाले का मुद्दा हो या बोफोर्स का मुद्दा हो, हर चीज अधर में लटकी है।

इसलिए, महोदय, हम इस बारे में बहुत चिन्तित हैं और मैं श्री गुप्त की इस मांग से सहमत हूं कि सरकार को तत्काल यह प्रतिवेदन सामने लाना चाहिए तथा उसे अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करनी चाहिए। सरकार को अब तक निर्णय ले लेना चाहिए था। यदि आज तक भी इस पर निर्णय नहीं हुआ है तो हमारे द्वारा उठाई गई आपत्तियों का क्या होगा। तब इसका अर्थ यह होगा कि सरकार इस मामले में केवल विलम्ब करने का प्रयास कर रही है जिससे किसी प्रकार इस सत्र की 13 दिन की अवधि व्यतीत हो जाए। यदि पीठ के हस्तक्षेप पर भी ध्यान नहीं दिया जाएगा तो इससे केवल एक बुरा पूर्वोदाहरण कायम होगा।

यदि सरकार निष्क्रिय बैठी रही और आज ही प्रतिवेदन नहीं लाया गया तो, महोदय, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, हम बहुत चिन्तित हैं और इससे सभा की कार्यवाही सही ढंग से नहीं चला पाएगी। इस सरकार का आचरण ही यह दर्शाता है कि यह अड़ियल सरकार है। इसलिए, महोदय, मैं आपसे गम्भीरतापूर्वक यह अनुरोध करता हूं कि आप उन्हें समझाएं और उन्हें यह निदेश दें कि वे आज ही प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, सोमनाथ जी और इंद्रजीत बाबू ने अभी जो कहा कि पिछले ए टी आर के सवाल पर जो डेडलॉक था, यह ज्यों का त्यों खड़ा है और उस पर अविश्वास का संकट भी है, इससे मैं सहमत हूं। सरकार की जो क्रैडीबिलिटी है, वह इतनी खराब है कि उसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते तथा इस सवाल में, इस अविश्वास के संकट में हम लोगों की

क्रैडीबिलिटी भी खराब हो रही है। आपसे इतनी बार मीटिंग करके, इतनी परसुएशन करके, इतनी मेहनत करके तथा उन सब चीजों को नैरोडाऊन करके इस सवाल को हल करने का जो रास्ता निकाला था, उसको निकाले हुए भी तीन महीने बीत गये हैं लेकिन अभी तक कुछ नही हुआ है। पिछले सैशन के अंतिम दिन भी हम लोगों ने आपसे कहा था कि हिन्दुस्तान में इससे बड़ा घोटाला आज तक नहीं हुआ। सरकार को इसे स्वयं ही सुलझाना चाहिए क्योंकि उन्हें मालूम था कि वह इतना बड़ा डेडलॉक था। इतना बड़ा अविश्वास का संकट हमारे और आपके बीच में है, वह अविश्वास का संकट इसलिए ज्यादा बढ़ गया क्योंकि हमारी सब पार्टियों के साथ आपकी जो बात हुई थी, उसमें हमको यह महसूस होता है कि सरकार ने जरा सा भी स्वयं को बदलने का काम नहीं किया?

जहां वह खड़ी थी वहीं खड़ी है और हम भी जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। यह सैशन बहुत छोटा है और हम चाहते हैं कि इस सैशन में सब बातों पर, चाहे वह नागपुर का मामला हो, चाहे उत्तराखंड का मामला हो, चाहे मंडल कमिशन के इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट का मामला हो, चाहे महिलाओं की ऐटरोसिटीज का मामला हो, इन सब मामलों को हम उठाना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले देशभर में एक बड़ा सवाल आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है और उस सवाल का हल आप आज तक नहीं निकाल पाए। जे.पी.सी., जो इस सदन की यूनैनिमस रिपोर्ट है, उसके साथ जिस तरह से सलूक किया जा रहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह डैडलॉक नहीं चलना चाहिए, हाउस के सब बिजनस ट्रानजिट होने चाहिए, हाउस व्यवस्थित तरीके से 13 दिन चले। हम सब बातों पर बहस करना चाहते हैं। आपकी इच्छा फाइव ईयर प्लान पर बहस कराने की है, एग्रीकल्चरल पॉलिसी पर बहस होनी है। इन सारी चीजों को ठीक तरह से चलाने के लिए मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं, विशेष तौर पर पालियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से, जो हमेशा ना से शुरू होते हैं। मैंने देखा है, ये उस तरह से बोलते रहते हैं जैसे मशीन बोलती है। ये आदमी बनकर बोलें। यदि इतने बड़े सवाल पर भी आदमी नहीं होंगे तो कब होंगे। आप उस तरह से बैठे रहते हैं जैसे कोई रोबोट हो। आप कभी तो सदन को बढ़िया तरीके से चलाइए। आपके समय में पूरा सदन बढ़िया तरीके से नहीं चला है। यह काम इस बार तो कर दीजिए। वे मुस्करा रहे हैं, यह अच्छी बात है लेकिन उसके साथ कुछ मतलब भी निकलना चाहिए।

आपने जो चर्चा की है, उससे हम बहुत डर गए हैं। हम यह महसूस करते हैं कि आप इस सवाल को रोककर खड़े हैं। सवाल को ऐसा मत फसाइए कि पूरा सदन फस जाए। इसलिए आज ही इसपर आप कुछ बोलने का काम करें। आप कहते हैं कि हमने सब सवाल मान लिए। जितने थोथे सवाल थे, जैसे फसल के समय गेहूं को उड़ाने से भूसा उड़ जाता है और माल गिर जाता है, उस तरह से इस रिपोर्ट मे जो सगुण था, जो चार बातें मजबूत थीं, उनको मानने के लिए आप किसी तरह से तैयार नहीं होते। हमारा आपसे कहना है कि उन चार बातों को मानने से ही पूरे देश में एक मैसेज जाएगा, आपकी तस्वीर भी सुधरेगी और अविश्वास का संकट जो खड़ा है, वह भी ठीक होगा।

इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार को आज ही इसपर सुओ-मोटो बयान देना चाहिए था लेकिन वह नहीं दे रही है। आपने इतनी मेहनत की है, कहीं वह भी बेकार न चली जाए, इसलिए उस मेहनत को ठोस शक्ल देने के लिए आज ही सरकार को अपनी बात साफ करनी चाहिए कि वह क्या करने वाली है और उसकी रिवाइज्ड रिपोर्ट की शक्ल क्या होगी। इसका थोड़ा सा चित्र आज जरूर दिखाना पड़ेगा। उसे दिखाए बिना सदन को उस तरह से चलाए रखना जरा कठिन होगा क्योंकि कहीं आपके साथ हमारी विश्वसनीयता न खराब हो जाए। इसलिए मैं दोनों कामरेड्स के साथ अपनी बात को मिलाते हुए आपसे विनती करना चाहता हूं कि आज ही इसे करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (चितौड़गढ़) : महोदय, मैं अपने दल सहित विपक्ष के अपने अन्य सहयोगियों द्वारा इस प्रश्न पर व्यक्त की गई चिन्ता से सहमत हूं कि सरकार द्वारा संयुक्त संसदीय समिति में सर्वसम्मत प्रतिवेदन पर जो कार्यवाही करने की जानी थी वह सरकार द्वारा अभी तक नहीं की गई है।

महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा को यह स्मरण कराना आवश्यक समझता हूँ कि सबसे बड़ा बैंकिंग और प्रतिभूति घोटाला जो इस देश में हुआ है, उसे हुए तीन वर्ष हो गए हैं। इन तीन वर्षों में, 18 महिने की लम्बी अवधि में, इस संसद की समिति द्वारा इस मामले पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् सर्वसम्मत प्रतिवेदन दिया गया है। इस सर्वसम्मत प्रतिवेदन के फलस्वरूप, सभा में एक की गई कार्यवाही दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था जिससे सभा अत्यधिक खिन्न है।

महोदय, मुझे केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा एक विनम्र निमंत्रण भेजा गया था किन्तु मुझे डाक की गड़बड़ी के कारण वह निमंत्रण नहीं मिल पाया। जिसके संबंध में संसदीय कार्य मंत्री यह कहते हैं कि यह सभी को भेजा गया था। लेकिन केन्द्रीय वित्त मंत्री ने मुझे आमंत्रित करने की शालीनता दिखाई है। फिर भी मेरे विचार से सरकार इस विषय में कुछ करना नहीं चाहती तथा मेरी यह धारणा मेरे उन सहयोगियों के अनुभव से और भी मजबूत हो जाती है जो परामर्श का निरर्थक प्रयास कर चुके हैं, इसका कारण यह है कि हम यह मानते हैं कि सरकार को यह बिल्कुल ज्ञात नहीं है कि इसमें किए गए संशोधन संतोषजनक नहीं है, यह पूर्णतः असंतोषजनक हैं। की गई कार्यवाही प्रतिवेदन को सरकार और विपक्ष के बीच संयुक्त प्रयास नहीं कहा जा सकता और संशोधित की गई कार्यवाही प्रस्तुत करने की पूर्व जिम्मेदारी सरकार की है। हमने इस कथित चर्चा मे भाग नहीं लिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस संबंध मे संयुक्त प्रयास का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जसवंत सिंह : बिल्कुल ठीक। श्री इन्द्रजीत गुप्त सहित मेरे उन सहयोगियों में शामिल हुए थे, के अनुभवों से हजारो आशंकाओं को और बल मिला है। अब मैं यह कहना चाहता हू कि सरकार आगे आए और हमारा जो आशय है उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। हमारा आशय यह है कि लोक जीवन में ईमानदारी आए तथा कार्यपालिका विधानमण्डल के प्रति जवाब देह हो

मैं इस संबंध में विस्तार में जाना नहीं चाहता कि संयुक्त संसदीय समिति क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती। लेकिन सरकार द्वारा की गई परामर्श की कार्यवाही व्यर्थ थी। घटना के तीन वर्ष बाद भी स्थिति यह है कि एक भी अभियुक्त या मुख्य अभियुक्त को अभी तक दंड नहीं दिया गया है। ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है अथवा छुट्टी पर भेज दिया गया है अथवा घर पर भेज दिया गया है, को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके पर दण्डनीय नहीं समझा गया है। घटना के तीन वर्ष बाद भी सरकार इसी स्थिति पर कायम है। दूसरी बात हम यह कहते हैं कि लोक जीवन में ईमानदारी लाने तथा कार्यपालिका को विधानमण्डल के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए सरकार का जवाब सकारात्मक होना चाहिए। सरकार के दिमाग में संशोधित प्रतिवेदन के बारे में क्या बात है तथा वह संशोधित प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करने जा रही है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मैंने इस मामले पर एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदयः मैंने उसकी अनुमति नहीं दी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसा क्यों? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब यह मामला चर्चा के लिए उठाया जाएगा तो प्रत्येक को अवसर दिया जाएगा।

श्री पी. जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, सरकार को अभी तक संशोधित की-गई-कार्यवाही-प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देना चाहिए जैसा कि उसने वचन दिया था।

अध्यक्ष महोदयः कृपया उस बात कोन दोहराए जो माननीय सदस्य पहले कह चुके हैं। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि प्रतिवेदन यथाशीघ्र पटल पर रखा जाना चाहिए।

श्री पी. जी. नारायणन : महोदय, जी हां।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, वह रिपोर्ट आज पेश होनी चाहिए थी, मैं खाली उस पर ही बात नहीं करना चाहता हूं और.....

अध्यक्ष महोदय : बात नहीं करना चाहता हूं?

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं उस बात के विस्तार में भी नहीं जाना चाहता हूं। आप स्वयं जानते हैं कि इस सदन में इस सवाल को लेकर संकट पैदा हुआ और ऐसे संकट में 12 दिन तक यह सदन बैठ नहीं सका।

इसका बहिष्कार होता रहा और आपने इसमें बहुत बड़ा प्रयास किया। निरन्तर आपके प्रयास की वजह से फिर यह स्थिति पैदा हुई कि सदन का काम सामान्य ढग से चलना प्रारम्भ हो गया। यह बिल्कुल निश्चित था कि सरकार इतने बड़े सवाल के ऊपर जिसमें हजारों-करोडों रूपये का घोटाला हुआ हो और देश के करोड़ों लोगों की जिन्दगी के साथ जिसका सम्बन्ध जुड़ा हो, को लेकर संशोधित रिपोर्ट यहां पेश करेगी। पहली बार इतना बड़ा घोटाला हुआ जिससे पूरी व्यवस्था चरमरा गई और लोगों का बैंकिंग व्यवस्था के ऊपर से विश्वास उठ गया। जहां कही भी भ्रष्टाचार का सवाल उठता है, उस पर सरकार पर्दा डाल देती है और उसको लम्बा कर देती है। बोफोर्स पर क्या हुआ? कैसे लोगों में विश्वास पैदा होगा? प्रधान मंत्री जी ने इस सदन में उठ कर कहा था कि मैं स्वयं यह जिम्मेदारी लेता हूं कि बोफोर्स के सवाल की जांच-पड़ताल मैं स्वयं करूंगा, इसकी मानिटरिंग करूंगा और इस सदन को बराबर रिपोर्ट करूंगा। इतना बड़ा सवाल जिसने सारे देश को झकझोर दिया और जिसके कारण दुनिया भर में हमारी प्रतिष्ठा गिर गई, आज तक उसके दोषी लोगों को सजा नहीं मिल सकी, किसी को चार्ज-शीट नहीं दी गई और न ही कोई मुकदमा प्रारम्भ हो सका। सरकार ने उसका जंगल बना दिया है जिससे कि अपराधी पकड़े न जा सकें।

प्रश्न यह है कि चुनौती सरकार को दी जा रही है। सरकार जानबूझ कर खास सवालों के ऊपर जांच-पड़ताल नहीं करती है। वे सवाल अपनी जगह पर रह गये हैं।

दूसरा सवाल चीनी का है। यह भी आम आदमी की जिन्दगी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है। देश का सैकड़ों-करोड़ों रूपया इसके साथ जुड़ा हुआ है। यह एक भ्रष्टाचार का सवाल है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः हमारे पास अन्य मामलों पर चर्चा करने के लिए भी समय होगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, मैं 1-2 बुनियादी सवाल उठा रहा हूं।

भ्रष्टाचार के हर सवाल पर सरकार पर्दा डालने की कोशिश करती है और उसके ऊपर कुछ नहीं करना चाहती। मैं आपके प्रयास की सराहना चाहता हूं। सारा विरोधी पक्ष जब एक साथ मिल कर यह कह रहा था कि इस रिपोर्ट को वापस लिया जाये तो आपने इस मामले का निपटारा कराया। सरकार को यह विषय गम्भीरता से लेना चाहिये था। बी.जे.पी. के लोग बातचीत में शामिल नहीं हुए लेकिन हम तो बातचीत में शामिल हुए। इस मामले को कैसे दुरूस्त किया जा सकता है, उस पर हमने अपनी राय दी। मुझे उम्मीद थी कि सरकार स्वतः पहले दिन ही यहां रिपोर्ट पेश करेगी क्योंकि इसको लेकर सदन में बहुत हंगामा मचा था। अब सरकार की क्या मजबूरी है? वह कब इस सदन में रिपोर्ट पेश करेगी, क्या कदम उठायेगी और किन लोगों को सजा देगी? वह इन सब सवालों पर मौन है। इससे स्थिति फिर गम्भीर हो जायेगी। अगर सरकार की तरफ से आज इस सदन में निश्चित आश्वासन मिल जाता है तो हमें यह सवाल उठाना नहीं पड़ता। अगर हमारे सवालों का जवाब यहां नहीं दिया जायेगा तो सदन का काम सामान्य रूप से चलना फिर मुश्किल हो जायेगा और कठिनाई पैदा हो जायेगी। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने जो इसमें मध्यस्थता की और रास्ता निकाला, अब आप ही सरकार को निर्देश दें। सरकार हमें बताये कि वह इस सदन में कब रिपोर्ट पेश कर रही है?

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : इन सभी मुद्दों पर जो माननीय सदस्यों ने यहां उठाए हैं, पर कल आपके कक्ष में बहुत ही उपयोगी चर्चा हो चुकी है। हमने विस्तार से सरकार के दृष्टिकोण को बताया है। मैं इसे यहां दोहराना चाहूंगा क्योंकि सभा के सभी सदस्य इस चर्चा में उपस्थित नहीं थे। चर्चा के दौरान हमने सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया था कि सरकार न तो किसी दोषी व्यक्ति को छोड़ने के पक्ष में और न ही हम किसी कार्यवाही पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं।

की गई–कार्यवाही के संबंध में बता दिया गया है और आपके हस्तक्षेप से निकाले गए तरीके के अनुसार यदि कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर सहमति नहीं है अथवा आंशिक रूप से सहमति है अथवा कोई नई आपत्ति उठाई गई है, तो हम पहले उसपर चर्चा कर सकते हैं और तत्पश्चात् पूरक की–गई कार्यवाही प्रतिवेदन तैयार कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कब? महोदय यह सच नहीं है. **(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : उन मुद्दों पर.... **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उस सूत्र का क्या हुआ जो आपने सुझाया था?

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आपको पूरक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करना है बल्कि संशोधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है.... **(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : आप इसे पूरक प्रतिवेदन कह सकते हैं. .... **(व्यवधान)...**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमारे दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रतिवेदन को संशोधित करने का प्रश्न नहीं है **(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम आपको शब्दों के जाल में नहीं फंसा रहे हैं। मैं संक्षिप्त में वह स्मरण कराना चाहूंगा जो कि श्री इन्द्रजीत गुप्त जी को याद होना चाहिए। हमारी केवल उन मुद्दों पर संशोधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की सहमति हुई थी जिनपर आपत्ति उठाई गई है। केवल उन मुद्दों पर न कि सम्पूर्ण प्रतिवेदन पर ...**(व्यवधान)** केवल उन मुद्दों पर जिनपर आपत्ति उठाई गई है ....**(व्यवधान)** केवल उन मुद्दों पर ही संशोधित प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है और मुझे सभा को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने में हमने काफी प्रगति की है। उन व्यक्तियों के खिलाफ जिनकी पहचान कर ली गई है। ...**(व्यवधान)** मुझे अपनी बात कहने दीजिए यदि मुझे अपनी बात नहीं कहने दी जाएगी तो श्री शरद यादव जैसे मेरे मित्र कहेंगे कि 'खैबर' का कोई जवाब नहीं मिला।

माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा के दौरान जो मुद्दे उठाए गए थे, की जांच की जा चुकी है और उनमें से बहुत से मुद्दों पर कार्यवाही की जा चुकी है और जब ...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : आपने क्या कार्यवाही की है?

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आप चुप क्यों नहीं रहते? यह ठीक नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : वह सभा को गुमराह कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : पहले आप उनकी बात सुनिए।

....**(व्यवधान)**....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह ठीक नहीं है।....

.....**(व्यवधान)**....

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक ढंग से प्रश्न कर सकते हैं, इस प्रकार नहीं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उन मुद्दों, जो माननीय सदस्यों ने लिखित में अथवा वित्त मंत्री अथवा मेरे साथ चर्चा में उठाए थे, पर चर्चा करने के बाद हमने सम्पूर्ण मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और हमने एक प्रतिवेदन तैयार किया है जो इस माननीय सभा और अन्य सभा में प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया जा रहा है, को इस सत्र के दौरान थोड़े ही समय में ...**(व्यवधान)**... प्रस्तुत किया जाएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री चन्द्र जीत यादव : कृपया तारीख बताएं **(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : आप थोड़ा धैर्य क्यों नहीं रखते? कोई भागा नहीं जा रहा है। ...**(व्यवधान)**... मैं बताना चाहता हूं ...**(व्यवधान)** मैं इस प्रकार कुछ नहीं बता सकता।....**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : आपके पास तीन माह से भी अधिक का समय था।....**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैंने स्थगन प्रस्ताव किया है .... **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है। कृपया हमें बोलने की अनुमति दी जाए...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए हैं।

.... **(व्यवधान)**..

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं नाम नहीं लेता, तब तक कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मंत्री महोदय को अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए।

...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : पहले आप मंत्री महोदय की बात पूरी तरह सुनें, फिर यदि आप चाहें, तो अपनी बात कह सकते हैं। मंत्री महोदय, आप अपनी बात कहिए।

...**(व्यवधान)**...

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरे बोलते व्यवधान डाला गया था। मुझे अपनी बात कहनी है। **(व्यवधान)** मैं अनावश्यक रूप से मुद्दों को नहीं छेड़ना चाहता। हमारे ऊपर सब तरह के आरोप अनावश्यक रूप से थोपे जा रहे हैं। मैं उन सभी अनावश्यक, अनुचित तथा गलत आरोपों का, जो इस सभा में हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, उत्तर देकर सदस्यों को आज उत्तेजित नहीं करना चाहता।

हम यहाँ पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। महोदय, आपके

साथ विचार विमर्श करके हम तारीख निश्चित करेंगे तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। कल की बैठक में मैंने सभी दलों के उन नेताओं को जो उस बैठक में उपस्थित थे, यह आश्वासन दिया था कि जो प्रतिवेदन सभा को प्रस्तुत किया जाएगा उस पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय होगा और उसके लिए समय की कोई कमी नहीं होगी। मैंने यह भी विशेष रूप से कहा था कि प्रतिवेदन सत्र के अन्तिम दिन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे उससे काफी पहले प्रस्तुत किया जाएगा जिससे कि प्रत्येक सदस्य को उसका अध्ययन करने तथा सभा में, यदि संभव हो तो दोनों सभाओं में, उस पर चर्चा करने का समय मिल सके। इसलिए महोदय, हमारे ऊपर लगाए जा रहे ये सभी अनावश्यक और नितान्त अनुचित आरोप, कि हम कुछ छिपाना चाहते हैं या किसी का बचाव करना चाहते हैं, गलत हैं। ...**(व्यवधान)** आपका यह आरोप कि हम कुछ छिपाना चाहते हैं, गलत है। हम कुछ भी छिपाना नहीं चाहते। यदि आप यह आरोप लगाते हैं कि हम दोषी व्यक्तियों का बचाव करना चाहते हैं, तो वह भी गलत है तथा मैं इसका खण्डन करता हूँ। हम किसी भी दोषी व्यक्ति को बचाना नहीं चाहते। हमारे ऊपर लगाए जा रहे ऐसे सभी आरोप पूरी तरह से गलत हैं। हम यहां पर समय से प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा सदस्यों द्वारा उसका अध्ययन करने और उस पर चर्चा के लिए वह प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। वह प्रतिवेदन की गई कार्यवाही के संबंध में अन्तिम प्रतिवेदन होगा।

मैं फिर यही दोहराऊँगा कि हमने संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर अत्यधिक सम्मानपूर्वक विचार किया है तथा सरकार की प्रतिक्रिया न केवल स्पष्ट रही है बल्कि बहुत ही उद्देश्यपूर्ण तथा उपयोगी रही है।

मैं संयुक्त संसदीय समिति द्वारा अच्छा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक बार पुनः उसका धन्यवाद करना चाहूंगा जिस पर सरकार उचित कार्यवाही कर सकी है। माननीय सदस्य केवल की गई कार्यवाही को देखने के उपरान्त ही जान पाएँगे कि इसमें क्या किया गया है और उन्हें यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि प्रस्तुत किया जाने वाला प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं होगा।

यहां विपक्ष में बैठे हुए हमारे मित्र यह धारणा लिए हुए प्रतीत होते हैं कि प्रतिवेदन में कुछ भी नहीं होगा। प्रतिवदन को देखे बिना वे ऐसा कैसे मान सकते हैं। इसलिए मैं पुनः उनसे अनुरोध करूँगा कि वे थोड़ा धैर्य रखें तथा जो दस्तावेज उन्हें प्राप्त होगा वह एक उपयोगी दस्तावेज होगा तथा हमारी चर्चा के दौरान उठाए गए अनेक प्रश्नों का समाधान करेगा। पिछला सत्र समाप्त होने के उपरान्त हमारी चर्चा तथा आपसी विचार–विमर्श में उठाए गए अनेक प्रश्न तथा मुद्दे इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसके साथ–साथ हमें केन्द्रीय जाँच ब्यूरो से भी कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और उनके आधार पर भी कुछ कार्यवाही शुरू की गई है। ये सभी बातें की गई कार्यवाही प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट होंगी। मैं यहां पर ऐसा प्रतिवेदन नहीं प्रस्तुत करना चाहता जो कि सभी तरह से पूर्ण न हो। हम यहाँ पर पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं ताकि इस मामले को अन्तिम रूप से लिया जा सके। सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने और उस पर चर्चा किये जाने के उपरान्त उसपर पुनः चर्चा नहीं की जानी चाहिए। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय *: श्री बूटा सिंह ।*

श्री बूटा सिंह *: अध्यक्ष महोदय, 30 नवम्बर को पूरे देश को धक्का लगा।* ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि हम चर्चा आरम्भ करते हैं तो वह जारी रहेगी। कृपया यदि आपको कोई ऐतराज न हो तो हमें यह चर्चा जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा और भी मामले हैं। इसलिए मैं आपसे यह चर्चा जारी न रखने का अनुरोध करता हूँ।

...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : एक्शन टेकन रिपोर्ट को लेकर जो चर्चा हुई उस पर हम आपके विचार जानना चाहते हैं; क्योंकि आपने दोनों पक्षों में मध्यस्थता करके एक फार्मूला निकाला था और यह था कि यथाशीघ्र संशोधित रिपोर्ट लाई जाएगी। ...**(व्यवधान)**.... रिपोर्ट पहले दिन आनी चाहिए थी। इसमें अब आपको हस्तक्षेप करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आपको हमारी बात सुननी चाहिए। मंत्री महोदय को यह जानना चाहिए कि हम संतुष्ट क्यों नहीं हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : आपको हमें अपनी बात कहने की अनुमति देनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, मंत्री जी की शिकायत जायज है कि उनको सुना नहीं जा रहा है, लेकिन यहां से भी जो बीच में टोका–टोकी हो रही है, असंतोष प्रकट किया जा रहा है, वह भी जायज है, यह उनको सोचना चाहिए। क्योंकि वार्ता का एक लंबा सिलसिला चला, स्टेलमेट को रिजाल्व करने के लिए और उसमें सरकार ने प्रपोज किया कि आप इसको इंटेरिम रिपोर्ट मान लीजिए, फायनल रिपोर्ट हम बाद में लाएंगे। फिर उन्होंने प्रपोज किया कि आप इसको मान लीजिए, कि यह फर्स्ट पार्ट है, बाद में सप्लीमेंट्री रिपोर्ट लाएंगे। आपको स्मरण होगा कि पूरा विपक्ष इस अप्रोच से असंतुष्ट था और उसके ऊपर रिजाल्व नहीं हो रहा था। हमने कहा कि आपकी रिपोर्ट हम समझते हैं कि एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं हैं।

[अनुवाद]

यह धोखा है तथा यह आपकी तंग दिल्ली को दर्शाता है। इसलिए हम इस प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं करना चाहते।

[हिन्दी]

उस समय भी इन्होंने कहा कि आप रिपोर्ट डिसकस कीजिए और डिसकशन में से जो निकलेगा, उसकी एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट लाएंगे। आपको स्मरण होगा कि यहां पर इसको मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। अल्टीमेटली आपका फारमूला माना गया, उसमें क्रूशियल शब्द था "रिवाइज्ड रिपोर्ट" अगर रिवाइज्ड रिपोर्ट शब्द न होता, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट शब्द होता तो, या सरकार का प्रपोजल होता, तो स्टेलमेट रिजाल्व नहीं होता।

दूसरी बात यह है कि हर स्टेज पर, यहां तक कि उस समय जब डिसकस किया गया तो एज सून एज मे बी, तो एज सून एज मे बी में इतनी गुंजाइश है कि सरकार कुछ नहीं करेगी, चुपचाप बैठी रहेगी, उस समय इनफार्मल डिस्कशन में किसी ने प्रपोज किया था।

[अनुवाद]

इसे इस सत्र के अन्त तक क्यों न प्रस्तुत किया जाए?

[हिन्दी]

क्योंकि 17 अगस्त के बाद भी कुछ दिन पड़े थे। फिर लगा कि यह अव्यावहारिक है, ठीक नहीं हैं, एज सून एज में भी पूरी गुंजाइश है।

[अनुवाद]

अब यहाँ सभा में वह कहते हैं "यथा शीघ्र" तथा साढ़े तीन महीने के बाद जब सभा की बैठक हुई है तो उसी दिन मंत्री महोदय आकर कहते हैं कि प्रतिवेदन तैयार है और तैयार हो रहा है तथा किसी भी दिन किसी समय उसे सभा में प्रस्तुत कियां जाएगा। मंत्री महोदय द्वारा दिये गयें इस तरह के वक्तव्य से स्वाभाविक तौर पर विपक्ष में गुस्सा और नाराजगी पैदा हुई। जिसकी सीमा इतनी बढ़ गई कि 13 दिन तक संसद की कार्यवाही नहीं चल सकी।

[हिन्दी]

आपका इंटरवेंशन नही होता तब भी नहा होता। सरकार का एप्टीट्यूड यही था, यह तो हमारा कनविक्शन था कि सरकार क्लोज माइंडेड है, कुछ नहीं करना चाहती। नाम मात्र के लिए 2–3 चीजें जोड़ दी जाएंगी और कुछ नहीं करना चाहते और आज के स्टेटमेंट से यह कनफर्म हो गया है, इसलिए आपका इन्टरवेंशन फिर से जरूरी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री निर्मल कांति चटर्जी।

श्री विद्याचरण शुक्लः मैं श्री आडवाणी को याद दिलाना चाहता हू । श्री आडवाणी को यह कहकर प्रसन्नता हुई है।

अध्यक्ष महोदय : शुक्ल जी, क्या आप अन्य सदस्यों के प्रश्नों के भी उत्तर देंगे?

श्री निर्मल कांति चटर्जीः हम सन्तुष्ट क्यों नही हैं कि (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बटन दबाइये।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, मैंने अपने हिस्से का कार्य कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने नहीं किया है। यदि आपने कर लिया होता तो लाल बत्ती हो जाती।

श्री निर्मल कांति चटर्जीः मैंने कर दिया है। परन्तु कहीं कोई गड़बड़ है ।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बटन दबाइये।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : अतः यह तो स्पष्ट है। जब तक हम बार–बार इसका प्रयास नहीं करते, लाल बत्ती नहीं जलेगी।

समस्या बहुत ही साधारण है, मैं अन्य सदस्यों को भी बताना चाहूंगा कि समस्या की गंभीरता के कारण हमें बार–बार यह प्रश्न उठाना पड़ता है। मैं नहीं समझता हूँ कि मंत्री महोदय भी इसको समझ सके हों। एक वर्ष के दौरान 13 लाख करोड़ रु. के लेनदेन में से एक लाख करोड़ रु. की आय हुई। अनुमान लगाइये, केवल एक लाख करोड़ रु.। यह उनका अपना अनुमान है। यह प्रश्न 13 लाख करोड़ रु. का है। वह राशि कहाँ गई ? इस समस्या की गंभीरता का अंदाजा लगाइये।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चर्चा कर रहे हैं?

श्री निर्मल कांति चटर्जीः नहीं, मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कर रहा हूँ कि हम लोग क्यों इस पर जोर दे रहे हैं? ऐसा क्यों हैं? हमारे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम नया सत्र आरम्भ होने के पहले ही दिन इस मुद्दे को उठाएँ। अब यह एक लाख करोड़ रू. कहां कहां गए।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि निर्वाचक हमें बताते हैं कि यदि हम इस बात पर सहमत हैं कि सरकार ए. टी. आर. के कारण नहीं बल्कि अन्य अनेक कारणों से भ्रष्टाचार के विरूद्ध है तो कोई न कोई कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिए । यदि आप भ्रष्ट नहीं हैं तो आप बेकार हैं क्योंकि आप इसे रोक नहीं सके।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह आपके बारे में नहीं बल्कि सरकार क बारे में है।

श्री निर्मल कांति चटर्जीः सरकार भ्रष्ट है तथा संसद में उनको रोकने की शक्ति नहीं है। लोगों द्वारा चुने गए एक सांसद के रूप में मैं उनके प्रति इस बात के लिए जवाबदेह हूँ कि सभी दलों की सर्वसम्मति इस बात का पता चलने के बावजूद भी कि इतनी अधिक आय हुई तथा वह इधर उधर हो गई, हम उसे रोक नहीं सके हैं। अब यह कहा जा रहा है कि वे संशोधित प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं। अब वह क्या है? उन्हें कार्यवाही करनी है। वह की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रतिवेदन है। तीन महीने की अवधि के दौरान कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। मंत्रालय में किसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसलिए, संशोधित कार्यवाही के संबंध में कोई प्रतिवेदन नहीं है।....(व्यवधान)

दूसरा, पिछले तीन महीनों के दौरान हमने विदेशी बैंकों के विरूद्ध आगे कोई भी कार्यवाही नहीं की है। यही नहीं, आपने भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के विरूद्ध भी कोई कार्यवाही नहीं की है। आपकी निष्क्रियता ने उच्चतम न्यायालय को भूतपूर्व राज्यपाल श्री वेंकिटरमनन जैसे व्यक्ति को जिसे संयुक्त संसदीय समिति द्वारा दोषी ठहराया गया था "निष्पक्ष मध्यस्थ" के पद पर नियुक्त करने के मामले में भ्रम में डाल दिया था।

अध्यक्ष महोदय : क्या अपनी बात जारी रखने का हमारा यही तरीका है ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय मैं आपको बताऊँगा कि क्यों? उनकी निष्क्रियता ने ही हमें ऐसा करने को बाध्य किया है।

अध्यक्ष महोदयः जब प्रतिवेदन पर चर्चा की जाएगी तो मैं आपको इन सभी मुद्दों को उठाने के लिए पर्याप्त समय दूंगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं केवल एक ही वाक्य बोलना चाहता हूँ। *उच्चतम न्यायालय ने जे.पी.सी., द्वारा दोषी पाए गए एक व्यक्ति को "निष्पक्ष मध्यस्थ" के रूप में नियुक्त किया है,* आप अनुमान लगाइये कि यह केवल इसी वजह से हुआ है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान जे.पी.सी. के प्रतिवेदन की ओर नहीं दिलाया गया था, क्या उसे रद्द किया जा सकता है? क्या आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि आपकी निष्क्रियता का क्या नतीजा हो रहा है? इसे केवल लोग ही भ्रष्ट नहीं हो रहे हैं, यह भ्रष्टाचार नही बल्कि यह भ्रष्टाचार के प्रति लोगों का दृष्टिकोण है जो कि महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदयः जब यह मुद्दा चर्चा के लिए आएगा तो आपको ये सभी मुद्दे उठाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। यहां अन्य विषय भी हैं तथा माननीय सदस्य उनके संबंध में अपने विचार रखना चाहते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जीः हमारे निर्वाचक हमें कार्य नहीं करने देंगे। हमारे निर्वाचक कहते हैं कि जब तक आप यह मुद्दा सुलझा नहीं लेते तब तक हमारे पास मत आओ।

अध्यक्ष महोदयः आप कृपया इसके बारे में अपना लम्बा भाषण तैयार कीजिए तथा इस पर चर्चा के समय आप कितने घन्टे बोले मैं आपका भाषण सुनुंगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जीः मैं आपकी पिछली गतिविधि से प्रभावित हुआ हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं चाहता हूँ कि आप हमारे प्रति ही नहीं बल्कि संसद के प्रति उतने ही दयालु रहें ...

अध्यक्ष महोदयः मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। कृपया पहले आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मामला चर्चा के लिए आएगा, तो आपको उस पर सभा में बोलने के लिए आप जितना समय चाहें आप बोल सकते हैं उसमे आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन, अब अन्य विषयों पर भी चर्चा की जानी हैं, कृपया अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं भलीभांति आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप इसे समझिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब तक की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के संबंध में यह विषय विशेष किसी न किसी रूप में निपटाया नहीं जाता, मुझे आशा है कि आप अन्य मामलों पर चर्चा शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। लेकिन क्या आप अन्य विषयों पर चर्चा करना नहीं चाहेंगे?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पहले हमें इस संबंध में कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं बिल्कुल यही करने का प्रयास कर रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : *कृपया इससे पहले अन्य मामलों पर चर्चा करने की अनुमति न दें। ...(**व्यवधान**)...*

अध्यक्ष महोदय : *मैं बिल्कुल यही करने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन आप इस मामले को इस प्रकार जारी नहीं रख सकते।*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं आपकी स्थिति समझता हूं। मैं चाहता हूं कि कृपया आप हमारी स्थिति समझें कि जब तक....

अध्यक्ष महोदय : अपनी स्थिति स्पष्ट करने में आप अन्य सदस्यों का समय और बोलने का अवसर ले रहे हैं। मुझे श्री बूटासिंह को बैठने के लिए कहना पड़ा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैंने आपसे इस बात को स्वीकार करने का अनुरोध किया कि देश की समग्र जनता से हमें चुना है और हमने आपको चुना है। आपको उन लोगों की भावनाओं को स्वीकार करना होगा। जैसा कि हमने पिछले सत्र में किया था, ठीक उसी प्रकार आपको उन्हें बताना चाहिए कि जब तक वे तत्काल इस संबंध में कोई कार्यवाही करेंगे तब तक बाहर के लोग हमें सभा में किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं करने देंगे। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मैं यही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमने चर्चा के दौरान उठाए गए मुद्दों पर कार्यवाही की है। हमारी चर्चा के दौरान, बहुत से उपयोगी मुद्दे सामने आए और हमने उनपर कार्यवाही की है.......(**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वे कार्यवाही क्या हैं?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मै थोड़ा धीर्य रखने के लिए निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि मैने वचन दिया है कि यथाशीघ्र सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। यह करना संभव नहीं है कि इसे पहले दिन अथवा अन्तिम दिन प्रस्तुत किया जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाएगा ....**व्यवधान**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप ली गई रिश्वत की रसीदें चाहते हैं। हम आपकों रसीदें कैसे दे सकते हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जब तक माननीय अध्यक्ष महोदय आापको बोलने का अवसर नहीं देते, मैं यहां किसी की बात का भी जवाब नहीं दूंगा।

महोदय, मुख्य बात यह है कि हमने इस संबंध में उद्देश्यपूर्ण कार्यवाही की है। उन मुद्दों के बारे में प्रतिवेदन ....(**व्यवधान**)

मैं इस मामले विशेष में श्री आडवाणी को याद दिलाना चाहता हूँ कि समझौता ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा हैं

...(**व्यवधान**)*

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मैं किसी भी बात का उत्तर नहीं दे रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों को नए प्रतिवेदन के आने तक धैर्य रखना चाहिए जो कि प्रस्तुत की जा रही है। जो नया प्रतिवेदन आएगा उसमें उनके अनेक प्रश्नों के उत्तर होंगे। प्रश्न

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जो वह अब इस समय उठा रहे हैं उन सभी के उत्तर नए प्रतिवेदन में मिलेंगे और अनावश्यक रूप से यदि वे आज प्रश्न उठाते हैं तो उनका कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्रतिवेदन में दिये गए हैं जो कि यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्री आडवाणी ने एक टिप्पणी की थी जो कि हमेशा की तरह केवल अधूरी की गई टिप्पणी थी। उन्होने कहा था कि निर्णायक मुद्दा यह था कि संशोधित और रूपान्तरित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा लेकिन वह यह बताना भूल गए कि जो समझौतों में उन्होंने किया था उसमें इस बात पर सहमति हुई थी कि यह संशोधित और रूपान्तरित प्रतिवेदन केवल उन मुद्दों के सम्बंध में होगा जो उन्होंने उठाए हैं परन्तु सम्पूर्ण विषय के सम्बंध में नहीं होगा ...**(व्यवधान)** यह रूपान्तरित और संशोधित प्रतिवेदन केवल उन मुद्दों पर होगा जो कि माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान मौखिक रूप में उठाए थे अथवा लिखित रूप में दिए थे और हम किसी भी समय इसे सभा पटल पर रखने जा रहे हैं ताकि आप माननीय सदस्यों को सम्पूर्ण विषय को पढ़ने, अध्ययन करने और सार्थक रूप से चर्चा करने के लिए समय दे सकें। मुझे विश्वास है कि वह प्रतिवेदन सदस्यों की उम्मीद से कहीं अधिक संतोषजनक होगा ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना–अपना स्थान ग्रहण करें। इस मामले के बारे में सदस्यों की भावनाओं को समझना हमारे लिए बिल्कुल संभव है। पिछले सत्र में भी सदस्य बहुत उत्तेजित थे और लम्बे समय तक हमारे लिए सभा में कार्यवाही जारी रखना सम्भव नहीं हो पाया था। तत्पश्चात् सभी ने बहुत ही विनम्रता से सहयोग दिया और हम इस समस्या का हल ढुंढ पाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब संसदीय कार्य मंत्री और अन्यों ने जानना चाहा कि वह कैसे इस मामले में क्या तरीका अपनाएं तो मैंने उन्हें बताया था कि वे आपकी इच्छानुसार कोई भी तरीका अपना सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ही मैंने उन्हें सुझाव दिया था कि यदि वे सहमत हों तो उनसे लिखित में संबंधित मुद्दों के संबंध में आपत्तियां भेजने को कहा जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो वे उन्हें चर्चा में भाग लेने के लिए भी बुलाया जाना चाहिए और चर्चा के बाद यदि वह आपने–सामने बैठकर अपने विचार व्यक्त करते हैं तो यह बेहतर होगा। यदि यह सम्भव नहीं है तो सरकार अपनी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकती है और इस प्रतिवेदन पर सभा में चर्चा की जानी चाहिए।

अब सरकार से मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अपने प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने ही वाली है और सरकार द्वारा इस प्रतिवेदन का समय पर प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ताकि सभा में सभी सदस्यों को प्रतिवेदन का अध्ययन करने और इस पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यदि किसी कारणवश, प्रतिवेदन सत्र के एकदम अंत में प्रस्तुत की जाती है तो यह देखना मेरी जिम्मेदारी होगी की मैं यह देखूं कि आपको इसको अध्ययन करने और इस पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय मिले। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप लगभग समय जानना चाहते हैं और यदि मंत्री महोदय लगभग समय देने की स्थिति में हैं तो वह लगभग विशेष समय दे सकते हैं। मैं इस संबंध में किसी दिन विशेष के बारे में नहीं कह रहा हूँ बल्कि सप्ताह विशेष के बारे में कह रहा हूँ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ...**(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, जैसा कि आपने ठीक ही कहा है कि हम यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम स्वयं इस बात के लिए उत्सुक हैं कि इस प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत किये जाने पर इसपर बारीकी से चर्चा की जानी चाहिए। इस प्रकार हमारे पास पर्याप्त समय होगा। हम यहां सत्र के मध्य में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ...**(व्यवधान)**। महोदय, हम इसे सभा में प्रस्तुत करना चाहते हैं, और इस सत्र के मध्य तक यह आपके हाथ में होगा।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का कहना है कि इस सत्र के मध्य तक प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य: प्रतिवेदन नहीं; तो सभा की बैठक नहीं।

डॉ. राम चन्द्र डोम (बीरभूम) : महोदय, इसे आज ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

12.58 म.प.

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल निकट के फर्श पर खड़े हो गए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि सौ व्यक्ति मर गए हों तो आप इस पर चर्चा करना नहीं चाहेंगे ?

....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार ने कहा है कि इस सत्र के मध्य तक प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिया जाएगा। आपको इस पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। अन्य मामलों पर भी चर्चा की जाती है। यदि आप यह रवैया रखेंगे तो देश की जनता सोचेगी कि आपकी अन्य समस्याओं में कोई रूचि नहीं है। कृपया आपको इस प्रकार की आलोचना से बचना चाहिए। कृपया ऐसा न करें।

(व्यवधान)

1.00 म.प.

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस सभा को एक गलिहारा मत बनाइए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप यह समझिए कि आप खडे कहां हैं? ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभा 2.00 म. प. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

1.01 म.प.

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 बजे म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.04 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.04 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

....**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदयः अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

2.04 ½ म.प.

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपने सुझाव दिया है। आपने सरकार को प्रभावित किया है।.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक सीमा होती है। आपने सरकार को इस बात के लिए प्रभावित किया है कि प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे सुना है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उपाध्यक्ष जी, साढ़े तीन महीने हो गए हैं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने सरकार को प्रभावित किया है और सरकार ने आपकी बात को सुना है। हमने प्रगति की है। कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हमारी बैठक बहुत थोड़े समय के लिए है। कृपया अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाइए। .....**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आज आपने सरकार को प्रभावित किया है और सरकार ने आपकी बात सुन ली है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः (झंझारपुर) साढ़े तीन महीने का समय देने के बाद भी सरकार नेगेटिव रिसपौंस दे रही है। ......**(व्यवधान)**

2.06 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

मेहम काण्ड के बारे में न्यायमूर्ति सैकिया जाँच आयोग का प्रतिवेदन तथा उपर्युक्त प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही ज्ञापन।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री पी. एम. सईद) : मैं श्री एस. बी. चव्हाण की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण):

(एक) मेहम कांड के बारे में न्यायमूर्ति सैकिया जांच आयोग का प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर की–गई–कार्यवाही संबंधी ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं. एल. टी. 6428/94)

(3) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1993–94 के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल के यात्रा व्यय की राशि में वृद्धि करने के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 19 अकतूबर, 1994 को जारी किये गये विशेष आदेश की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं. एल. टी. 6429/94)

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा।

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखती हूँ :

(1) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए सं. एल. टी. 6430/94)

केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला व्यारव्यात्मक विवरण।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एंव खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्री के. पी. सिंह देव की ओर से लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 71 (2) के अन्तर्गत केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश, 1994 के लिए तुरंत विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए स. एल. टी. 6431/94)

वाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून, इंस्टीट्यूट फार प्लाज्मा रिसर्च, गाँधी नगर तथा बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबाटनी, लखनऊ आदि के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एंव खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री मुकुल वासनिक): मैं, श्री भुवनेश चतुर्वेदी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) वाडिया इंस्टिट्यूट आफ हिमालयन जियालॉजी, देहरादून के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया इंस्टिट्यूट आफ हिमालयन जियालॉजी, देहरादून के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रन्थालय में रखे गये देखिए सं. एल. टी. 6432/94)

(2)(एक) इंस्टिट्यूट फार प्लाज़्मा रिसर्च गांधी नगर के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फार प्लाज़्मा रिसर्च, गांधी नगर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रन्थालय में रखे गये ,देखिए सं. एल. टी. 6433/94)

(3)(एक) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट आफ पैलियोबॉटनी, लखनऊ के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट आफ पैलियोबॉटनी, लखनऊ के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रन्थालय में रखे गये देखिए सं. एल. टी. 6434/94)

(4) (एक) इंडियन एसोसिएश्न फार दि कल्टीवेशन आफ साइंस, कलकत्ता के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फार दि कल्टीवेशन आफ साइंस, कलकत्ता के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल. टी. 6435/94)

(5) (एक) अधार–कर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अधार–कर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रन्थालय में रखे गये। दखिए सं. एल. टी. 6436/94)

(6) (एक) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखपरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)। (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल. टी. 6437/94)

(7) (एक) नेशनल एकेडमी आफ साइंसेज, इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एकेडमी आफ साइंसेज, इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल टी 6438/94)

(8) (एक) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल. टी. 6439/94)

(9) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ जियोमैग्नेटिज्म, मुम्बई के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा–परीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ जियोमैग्नेटिज्म, मुम्बई के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वार समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल. टी. 6440/94)

(10) (एक) इंडियन एकेडमी आफ साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एकेडमी आफ साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल. टी. 6441/94)

(11) (एक) मेहता रिसर्च इंस्टिट्यूट आफ मैथेमैटिक्स एण्ड मैथेमैटिकल फिज़िक्स, इलाहाबाद के वर्ष 1993–94 के, वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेहता रिसर्च इंस्टिट्यूट आफ मैथेमैटिक्स एण्ड मैथेमैटिकल फिज़िक्स, इलाहाबाद के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये देखिए सं. एल.टी. 6442/94)

(12) (एक) इंस्टिट्यूट आफ मैथेमैटिकल साइंसेज़, मद्रास के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट आफ मैथेमैटिकल साइंसेज, मद्रास के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल. टी. 6443/94)

(13) (एक) टाटा मेमोरियल सेन्टर, मुम्बई के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा मेमोरियल सेन्टर, मुम्बई के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये देखिए सं. एल. टी. 6444/94)

(14) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक--एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) इंडियन रेयर अर्थस् लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल. टी. 6445/94)

(ख) (एक) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए स. एल. टी. 6446/94)

भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली आदि के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा (श्री मुकुल वासनिक) : मैं. श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए सं. एल. टी. 6447/94)

(2) (एक) इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को–आपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को–आपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल. टी. 6448/94)

(3) (एक) सेंटर फार डेवलमेंट आर्फ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, पूणे के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा–परीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार डेवलमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, पुणे के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे। गये देखिए सं. एल. टी. 6449/94)

(4) (एक) सेंटर फार इलैक्ट्रोनिक्स डिजाईन एंड टेक्नालोजी, एसएएस नगर, के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार इलैक्ट्रोनिक्स डिजाइन एंड टेक्नालोजी, एसएएस नगर, के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल. टी. 6450/94)

(5) (एक) इलैक्ट्रोनिक्स रिसर्च एंड डेवलमेंट सेंटर, लखनऊ के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रोनिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, लखनऊ के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल. टी. 6451/94)

(6) (एक) इलैक्ट्रोनिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, कलकत्ता के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रोनिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, कलकत्ता के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल. टी. 6452/94)

(7) (एक) इलैक्ट्रोनिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, मोहाली के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रोनिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, मोहाली के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल. टी. 6453/94)

एण्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, भारत आपथैलिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर आदि के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन।

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्रीः (श्रीमती कृष्णा साही): मैं निम्नलिखित, पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल. टी. 6454/94)

(ख) (एक) भारत आफ़थैलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत ऑफ्थैलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 6455/94)

(ग) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखाापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 6456/94)

(घ) (एक) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1993–94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रन्थालग में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 6457/94)

(2) (एक) केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिक संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रन्थालय में रखे गये देखिए सं. एल.टी. 6458/94)

सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ यूल डिजाइन, हैदराबाद, सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैंड टूल्स, जालंधर आदि के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा।

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 6459/94)

(2) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ हैंड टूल्स, जालन्धर के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ हैंड टूल्स, जालन्धर के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 6460/94)

(3) (एक) इंस्टिट्यूट फार डिजाइन आफ इलैक्ट्रिकल मैजरिंग इंस्टूमेंट्स, मुम्बई के वर्ष 1993–94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फार डिजाइन आफ इलैक्ट्रिकल मैजंरग इंस्टूमेंट्स, मुम्बई के वर्ष 1993–94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 6461/94)

केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश 1994 (1994 का संख्यांक 9); आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्याक 10) आदि।

मानव संसाधान विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 29 सितम्बर, 1994 को प्रख्यापित केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) उध्यादेश, 1994 (1994 का संख्यांक 9)। (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 6462/94)

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 10 अक्तूबर, 1994 को प्रख्यापित भारत

की आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्यांक 10)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 6463/94)

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 12 अक्तूबर, 1994 को प्रख्यापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का संख्यांक 11)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 6464/94)

(चार) राष्ट्रपति द्वारा 16 नवम्बर, 1994 को प्रख्यापित विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (1994 का सँख्यांक 12)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सं. एल.टी. 6465/94)

2.08-½ म.प.

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

उपाध्यक्ष महोदयः मुझे एक छोटी सी घोषणा करनी है। मुझे सभा को सूचित करना है कि अध्यक्ष महोदय को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का दिनांक 5 दिसम्बर 1994 का लिखा हुआ त्यागपत्र प्राप्त हुआ है। त्यागपत्र उनकी अपनी हस्तलिपि में है तथा उसे स्वयं अध्यक्ष महोदय को दिया गया है। अध्यक्ष महोदय ने 6 दिसंबर 1994 से उनका त्यागपत्र मंजूर कर लिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा एक घण्टे के पश्चात् पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

2.10 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा 3.10 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

3.13 म.प.

लोक सभा 3.13 म.प. पर
पुनः समवेत हुई
(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री जसवत सिंह (चितौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस समय लगभग सत्र के मध्य में जब सरकार की स्थिति दिनोंदिन खराब हो रही है, यदि सरकार कोई उचित तारीख देती कि कब तक संशोधित की गई कार्यवाही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है क्योंकि यह बिल्कुल असंतोषजनक है। यदि यह हमें निश्चित तारीख दे तो अच्छा है। क्योंकि अनेक अन्य ऐसे मामले हैं जिनके बारे में सभा चिंतित है और हम उन अन्य मामलों पर भी सरकार की खिंचाई करना चाहेंगे। सरकार मौन साधकर और सहयोग न करके स्थिति से बचने का प्रयास कर रही है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया आप सरकार से कोई निश्चित तारीख लीजए।

जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): मुझे आशा है कि माननीय सदस्य की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन जो कि प्रस्तुत किया जा रहा है, को असंतोषजनक कहने के अपने विचार में संशोधन करेंगे। श्री जसवंस सिंह जैसे एक जिम्मेदार नेता का किसी दस्तावेज को देखे बिना असंतोषजनक कहना, कुछ आश्चर्यजनक है। हम इसे यथा संभव संतोषजनक बनाने का प्रयत्न करेंगे। जहा तक तारीख का संबंध है, हम इस संशोधित पूरक की गई कार्यवाही प्रतिवेदन को इस माह की 20 तारीख तक प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे।

3.15 म.प.

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

चौबिसवां, पच्चीसवां और छब्बीसवां प्रतिवेदन

श्री वी.एस. विजयराघवन (पालघाट) : महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का चौबीसवां, पच्चीसवां और छब्बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

3.151/2 म.प.

रेल संबंधी स्थायी समिति

सातवां, आठवां नौवां और दसवां प्रतिवेदन

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय मैं, रेल संबंधी स्थायी समिति (1994-95) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) रेल मंत्रालय संबंधी सातवां प्रतिवेदन–यात्री सुविधाएं,

(रेल संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों। टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।

(2) रेल मंत्रालय संबंधी आठवां प्रतिवेदन–'रेल लाइनों का दोहरीकरण और कलकत्ता में मेट्रो रेल परियोजना'।

रेल संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।)

(3) रेल मंत्रालय संबंधी नौवां प्रतिवेदन–'भारतीय रेलवे में नई रेल लाइनें शुरू करना'।

(रेल संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही)।

(4) रेल मंत्रालय सबंधी दसवां प्रतिवदेन–'उपनगरीय रेल।

(रेल संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई ,कार्यवाही)।

3.17. म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) केरल की इन्सट्रूमेंटेशन कम्पनी लिमिटेड की पालक्कड़ इकाई को एक स्वतंत्र इकाई में बदलने की आवश्यकता

*श्री वी.एस. विजयराघवन (पालघाट)। इस्ट्रूमेंटेमन कंपनी लिमिटेड की पालक्कड़ इकाई को कम्पनी की अन्य इकाईयों के साथ एक रूग्ण एकक घोषित किया गया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इस इकाई को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया पहले ही आरंभ कर दी है। यह सच है कि कम्पनी के अन्य एकक घाटे में चल रहे हैं। फिर भी पालक्कड़ एकक पूरे वर्ष लाभ कमाता रहा है। इसके बावजूद पालक्कड़ एकक को अन्य घाटा उठाने वाले एककों के बराबर रखा गया है और कम्पनी की 'पुनर्जीवित योजनाओं' में शामिल किया गया है। यह इस एकक में कार्यरत सक्रिय और परिश्रमी मजदूरों के साथ अन्याय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अन्य एककों की अनुपयक्तता के लिए इन श्रमिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। पालक्कड़ एकक को किसी 'पुर्नजीवित योजना' की आवश्यकता नहीं है। इसकी स्थिति बिल्कुल अच्छी है और यह पूरी तरह कार्य करता है।

इसलिए मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि पालक्कड़ एकक को आत्मनिर्नय का अधिकार देकर स्वतंत्र एकक में बदल दिया जाए।

(दो) गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता

श्री वी.पी. कालियापेरूमल (कुड्डालोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हर वर्ष गन्ने की फसल का क्षेत्र कम होता जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप चीनी का उत्पादन कम होता जा रहा है। वर्ष 1993–94 के दौरान 1992–93 की तुलना में चीनी का उत्पादन लगभग एक मिलियन टन और 1991–92 के उत्पादन की तुलना में 3.5 मिलियन टन कम हुआ। चीनी की मांग और सप्लाई के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है और परिणामतः सरकार के मांग को पूरा करने के लिए चीनी का आयात करना पड़ा। अतः चीनी का अधिकतम उत्पादन करना आवश्यक है।

गन्ने की खेती के क्षेत्र के कम होने का मुख्य कारण यह है कि गन्ना उत्पादकों को उनके उत्पादन के लाभकारी मूल्य नहीं दिए जा रहे हैं।

गन्ना उत्पादक गन्ने के लिए लाभकारी मूल्य मांग कर रहे हैं और कारखाने उनकी मांग अस्वीकार करते जा रहे हैं। तमिलनाडु के कुड्डालौट में गन्ना उत्पादकों ने गन्ने का मूल्य प्रति क्विंटल 100 रूपए के हिसाब से बढ़ाये जाने की मांग करते हुए नेलीकूप्पम की ई.आई.डी. पैरी शुगर फैक्टरी को गन्ने की सप्लाई बन्द कर दी है। कारखाने ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मूल्य के आधार पर उनकी मांग अस्वीकार कर दी है।

गन्ना उत्पादकों की मांग उचित है।

अतः मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत वसूली से जोड़कर प्रति क्विंटल 75 रुपए तक बढ़ाया जाए।

(तीन) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की आवश्यकता :

श्री गोपी नाथ गजपति (बरहामपुर): महोदय, मैं तत्काल लोक महत्व का निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं।

पूरे दिल्ली शहर में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण में हो रही अत्यधिक वृद्धि के कारण स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। जबकि सभी प्रकार के प्रदूषण से शहर के नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है, वायु प्रदूषण अत्यन्त खतरनाक रूप से बढ़ रहा है; इस प्रदूषण का प्रमुख स्त्रोत बाहन ताप विद्युत संयंत्र, उद्योग और घरों में ईंधन के रूप के कोयले का प्रयोग है। दिल्ली में प्रतिदिन अनुमानतः 2000 मिट्रिक टन प्रदूषित धुँआ वातावरण में फेलता है। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन सबसे अधिक 1063 मिट्रिक टन कार्बन मोनोक्साइड, उससे कम 323 मि.टन नाइट्रोजन डायक्साइड, 320 हाइड्रोकार्बन, 179 मि.टन सल्फर डायक्साइड निकलता है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में चलने वाले अधिकतर वाहन विशेष रूप से डी.टी.सी. की बसों द्वारा प्रदूषण मानदंडों का पालन नहीं किया जाता जिसके परिणामस्वरूप सारी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है। प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए जाते तो दिल्ली के लोग खासरोग, कैंसर, क्षयरोग जैसी खतरनाक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए समुचित कदम उठाए जाएं।

[हिन्दी]

(चार) उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद-बरेली तथा कुमाऊं क्षेत्रों के किसानों के इस्तेमाल के लिए डीजल की सप्लाई शीघ्र करने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (रामपुर) : महोदय, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद–बरेली और कुमांऊ मण्डल के रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, नैनीताल आदि जनपदों में गत एक माह से डीजल की भारी कमी के कारण रवी फसल की बुआई के लिए किसानों के सामने भारी संकट उत्पन्न हो गया है। बरेली और मुरादाबाद में डिपुओं पर डीजल की सप्लाई नहीं होने से डीजल पम्प प्रायः सुख से गए हैं। सरकार को लिखने के उपरान्त भी इस दिशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। ज्ञात हुआ है कि पेट्रोलियम मंत्रालय इस कमी के लिए रेल विभाग को उत्तरदायी मानता है। लेकिन इस अफरा-तफरी में किसान परेशान हैं क्योंकि आगे आने वाली फसलों के उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ने वाला है। यहां तक की मानसून की अंतिम घड़ी में वर्षा के अभाव में इसका कृषि पर कुप्रभाव पड़ चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डीजल पर अतिरिक्त कर लगा देने के कारण दिल्ली और उ.प्र. के डीजल के मूल्यों में भारी अंतर हो गया है जिसके परिणामस्वरूप डीजल की कमी की समस्या पैदा हो गई है।

*मूलतः मलयालम में उठाए गए मामले के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए डीजल की सप्लाई अविलम्ब चालू की जाए एवं डीजल की उपरोक्त कमी के मूल कारणों की विस्तृत जांच कराई जाए।

(पांच) बिहार की अधबारा बाढ़ नियंत्रण परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बिहार राज्य का सबसे पिछड़ा जिला सीतामढ़ी नेपाल का सीमावर्ती जिला है। अधबारा समूह की नदियों पर उपयुक्त भंडारण एवं तटबंध नहीं होने के कारण प्रति वर्ष बाढ़ के बहुत बड़े भूभाग के फसलों की बरबादी तथा जान–माल की क्षति होती है। बिहार सरकार द्वारा अधबारा नदी समूह अर्थात अधबारा बाढ़ नियंत्रण योजना चरण–1, अधबारा बाढ़ नियंत्रण योजना चरण–2, अधबारा बाढ़ नियंत्रण योजना चरण–3 के साथ–साथ बाढ़ नियंत्रण तटबंध बनाने की तीन योजनाएं केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए पांच वर्ष पूर्व भेजी गई थी। अधबारा बाढ़ नियंत्रण चरण 1 के लिए तैयार की गई योजना, योजना आयोग के पास विचाराधीन पडी है। उक्त योजनाओं की स्वीकृति मिलने पर ही प्रस्तावित तटबंधो के साथ–साथ जल मार्गो का निर्माण किया जाएगा।

अतः केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह योजना आयोग के पास विचाराधीन पड़ा अधबारा बाढ़ नियंत्रण चरण–1 के लिए तैयार की गई योजनाओं को जनहित में अतिशीघ्र स्वीकृति हेतु सिफारिश करें।

(छह) पश्चिम बंगाल सरकार को कृष्णानगर की मिट्टी की बनी हस्तशिल्प की वस्तुओं के विकास के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णानगर): महोदय मैं नियम 377 के अन्तर्गत सार्वजनिक महत्व का निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में मिट्टी की बनी हस्तशिल्प की वस्तुएं अपनी उच्च शिल्पकारिता के लिए प्रसिद्ध है। यह देश के पुराने कुटीर उद्योगों में से एक है जिसके कुछ विदेशी मुद्रा की आय भी होती है। परन्तु समुचित ध्यान न दिए जाने के कारण यह उद्योग धीरे–धीरे अवनती पर है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह यह देखे कि इसके लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने तथा देश और विदेश में विपणन सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रभावी उपाय करने हेतु राज्य सरकार को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करें।

3.28 म.प.

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 14 को लेते हैं।

मेरे विचार में इस पर पिछले सत्र में चर्चा चल रही थी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पूर्व आयुक्त के अट्ठाईसवें और उनतीसवें प्रतिवेदनों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के पांचवें छठें, सातवें और आठवें प्रतिवेदनों पर विचार करने सम्बन्धी प्रस्ताव (जारी)

[हिन्दी]

श्री कालकादास (करोलबाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है, जो विषय आज राष्ट्रीय समस्या का एक बहुद दुःखद प्रकरण बना हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति तथा जनजाति की स्थिति को देखते हुए देश के सभी अनुसूचित जाति तथा जनजाति के नागरिकों की इच्छा थी कि यह इतनी गहरी और मूल समस्या है, जिसको समाप्त करने के लिए, जिसका निराकरण करने के लिए केन्द्र सरकार को अलग से एक मंत्रालय बनाना चाहिए।

3.30. म.प.

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

तभी इनकी समस्याओं का समाधान सम्भव हो सकता है। सबसे पहले गृह मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजातियों की समस्याओं को देखा जाता था। फिर एक मांग हुई कि इसके लिए अलग से एक मंत्रालय बनाना चाहिए। तब इस विभाग को गृह मंत्रालय से लेकर समाज कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया। उसका परिणाम यह निकला कि–खोदा पहाड़, निकली चुहिया। गृह मंत्रालय में कमिश्नर होते थे। वे सारा साल रिपोर्ट तैयार करते थे और जो समस्यायें सामने आती थी, उनका निराकरण हो या न हो, लेकिन उन रिपोर्ट्स पर हर साल सदन में चर्चा होती थी तथा देश के सामने वे बाते आती थी। लेकिन दुखद पहलू यह है कि आज इस वर्ग के बारे में पिछले 12 साल में सिर्फ 6 रिपोर्ट्स पेश हुई हैं। जिनमें दो कमिश्नर की और चार समाज कल्याण मंत्रालय की है। हम सोचते थे कि सरकार गम्भीरता से परिवर्तन करेगी और दलितों की जोकि एक राष्ट्रीय समस्या है, उसको सुलझायेगी। लेकिन अंतरकाल से यह मालूम हुआ कि सरकार इस वर्ग की समस्याओं को सुलझाने के प्रति गम्भीर नहीं है। इसलिए उसको ऐसी टोकरी में डाल दिया जहां समस्याओं की स्थिति यह बनी है कि 12 साल के बाद अब हम सदन में इस वर्ग की रिपोर्ट पर बहस कर पा रहे हैं और इन 6 रिपोर्ट्स पर बहस के लिए केवल 6 घंटे निर्धारित किये गये है। ऐसा लगता है जैसे हमें कोई औपचारिकता पूरी करनी हो।

सभापतिजी, यदि विस्तार से देखे तो पता चलेगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगो की कई समस्यायें हैं, जिनमें आर्थिक समस्या प्रमुख रूप से है। उनको कर्ज देने की समस्या है, स्व–रोजगार देने की समस्या है। अब जो आर्थिक समस्या है वह वित्त विभाग से और बैंकों से सम्बद्ध है। जिसका समाज कल्याण मंत्रालय से कोई लेना–देना नहीं है। देश को आजाद हुए 50 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन उनके रहने के लिए आवास नहीं है, भूमि नहीं है।

भूमि की समस्या का हल रूरल डवलपमेंट मिनिस्टरी का है। ऐसे ही उनको रोजगार के लिए दुकान देने की बात हो या उद्योग लगाने की बात हो, तो इन सारी चीजों का समाज कल्याण विभाग से कोई लेना-देना नहीं है। शिक्षा की उनमें बहुत बड़ी समस्या है, जोकि शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है। हमें तो यही लगता है कि समाज कल्याण विभाग केवल डाक घर की भूमिका निभा रहा हो कि कहीं से कोई चिट्ठी डाली वह यहां आ जायेगी और यह दूसरे मंत्रालय को भेज देगा। इसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वह उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। समस्या का समाधान होना चाहिए, इसकी ओर कोई गम्भीरता से नहीं सोचता है। जिसके कारण इस वर्ग के लोगों की समस्यायें बढ़ती जा रही है। जैसे भूमि की समस्या है, यह रूरल डवलपमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है कि कैसे जमीन दी जाये।

पर्सनल ट्रेनिंग की समस्या है, उनको नियुक्त करने की समस्या है या उनको प्रोमोशन दिये जाने की समस्या है, ये सब विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित समस्यायें है लेकिन समाज कल्याण विभाग से इनका कोई संबंध नहीं है। आप देखेगे कि जो रिपोर्ट दी गयी है, उसमें कितने अनुसूचित जाति के लोगों को शिक्षित किया गया, पहले कितने अशिक्षित थे, कितने लोगों को प्रोन्नति दी गयी, कितने लोगों को रोजगार मिला, इस संबंध में कोई आंकड़े नहीं दिये गये हैं। ऐसा लगता है कि मात्र औपचारिकता निभाने के लिये यहां पर सरकार काम कर रही है।

सभापति महोदय, जब तक समाज कल्याण मंत्रालय को शक्ति नहीं मिलेगी, इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आप जानते हैं कि संविधान में इन लोगों के लिये एक विशेष अधिकार की व्यवस्था की गयी है। आज संविधान को लागू हुये 44 वर्ष हो गये हैं लेकिन क्लास-1 के अधिकारियों के आंकड़े नहीं दिये गये हैं जबकि हम लोगों को यहां पर यह जानकारी मिलती है कि क्लास-1 के लिये 6.5 प्रतिशत, क्लास-2 के लिये, 8 प्रतिशत, क्लास-3 के लिये 12 प्रतिशत और क्लास-4 के लिये 15 प्रतिशत आरक्षण हुआ है लेकिन बैकलाग अभी तक पड़े हुये हैं। इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि केन्द्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को लिखा जाता है तो वहीं से क्या जवाब आता है, हमें मालूम ही नहीं है। और इसमें समाज कल्याण विभाग को कुछ लेना-देना नहीं है। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन होगा कि जब तक अनुसूचित जाति के लिये एक अलग से शक्तिशाली मंत्रालय नहीं बनेगा, इस संबंध में समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। पहले गृह मंत्रालय में एक कमिश्नर होता था जिसे पत्र लिखा जाता था और राज्य सरकार को लिखने पर गंभीरता से मामले को लिया जाता था लेकिन आज यदि समाज कल्याण विभाग कोई जानकारी मांगे तो उसको मिलती नहीं है। यह मंत्रालय शक्तिहीन है। यह देखा गया है कि अनुसूचित जाति के लोगों की न तो पढ़ाई की ओर ध्यान दिया जाता है, न उनको भूमि आबंटित की जाती है और यदि की भी जाती है तो कब्जा नहीं मिलता है और फिर उसे कब्जा दिलाने के मामले पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनको कर्ज देकर आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा किये जाने का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट में कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है। मैं तो इस समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या मानता हूं। इस देश की 1/5 भाग आबादी इन लोगों की है और उनमें अधिकतर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुये हैं। जब तक उनकी उन्नति के लिये मार्ग प्रशस्त नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है और भारत शक्तिशाली नहीं बन सकता है। मुझे इस बात में जरा भी संदेह नहीं है। यह हमारा कर्तव्य है कि इस काम को बड़े पैमाने पर करें। इस राष्ट्रीय समस्या को सुलझाना हम आप सब का कर्तव्य है। यदि उन लोगो की अवहेलना करेंगे तो भारत राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता है। हमें इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाना होगा। मैं तो यहां तक समझता हूं कि यदि यह असमानता बनी रही तो इस समस्या का हल नहीं निकल सकता है वरन् देश में असंतोष पैदा हो सकता है।

और असंतोष के परिणाम भी हमें भुगतने पड़ सकते हैं। भगवान न करे कभी ऐसा हो लेकिन समय से पहले हमें जागना होगा और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करना होगा।

आज यदि हम उनकी शिक्षा की ओर दृष्टि डालें और देखें कि पिछले 47 साल में शैक्षिक रूप से वे कितना आगे बढ़े है, उनमें कितनी शिक्षा का प्रसार हुआ है और उसके लिये हमारी सरकार क्या कर रही है, मैं समझता हूं कि उनकी अनेक समस्याएं यदि हम उन्हें शिक्षित कर देते हैं तो अपने आप हल हो जायेगी। उनके विकास का यही एक तरीका है कि हम उन्हें अच्छी तरह से शिक्षित कर दें। आज यदि हम शिक्षा के मामले में आंकड़े देखे तो वे काफी नीचे हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं में केवल 3 प्रतिशत शिक्षित हैं और आदिवासी पुरूषों की साक्षरता का प्रतिशत 0.37 है। ये आंकड़े हमें क्या संकेत करते हैं, यदि मैं इसके विस्तार मे जाऊं तो बहुत समय लगेगा लेकिन मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि इनकी शिक्षा का प्रतिशत यदि बढ़ाया नहीं गया तो इन लोगों का स्तर ऊपर नहीं उठाया जा सकता।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगो को शिक्षित करने के लिये हम क्या कर रहे हैं, उनके बच्चों को कितनी छात्रवृत्ति देते हैं ताकि उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके, मेरी जानकारी के आधार पर छात्रवृत्ति की राशि 1987 में बढ़ाई गयी थी, उसके बाद आज तक उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है। कक्षा एक से कक्षा पांच तक के अनुसूचित जाति बच्चों को 12 रूपये प्रति मास की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों को 28 रूपये प्रति मास की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है और कक्षा 9 से कक्षा 10 तक के बच्चों को 30 रूपये प्रति मास की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। यहां कहा जाता है कि छात्रवृत्ति राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है लेकिन छात्रवृत्ति के रेट तो केन्द्रीय सरकार तय करती है और केन्द्रीय सरकार ने 1987 के बाद आज तक छात्रवृत्ति की दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जबकि उस समय महंगाई क्या थी और आज महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गयी है, चीजों के दाम कितने ज्यादा बढ गये हैं। मेरी मांग है कि जब हमने इन लोगों की शिक्षा पर खर्च करना शुरू किया है तो अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को विभिन्न स्तरों पर दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि में भी वृद्धि की जाये।

आज आपने छात्रवृत्ति देने के मामले में एक सीमा लगा रखी है,

वह सीमा यह है कि जिन बच्चों के अभिभावक या माता–पिता की आय एक हजार रूपये से कम है, उनके बच्चों को ही छात्रवृत्ति दी जायेगी लेकिन जिनके अभिभावकों की मासिक आय एक हजार रूपये से अधिक है, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज के युग में किसी राज्य सरकार के अधीन यदि कोई व्यक्ति चपरासी के पद पर काम करता है तो उसके बच्चों को नियमानुसार छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी क्योंकि किसी भी चपरासी की आय आज 1500 रूपये से कम नहीं है। दूसरी तरफ एम.ए.में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को हम 65 रूपये प्रति मास की दर से छात्रवृत्ति देते हैं, इससे अधिक राशि उन्हें नहीं मिलेगी। तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को, जो इंजीनियरिंग या एम बी बी एस कोर्स कर रहे है, यदि वे छात्रावास में रहते हैं तो उनके बच्चों को 280 रूपये छात्रवृत्ति के रूप में दिये जायेंगे। आप एम बी बी एस कोर्स की किताबों पर आने वाले खर्च पर जरा निगाह दौड़ाईये, किसी तकनीकी कोर्स की किताबों पर आने वाले खर्च को देखे तो 280 रूपये में कुछ भी नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य यह है कि उनको ठीक तरह से शिक्षित करने की दिशा में हमारा ध्यान नहीं गया है। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को शिक्षा देकर योग्य बनाया जाये लेकिन वह आज पूरा नहीं हो रहा है। जब वोट लेने का समय आता है तो हम आंकड़े देकर ऐसा बताते हैं कि इतना कर रहे हैं उतना कर रहे हैं लेकिन वास्तव में उन्हें कुछ नहीं मिलता है। आज शिक्षा के मामले में उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है।

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह साल के अंत में दी जाती है जबकि बच्चा पढ़ लेता है और वह छात्रवृत्ति मांगता रहता है। एक तो छात्रवृत्ति की राशि इतनी कम है और वह भी जरूरत के समय नहीं दी जाती है, साल के अंत में दी जाती है।

सभापति महोदय, यदि आप अनुसूचित जाति जनजाति की रिपोर्ट को देखेंगे, तो आपको निराशा होगी क्योंकि इसके अवलोकन से स्पष्ट होगा कि उनकी शिक्षा के लिए बहुत कम धन का प्रावधान किया गया है। उनके लिए जमीने नहीं दी गई है। उनके लिए छात्रवृत्तियां नाममात्र के लिए रखी गई है। उनकी समस्याएं हल नहीं हो रही है। उनकी समस्याओं को समाज कल्याण मंत्रालय हल कैसे करेगा क्योंकि अभी एक मामला सुप्रीम कोर्ट में बैकवर्ड जाति के लोगों को आरक्षण के सम्बन्ध में गया, उसमें अनुसूचित जाति को पार्टी भी नहीं बनाया गया था और यह कह दिया गया कि अनुसूचित जाति के लोगों को भी उन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाए क्योंकि इस बारे में कानून नहीं बनाया गया है। जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा। हम कई दफा कह चुके हैं, लेकिन समाज कल्याण मंत्रालय अभी तक इनकी उन्नति में आरक्षण के लिए संविधान संशोधन नहीं लाया है। इस प्रकार से यह हो रहा है कि जो अधिकार दिए गए हैं वे अधिकार भी छीने जा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं यहां पर केवल अनुसूचित जाति की ही चर्चा ज्यादा करना चाहता हूं क्योंकि अनुसूचित जनजाति के ऊपर अलग से विचार–विमर्श किया जाएगा। अभी नागपुर में जिस तरह से अनुसूचित जनजाति के लोगों के ऊपर अत्याचार हुए और पहले उनका नाम आरक्षण की सूची में था, लेकिन बाद में किस प्रकार से निकाल दिया गया इस सबके ऊपर अलग से चर्चा होगी। इसलिए मैं यहां पर ज्यादा जोर सिर्फ अनुसूचित जाति के ऊपर ही दूंगा।

सभापति महोदय, इस देश में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कुल आबादी का पांचवां हिस्सा है, लेकिन 47 साल की आजादी के बाद आज तक इनकी उन्नति के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है जिसके कारण इनमें निराशा बढ़ती जा रही है, बेकारी बढ़ती जा रही है। ये लोग आजादी से महरूम होते जा रहे हैं। देश को जो आजादी मिली वह केवल गगनचुम्बी अट्टालिकाओं में कैद होकर रह गई है। देश के 80 प्रतिशत लोग आज भी झुग्गी–झोपडियों में रहते हैं, जहां कोई सुविधा नहीं है। न सड़क है, न बिजली है, न पानी है और न सैनीटेशन है। इनमें भी 90 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रहते हैं, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। यदि आप चाहते है कि इनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए, यदि आप चाहते हैं कि इनको मजबूत किया जाए, यदि आप चाहते है कि इनकी उन्नति हो, तो इस देश की कुल आबादी के पांचवे हिस्से की संख्या में रहने वाले लोगों को आपको ताकत देनी होगी, शिक्षा के अवसर बढ़ाने होंगे, काम धंधा देना होगा, वास्तविक आजादी में इनको हिस्सेदार बनाना होगा, इनको नौकरियों के ज्यादा अवसर देने होंगे। तब हम उनकी सहायता कर पाएंगे। जब तक हम इनकी आर्थिक सहायता नहीं करेंगे, तब तक इनके ऊपर जो एक सामाजिक कलंक है, जिसके आधार पर मनुष्य, मनुष्य में भेदभाव किया जाता है, जिसके आधार पर छुआछूत की जाती है, जब तक शक्ति के साथ इन बातों को दूर नहीं करेंगे तब तक न तो इस समाज को न्याय मिलेगा और न आजादी में हिस्सा मिलेगा।

सभापति महोदय, इसके लिए सरकार को एक अलग मंत्रालय बनाना होगा जो केवल अनुसूचित जनजाति की समस्याओं का अध्ययन करेगा। उनके समाधान के लिए काम करेगा। अभी अनुसूचित जाति कल्याण आयोग बनाया गया, लेकिन वह कहता है कि उसके पास कोई शक्ति नहीं है। यदि उसको शक्तियां नहीं दी गई, तो वह काम कैसे करेगा। इसी प्रकार से अभी सफाई कर्मचारी आयोग बना है। वह कहता है कि उसको अपना दफ्तर बनाने के लिए स्थान ही नहीं दिया गया है। जब ऐसी बातें है तो हम देश और दुनियां को दिखाने के लिए कहते रहें कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि 47 साल की आजादी के बाद भी इस दिशा में कुछ नहीं हुआ है। इसलिए मेरी सरकार से पुरजोर मांग है और विनम्र निवेदन है कि इस देश की आबादी के पांचवें हिस्से की समस्याओं को यदि हल करना है, यदि शक्तिशाली बनाना है, यदि उनको आर्थिक दृष्टि से आबाद करना है, यदि उनको इस समाज का अंग बनाना है,

यदि उनको इस देश का आजाद नागरिक बनाना है तो उनकी समस्याओं को हल करने के लिए एक शक्तिशाली मंत्रालय की स्थापना की जाये ताकि वह मंत्रालय उनकी समस्याओं को देखे और उनका समाधान करें। यह तभी संभव हो सकता है जब इस मंत्रालय की स्थापना की जायेगी अन्यथा जैसा मैंने कहा कि पहले हम लड़ाई

लड़ते थे, वैसा ही आज होगा। आज समाज कल्याण मंत्रालय में आया है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर कुछ नहीं करता है। यदि आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो मुझे लगता है कि उस समय का शैड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर कम से कम पूरे वर्ष की समस्याओं का अध्ययन करता था। उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी जाती थी, उस पर चर्चा होती थी। लेकिन आज यह 12 सालों के बाद 6 रिपोर्टों में हमारे सामने आया है और जिसको सदन में केवल छः घंटे ही मिले हैं।

मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी समस्या है। इसमें बहुत सुझावों की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है, सरकार को निर्देश देने की आवश्यकता है व समाज को सोचने की तथा सरकार को इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। बारह सालों तक इन समस्याओं का समाधान ही न हो या इन पर चर्चा ही न हो तो मैं समझता हूं कि यह इस समाज के साथ अन्याय है इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जब तक इनकी समस्याओं का अध्ययन करके, उनका समाधान करने के लिए, आजादी का पूरा भाग देने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए एक शक्तिशाली मंत्रालय नहीं बनेगा तब ये समस्याएं इसी तरह से आती रहेंगी। जब यहां पर इस तरह की समस्याएं आ जाती है तो उस पर सब रो लेते है और चर्चा कर लेते हैं। ऐसा करके वे समझते हैं कि हमने अपना काम पूरा कर लिया है।

कर्नल राव राम सिंहः आपने कहा है कि डिपार्टमेंट में ज्यादा शक्तिशाली मंत्री होना चाहिए। यह इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि इनसे ज्यादा शक्तिशाली मंत्री इस डिपार्टमेंट में हो। श्री तंग्काबाल से ज्यादा कौन हो सकता है।

श्री कालका दासः मैने यह नहीं कहा। मैंने यह निवेदन किया था कि हमने उनकी शक्ति देखी है। हम यह पूछ रहे थे कि जब यहां पर एक सवाल आया तो हमने समाज कल्याण मंत्री जी से बड़े आदर के साथ पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण में जो पदोन्नति है, वह समाप्त कर दी गयी है तो उनका कहना था कि 6 दिसम्बर जैसे मामले होगें तो यही होगा। अब हम उनको क्या कहें? हमें तो उन पर तरस आता है। जब गुलाम नवीं जी से कहा तो उन्होंने कहा कि इसे सीताराम केसरी जी ही आने पर बतायेंगे। यह मेरा विभाग नहीं है।

मैं भी मंत्री जी का आदर व सम्मान करता हूं। मेरा उनसे कुछ नहीं कहना है। मैं केवल अपनी सोच आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो सरकार में बैठे हैं, वह जैसा करेंगे, वही होगा। आप उनकी स्थिति का मजाक भी उड़ा सकते हैं या यह कहकर टाल भी सकते हैं कि यह सही नहीं है।

सभापति जी, यह बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि यह राष्ट्रीय समस्या है। यह किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, किसी एक वर्ग की समस्या नहीं है बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है और अभी तक 47 साल बीत जाने के बाद तक इस समस्या को हल करने में हम नाकामयाब रहे हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि आज जो करेंगे, वही होगा। आप सदैव तो नहीं रहेंगे। कभी ऐसा मौका भी आयेगा कि हम उधर बैठे होंगे और आप इधर बैंठेगे। तब हम वह करके दिखायेंगे और आपको बतायेंगे कि शक्तिशाली ढंग से इन समस्याओं का सभाधान किया जा सकता है। मैने किसी एक मंत्री के बारे में न कहकर एक मंत्रालय की बात कही है।

सभापति महोदयः आपका टाइम समाप्त हो गया है।

श्री कालका दासः यदि ठीक ढंग से इस राष्ट्रीय समस्या को हल करना है तो सरकार को अलग से एक शक्तिशाली मंत्रालय बनाना होगा जिसका शैड्यूल्ड कास्ट्स मंत्रालय नाम रखा जा सकता है। जिसमें न केवल उनके रोजगार की समस्या, उनकी स्थिति की समस्या बल्कि उनकी सभी समस्याएं आयेंगी। आज भी देश के कोने-कोने से छुआछूत के आधार पर, जाति के आधार पर जो अन्याय हो रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं, जो उनकी अस्मत लूटी जा रही है, जो उनके चरित्रों का हनन हो रहा है, जो उनको गरीब समझकर काट कर हत्या कर देता है, उन सबका हल इसी से संभव है।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी (शिमला): माननीय सभापति महोदय, मैं अपने को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग की रिपोर्ट, जो सदन में पेश है, पर बोलने का समय मिला है।

[अनुवाद]

श्री दिलीप भाई संघाणी (अमरेली): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदयः घंटी बजायी जा रही है। अब गणपूर्ति हो गई है। माननीय सदस्य श्री कृष्ण दत्त सुल्तान पुरी अपनी बात जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला): जहां तक आयोग की रिपोर्ट का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में जब-जब कांग्रेस की सरकार कायम रही, अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण के लिए भारी पग उठाए गए। यह लांछन लगाना कि यह सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण के लिए कोई काम नहीं करती, मैं समझता हूं कि यह असत्य है। लेकिन कई राज्यों की सरकारों में इस तरह की धांधली हुई जहां अनुसूचित जाति, जनजाति के कई लोग, जो नौकरियों में लगने चाहिए थे, नहीं लगाए गए। इस बारे में बहुत से आंकड़े पेश किए गए है कि नौकरियों में उनका परसैनटेज कम है और उनके हितों की रक्षा नहीं होती लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। इंदिरा जी ने अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण के लिए और गरीबों के लिए बहुत काम किया है। उनको भूमि प्रदान की। लेकिन कई राज्यों में इस तरह की सरकारे आई जिन्होंने उनके पट्टे भी कैन्सल कर दिए। जिन्होंने उनका शोषण किया, ऐसे लोगों को उन्होंने अन्तोदय आन्दोलन में शामिल किया। मुझे यह बात बताते हुए खुशी है कि ऐसे लोगो के कल्याण के लिए, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, भारत सरकार की तरफ से कई स्कीमें बनाई गई।

यहां कहा गया कि उनपर जो अन्याय होता है उसके लिए एक

अलग विभाग होना चाहिए। यदि यह विभाग होम मिनिस्ट्री या प्रधानमंत्री के अन्तर्गत आता हो तो उनको दिया जाना चाहिए ताकि मॉनीटरिंग का काम ठीक ढंग से हो सके। हमारे थूंगबालू जी अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। केसरी जी फ्रीडम फाइटर हैं, उन्होंने भी राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी है और वे सोचते हैं कि इसे आगे बढ़ाएं। अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए जो कमिशन बना है, जिसके चेयरमैन श्री रामधन बने हैं।

4.00 म.प.

पहले वह इस हाउस में बड़ा भारी बावेला किया करते थे और वह यहां पर बहुत कहा करते थे कि हम अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिए कुछ काम करेंगे लेकिन यह कमीशन तो बिल्कुल ही कमीशन हो गया। मैं समझता हूं कि कमीशन ने कोई काम नहीं किया है। किसी राज्य से उसने बात नहीं की है, जिन राज्यों में गरीबों के साथ ज्यादती होती है और हमारे सामने ऐसा कोई उदाहरण पेश नहीं किया है, जिससे हम यह अंदाजा लगायें कि उसने कोई अच्छा काम किया है। वह दिल्ली में बैठे-बैठे कमीशन का काम करते हैं। अगर कमीशन को दिल्ली में बैठकर काम करना है तो उसके लिए तो पार्लियामेंट की कमेटी है। उसकी रिपोर्ट के ऊपर भी आज तक हाउस में चर्चा नहीं हुई है, उसपर चर्चा की जानी चाहिए थी। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की मुख्तलिफ प्रदेशों से जो मांगें आती हैं, उनका रिजर्वेशन में जो बैकलाग है, उनका मोनेटरिंग करते वक्त उनके पास जो एवीडेंस होती है, उसके मुताबिक भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। यहां मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहूंगा कि उनके रिजर्वेशन के बैकलाग को पूरा किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो 15 और साढ़े सात प्रतिशत की रेश्यों के हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वह पूरा किया किया जाना चाहिए।

सबसे ज्यादा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश और गुजरात में हैं। वह वनों में रहते हैं और उनकी भूमि जंगल में पड़ती है। वह उनकी अपनी भूमि है, उसमें उनका पूरा राइट होना चाहिए ताकि वह अपने बच्चों का सही ढंग से पालन-पोषण कर सकें। उनको इस बात का पता नहीं है कि यह फोरेस्ट रिजर्व है या नहीं, न उन्हें कानून का पता है। उन वनों में वह सदियों से बैठे हुए हैं। उनके बच्चे वहीं पैदा हुए हैं, वहां उन्होंने खेती की है, बगीचे लगाये हैं लेकिन रिजर्व फोरेस्ट में वह भूमि होने के नाते वहां उनपर मुकदमे चल रहे हैं। फील्ड से इन्फोर्मेशन आती है कि उनको वहां से निकाल दिया जाय, वह अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हैं, इसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह देखे कि जहां जंगलों में लोग खेती-बाड़ी करके वर्षों से बैठे हुए हैं, उनका उस जमीन पर पूरा हक होना चाहिए। उनको वहां पट्टे मिलने चाहिए। इन्दिरा जी ने अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब वर्ग के लोगों को 5-5, 10-10 बीघे भूमि एलाट की थी, उस भूमि के पट्टे तो उनको दे दिये गये लेकिन कब्जा नहीं दिया गया, उनको कब्जा दिलाया जाय। कई राज्यों में उन लोगों को मुर्दघाट में जमीनें दे दी गई तो क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग वहां रहेंगे? इस तरह की प्रवृति हमारे अधिकारियों में पाई जाती है। सरकार की मंशा तो ठीक होती है लेकिन निचले वर्ग में जो अधिकारी काम करते हैं, जिनके जिम्मे इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है, वह ठीक से काम नहीं करते हैं। इस मुताल्लिक आपको पूरा ध्यान देना चाहिए।

जहां हमारी माताओं और बहनों के साथ बलात्कार होते हैं, वह अपने मुंह से उसको बोल नहीं सकतीं। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे हादसे हुए हैं। जंहा मुख्तलिफ पार्टियों की सरकार है, वहां उन्होंने इसपर कोई गौर नहीं किया और इस तरह की बात की कि 50,000 रूपये उनको दे दिये जायें। कई पार्टियों के लोग हरिजनों के नाम पर जीते हैं, उनकी सरकार ने बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को 50,000 रूपये दे दिये। इस तरह की बातें बन्द होनी चाहिए और जो जुल्म करता है, उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन मुलजिम पकड़े नहीं जाते और उनके केस वर्षों तक पैंडिंग हो जाते हैं। होम मिनिस्ट्री को इसपर खास ध्यान देना चाहिए।

4.03 म.प.

(श्री पी.सी.चाक्को पीठासीन हुए)

जहा तक मकान का सवाल है, कई राज्य सरकारों ने अभी फैसला किया है कि महात्मा गांधी के विचार के अनुसार गरीबों के लिए हम ज्यादा से ज्यादा गांवों में मकान बनायें। मुझे खुशी है कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश सरकारों ने इस सम्बन्ध में फैसला किया है और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 69,000 मकान बनाने का निर्णय लिया है। चौधरी भजन लाल ने भी अपने प्रदेश से ज्यादा से ज्यादा गरीबों को, अनुसूचित जाति के लोगों को मकान देने का फैसला किया है।

जहा गरीबों के साथ अन्याय होता है, कई राज्य सरकारे इसपर अच्छा काम करती हैं।

यहां पर शिक्षा के बारे में बात कही गई है। शिक्षा प्रणाली में भी सुधार होना चाहिए, लेकिन कई जगह स्कूलों में मास्टर ही नहीं है, कई स्कूलों में उनके पास कपड़े नहीं है, कई जगह साइंस के, ड्राइंग के टीचर्स नहीं हैं।

स्कूलों में पूरे टीचर्स नहीं होते हैं। जहां पूरा स्टाफ नहीं होता है, उन स्कूलों को बंद कर देना चाहिये। अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को कही इंटरव्यू में बुलाया जाता है तो यह कह दिया जाता है कि वे कैपेबल नहीं हैं। स्कूलों में टीचर्स न होने की वजह से वे कैपेबल नहीं हो पाते हैं। वहां बड़ी धांधली होती है। राज्य सरकारों और शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स कमीशन के पास पूरे अधिकार होने चाहिये। अनुसूचित जातियों और जन जातियों के कल्याण के लिये केन्द्र से जो राशि जाती है, वह उन पर ही खर्च होनी चाहिये। कई लोग और संस्थायें इनका नाजायज फायदा उठाती है। इनका ऑडिट होना चाहिये। अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों के लिये आपने होस्टल खोल रखे हैं लेकिन ये लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। भारत सरकार की तरफ से जो पैसा इनके कल्याण के लिये जाता है, उसकी पूरी जांच-पड़ताल होनी चाहिये।

आपने अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को जमीन देने की बात कही है। यह एक अच्छी बात है। कई राज्य सरकारों ने उनको जमीन दी लेकिन कुछ राज्यों ने उनको जमीन देने का काम

बंद कर दिया है। महराष्ट्र, मध्य प्रदेश ने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है लेकिन राजस्थान में उनको जमीन देने का काम बंद हो गया है। गरीब लोगों को मालिक बनाया जाना चाहिये। आपको कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को एलॉट हुई भूमि बेची न जा सके। इस पर पाबंदी लगायी जानी चाहिये। देखने में आया है कि उनको एलॉट की गई जमीन पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया। ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिये।

समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो रिपोर्ट आती है, उस पर ऐक्शन लिया जाता है। जहां तक कानूनी कार्यवाही करने की बात है, वह इनके हाथ में नहीं है। इस विभाग को ज्यादा अधिकार दिये जाने चाहियें। इतना तो अधिकार मिलना चाहिये कि वह दोषी लोगों को गिरफ्तार कर सकें और ऐक्शन ले सके। गरीब लोगों को बिना किसी वजह के तंग नहीं किया जाना चाहिये।

भारत सरकार के बहुत से विभागों में, बैकों में और रेल विभाग में बैकलाग पूरा नहीं हो पाया है। उसको सबसे पहले पूरा किया जाना चाहिये। दुख की बात है कि इंस्ट्रक्शन्स जाने के बाद भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। रोस्टर को ठीक से मेंटेन करने के आदेश जाने के बाद भी रोस्टर को ठीक से मेंटेन नहीं किया जाता है। अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों से संबंधित मामलों को लम्बा खींचा जाता है। इससे उन गरीबों पर अन्याय बढ़ता चला जाता है। मैट्रिक, सीनियर सेकेंडरी और कालेजों में बहुत से अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग पढ़ते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। उनके लिये कहा जाता है कि वे कैपेबल नहीं हैं। एम्पलायमेंट एक्सचेंज में उनका नाम दर्ज होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। अभी एक होड़ और चल पड़ी है। कई लोग अनुसूचित जन जाति में जाना चाहते हैं।

अनुसूचित जाति के नाम पर देश के अन्दर गड़बडियां पैदा करना चाहते हैं। काफी समय के बाद अनुसूचित जाति और बेकवर्ड क्लास के लोगों को यह आरक्षण का अधिकार मिला है। जब इन लोगों को सुविधायें दी जाती हैं, तो ऊंची जाति के लोग कहते हैं कि हम भी ट्राइब में जाना चाहते हैं, लेकिन वे किस तरह से इस जाति मे आयेंगे। हमारी स्टेट लिस्ट और सैन्ट्रल लिस्ट में जब वह जाति है ही नहीं, तो वे कैसे आ सकते हैं। कुछ इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है कि जो सुविधायें इन लोगों को हासिल हैं, अनुसूचित जाति के लोगों को हासिल है, वे सब खत्म कर दी जायें। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की प्रवृत्ति जो पनप रही है, उसको हमारी सरकार को बन्द करना चाहिए। इसके साथ ही जिन लोगों को जमीनें दी गई हैं, जो जमीनों के मालिक हैं, उनको भी लोन-एडवांस जैसी सुविधायें मिलना भी नजर नहीं आता है। एक समय था, जब दस हजार के कर्जे माफ किए गए, लेकिन इनका लाभ भी बड़े लोगों को ही मिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को नहीं मिला। जिनको इसका लाभ मिला है, उन्होंने अपने रिश्तेदारों तक के कर्जे माफ करवा लिए, लेकिन इसका लाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को नहीं मिला है। मैं इस बात को ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि पांच प्रतिशत लोग भी इस श्रेणी में नहीं आए हैं।

इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं, जहां तक इस वर्ग का सवाल है, देश की एकता को कायम करने और समाज के काम करने में ये लोग हमेशा तत्पर रहे हैं। समाज के विभिन्न कामों में इनका योगदान रहा है। मिस्त्री और दूध पैदा करने और यहां तक मैला ढोने के काम में भी इन लोगों का योगदान रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, हमारी सरकार को चाहिए कि वे इनकी ओर ध्यान दे। हमारे प्रधान मंत्री जी, श्री नरसिंहराव जी ने भी कहा है कि मैला ढ़ोने की प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे विरोध पक्ष की ओर से हमारे खिलाफ काम तो होंगे ही। अगर हमारे खिलाफ काम नहीं करेंगे, तो आपको वोट कैसे मिलेंगे। आपको वोट तभी प्राप्त होंगे, जब आप हमारे खिलाफ बात कहेंगे। जहां तक हमारे दल के घोषणा पत्र का सवाल है, ये सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं और उनको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

जहां तक हमारे देश की आर्थिक स्थिति का सवाल है, अनुसूचित जाति के लोगों के आगे बढ़ने का सवाल है, वे सब आगे बढ़ रहे हैं। इतना सब कुछ होने पर भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। जिन-जिन राज्यों में उनके साथ अन्याय होता है, उस अन्याय को दूर कर के हमें उनको आगे बढ़ाना चाहिए। इन लोगों के रास्ते में एक रूकावट यह भी पैदा की जा रही है कि इन लोगों को की-पोस्ट पर नहीं रखा जाता है। अनुसूचित जाति के लोगों को लोअर-पोस्ट और दूसरी जगहों पर भेज दिया जाता है। मुख्य पद पर उसी व्यक्ति को रखा जाता है, जो इनके ऊपर जुल्म करता हो। हमें इस प्रवृत्ति को भी बदलना होगा। मैं इस बात को जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि इन लोगों को उन पुलिस स्टेशनों का भी इन्चार्ज बनाया जाना चाहिए, जहां पर अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्याय होता है। हमें इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने, हमारी कांग्रेस सरकार ने इन लोगों के उत्थान के लिए जो भी कुछ कर सकती थी, वह किया है। हमारी सरकार ने इनके विकास के लिए एक कमीशन का गठन किया है। लेकिन इस कमीशन का काम\ दिल्ली में ही बैठ कर किया जाता है, फिल्ड में जाकर काम नहीं होता है। इसके अलावा इस कमीशन के पास अधिकार भी नहीं है। जब तक उनके पास अधिकार नहीं होगा, तब तक वे कैसे काम कर सकते हैं। कमीशन निष्पक्ष होना चाहिए और उसमें सरकारी अधिकारी भी होना चाहिए, ताकि वह मोनिटरिंग कर सके कि कौन सा काम कमीशन ठीक कर रहा है और कौन सा काम कमीशन ठीक नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि व्यक्ति उसमें पार्टीबाजी के आधार पर आ जाता है और उसका काम सिर्फ सरकार की आलोचना करना होता है। मैं समझता हूं कि विकास के कामों का प्रचार लोगों में ठीक तरह से नहीं होता है।

जब तक वे ठीक आदमी का चयन नहीं करता। यह बात ठीक है कि एससी, एसटी के लिए कमीशन हो और वह बना उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है लेकिन ऐसा है कि उसमें जो भी काम हुए हैं वे कहां से चलते हैं और किस का मार्गदर्शन करते है यह भी तो हमको देखना है। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि अगर उसको अपने निर्णय बदलने पड़े तो बदलने चाहिए तो मैं समझता हूं कि यह उचित होगा।

महोदय, मैं पानी और बिजली की बात करना चाहता हूं कि अनुसूचित-जाति, जनजाति के लोगों को बिजली और पानी दिया जाना चाहिए। उनको बिजली सप्लाई नहीं होती। जहां पर अनुसूचित-जाति, जनजाति का घर आता है वहां तक बिजली नहीं पहुंचती है। उस गांव के कुछ लोगों को कवर कर लिया जाता है और पूरे गांव को उसमें शामिल कर दिया जाता है कि सारे गांव में बिजली लग गई है लेकिन वास्तव में उन तक बिजली नहीं पहुंचती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वहां भी बिजली लगाने का राज्य सरकार को प्रबन्ध करना चाहिए और उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा देना चाहिए। एक बात मैं पीने के पानी के बारे में कहना चाहता हूं कि पीने का पानी सब को उपलब्ध कराना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां पर बड़े रूढ़िवादी लोग रहते हैं वहां पर जो पानी के तालाब हैं, वहां भी आपस में झगड़े होते हैं तो यहां पर मेरा कहना यह है कि वे झगड़े करते रहें हम बर्दाश्त करते रहेंगे, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां पर एससी, एसटी के घर हैं वहां पर पानी के नल जरूर दिए जाने चाहिए। मेरा कहना यह है कि जो स्कीम बने उसको तब तक इम्पलीमेंट नहीं समझना चाहिए जब तक कि वे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को उस स्कीम के अंतर्गत नहीं लाते हैं। इसी तरह से हमारे बैकवर्ड के लोगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि बैकवर्ड के लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए मगर अब ज्यादा यह होड़ लग गई है कि सभी बैकवर्ड बन जाएंगे तो सारे के सारे बैकवर्ड हो जाएंगे। अब यह देखना होगा कि बैकवर्ड में भी जो हमने लक्ष्य रखा है उनमें जिन जातियों को शामिल करना चाहिए उन्हीं को करना चाहिए। मैं यहा एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश का गढ़वाल, चमौली इलाका है उस इलाके को शेड्यूल्ड ट्राइब्स करार दिया गया है और मेरे चुनाव क्षेत्र में एक रणका है, शलाईक, चौपाल, रोडू का हल्का है उसकी रिश्तेदारी आपस में है। यू.पी. के उन ट्राइबल ऐरिया के लोगों के साथ है और वैसा ही कस्टम उनका है जैसा कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के लोगों का है जो इस क्षेत्र से लगते हैं। लेकिल वे ट्राइबल नहीं हैं तो मैं मांग करता हूं कि उस इलाके को ट्राइबल ऐरिया करार दे देना चाहिए ताकि वे भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। वहां वह कम्युनिटी बसती है जो उत्तर प्रदेश में शेडयूल्ड ट्राइब्स के नाम से गिनी जाती है और उस इलाके में, जिसका मैंने जिक्र किया उसमें भी वही लोग हैं जो शेडयूल्ड ट्राइब्स के नाम से होने चाहिए लेकिन बदकिस्मती से कोई किसी स्टेट में है, कोई किसी जगह, कोई किसी को मानता है, कोई नहीं मानता है। इसकी एक लिस्ट है उसमें जो-जो जाति ट्राइब्स में आती है वह ट्राइब में आनी चाहिए, जो शेडयूल्ड कास्ट के हैं वे उनमें जाने चाहिए। लेकिन यह जो आज बवेला मचाया जा रहा है, चाहे महाराष्ट्र में है या और किसी जगह है कि वहां ट्राइब्स में बनना है तो वह वहां ट्राइब्स की गिनती में नहीं है, तो वे किस तरह से उनमें आएंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि उनकी ऐसी मांगें उचित नहीं हैं। उनको जो और बैकवर्ड क्लास की सुविधा है वह उनको दी जा सकती है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लिस्ट में है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनको दोबारा से शामिल करने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति को देख कर उनको शामिल करना चाहिए ताकि वे बैकवर्ड में जा सकें। मैं अपने बालू जी और केसरी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वे कम से कम कमिशन की रिपोर्ट को डिसकशन करने के लिए यहां लाए हैं।

मै यहां पर यह अनुरोध भी करना चाहता हूं कि संसदीय समितियों की रिपोर्ट पर भी यहां पर चर्चा होनी चाहिए। हर साल रिपोर्ट दी जाती है, टूर होते हैं, इतना व्यय होता है, यदि उन रिपोर्ट्स पर चर्चा की जाएगी तो इससे निम्न वर्ग के लोगों को लाभ होगा। मैं कालकादास जी की तरह से बात नहीं करूंगा कि सरकार तो आपने चलानी है। आप भी सरकार का ही एक हिस्सा हैं और आपका भी इस काम के लिए पूरा सहयोग चाहिए। खुराना साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, कभी इतने जुल्म नहीं किए गए।

मैं अपने मंत्री महोदय को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि एससी एसटीज के संबंध में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, हम सब का आशीर्वाद आपके साथ है और हमें आशा है कि आप की शीघ्र ही तरक्की होगी और आप केबीनेट मंत्री बन जाएंगे।

मैं समझता हूं कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बारे में जो मुद्दे यहां पर उठाए गए हैं और मैंने जो सुझाव दिए हैं, उन पर आप चिंतन करेंगे और उनके मुताबिक काम करेंगे।

मैं सरकार को एक बात के लिए और बधाई देना चाहता हूं कि जो राजीव जी के स्वप्न को पूरा किया गया है तथा 1/3 स्थान महिलाओं को दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में 45 में से 15 जिलों में महिलाओं को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है, इससे बड़ी उपलब्धि किसी सरकार की और क्या हो सकती है। यह काम और किसी सरकार ने नहीं किया था, कांग्रेस सरकार ने किया है और राजीव जी के सपने को साकार किया है।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

डॉ. एस.पी.यादव (सम्भल) : सभापति महोदय, समाज कल्याण मंत्री जी ने अनुसूचित जाति तथा जनजाति के संबंध में जो रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की है, उस पर चर्चा करते हुए अभी सुल्तानपुरी जी कह रहे थे और वोटों की राजनीति से इस विषय को जोड़ने की बात कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि 47 वर्षों में कांग्रेस ने वोटों की राजनीति ही की है और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों को कुछ नहीं किया है। सुल्तानपुरी जी ने कहा कि अन्य समितियों की रिपोर्टस पर भी चर्चा होनी चाहिए, इस संदर्भ में मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे अपने प्रधान मंत्री जी और अपनी पार्टी से प्रश्न करें कि 6 सप्ताह के शीतकालीन सत्र को 13 दिन का क्यों कर दिया गया है? इस तरह से कैसे इन रिपोर्टों पर चर्चा हो सकती है? आज भी इतने दिनों के बाद सदन में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है, इसलिए विपक्ष के लोगों ने सदन चलने की अनुमति दे दी है, अन्यथा यह सदन नहीं चलना चाहिए था।

सभापति महोदय, आज जो अनुसूचित जाति तथा जनजाति के कल्याण की बात यहां पर हो रही है, ये अधिकार उनको कोई उपहारस्वरूप नहीं दिए गए हैं बल्कि ये उनके संवैधानिक अधिकार हैं। अभी महाराष्ट्र में विधान सभा के सेशन के दौरान ही 110 आदिवासियों की पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई, वहां पर कांग्रेस की

सरकार है और यहां पर सदन में इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई, न कोई बयान दिया गया।

उसी वर्ग के विषय में हम लोग यहां चर्चा कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के विषय में चाहे आयेग की रिपोर्ट हो या सरकार की रिपोर्ट हो, ये सब आंकड़ों पर आधारित होती है और आंकड़े अधिकतर असत्य होते हैं। वे रिपोर्ट में बढ़ा-चढ़ाकर पेश किये जाते हैं। अगर वास्तविकता जानने का प्रयास किया जाये तो पता चलेगा कि जो कर्मचारी होते हैं वे ही उन वर्गों के साथ हुई घटनाओं में अधिकांशतः दोषी होते हैं।

आज अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या आवास की है। मंत्रीजी उनके क्षेत्र में जायें तो उन्हें पता चलेगा कि उनके मकान किस गन्दे स्थान और शहर के बाहर बने हुए हैं। केन्द्र सरकार जवाहर रोजगार योजना के तहत इंदिरा आवास योजना के नाम पर धन देती है। आप कभी इन बस्तियों का अवलोकन करें तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के घटिया मकान उनके लिए बनाये गये हैं। मकानों में रेत का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में किया गया है। इससे उनका जीवन भी असुरक्षित है। जहां मकान हैं वहा सड़क नहीं है, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं हैं और पानी के नाम पर वे लोग गंदा पानी पी रहे हैं। वैसे आप अम्बेडकर गांव चुन रहे हैं, लेकिन वहां बिजली और पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता भी उन लोगों को मुहैया नहीं है। उनके मोहल्ले में कही हैंडपम्प और कुएं आदि की व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए कि सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं और लोगों से सीधा सम्पर्क करते हैं तो पता चलता है कि वहा पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं है। खम्भे लगा दिये हैं, लेकिन तार नहीं है, तार हैं, तो ट्रांसफार्मर नहीं हैं। गांवों में इन लोगों की स्थिति का सर्वेक्षण किया जाये तो बहुत बदतर स्थिति के बारे में पता चलेगा।

शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए नाममात्र की सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। मैं समझता हू विद्यार्थी के लिए सबसे पहले हॉस्टल की आवश्यकता होती है। सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम बड़े जोर-शोर से लेती है और उनकी जयन्ती भी मनाती है, लेकिन उनके विकास के लिए कुछ नहीं करती। हमने मांग की थी कि जहां इटरमीडिएट कालेज और डिग्री कालेज हैं वहां अम्बेडकर छात्रावासों की व्यवस्था की जाये और जैसे दूसरे कालेज के विद्यार्थियों के लिए आधुनिक हॉस्टल्स बनाये जा रहे हैं, वैसे ही इन वर्गों के छात्रों के लिए भी हॉस्टल्स बनाये जायें, जिससे इन विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगे। लेकिन अभी उनके पास रहने के लिए अच्छे कमरे नही हैं, उनमें बिजली नहीं है। वे अगर प्राइवेट मकान लेकर रहते हैं तो खर्चा ज्यादा होता है। अगर वे सवर्ण जाति के लड़कों के हॉस्टल में रहने के लिए जाते हैं तो वे इनको मारकर भगा देते हैं। लेकिन सरकार ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया है। हमने नियम 377 के अधीन भी केन्द्र सरकार से मांग की थी कि जो इंटरमीडिएट और दूसरे कालेज या विश्वविद्यालय हैं वहां छात्रावासों की व्यवस्था की जाये। यह ठीक है कि शिक्षा के लिए राज्य सरकार उत्तरदाई है, लेकिन केन्द्र सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। जिससे उनको पढ़ने के लिए सुविधा हो सके। सुविधा नहीं होने के कारण उनकी पढ़ाई-लिखाई का स्तर ऊंचा नहीं उठ पा रहा है। उन लोगों को शिक्षा देने के लिए यह आवश्यक है कि उनके निवास क्षेत्रों में ही प्राइमरी स्कूल और जूनियर हायर सेकंडरी स्कूल स्थापित किये जायें। इसके अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा में अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों की संख्या नगण्य है। जिसके कारण वे बड़े और तकनीकी ओहदों पर नहीं जा सकते। जहां तक नौकरियों का सवाल है, उनको आरक्षण दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हू कि आप नौकरियों का आंकलन करें कि उनमे कितने लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है और आजादी के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां दी गयी हैं, कितने स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रिक्त स्थान पड़े हुये है? कितने पढ़े-लिखे लोगों को नौकरियां मिली हैं और कितने बेकार घूम रहे हैं? लेकिन सरकार ने आज तक इस बात का आंकलन नहीं किया है। जिन लोगों की भर्ती की गयी है, उसमें भी कितनी अनियमिततायें बरती गयी हैं और कई स्थान जानबूझकर खाली छोड़ दिये गये हैं, इसके आंकड़े सरकार के पास नहीं हैं। कितने स्थान किन कारणों से खाली पड़े हुये हैं? मेरा सरकार से अनुरोध है कि जब मंत्री जी इन बातों का जवाब देंगे तो कृपया बतायें। इनमें कितने ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने क्वालीफाईड रहे और कितने लोगों को आपने सीधे नौकरी पर ले लिया? आप इन लोगों को तो सीधे ही अपॉयटमेंट दे सकते थे। आज भी जिन दफ्तरों में जाते हैं, उनको भगा दिया जाता है कि उनके लिए कोई नौकरी नहीं है। उनका कोटा वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। कोई नियम बनाकर इन रिक्तियों को भरने का क्राम तो करें। क्या उन अधिकारियों के खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं जिन्होंने इन रिक्तियों को नहीं भरा है? आप इस समाज की तमी सेवा कर सकते हैं, जब इस कार्य को पूरा किया जायेगा। भले ही आपके मंत्रालय का नाम समाज कल्याण है लेकिन कल्याण के नाम पर किस समाज का कल्याण हो रहा है? कितना कल्याण सरकार का हो रहा है? इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की शिक्षा के लिये कोई काम करें।

सभापति महोदय, खेती के नाम पर कहा जा रहा है कि उन लोगों को भूमि के पट्टे दिये जा रहे हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हू कि लैंड सीलिंग में जिन बड़े लोगों की भूमि निकली भी है तो वह पट्टे पर दी गयी लेकिन जमीन का कब्जा आज तक नहीं मिला है। हमारे उत्तर प्रदेश में मेरे लोक सभा क्षेत्र में एक बड़े किसान की 300 बीघा जमीन लैण्ड सीलिंग में निकली है और अनुसूचितों को पट्टे पर दी गयी लेकिन कब्जा नहीं मिला है। बड़े किसान लोग हाई कोर्ट या किसी अन्य कोर्ट से स्टे लेकर आ जाते हैं और वह जमीन कब्जे पर किसी अनुसूचित जाति के आदमी को नहीं मिल पाती है। इस मामले पर डी.एम. या एस.डी.एम और यहां तक कि सरकारी कर्मचारी भाग खड़े होते हैं। गरीब लोगों को कोई जमीन नहीं मिल रही है। यदि मिल भी जाती है तो किसी न किसी तरीके से छीन ली जाती है और वे आज तक कृषि मजदूर, बंधुआ मजदूर बने हुये हैं।

आज समाज में ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, उसके लिये कोई रूपरेखा बनाये। उनको दैनिक मजदूरी भी पूरी नहीं मिलती है यानी

किसी को 20 रूपये तो किसी को 25 रूपये और कहीं 33 रूपये मिलते हैं। हां, शहरी क्षेत्रों में जो कृषि मजदूर हैं, वे अपनी दिहाड़ी ले पाते हैं लेकिन गांवों में किसी को पूरी मजदूरी नहीं मिलती है। गांव का मजदूर तो बंधुआ मजदूर की तरह आज भी काम कर रहा है। मैं जानता हूं कि आज उ.प्र. में कितने कृषि मजदूर बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। इस बात की यहां पर चर्चा होती है, सरकार मन मर्जी से प्रस्ताव पास कर लेती है लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। सरकार सहायता के नाम पर कुछ नहीं करती है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इन लोगों को सहायता दी जाये। आज डालमिया, टाटा और मोदी जैसे बड़े लोगों की जो फैक्ट्रियां हैं, वे कितना कर्जा बैंकों से लेती हैं लेकिन उनसे वसूला नहीं जाता है। आज मोदी मिल पर पंजाब नेशनल बैंक का 75 करोड़ रूपया का कर्ज है लेकिन वसूल नहीं किया जा रहा है जबकि एक गरीब किसान का कर्जा वसूलने के लिये उसे बेघर-बार कर दिया जाता है। हमारी सरकार ने अपने समय में दस हजार रूपये का कर्ज किसान का माफ किया लेकिन आज सरकार उन गरीब किसान या गरीब लोगों से कर्जा वसूल करती है जिनके पास खाने को रोटी नहीं है। जनता दल की सरकार ने गरीब किसानों के कर्ज माफ किये लेकिन सरकार मोदी उद्योग से पंजाब नेशनल बैंक का 75 करोड़ रूपये का कर्जा वसूल करके दिखाये तो हम मानेंगे कि फाईनेंस मिनिस्ट्री कुछ काम कर सकती है।

दूसरी तरफ किसान मजदूरों से किसी तरह कर्जा वसूल किया जाता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों से कर्जा वसूल करने के लिये क्या तरीका अपनाया जाता है, आप चलकर देखिये कि बैंक के लोग इन लोगों को पकड़कर, बांध कर ले जाते हैं और मुर्गा बनाकर उनकी पीठ पर मोटा सा बाट रख देते हैं, पत्थर रख देते हैं। इस तरह से उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। उनके प्रति किये जाने वाले अत्याचारों से अभी तक हमारी सरकार अनभिज्ञ है। सारे तथ्य सरकार के पास नहीं आ पाते हैं।

इन शब्दों के साथ, सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय कल्याण मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की वास्तविक समस्याओं की ओर देखें और उनका वास्तविक निदान कहां है, उस पर ध्यान केन्द्रित करें कि किस तरह से उन समस्याओं का प्रभावी निदान कर सकते हैं। उनके लिये कुछ प्रैक्टिकल काम करें, थ्योरी से काम नहीं चलेगा बल्कि प्रैक्टिकल काम करने की आवश्यकता है तभी इस समाज का कुछ उत्थान हो सकेगा। आपका बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रो. एस.पी. यादव आपका धन्यवाद। अब कृपया कुमारी फ्रिडा तोपनो बोलेंगी।

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास के लिए अनेक संवैधानिक रक्षोपाय होने के बावजूद अ. जा. तथा अ. ज. जा. के लोग अभी भी हमारे देश में सर्वाधिक उपेक्षित समुदाय हैं। ये समुदाय अब भी असुरक्षित हैं तथा उनपर किसी न किसी रूप में अत्याचार किये जाते हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध होने वाले अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने तथा इस मुद्दे को हल करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को चुस्त बनाने के लिए व्यापक मार्गनिर्देश विद्यमान हैं जिनमें एहितयाती, निवारक, दण्डात्मक तथा पुनर्वास सम्बन्धी उपाय शामिल हैं परन्तु अभी भी हमें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। बढ़ता भूमि से अलग-थलग किये जाने के बढ़ते मामले, ग्रामीण ऋणग्रस्तता तथा गैर उत्तरदायी प्रशासनकि तंत्र अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की जड़ है। कोई भी कानून उनकी रक्षा नहीं कर सकता यदि पुलिस तथा अन्य बेईमान अधिकारी कानून का उल्लंघन करने वालों को ढील देते रहे।

महोदय, स्वतंत्रता के पश्चात्, इन समुदायों को शिक्षा प्रदान करने हेतु कदम उठाए गए हैं। कई आवासीय सेवाश्रम, आवासीय हाई स्कूल तथा कम लागत वाले छात्रावास ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को भोजन, कपड़ा तथा पुस्तकों की सुविधाएं प्रदान करने वाले स्कूलों सम्बन्धी हमारे उच्च आदर्श पूरे होते नहीं प्रतीत होते हैं। अधिकांश स्कूल भवनों का समुचित रखरखाव नहीं किया जाता है। छात्रों को प्रायः घटिया भोजन ही दिया जाता है, कपड़े नहीं दिए जाते हैं तथा किताबें कभी भी समय से नहीं दी जाती हैं। इनका परिणाम यह है कि स्कूल अत्यन्त हतोत्साहित करने वाले हैं। अतः यह अनुरोध है कि स्कूल तथा छात्रावास भवनों के रखरखाव के लिए और अधिक धन उपलब्ध कराया जाए और वजीफे की दर बढ़ाई जाए ताकि छात्रों का जीवन स्तर सुधारा जा सके। आम स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को उनके वजीफे समय पर नहीं मिलते हैं। वर्तमान बाजार मूल्य को देखते हुए वजीफे की दर में भी बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए।

महोदय, जहां तक उच्च शिक्षा का सम्बन्ध है। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर चिन्ताजनक है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की औरतों में साक्षरता की दर बतलाने योग्य नहीं है। मैं सरकार से अपील करती हूं कि वह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए आम तथा तकनीकी दोनों प्रकार के और अधिक स्कूल तथा कालेज खोले।

महोदय, जनजातीय लोग, जिन्हें आदिवासी कहा जाता है हमारे समाज के मूल निवासी हैं। जिन्होंने जंगलों को साफ करके भूमि को कृषि योग्य बनाया। समस्त पूर्वी क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र में खनिज संसाधनों की प्रचुरता है। इस क्षेत्र में विगत में, कई बड़े उद्योगों की स्थापना हुई है। राउरकेला, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रमुख उपक्रम जनजातीय क्षेत्र में स्थापित किये गये हैं। उनकी हजारों एकड़ जमीन ले ली गई है तथा सैकड़ों जनजातीय गांव वहां से उजाड़ दिए गए हैं। उनका सही ढंग से पुनर्वास नहीं किया गया है। सरकार ने कोई उद्योग स्थापित करने के लिए अपेक्षित भूमि से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया। अब सारी फालतू भूमि का निजी स्वार्थ वाले दलों द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जनजातीय लोगों का उनकी भूमि से वंचित करते समय उनके पुनर्वास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए

कि इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की फालतू भूमि का निजी स्वार्थ वाले लोगों द्वारा दुरुपयोग न किया जाए या उसको हड़पा न जाए।

भूमि को अपने स्वामित्व में लेने पर कानूनी प्रतिबंध है। परन्तु प्रशासन बहुधा जनजातीय लोगों की भूमि हड़पने में बेईमान व्यक्तियों की खुल्लमखुल्ला मदद करता है। अभी हाल ही में 7 अप्रैल, 1994 को राउरकेला में लखो ओरम नामक एक जनजातीय व्यक्ति स्थानीय प्रशासन तथा भूमि हड़पने वालों का शिकार हो गया। उसका परिवार राउरकेला में एक छोटे से स्थान पर रहता था जिसका पट्टा उसके नाम था। सस्ती लोकप्रियता तथा एक समुदाय विशेष का राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के लिए स्थानीय विधायक वह भूमि इस समुदाय को देना चाहता था। श्री ओरम इस विधायक के दुष्चक्रों के विरोध में स्थगन आदेश के लिए उच्चतम न्यायालय गया। यह मामला अभी उच्चतम न्यायालय में लम्बित ही था कि एक सुबह, जब लखो ओरम का परिवार सो रहा था, उप समाहर्ता, पंपोश ने उसका मकान बुलडोजर से गिरवा दिया। परिवार के सभी बड़े सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे भी अधिक दहशतजदा बात यह है कि लखो ओरम की 70 वर्षीय वृद्धा मां को उप समाहर्ता की हत्या के प्रयास के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। सुन्दरगढ़ के समाहर्ता को, जो जनजातीय परिवार को न्याय दिलाना चाहता था, तत्काल स्थानान्तरण कर दिया गया। देश के कई भागों में इस प्रकार के सैकड़ों मामले हो रहे हैं। कुछ स्थानों पर प्रशासन सहायता दे रहा है और अन्य मामलों में वह मूक दर्शक है। इस प्रकार के अत्याचारों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

प्रमुख सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की जनजातीय क्षेत्र में स्थापना के कारण जनजातीय लोगों की सांस्कृतिक पहचान नष्ट होती जा रही है। इस क्षेत्र में गैर जनजातीय लोगों के आगमन के कारण जनजातियों की प्राचीन समृद्ध संस्कृति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। इस क्षेत्र में स्थापित गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के सभी उद्योगों को बाध्य किया जाना चाहिए कि वे जनजातीय संस्कृति की रक्षा करें तथा उसका विकास करें। राउरकेला इस्पात संयंत्र को बिरसा मुण्डा प्रतिमा समिति को बिरसा मैदान सौंपे जाने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए जिससे जनजाति सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना की जा सके जिसके लिए जनजातियों के लोग काफी समय से मांग करते रहे हैं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के प्रति अत्याचारों में दिनोंदिन बढोत्तरी हो रही है। गांवों तथा कस्बों की महिलाएं पहले की अपेक्षा अब ज्यादा असुरक्षित हैं। गैर उत्तरदायी प्रशासनिक तंत्र तथा पुलिस ही महिलाओं की वर्तमान दुर्दशा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। एक युवा कामकाजी जनजातीय लड़की कुमारी बसन्ती कन्डुलना के साथ 17.7.1994 को राउरकेला में सामूहिक बलात्कार किया गया। तब एक दिन दोषी पुलिस के साथ स्वतंत्रतापूर्वक घूम रहे थे। उन्हें तभी गिरफ्तार किया गया जब जनजातीय लोगों ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आन्दोलन किया। यह उदाहरण बताने के पीछे मेरा अभिप्राय यह है कि इन समुदायों की सुरक्षा के लिए इस महान सभा द्वारा बनाये गए कानूनों को लागू करने के लिए प्रशासन को चुस्त बनाना होगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र सहित पूर्वी क्षेत्र के बहुत से हिस्सों में जनजातीय लोग वन भूमि पर बसे हुए हैं तथा वहां साठ से भी अधिक वर्षों से खेती कर रहे हैं। यह भूमि उनके नाम में दर्ज करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। अब इन जनजातीय लोगों को वन अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है।

अन्त में मैं सरकार से यह अपील भी करती हूं कि अनुसूचित जातियों के जिन लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, उन्हें संवैधानिक सुरक्षा तथा सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक लाए। धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति की जाति तथा उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है। यदि कोई अनुसूचित जाति का एक निर्धन व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो भी वह अनुसूचित जाति का एक निर्धन व्यक्ति ही रहता है। अतः केवल धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले लाभ उनको भी दिये जाएं, जिन्होंने इसाई धर्म स्वीकार कर लिया है। धन्यवाद।

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : सभापति महोदय, आरम्भ में, मैं सभा में चर्चा के लिए एक ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए माननीय मंत्री श्री तंग्का बालू का धन्यवाद करता हू लेकिन, इसी के साथ-साथ, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि यह चर्चा केवल चर्चा तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसे व्यावहारिक रूप में भी क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

मैं अपनी बात नागपुर की भगदड़ से शुरू करना चाहूंगा जिसमें मैं समझता हूँ, लगभग 113 लोग मारे गए थे। जिसमें अधिकाशं महिलाएं और बच्चे थे। मैं यह बात समझ नहीं पाया हूं कि श्री शरद पवार के सशक्त प्रशासन के अन्तर्गत यह दुखद घटना कैसे घटी। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रशासन में विशेषकर अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रति लापरवाही रही है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों संबंधी राष्ट्रीय आयोग का गठन 1992 में हुआ था और तब से यह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन इसकी नीतियों के प्रभावी और एक समान क्रियान्वयन के लिए राज्यों में कोई निकाय नहीं है। अकेला यह आयोग सब कुछ नहीं कर सकता। राज्यों में इस प्रकार के कुछ संगठन होने चाहिए। आयोग की रिपोर्ट केवल कागजी कार्यवाही है जो कि नौकरशाही की लालफीताशाही तक ही सीमित है। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं से निपटने के अपने-अपने तरीके हैं। इस उद्देश्य के लिए आवंटित केन्द्रीय राशि वास्तविक लाभार्थियों के पास पहुँचने के बजाय प्रायः अन्य परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल कर ली जाती है।

स्वतंत्रता के 47 वर्षों के बाद भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की स्थिति वैसी ही है और इसकी वजह हमारे संविधान में उनके लिए जिन योजनायों का वादा किया गया था उनका कार्यान्वयन नहीं किया गया है। अनुसूचित जातियों तथा

अनुसूचित जनजातियों की गरीबी के कारण उनका राजनैतिक रूप से शोषण किया गया है। यह कोई ईमानदारी का कार्य नहीं हैं। दलितों की शताब्दियों पुरानी समस्याओं के लिए केवल दिखावटी कार्यवाही की जा रही है। जब कभी हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं तो हम देखते हैं कि सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा है विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के गांवों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कुछ नहीं बदला है। उनकी स्थिति में बिल्कुल सुधार नहीं हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इन वर्षो के दौरान सरकार ने इन लोगों के लिए केवल दिखावटी कार्यवाही की है, और कुछ नहीं किया। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इनका पूर्णतः पालन नहीं किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप आज तक बड़ी संख्या में बकाया पद खाली पडे है। दलित महिलाओं और पुरूषों पर अत्याचार की घटनाएं एक सामान्य बात हो गई है और यह बहुत ही दर्दनाक बात है कि केन्द्र और राज्य इस स्थिति से निपटने में असफल रहे हैं। आज भी कुछ राज्यों में दलितों को जला दिया जाता है। मैं उन राज्यों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ।

महोदय, मेरे विचार में कल्याण मंत्रालय में एक राज्य मंत्री पूर्णतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए होना चाहिए क्योंकि देश के लोगों के सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए 'कल्याण' बहुत व्यापक 'शब्द' है। यही कारण है कि कल्याण मंत्रालय में इनके लिए एक पृथक मंत्री होना चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित समस्याओं को देखने और राष्ट्रीय नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की देखरेख में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर बहुत से आयोग होने चाहिए। मै सुझाव दूंगा कि प्रत्येक पांच वर्ष के बाद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास के उनके स्तरों का मूल्यांकन करने के लिए अजा और अजजा के लोगों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या क्रमशः 13.82 करोड़ और 6.78 करोड़ हैं, जो कि कुल जनसंख्या का क्रमशः 16.48 और 8.8 प्रतिशत बैठता है। यह देश की कुल जनसंख्या अर्थात् 84.63 करोड़ का 24.56 प्रतिशत बैठता है। इन वर्षों के दौरान अ.जा. व अ.ज.जा. की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 25 प्रतिशत हो गई है। अतः अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण 16.5 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए यह 8.5 प्रतिशत अर्थात् यह 25 प्रतिशत होना चाहिए। यह प्रतिशत केवल केन्द्र और राज्यों की सरकारी सेवाओं में ही नहीं बल्कि शैक्षणिक संस्थानों, विधान सभाओं, लोक सभा, राज्य सभा और अन्य कार्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण अन्य 15 वर्षों के लिए भी जारी रहना चाहिए और आरक्षित स्थानों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

इस समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को सबसे अधिक आवश्यकता है शिक्षा और रोजगार की है। क्योंकि आर्थिक दासता से मुक्ति के बिना कोई व्यक्ति, कोई जाति, कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता।

इसके अतिरिक्त, जिन लोगों के पास भूमि है, उन्हें भूमिहीन लोगों विशेषतः अनुसूचित जातियों को भूमि देनी चाहिए। इससे पहले वे झूम खेती किया करते थे । लेकिन अब आरक्षित वनों के कारण, वे लोग विशेषतः अनुसूचित जनजातियां यह नहीं कर पाते। अतः देश में पूर्ण भूमि सुधार कार्यक्रम होना चाहिए और दलितों को भूमि दी जानी चाहिए। अंत में, मैं कहना चाहूँगा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु सैकड़ों वायदे किए गए हैं लेकिन सरकार को इन वायदों को व्यावहारिक क्रम में कार्यान्वित करने में गम्भीरता से लेना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर): माननीय सभापति जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज आजादी के 47 वर्ष बाद भी समाज के जो सबसे दबे और कुचले लोग हैं, उनको भी संविधान के मुताबिक रिगार्ड मिलना चाहिए, लेकिन वह आज नहीं मिल रहा है।

संविधान के आर्टिकल 16, 332 और 340 के मुताबिक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को क्रमशः 12.5 और 7.5 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए, वह भी आज नहीं मिल रहा है, उनकी जगह आज नहीं भरी जा रही है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक अभी केवल 13 प्रतिशत जगह भरी है, बाकी की जगह खाली है। देश के राज्यों से अगर रिपोर्ट ली जाय तो शायद ही कोई राज्य बाकी होगा, जहां हरिजन और अनुसूचित जाति के लड़के पढ़-लिख कर बेकार नहीं बैठे हों। कोई कहता होगा कि बहुत कम पढ़े-लिखे लोग होंगे, लेकिन नहीं, मैट्रिक, बी.ए., एम.ए., डाक्टर, इंजीनियर वगैरह-वगैरह हरिजन और अनुसूचित जाति के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनको नौकरी नहीं दे रही है। अगर सरकार उनकी जगहों को पूरा भर देती, तो संविधान के अनुसार उन्हें जो अधिकार प्राप्त हैं, वह अधिकार उनको मिल जाता।

राज्य सरकारें और भारत सरकार हमेशा एलान करती है कि जो भूमिहीन है, उसे जमीन दी जायेगी लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि देश में इतनी भूमि है कि अगर उस भूमि का गरीबों में बंटवारा कर दिया जाय तो गरीबों को जोतने के लिए जमीन मिल जायेगी। जहां वाम पक्ष के लोगों की हुकूमत है, वहां तो जमीनों का बंटवारा हुआ है, केरल, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में हुआ है, लेकिन अन्य राज्यों में अभी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है, जबकि कानून के मुताबिक जमीन का बंटवारा हो जाना चाहिए। हर राज्य सरकार कहती है कि राज्य सरकार की जमीन का भूमिहीनो में बंटवारा होगा, लेकिन इस काम में कानूनी अड़चन इतनी लगाई गई है, जिससे जमीन का बंटवारा नहीं हो पाता है। मेरे अपने राज्य बिहार में पिछले साल इस मामले को लेकर आन्दोलन हुआ और 40,000 एकड़ जमीन पर गरीबों ने कब्जा किया, उस जमीन का पर्चा भी अभी तक गरीबों को नहीं मिल सका है, इसका मतलब राज्य सरकार जमीन नहीं देना चाहती है। बिहार के मुख्य मंत्री गरीबों को जमीन देना चाहते हैं, वह एलान भी करते हैं लेकिन कानूनी अड़चने इतनी पड़ जाती है, जिसके कारण जमीन का बंटवारा नहीं हो पाता है। अगर

सरकार उन कानूनी अड़चनों को हटा दे, सिविल कोर्ट में मामलों को अधिक दिन तक नहीं रहने दे, स्पेशल कोर्ट कायम करके मामलों को जल्दी निपटाये, जिस जमीन का सूट दाखिल होता है, उसका डिस्पोजल कर दे तो जमीन का बंटवारा जल्दी हो जाय और भूमिहीनों को जमीन जल्दी मिल जाय, लेकिन यह काम नहीं हो पाता।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सरकार गरीबों को जमीन देना चाहती है, उसकी नीयत साफ है और वह चाहती है कि दबे कुचले लोगों का समाज में उत्थान हो तो उनको जोतने के लिए जमीन मिले, उनको दो वक्त का खाना मिले तो लैण्ड रिफोर्म एक्ट को पूरे देश की जमीन पर लागू करे। अगर सरकार यह नहीं करना चाहती है और केवल ढिढोरा पीटती है तो सरकार की नीयत में खामी है, सरकार इस काम को नहीं करना चाहती है।

सरकार ढिढोरा तो बहुत पीटती है कि हरिजन और आदिवासी लोगों के लड़कों को पढ़ने के लिए हम छात्रवृत्ति दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हरिजन और आदिवासियों के लड़कों को अगर छात्रवृत्ति मिलती भी है तो उसका पेमेण्ट समय पर नहीं होता है।

5.00 म.प.

जनवरी महीने के आखिरी में पेमेण्ट होता है जिससे लाचार होकर गरीब हरिजन और आदिवासियों का बेटा पढ़ाई छोड़ देता है और जो शिक्षा उसे प्राप्त करनी चाहिये वह प्राप्त नहीं कर पाता है। गरीब आदमी को जब तक सरकार से ऐड नहीं मिल पाती है तब तक वह अपने लड़के को पढ़ा नहीं पाता है। इसलिये मैं आग्रह करना चाहूंगा कि उनको छात्रवृत्ति समय पर पेड करनी चाहिये। सरकार ने एक व्यवस्था यह कर दी है कि जिस को एक हजार रूपये की आमदनी होगी, उसके लड़के को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। यह चीज गलत है। अगर कोई हरिजन 2 हजार रूपये कमाता है और उसके दो बच्चे हो जाते हैं तो परिवार का पेट भरना उसके लिये मुश्किल हो जाता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसे वापस ले। हो सकता है कि हरिजन जाति का कोई आदमी धनी हो गया हो, इसमें एक्सैप्शन होगी लेकिन अधिकतर अभी भी गरीब हैं। अगर पैसे के अभाव में किसी गरीब का लड़का पढ़ाई छोड देता है तो सरकार को जल्द से जल्द पेमैंट करके उसकी पढ़ाई जारी करनी चाहिये।

सरकार हरिजन गरीब आदिवासियों को सस्ते दर पर कर्जा देने के लिये कानून बनाती है लेकिन बैंक का मैनेजर बिना कमीशन लिये उनको कर्ज नहीं देता है। सरकार का कोई भी विभाग बिना कमीशन लिये उसकी जान नहीं छोड़ता है। आजादी के इतने सालों के बाद भी आप आज तक कोई नियम नहीं बना सके हैं जिससे कमीशन से गरीब आदमी की जान बच सके। कहीं--कहीं यह देखने को मिला है कि जो आदमी बैंक से कर्जा लेता है, वह कमीशन के चलते उसका भुगतान नहीं कर पाता है। कहीं–कहीं तो वह हाफ–हाफ हो जाता है। जैसे हरिजन कालोनी बनने के लिये डायरेक्ट पेमैंट होता है, उसी तरह से बैंक से जो कर्जा मिलता है, उसका भी डायरेक्ट पेमैंट होना चाहिये जिससे कमीशन से उसकी जान बच सके। मैं ऐसे किस्से जितने गिनाऊं, उतने कम होंगे। अगर सरकार की नीयत साफ है और वह चाहती है कि हरिजन आदिवासियों का बिकास हो तो उनके सवालों के ऊपर उसे सोचना चाहिये। उनको शासन में हिस्सेदारी देनी चाहिये।

आज हरिजन आदिवासियों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सा नहीं मिल पाता है और न ही नौकरी में जगह मिल पाती है। आजादी के इतने सालों के बाद भी लोगों का दिमाग खुल गया है। अब कोई बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं है। अगर इस काम को जल्दी नहीं निपटाया जायेगा तो वे लोग आन्दोलन करने पर मजबूर हो जायेंगे। हमारी आबादी 75 परसैंट है लेकिन शासन से हिस्सेदारी 2 परसैंट या 1 परसैंट ली है। जिन की जनसंख्या 15 परसैंट है, उनकी शासन में हिस्सेदारी 90 परसैंट है। यह चीज ठीक नहीं है। मैं सरकार को चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं कि अब वह दिन दूर नहीं है कि जो आदमी बोलता नहीं था, वह माथे पर चढ़ कर बोलेगा। 47 बरस की आजादी के बाद अखबार, संविधान और कानून पढ़ने से उनको इतना ज्ञान जरूर हो गया है कि यह देश हमारा है और हमारा हक कोई दूसरा खा रहा है। उनको पूरी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। अगर कोई नहीं देगा तो वह दिन दूर नहीं जब वे लड़ कर भी अपना हक ले लेंगे। इस देश की धरती को गरीब जोतता है और हरिजन आदिवासी का बेटा जोतता है लेकिन खलिहान दूसरे के खेत में लगता है। अगर बनिहार हल चलाता है तो उसके साथ खेत में कोई छाता लेकर घूमता है। जिस की जमीन है, जिस का अधिकार है, उसको सरकार अधिकार दे। खास तौर से हरिजन आदिवासियों के लिये जो प्रावधान है, उनको ठीक ढंग से लागू करे वरना मैं ऐसा समझता हूं कि जैसे नागपुर का कांड हुआ, वैसे दूसरे कांड भी होंगे। वहां के लोगों ने अपने हक के लिये लड़ाई लडी तो उन्हें गोलियों से भून दिया गया। वह आन्दोलन अभी दबा नहीं है। अगर सरकार इस पर विचार नहीं करेगी तो कोई इलाका बकाया नहीं रहेगा जहां हरिजन आदिवासी अपने हक के लिये लड़ाई नहीं लड़ेंगे, में मांग करता हूं कि जो अधिकार संविधान में हमें प्राप्त है, उन अधिकारों को जल्दी से जल्दी दिया जाए, जिससे कि हरिजन और आदिवासी लोगों का कल्याण हो सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): सभापति महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सरकार जिन बातों के लिए संविधान के प्रतिबद्ध है, अपनी नीतियों के प्रति बद्ध है, उन प्रश्नों पर भी सरकार की दृष्टि निंदनीय है। यह जो अनुसूचित जाति और जनजाति की रिपोर्ट है, इससे साफ जाहिर होता है कि यह 12 साल पुरानी रिपोर्ट है और आज सरकार इस पर चर्चा कर रही है। इस सदन को भी समय नहीं मिलता, समाज को भी समय नहीं मिलता कि इन वर्गों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको दूर कर सके। जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, वे लोग समाज के सबसे गरीब, सबसे दलित, सबसे उपेक्षित और सबसे दुखी लोग हैं। इन लोगों की समस्याओं पर विचार करने के लिए सदन भी समय नहीं निकाल पाता है। मैं इस बात को शुरू में ही कह देना चाहता हूं कि सरकार को और इस सदन को इस बात का निर्णय लेना चाहिए कि हर साल जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिपोर्ट आती है, वह रिपोर्ट हर साल इस सदन में पेश होगी और हर साल उस पर विचार होना चाहिए। रिपोर्ट में कमीशन के द्वारा जो भी सिफारिशें आती हैं, उन पर सरकार को गंम्भीरता के कदम उठाना चाहिए।

हमारी कुल आबादी का 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति का है, जो आज सबसे गरीब है, बेजमीन है, बेमकान है और उसके साथ ही समाज में जो इज्जत इनको मिलनी चाहिए, वह इज्जत और सम्मान भी नहीं है। जमीन नहीं है, मकान नहीं है, लेकिन समाज को जो इज्जत देनी चाहिए, वह इज्जत भी आज तक इनको नहीं मिली है। यह दुर्भाग्य की बात है।

एक बात बहुत साफ हमारे देश को समझ लेनी चाहिए, जब तक हमारे देश के इन वर्गों के लोग, खास कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग और बैकवर्ड क्लास में भी जिनका प्रतिशत बहुत अधिक है और बहुत गरीब हैं, बहुत निर्धन हैं, जब तक ये लोग गरीब रहेंगे, तब तक देश गरीब रहेगा। जब तक ये लोग गरीब रहेंगे, तब तक देश कमजोर रहेगा। इस लिए इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या समझ कर पूरे देश को गम्भीरता से इस सवाल पर विचार करना चाहिए। यह समस्या हमारे समाज में कोढ़ है और इसके लिए हमको एक राष्ट्रीय शर्म होती है। समाज में आप इनकी स्थिति आप देख लीजिए, अलीगढ़ में किनके साथ बलात्कार होता है इन्हीं वर्गों की महिलाओं के साथ। किन पर अत्याचार ज्यादा होता है, इन्हीं वर्ग के लोगों के साथ। किनके मकान जलाए जाते हैं और लाठी चार्ज होता है, इन्हीं वर्ग के लोगों के साथ होता है। आज भी यह समझ कर कि इनके पीछे कोई शक्ति नहीं है, ये कमजोर हैं, इसलिए इनके विरूद्ध इतना अत्याचार होता है। आज इनको अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जो चीजें इनके पास थीं, वे भी छीनी जा रही है। अभी कुछ महीने मिर्जापुर गया था। वहां आदिवासियों की जमीनों पर बड़े साहुकारों ने कब्जा किया हुआ है। बिहार से आकर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से आकर समाज में प्रभावशाली लोगों ने इनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। इसके लिए इनको संघर्ष करना पड़ता है। जब इनके मन में गुस्सा आता है, क्रोध आता है और जब प्रदर्शन करते हैं, तो प्रशासन भी इनके साथ दुर्व्यवहार करता है। लाठी चार्ज हो, गोलियां चले, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई निदान नहीं हो रहा है।

आज भी वे अपनी जमीन से बेदखल किए जा रहे हैं जिन जमीनों पर उनका कब्जा हैं इसलिए कि उन जमीनों की कीमत बढ़ गई है। वह उद्योग–धंधे लग गए है, वहां नयी बस्तियां बसने लग गई हैं उनकी जमीनों का दाम बढ़ गया है उनको उनकी जमीनों से बेदखल करके वहां उन लोगों ने कब्जा कर लिया है, जहां पर उनका कब्जा था क्योंकि उनके पास कोई प्रमाण नही है। वे पढ़े–लिखे लोग नहीं हैं इसलिए वे कोई प्रमाण नहीं दे सकते। वे अदालत में जाकर कोई प्रमाण नहीं दे सकते हैं इसलिए उनको बेदखल करना आसान सा हो गया है। यही नहीं हमारे संविधान मे जिन बातों का प्रावधान किया गया था आज उनको पूरा नहीं किया गया। मैं मुकुल जी और बालू साहब से फिर से कहना चाहता हूं, उन्होंने जरूर पढ़ा होगा कि डॉ. ब्रहमदेव शर्मा ने 1988 में जो रिपोर्ट पेश की में उसमें से थोड़ा सा पढ़ रहा हूं जिसमें उन्होंने आदि से अंत तक इस बात पर दुख प्रकट किया है कि इस समाज के लोगों के साथ जो अन्याय बढ रहा है उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। संविधान में जो बाते कही गई है या हमारे संविधान निर्माताओं ने जो अपने सामने लक्ष्य रखा था या आजादी के संघर्ष के जमाने में हमने जो लक्ष्य रखा था कि हम इस देश से छुआछूत को मिटाएंगे, हम उनके साथ होने वाले अन्याय को दूर करेंगे। हम उनकी स्थिति को सुधारेंगे ताकि दूसरों के बराबर में उनको दर्जा मिल सके। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नहीं हो पाया और इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हम सामाजिक न्याय की बात कहते हैं, बराबारी की बात करते हैं उन्होंने कहा कि केवल उपदेश से कुछ नहीं होगा जब तक उनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे।

महोदय, मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस देश की दौलत में जब तक उनको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक उनकी हालत में सुधार नहीं हो सकता और यह कदम क्योंकि दूसरे देशों ने उठाया है हम क्यों नहीं उठा सकते हैं मलेशिया इसका एक उदाहरण है। मलेशिया के रहने वाले लोग वहां के निवासी व्यापार नहीं करते थे, वहां दूसरे लोगों ने कब्जा किया हुआ था। दुकान नहीं थी, उद्योग नहीं था, सरकारी नौकरी नहीं थी और स्वतंत्र होने के बाद मलेशिया ने आरक्षण न केवल सरकारी नौकरियों में किया उन्होंने कहा कि जितने उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, जितने लाइसेंस इशु होंगे उनमें मलेशिया के रहने वालों को, जिनको इन बातों से वंचित किया गया था उनको उसमें उनकी आबादी के मुताबिक आरक्षण दिया जाएगा। चाहे दुकान के लिए हो, चाहे उद्योगधंधे के लिए हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज ये इस काम को क्यों नहीं कर सकते और अगर आप पैट्रोल पम्प देंगे क्योंकि अब इन्होंने थोडा सा शुरू किया है लेकिन पैट्रोल पम्प के लाइसेंस से इनकी स्थिति नहीं सुधरने वाली है। यही लोग जमीन में अनाज पैदा करते हैं, मेहनत करते हैं इन्हीं की मेहनत से पैदा हुए अनाज से देश का जीवन चलता है पर इनके पास जमीन नहीं होगी, जमीन का मालिक कोई और होगा और मेहनत करने वाले ये होंगे। इनकी मजदूरी के लिए जो कानून बनेगा, निम्नतम मजदूरी का, वह कभी लागू नहीं हो सकता। आज भी देश के विभिन्न भागों में सरकार के कानून मिनिमम वेज के बने हुए है लेकिन वे लागू नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आज भी समाज पर जो लोग कब्जा करके बेठे हुए हैं वही जमीन के मालिक हैं, उद्योगधंधों के, व्यापार के मालिक हैं उन्हीं लोगों ने सब जगह कब्जा कर रखा है तो कौन इस कानून को लागू करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के 48 वर्षों बाद भी हमारे इन वर्गों की हालत दयनीय है इसका एक ही कारण है कि इस देश के राष्ट्रीय साधनों में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। अगर सरकार और संसद को कुछ करना है तो हमको इस बात पर नये सिरे से विचार करना होगा कि हम कैसे उनको इस देश के साधनों में हिस्सेदारी दें।

आज यह सबसे बड़ी शिकायात है। आज झोपड़ी किसकी है। मेरे क्षेत्र में 5–6 महीने पहले 24 घंटे में 19 इंच बारिश हो गई थी, जितनी पिछले 100 वर्षों में कभी नहीं हुई थी। मैं अपने क्षेत्र का दौरा करने गया और मैंने देखा कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों का ही अधिकतर नुकसान हुआ। 90–95 फीसदी पीड़ित यही लोग थे। क्योंकि, झोपड़ी इन्हीं के पास है, कच्चे मकान इनके ही हैं और खपरैल की मरम्मत इन्हीं की नहीं हो पाती। इन लोगों के सब मकान टूट गए। मैंने निरंतर प्रयास किया कि केन्द्र से कुछ सहायता मिल जाए। मैंने प्रधान मंत्री जी को भी पत्र लिखा। आमतौर पर प्रधान मंत्री जी का जवाब आता है, परंतु इस पत्र का उत्तर भी मुझे उनके यहां से प्राप्त नहीं हुआ। मुख्य मंत्री जी मेरे दोस्त हैं, उनको भी मैंने पत्र लिखा, उन्होंने भी कोई सहायता नहीं की। एक

साधारण सा उत्तर आया कि सरकार आवश्यक कदम उठा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। मैं कई दिन अपने क्षेत्र में घूमता रहा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने मित्रों की सहायता से कुछ साड़ियां, कंबल और धोतियां इकट्ठी कीं, लेकिन पीड़ितों की संख्या इतनी अधिक थी कि मैं 10 फीसदी की मदद भी नहीं कर पाया। मैंने देखा कि बच्चे को गोद में लेकर स्त्रियां घंटों लाईन में इस इंतजार में खड़ी रहती थीं कि उनको एक साड़ी मिल जाए, बूढ़े और अंधे इस इंतजार में घंटों खड़े रहे कि उनको सर्दी से बचने के लिए एक कंबल मिल जाए, परंतु अधिकांश को निराश लौटना पड़ा। आज हम चाहे नई आर्थिक नीति ले आएं, समाजवाद की नीति ले आएं, सार्वजनिक क्षेत्रों में कुछ कर लें, लेकिन जब तक 25–30 प्रतिशत अनुसूचित जाति–जनजाति तथा 10 प्रतिशत अत्यंत पिछड़े वर्ग, इस 35 प्रतिशत जनसंख्या जो निहायत पिछड़ी हुई है, इनके लिए काम नहीं करेंगे, तब तक इनकी स्थिति दयनीय ही रहेगी और देश का विकास नहीं हो सकता है।

सभापति महोदय, इस बारे में हमको चीन से सीखना पड़ेगा। यदि गांव में 2000 की आबादी है और वहां पर उपलब्ध जमीन से 1000 लोगों का निर्वात हो सकता है, तो 1000 लोगों को वह जमीन दे दी जाती है और बाकी लोगों को नौकरी, उद्योग और व्यापार में लगा दिया जाता है। जब तक हम इस तरह की प्लानिंग नहीं करेंगे, जब तक दिल्ली और राज्यों की राजधानियों में बैठ कर योजनाएं बनती रहेंगी, तब तक इन योजनाओं का लाभ गांवों तक नहीं पहुंचेगा। आज योजनाओं का सबसे अधिक लाभ उसको हो रहा है, जो मजबूत है, शक्तिशाली है। मैं नहीं कहता कि किसी की जमीन छीन लीजिए। लेकिन किसी के पास नौकरी भी है, व्यापार भी है, उद्योग भी है, बड़े–बड़े बंगले भी है, फार्म है, जहां पर वे महीने में एक बार आराम करने के लिए जाते हैं, इसको आपको देखना होगा। आज हम कहा पर हैं, किस तरह का यह मजाक हो रहा है, इसके लिए हम कुछ कदम उठाएंगे या नहीं।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज लोगों में असंतोष है और स्थिति विस्फोटक हो रही है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि गरीब बेजमीन है, उसके पास साधन नहीं है, लेकिन उसके अंदर आज आत्मसम्मान जाग रहा है, उसको अपने व्यक्तित्व की पहचान हो रही है, एक शक्ति बन रही है, वह अपनी आवाज उठा रहा है और अगर समय पर हमने उसकी आवाज को नहीं सुना तो इसका नतीजा बहुत खतरनाक और विस्फोटक हो जाएगा, जिससे हमारा प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा, हमारी व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। आज हम देश में सारी जगहों पर देख रहे हैं कि चारों तरफ असंतोष फैल रहा है और स्थिति विस्फोटक हो रही है, उसका यही कारण है।

नागपुर में जो घटना हुई, वह महज आंख खोलने वाली है। वहां जो लोग शिकायत लेकर गये थे, घरों किसी जिम्मेदार आदमी ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्हें लगा कि हम यहां आये हैं, जहां विधान सभा चल रही है, जहां उनकी सरकार है, जहां सारा मंत्रिमंडल है, जहां सारे अधिकारी आये हुए हैं, वहां वे अपना दुःख–दर्द लेकर गये। लेकिन किसी ने नहीं सुना। जब उन्हें लगा कि उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, तो नौजवानों में हलचल पैदा हुई और उनमें असंतोष की भावना आई। इस वजह से उन्होंने गुस्से का इजहार किया तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। आप देखिये, वहां जो लोग गये थे उनमें से अधिकांश कौन थे, जिनकी गोद में बच्चा था, जो बूढ़े थे और बीमार थे, ज्यादातर मरने वाले भी वही लोग थे। वे इस उम्मीद से वहां गये थे कि हमारी बात सुनी जायेगी। मैं दुखी दिल से कह रहा हू कि हम इस दर्द को पहचान नहीं रहे हैं। उन वर्गों को नहीं पहचान रहे हैं जिनके साथ इस देश में हजारों साल से अन्याय हो रहा है। जिनका जीवन हमने कुत्ते और बिल्ली के जीवन से भी बदतर समझा है। वैसे हमने अपने समाज की महत्ता का बड़ा बखान किया है। हमने संसार में कहा कि हम सभ्य लोग हैं और हम अपनी संस्कृति का गौरव है। मुझे भी अपनी संस्कृति और दर्शन पर गर्व है। लेकिन एक तरफ तो हम अपने भारतीय होने पर गर्व करते हैं और दूसरी तरफ इनसान के बच्चे से ही नफरत करते हैं। मंदिर की ईंट बनाने वाली या मंदिर में मूर्ति के लिए पत्थर तराशने वाले लोगों को जब हम उस मंदिर में मूर्ति की स्थापना करते हैं तो उन्हीं लोगों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर देते हैं। क्या यही हमारी महान संस्कृति है? मैंने स्वयं देखा है कि ये लोग कुत्ते और बिल्ली के जूठे बर्तन को धोकर उसमें खाते पीते थे। मैंने बचपन में यह सब अपनी आंखों से देखा है और यह दर्द अपने दिल में पाला है। अगर किसी दलित के बेटे या बेटी ने गलती से हमारा बर्तन छू दिया तो उसके ऊपर लाठियां बरसती थीं, जूतों से उससे बात होती थी और उसकी झोंपडी को उखाडकर फेंक दिया जाता था।

मुझे याद है जब मैं सातवी या आठवीं कक्षा का विद्यार्थी था, मेरे पिताजी तब सिंगापुर में रहते थे। मेरे गांव के ही एक अन्य लड़के के पिताजी भी सिंगापुर रहते थे, वे लोग अनुसूचित जाति के थे। एक बार हम दोनों अपने–अपने पिताजी के भेजे हुए मनी–आर्डर को लेने गये थे। डाक–घर में चारपाई पर हम नहीं बैठ सकते थे, इसलिए हम दोनों लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। थोडी देर के बाद पोस्ट मास्टर साहब नहाकर आये। मुझे तो वे पहचानते थे कि मैं किसका बेटा हू, उन्होंने दूसरे लड़के से कहा कि तुम किस के बेटे हो, इस पर उस लड़के ने अपने पिताजी का नाम बताया। इतना सुनते ही कि वह अनुसूचित जाति के आदमी का लडका है, उस पोस्ट मास्टर ने अपने पांव से लकड़ी की खड़ाऊ उतारी और गाली देकर कहा कि मेरे दरवाजे पर आकर तुम यहां कुर्सी पर कैसे बैठ गये, तुम्हें तो जमीन पर बैठना था, इसके साथ ही उसकी पिटाई शुरू कर दी। वह अपने पिता की कमाई लेने गया था। उसमें से भी उसको पैसे देने पड़ते थे। तो हम इस जमाने से गुजरे हैं। मैं आज भी कहना चाहता हू कि अभी भी हम इस मनोवृत्ति को बदल नहीं पाये हैं। यह तब बदलेगी जब वे लोग संगठित होंगे और आज वे संगठित हो रहे हैं।

एक–एक कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में और अनुसूचित जाति और जनजाति के राष्ट्रीय आयोग ने बराबर शिकायत की कि हमारे पास अधिकार नहीं है।

हम राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगते हैं तो वे देते नहीं हैं और भारत सरकार का मंत्रालय भी समय पर रिपोर्ट नहीं देता है। हमें कांस्टीट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिये ताकि उनको बुला सकें और उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकें। परन्तु इस पर एक्शन लेने में

42 साल क्यों लग गये? इस बात को सरकार ने मानने में देर क्यों की कि इसको कांस्टीट्यूशनल स्टेटस दे। इतने दिनों तक लड़ाई की, तभी जाकर मिला। चूंकि अब इन वर्गों में चेतना पैदा हुई है और ये संगठित हो रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं तो सरकार ने इनकी मदद करने का मन बना लिया। इसके लिये सरकार एक नयी परिस्थिति पैदा कर सोचने पर मजबूर हो रही है। तो बुनियादी रूप से संघर्ष करना पड़ेगा और अब वे संघर्ष के रास्ते पर जा रहे हैं और यदि संघर्ष करके ही उनको न्याय मिला तो हमारी सरकार की सारी घोषणाएं और नीतियां और उच्च आदर्श किसी काम के नहीं होंगे अगर हमारे दिल में यह दर्द पैदा नहीं हुआ कि हमने समझदारी से काम नहीं लिया।

सभापति महोदय, सात साल तक कमिश्नर का पद खाली पड़ा रहा और आज हम जिस रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं, उसके लिये यह जरुरी है कि यह पद रिक्त नहीं रखा जाये। क्या इसके लिये कोई योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं था? नहीं, सरकार का दृष्टिकोण सही नहीं था। इससे तो भारी नुकसान हुआ है। इसलिये मैं तीन–चार सुझाव रखना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि बालू साहब इन सुझावों को सरकार के सामने रखेंगे ताकि इसपर विचार हो सके।

जहां तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के प्रथम श्रेणी के लिये नौकरियों में आरक्षण का सवाल है तो यह पिछले वर्ष से पूरा होने लगा है लेकिन उस 22.5 प्रतिशत आरक्षण को 25 या 26 प्रतिशत आबादी के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिये। सरकार को इसके लिये संविधान में संशोधन करना चाहिये।

जिन श्रेणियों के अंदर आरक्षण पूरा नहीं हुआ है, उसके लिये संवैधानिक उत्तरदायित्व पूरा करते हुये स्पेशल रिक्रुटमेंट करके आबादी के अनुसार सभी श्रेणियों में आरक्षण पूरा किया जाये।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो भ्रम पैदा हुआ है, उसके लिये इन लोगों को संविधान में अधिकार मिला हुआ है और उससे जो नुकसान हुआ है, कल्याण मंत्री और उनके सहायक मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि वे आरक्षण को उसी तरीके से लेंगे लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत से विभाग ऐसे हैं जिनमें मानसिकता नहीं बदली है और वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विरोधी हैं। वे लोग हर संभव रास्ता ढूंढते हैं कि किस प्रकार से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के रास्ते में अड़ंगा पैदा करें। इसका उदाहरण यह है कि वे हमारे पास भाग–भाग कर आते हैं कि उनकी फाईल बिगाड़ देंगे, उन पर गलत आरोप लगा देंगे ताकि वे निकम्मे साबित हों और उनको नौकरी न मिले या प्रोशन न हो। कितने ही जजों पर यह आरोप लगा दिया कि उन्होंने पैसा ले लिया। और आज देश में अरबों रूपये की घूंसखोरी हो गयी लेकिन अपराधी आज तक नहीं पकड़ा गया लेकिन गरीब आदमी–चाहे कर्मचारी हो किसी पर कोई आरोप लगा दिया, सही साबित हुआ हो या नही हुआ हो, उसकी फाईल बिगाड़ के रख दी ताकि उसका प्रोमोशन न हो सके। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के जितने भी रिप्रजेंटेशन आते हैं, उस पर कार्यवाही करनी चाहिये।

चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि भूमि सुधार में इंकलाबी सुधार की आवश्यकता है। अभी जैसा मैंने कहा कि इसमें हिम्मत की जरूरत है, आप कहिये कि जिनके पास दूसरे साधन मौजूद हैं, आय *के दूसरे साधन मौजूद हैं, उनसे भूमि लेकर ऐसे गरीबों में वितरित की जायेगी जो बिल्कुल साधनहीन हैं, जिनके पास आय के कोई* साधन नहीं हैं। आप ऐसे लोगों को कुछ साधम तो उपलब्ध कराइये। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिनके पास साधन नहीं हैं उन्हें जमीनें दी जायें लेकिन आज स्थिति यह है कि बैंक उन्हें कर्जा नहीं देते हैं। आपके विभाग में फैसला ले लिया गया है कि उन्हें मकानों के मामले में प्राथमिकता दी जायेगी लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को मकान नहीं दिये जाते हैं। कमिश्नर की रिपोर्ट में अनेक स्थानों पर इस बात को कहा गया है लेकिन इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जाती। जो कर्मचारी अपने विभाग के प्रधान हैं, यदि उनके विभाग में इस तरह की गलतियां होती है तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। हम यहां मिनिस्टीरियल रिस्पौन्सिबिलिटी को लेकर रोज जिम्मेदारी फिक्स करने की बात करते हैं, इस्तीफा देने की बात करते हैं मगर जो कर्मचारी हैं, विभाग के प्रधान हैं, वेतनभोगी हैं, जिन्होंने न्याय करने की शपथ ली है यदि वे अपने विभाग के किसी फैसले को, सरकार की नीति को लागू नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये और संसद को मालूम होना चाहिये कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है। यह व्यवस्था सरकार को अवश्य करनी चाहिये।

मैं अब आखिरी सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार को एक बार गम्भीरता से नेशनल पौलिसी फार अपलिफ्टमेंट ऑफ शैड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स बनाने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जहां आपने इस सदन में एजूकेशन के संबंध में, टेली–कम्युनिकेशन के संबंध में नेशनल पौलिसी पेश की है, मेरी मांग है कि उसी तरह एक नेशनल पौलिसी फार अपलिफ्टमेंट ऑफ शैड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स भी पेश की जाए ताकि इन लोगों को सोसायटी में समान स्टेटस मिल सके, सोश्यल जस्टिस मिल सके, डिग्नीफाइड जिन्दगी जीने का अवसर मिल सके और हम अपने संविधान में प्रदत्त नेशनल कमिटमेंट को पूरा कर सकें ताकि हमारा देश एज ए हाल एक मजबूत देश बन सके और हम यहां एक मजबूत, प्रौस्परस तथा डिग्नीफाइड सोसायटी का निर्माण कर सकें। यह ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा सवाल है।

मुझे खुशी है कि हमने अपने देश में ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन किया है मगर वह सिर्फ नाममात्र का ही ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं रहना चाहिये, उसका कार्यक्षेत्र सिर्फ यहीं तक ही सीमित न रहे कि कहां पुलिस ने ज्यादती की, कहां टाडा का दुरूपयोग हुआ क्योंकि सबसे बड़ा ह्यूमन राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है, राइट टू सोश्यल जस्टिस है, ईक्वैलिटी का राइट है, जिसकी व्याख्या हमने संविधान में की है। हम सारी दुनियां में प्रचार करते हैं कि ह्यूमन राइट्स की हमारी एप्रोच दूसरी है, हम कहते हैं कि गरीबी भी इनह्यूमन है, औपरेशन भी इनह्यूमन है। मैं कहना चाहता हूं कि यह एक ह्यूमन राइट्स का सवाल है, एक राष्ट्रीय समस्या है जिसके संबंध मे हमें एक राष्ट्रीय पौलिसी बनाने की आवश्यकता है और उसे इस सदन में पेश किया जाना चाहिये।

मेरा अनुरोध है कि आगामी बजट सत्र में सरकार इस तरह की

नेशनल पौलिसी लाये और इसके साथ–साथ जो बैकवर्ड क्लास के सवाल हैं क्योंकि 40–42 साल के बाद हमारे यहां मण्डल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई लेकिन उसके इम्पलीमेंटेशन में कितनी दिक्कतें पैदा की जा रही हैं। हमारे नौजवान उम्र में छूट के लिये दौड़ रहे हैं, उन्हें परीक्षा में बैठने के लिये दो महीने की छूट चाहिये, वे चाहते हैं कि दो महीने इम्तहान को और टाल दिया जाये लेकिन देर से फैसला करने के बावजूद उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही है।

मेरा निवेदन है कि हमारी जितनी नीतियां हैं, उन पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये, मैं इस समस्या को केवल सरकार पर ही नहीं छोड़ना चाहता हूं, मैं संसद से भी कहना चाहता हूं, सभी पार्टियों से कहता हूं कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है और जब तक हम सब मिलकर इसका समाधान नहीं करेंगे हमारा देश आधुनिक देश नहीं बन पायेगा, न मजबूत देश बन पायेगा और न इस देश का गौरव बढ़ेगा। हमारा देश उस समय तक कमजोर रहेगा जब तक मेहनत करने वाले इस देश में दौलत से वंचित रहेंगे, उचित सम्मान, इज्जत से वंचित रहेंगे, न्याय से वंचित रहेंगे। हमें इन दोषों को दूर करना होगा। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सरकार कम से कम आज 12 साल बाद कमिश्नर की रिपोर्ट पर जब यहां चर्चा करा रही है तो इसमें की गयी संस्तुतियों की रोशनी में तथा जो सुझाव मैंने यहां प्रस्तुत किये हैं, उनकी रोशनी में कुछ प्रभावी कदम उठायेगी।

श्री प्रभूदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मैं एक मिनिट का समय चाहता हूं। मैं अलीगढ़ के दौरे पर गया था। वहां की घटनाओं को जो भी आदमी सुनेगा उसका दिल दहल जाएगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अभी नहीं। मैंने समझा आप कोई अन्य मुद्दा उठाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात समझिए। आप अभी कोई मुद्दा नहीं उठा सकते हैं। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाइए। सभा इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रही है। श्री माणिकराव होडल्या गावीत बोलें।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दरबार) : माननीय सभापति महादेय, आज हम अनुसूचित जाति और जनजाति की रिपोर्ट पर इस सदन में बहस कर रहे हैं। इस रिपोर्ट पर बोलने के लिए आपने मुझे भी समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं खुद आदिवासी हूं। मैंने यहां पर अपने सभी साथियों के विचार सुने। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को संविधान में जो अधिकार प्राप्त हुए हैं उस हिसाब से भी हमको संरक्षण मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, हमारी उन्नति के लिए बहुत कुछ योजनाएं बनाई गई हैं और उनको गांवों तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। जो पढ़े–लिखे नौजवान हैं उनको आरक्षण के हिसाब से नौकरी देने के लिए भी संविधान में अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन हमारी केन्द्र सरकार ने संविधान के अनुसार नौकरी देने के लिए जो निर्देश जारी किए हैं उन पर हमारी राज्य सरकारें कहां तक अमल करती हैं, इसको भी देखना चाहिए।

महोदय, हमें इस बात का दुख है कि राज्य सरकारें, जो केन्द्रीय सरकार की ओर से हमारे लोगों के कल्याण की योजनाओं के लिए धनराशि देती है, उस योजना को ठीक से कार्यान्वित नहीं किया जाता है और जो राशि ट्राइबल प्लान में दी जाती है, उसे नान–ट्राइबल प्लान में राज्य सरकारें खर्च कर देती हैं। यह हमने कई स्थानों पर देखा है। जो इंडीविजुअल योजनाएं अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मिलनी चाहिए, वे उनको नहीं मिलती हैं और उनके नाम पर दूसरों को दे दी जाती है। यह भी हमने देखा है।

महादेय, जो कल्याण मंत्रालय है यह पहले गृह मंत्रालय के अन्तर्गत था। इसके सम्बन्ध में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वे कहते हैं कि पहले वाला सिस्टम ठीक था, लेकिन हमारी स्वर्गीय राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी जी ने यह कल्याण मंत्रालय एक अलग मंत्रालय के रूप में इसलिए बनाया ताकि यह अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए अच्छा काम करेगा, न्याय देगा, ऐसी उम्मीद से ही इसे अलग किया था।

मुझे खुशी है कि हमारे मंत्री महोदय यहां न्याय देने का काम कर रहे हैं। वह धनराशि भी प्राप्त करा रहे हैं लेकिन जहां यह स्कीम कार्यान्वित होनी है वहां राज्य सरकारों की कमी है, ऐसा मुझे लगता है। हमारे प्रधानमंत्री जी को या कल्याण मंत्रालय को देखना चाहिए कि उन्होंने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वे सब पूरी तरह से उनके पास पहुंच रही हैं या नहीं? क्योंकि हम यह मानते हैं कि यहां का कल्याण मंत्रालय महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में जाकर काम नहीं करता है। लेकिन वहां की सरकार में भी कल्याण मंत्रालय है। जहां ट्राइबल्स एरिवाज है वहां भी कल्याण मंत्रालय है। हमारी अनुसूचित जाति व जनजाति की योजना को कार्यान्वित करने के लिए वहां जो अधिकारी रखे जाते हैं, उनको उस जाति जमाति के बारे में कुछ आभास भी होना चाहिए।

हमारे यहां महाराष्ट्र में बोलते हैं कि "अनुसूचित जाति विमुक्त भटके जमाति" अर्थात एक ही लाइन में सबको रखते हैं कि वह अनुसूचित जाति भी है और विमुक्त भटके भी ऐसा भी। देखने में आया है कि हमारे आफिसर्स के नोटिस में कुछ भी नहीं है कि यह ऊपर से आया हुआ ऋण है या ऊपर से आया हुआ पैसा, जिसे वहां तक पहुंचाना है। वहां कैसे खर्चा होता है, उसको भी कोई देखने वाला नहीं है। चाहे नौकरी में भर्ती का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो या कोई बैकलॉग का सवाल हो, सब में ऐसा ही देखा जाता है, ऐसा मेरा अपना अनुभव है।

इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आपका जो कल्याण मंत्रालय है उसको ज्यादा स्ट्रांग व ज्यादा पावर देनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अनुसूचित जाति के लिए जो कल्याण मंत्रालय है, उसको और ज्यादा पावर दें तथा जो धनराशि अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए दी जाती है, उसका उपयोग अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को पूरा मिले, ऐसी भी व्यवस्था की जाये।

सभापति जी, मेरी सरकार से विनती है कि यहां पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति व जमाति के लोगों के लिए जो 20 सूत्री प्रोग्राम हैं, उससे भी उनको पूरा लाभ मिले। हमने यह भी देखा है उन अधिकाररियों को साल में जितना काम दिया जाता है, वे उतना ही काम करेंगे। हमारी सरकार इधर यह बोलती है कि हम धनराशि कम नहीं पड़ने देंगे। वह कम भी नहीं पड़ती है लेकिन राज्य सरकारों से जो अधिकारी यहां पर काम करते हैं, उनका यह समाज अनुसूचित जाति व जमाति के लोगों को दूसरी जाति के बराबर ले जाने के लिए सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, उस पर वे दिल से काम नहीं करते हैं।

गलती करने पर उनसे कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं लिया जाता है। वे दिनभर नौकरी करते हैं लेकिन काम हुआ या नहीं, योजनाएं उन लोगों तक पहुंची या नहीं, उसका हिसाब लेने वाला भी कोई नहीं है।

शिक्षा के मामले में अनुसूचित जाति से ज्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग पीछे हैं। हमारे देश में नवोदय विद्यालय जैसी शिक्षा अच्छी आई है लेकिन मानव संसाधन मंत्रालय पूरे देश में नहीं देख पाता है कि उसका काम कैसे हो रहा है। कहीं–कहीं पर सालों–साल शिक्षकों की भर्ती नहीं होती जिससे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसे भी देखना चाहिए। अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए अच्छी–अच्छी योजनाएं बनाई गई हैं लेकिन उनका कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। केन्द्र और राज्य सरकारों के दफ्तरों में, गवर्नमैंट अंडरटेकिंग्स में नौकरियों का बैकलॉग बहुत है। हर राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक और महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति, जनजाति का बहुत बैकलॉग है और वहां पर जो संस्थाएं काम कर रही हैं, वे अफसरों को बैकलॉग के बारे में नाम भी नहीं निकालने देती। कल्याण मंत्रालय को यह भी देखना चाहिए और हर राज्य के मुख्यमंत्री, चीफ सैक्रेटरी के ध्यान में भी यह बात लानी चाहिए।

यहां पर बहुत से मित्रों ने कहा कि महाराष्ट्र के नागपुर में गोवारी जमात के लोगों की, जो जलूस निकाल रहे थे, भयंकर मौत हुई। इसका मुझे दुख है। मैं समझता हूं कि वे यह कहना चाहते थे कि हमें भी अनुसूचित जाति, जनजाति में जोड़ा जाए। ... **(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, इतने गंभीर मसले को बहुत ही हल्के ढंग से लिया जा रहा है।

श्री माणिकराव होडल्या गावी : गंभीर मसला तो है। ... **(व्यवधान)** मेरे पास कागज है।

प्रो. रासा सिंह रावत : भोले–भाले लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया उसके बावजूद ऐसा कहा जा रहा है। **(व्यवधान)**

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : आप प्रोफैसर हैं, मुझे मालूम है। जो लोग जलूस निकालकर अपनी मांग रखना चाहते थे, उनके साथ क्या हुआ, यह तो इन्क्वारी करने पर पता चल जाएगा। **(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत : वे भोले–भाले थे, तौर–तरीकों को नहीं जानते थे। उनको पुलिस ने धक्का दिया। ...**(व्यवधान)**

...**(व्यवधान)**

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : सरकार की बात तो सरकार कहेगी न। हमारी बात तो हमको रखने देंगे या नहीं? हमारी बात रखने का भी हमको अधिकार नहीं है? हमको इस बारे में बहुत बड़ा दुख है। लेकिन वह शैड्यूल्ड ट्राइब्स के नहीं थे, वह शैड्यूल्ड ट्राइब में आने के लिए मांग कर रहे थे, यह मैं कह रहा था।

प्रो. रासा सिंह रावत : वह पहले भी शैड्यूल्ड कास्ट में थे।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : नहीं थे। हमारे पास गवर्नमेंट का जवाब है, हमारे पास सब कागज हैं, हम ऐसे ही नहीं आये हैं मैं भी शैड्यूल्ड ट्राइब का हूं। मैं यह बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरा मुद्दा यह नहीं था, मेरा मुद्दा अलग था कि ऐसे भी लोग हैं कि जो हमारे एस सी और एस टी के लोगों पर हमला करते हैं।

श्री कालकादास (करोल बाग) : सभापति जी, इसके लिए अलग से नोटिस दिया गया है, इसको यह यहां ऐसे हल्के ढंग से प्रस्तुत न करें। मांग करना कोई बहुत बुरी बात नहीं है और मांग करने का अर्थ यह नहीं है कि आप लोगों को गोलियों से मार दें। यह अभी इस पर चर्चा न करें, इस पर हाउस में चर्चा होनी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कई माननीय सदस्य इस पर बोले हैं। श्री माणिकराव होडल्या गावीत उस राज्य से हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप पहले उन्हें सुनिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस तरह चिल्लाने की कोई बात नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए। आपको पहले उन्हें सुनना होगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उन्हें क्यों नहीं सुनते?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : यहां हमारे एक दो मित्रों से बातें हुई तो उन्होंने कहा कि वह आदिवासी थे, इसलिए मुझे बोलना पड़ा, वरना मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं तो अनुसूचित जाति, जमाती के लोगों की जो कठिनाइयां हैं, वह यहां पर रख रहा था।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : इन्सानियत के खिलाफ अत्याचार नहीं होना चाहिए, इसलिए इस घटना पर जो कोई भी बोलेगा, वह यही बोलेगा, कि इन्सानियत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि हमारा बैकलाग बड़ी–बड़ी संस्थाओं में, राज्य की

शैक्षणिक संस्थाओं में, महाविद्यालयों में, पब्लिक अंडरटेकिंग्स में भरा जाना चाहिए।

इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं। मुझे आपने इस विषय पर विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय सभापति जी, यह जो चर्चा चल रही है, अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसकी महत्ता तो हम सब मानते हैं, हम जानते भी हैं कि मनुष्य को मनुष्यता का अधिकार मिलना चाहिए, इन्सान और इन्सान में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। यदि इन्सानियत नहीं है तो इन्सान की जिन्दगी का कोई मतलब भी नहीं है, इसलिए यह जो रिपोर्ट है, 1982–83, 1983–84, 1984–85 और 1985–86, कम से कम हमने इस पर चर्चा करने के लिए मौका तो दिया।

हम यह जानते हैं कि प्रजातंत्र का जो तरीका है, वह हर आदमी के लिए सुरक्षा करने का है और जैसा कि हमने भारत के संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात कही है, वह सब को मिलना चाहिए। किसी भी हिन्दुस्तानी को, किसी भी इन्सान को, किसी भी नागरिक को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि गैरबराबरी इन्सान और इन्सान के बीच में है। यह जो मसला है, यह सीमित है। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का मसला है। हम जानते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग सदियों से, परम्परा से पिछड़े, दलित, शोषित, पीड़ित हैं, उनके बारे में इस समाज का विचार आजाद हिन्दुस्तान में होना ही चाहिए। जब हम विचार करते हैं तो व्यापक विचार हम करते हैं। विचार करना ही प्रजातंत्र की प्रक्रिया है, किन्तु इसके लिए जो कार्य करना चाहिए, उनकी जिन्दगी में तब्दीली लाने के लिए जो प्रयास किया जाना चाहिए, उसे जब तक हम यथार्थ रूप में क्रियान्वित नहीं करते, तब तक यह सारा विचार सार्थक नहीं होगा।

"प्रतिबंध लगे हो जीने पर समता का अधिकार नहीं,

उसका जीना भी क्या जीना जिस को मानव अधिकार नहीं"

आज भी मनुष्य पशुओं की जिन्दगी जी रहे हैं। हम संसद में बोलते हैं तो सारा देश उसको सुनता है। दूर–दराज के इलाकों में रहने वाले इन्सानों के बारे में किसी को आज कोई फिक्र नहीं है। आज भी उनके जीने के वही तौर–तरीके हैं। आज भी वे आदमी जैसे पहले अपनी जिन्दगी गुजर–बसर करते थे, वैसे ही अभी कर रहे हैं। उनमें कोई तबदीली नहीं आई है। उनमें कोई परिवर्तन की किरण नहीं पहुंची है। वे आज भी अंधकार में हैं। उनके नाम की जितनी योजनायें चलती हैं वे उन तक नहीं पहुंचती हैं। हम उनके लिये मकान की बात करते हैं लेकिन उनके मकान एक बरसात के बाद समाप्त हो जाते हैं। इन कमजोर वर्ग के लोगों के लिये जो मकान बनाये जायेंगे वे इतने कमजोर होंगे कि एक बरसात भी बर्दाश्त नहीं कर पायेंगे तो आगे और ऐसे मकान बनाने का क्या फायदा होगा। आपकी योजनाओं का यह हश्र होगा तो कैसे उनके अच्छे जीवन की आशा कर पायेंगे।

रोजी रोटी का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। रोटी, कपड़ा और मकान भी आवश्यक बातें हैं। वे रोटी कमाने कहां जायेंगे? बहुत सी योजनायें चलती तो हैं लेकिन वे बीच में ही बंद हो जाती हैं। आपने कहा कि बेकार प्रथा समाप्त हो गई है लेकिन वह किसी न किसी रूप में जारी है। वे बन्धुआ की तरह काम करने के लिये मजबूर किये जाते हैं। वे बन्धुआ रहेंगे तो आजाद हिन्दुस्तान में आजाद नागरिक की तरह कैसे गुजर–बसर कर पायेंगे।

इन प्रतिवेदनों में जो सारी बातें आई हैं, उनको सिलसिलेवार समझ कर पूरा करने के लिये कोई प्रोग्राम नहीं बनाया गया है। उसको समयबद्ध कार्यक्रम के साथ सम्बद्ध नहीं किया गया तो निश्चित रूप से ऐसे प्रतिवेदनों पर बहस करना और बहस के बाद विषय को समाप्त करना कोई काम नहीं होगा। यहां सरकार बैठी हुई है। वह नीतियों को कार्यान्वित करती है और लागू करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे लोगों को ऊपर उठाने के लिये उपाय भी सुझाती है।

लोकतंत्र हमारे लिये निश्चित रूप से गर्व और गौरव की बात है जिसे जनतंत्र कहते हैं, परन्तु तंत्र जन के कल्याण के लिये होना चाहिये। हम आज तक ऐसा शुद्ध तंत्र स्थापित नहीं कर पाये जिससे लोक कल्याण की बात सभी लोगों तक पहुंचाने की बात कर सकें। इस कारण आज भी शोषण समाज में है।

"शोषण मुक्त समाज रचना का प्रतिबंध हमें स्वीकार नहीं,

मनुष्य विभेद को विवश करें ऐसे बंधन स्वीकार नहीं,

शोषित, पीड़ित, दलित अकिंचन स्वतंत्रता के यह अर्थ नहीं,

व्यक्ति–व्यक्ति समृद्ध न हो तो गणतंत्र का कोई अर्थ नहीं,

न्याय स्वतंत्रता, समता, बंधुता सब को सभानता का अधिकार,

इससे कम में समझौता कैसा स्वर्ग मोक्ष से भी इंकार"

जब तक हम न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता नहीं दिला पायेंगे तो ये सारी की सारी बातें बेमानी हो जायेंगी। सारी की सारी रिपोर्ट जिस पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं, इसको कारगर ढंग से लागू करने के लिये और सार्थक बनाने के लिये अनेक उपाय करने पड़ेंगे। इसके लिये समयबद्ध कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, सरकार को अवसर पैदा करने पड़ेंगे।

आज हमारे खेतिहर मजदूरों की हालत ठीक नहीं है। वे दलित, शोषित और पीड़ित हैं। इनके बारे में अगर कोई सार्थक विचार नहीं हुआ और उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिये प्रयास नहीं किया गया तो वे गरीब बने रहेंगे, दलित रहेंगे, अकिंचन रहेंगे, शोषित और पीड़ित होते जायेंगे। अन्याय उन्हीं पर होता है जो शोषित होते हैं और जो समाज में समता का अधिकार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इनको अधिकार दिलाने के लिये निश्चित रूप से उपाय किये जाने चाहिये। उनको रोजी कैसे मिले इसके उपाय ढूंढे जाने चाहिये। वे रोजी की तलाश में जाते हैं तो उन पर अन्याय होता है, उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है। आपने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है जिससे उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिल सके। गांवों में रहने वाला आदमी न्यूनतम मजदूरी प्राप्त नहीं कर पा रहा है। ऐसे में उसका गुजारा कैसे होगा। जो सुबह–शाम परिश्रम करता है, उसको गुजारे लायक पैसा नहीं मिल पाता है। अगर उनके गुजारे लायक कोई उपाय नहीं किये जायेंगे तो निश्चित रूप से आजादी की बात नहीं हो पायेगी।

6.00 म.प.

निश्चित ही वह अकिंचन रह जाता है, शोषित और पीड़ित रह जाता है। इसलिए उनके अन्दर असंतोष पैदा हो रहा है। इस असंतोष के कारण उसको लगता है :

व्यर्थ है करना खुशामद रास्तों की।

काम अपने पांव ही आते सफर में।।

इसलिए संगठित होकर एक नए इन्कलाब के लिए, एक नए परिवर्तन के लिए, इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने के लिए आदमी जूझ रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि इन सारी की सारी बातों को पूरा करने के लिए जो अन्जाम दिया जाना चाहिए, वह अन्जाम नहीं दिया जा रहा है। सारी व्यवस्थाओं के अन्दर परिवर्तन लाने की दृष्टि से हमें निश्चित रूप से परिश्रम करना होगा और योजनाओं के विकास के लिए उपाय करना होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सत्यनारायण जटिया क्या आप दो मिनट में अपना भाषण खत्म कर सकते हैं?

[हिन्दी]

श्री सत्य नारायण जटिया : सभापति महोदय, आप इस विषय को इतनी सरलता से नहीं ले सकते हैं। मैंने तो अभी प्रारम्भ ही किया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे मालूम है कि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। आप कल जारी रख सकते हैं। हमारे पास चार और वक्ता हैं। सभा कल पुनः समवेत् होने के लिए स्थगित होती है।

6.01 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 8 दिसम्बर, 1994/ 17 अग्रहायण, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।